पंचम माला, खंड 18, अंक 16
Fifth Series, Vol. XVIII, No. 16

मंगलवार, 22 अगस्त, 1972/31 श्रावण, 1894
Tuesday, August 22, 1972/Sravana 31, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[पाँचवाँ सत्र
Fifth Session]

[खंड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

69(22)
18 x1.72

विषय सूची/CONTENTS

अंक 16, मंगलवार, 22 अगस्त, 1972/31, श्रावण 1894 (शक)
No. 16, Tuesday, August 22, 1972/Sravana 31, 1894 (Saka)

निधन सम्बन्धी उल्लेख — OBITUARY REFERENCE

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	Pages
301.	मारीशस में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Mauritius	—3
302.	केरल में हथकरघा डिजाइनिंग केन्द्र	Handlooms Designing Centre in Kerala	—4
304.	कृष्णा नदी के जल के बारे में फैसला	Verdict on Krishna Waters	—6
305.	तमिलनाडु में बिजली की कमी	Power Shortage in Tamil Nadu	—6
306.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार समझौता	Commercial Agreement with EEC	—7
308.	दक्षिण एशियायी देशों के बीच व्यापार और पारगमन संधि	Trade and Transit Treaty in South Asian Countries	—8
311.	राजधानी एक्सप्रेस (दिल्ली-कलकत्ता) में संसद सदस्यों के लिये कोटा	Quota for Members of Parliament in Rajdhani Express (Delhi-Calcutta)	—9
312.	बलिया और छपरा रेलवे लाइनों (पूर्वोत्तर रेलवे) को भूमि के कटाव से खतरा	Threat of Erosion to Ballia and Chupra Railway Lines (North Eastern Railway)	—11
313.	काजू उद्योग के बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव	Proposals submitted dy Kerala Government re: Cashew Industry	—11

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of Member indicated that the Question actually asked on the floor of the House by him.

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
315.	रेल मालडिब्बों के मामले में आत्मनिर्भता — Self sufficiency in Railway Wagons	—13
317.	भारत को रूई के निर्यात पर सूडान द्वारा प्रतिबन्ध — Sudan's ban on export of Cotton to India	—15
320.	रेलवे कर्मचारियों की सहकारी आवास सोसाइटियों को दिल्ली में रेलवे भूमि का आवंटन — Allotment of Railway Land in Delhi to Cooperative Housing Societies of Railwaymen	—17
	प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता. प्र. संख्या S. Q. No.		
303.	जर्मन संघीय गणतंत्र के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन — Deficit Trade with Federal Republic of Germany	—18
309.	आयात तथा निर्यात का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाना — Channelising Import and Exports through STC	—19
310.	बीरभूम, पश्चिम बंगाल में बाढ़ से हुई क्षति — Damage due to Floods in Birbhum, West Bengal	—19
314.	आगामी वित्तीय वर्ष में रेलवे को लाभ — Profit of Railways during the next financial year	—20
316.	भारत नेपाल व्यापार करार के लिये संयुक्त समीक्षा समिति — Joint Review Committee for Indo Nepal Trade Agreement	—20
318.	मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन में वृद्धि करना — Augmentation of Power Generation in Madhya Pradesh	—21
319.	सिंचित भूमि की प्रतिशतता — Percentage of Irrigaten Landd	—22
अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.		
2980.	बर्नपुर (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में दो फर्मों द्वारा किये गये अतिक्रमों के बारे में सम्पदा अधिकारियों के न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले — Cases pending in the Estate Officers Court Re. encreachments by two firms at Barnpur (SE Railway)	—23
2981.	हीरों के आयात के बारे में हीरा व्यापारी संघ की ओर से अभ्यावेदन — Representation from Diamond Merchants Association Re. Import of Dimonds	—23

अना.प्र. संख्या U.S. Q.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
982.	आसाम में पटसन निगम का कार्यालय खोला जाना — Opening of Jute Corporation office in Assam	—24
2983.	तीसरे एशियाई मेले का शूरू होना — Opening of Third Asian Fair	—24
2984.	इंजीनियरिंग संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया तथा जापान का दौरा — Engineering Association Delegation,s visit to South East Asia & Japan	—24
2985.	मध्य प्रदेश में सिंचित भूमि का क्षेत्र — Acreage of Land Irrigated in Madhya Pradesh	—25
2986.	मध्य प्रदेश में बिजली की कमी — Shortage of Power in Madhya Pradesh	—5
2987.	योजना आयोग के पास अनिर्णीत पड़ी मध्य प्रदेश सरकार की विद्युत तथा सिंचाई योजनाएं — Power and Irrigation Schemes of Madhya Pradesh Government pending with Planning Commission	—26
2988.	दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में उद्योगों की विद्युत की आवश्यकतायें पूरी करने से इन्कार — Refusal of DVC to meet the Power requirements of industries in West Bengal	—27
2989.	केरल में नारियल जटा उद्योग के विकास हेतु योजना की क्रियान्विति — Implementation of Scheme for Development of Coir Industry in Kerala	—28
2990.	प्रतिनियुक्ति पर गये कमर्शियल इन्सपैक्टरों (पश्चिम रेलवे) का स्थायी बनाया जाना — Confirmation of Commercial Inspectors now on Deputation (Western Railway)	—28
2991.	भारतीय क्षेत्र को बाड़ से बचाने के लिये हुसैनीवाला हैड वर्कस पर तैनात भारतीय अधिकारियों द्वारा पाकिस्तानी अधिकारियों से जलकपाट खोलने का अनुरोध — Request to Pakistani authorities by Indian Officials at Hdssainiwala Head works to open Sluice Gates to prevent Flocding of Indian Territory	—28
2992.	तेल्लीचेरी-मैसूर रेलवे लाइन — Tellicherry-Mysore Railway Line	—29
2993.	कावानी सिंचाई परियोजना की स्वीकृति के बारे में केरल सरकार के साथ विचार विमर्श — Consultations with Kerala Government regarding the approval of Kabani Irrigate Project Scheme	—29
2994.	काबानी सिंचाई योजना — Kabani Irrigation Scheme	—30
2995.	टाटानगर और आदित्यपुर रेलवे स्टेशनों के बीच जुगसलाय बाजार रेलवे-फाटक पर उपरि पुल का निर्माण — Construction of over bridge at Jugsalai Bazar Level Crossing between Tatanagar and Adityapur Railway Stations	—30

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2996. पश्चिम रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्कों की मंजूरशुदा संख्या	Sanctioned strength of Commercial Clerks, Western Railway	—30
2997. भारतीय रेलवे के सतर्कता संगठन पर व्यय	Expenditure of Vigilance Organisation of Indian Railway	—31
2998. रेलवे वाणिज्यिक क्लर्कों की काम करने की शर्तें	Working condition of Railway Commercial Clerks	—32
2999. पूर्व रेलवे के धनबाद स्टेशन के बुकिंग पार्सल और माल कार्यालयों में कमर्शियल क्लर्कों की संख्या	Strength of Commercial Clerks in Booking Parcel and Goods Offices Dhanbad Station (Eastern Railway)	—33
3000. आसाम में गैर-सरकारी चाय उद्योग का राष्ट्रीकरण	Nationalisation of Private tea Industry in Assam	—35
3001. अखिल भारतीय लोको संगचल कर्मचारी संघ (पश्चिम रेलवे) द्वारा रतलाम डिवीजन को समाचार भेजा जाना	Problems of Ratlam Division sent by All India Loco Running Staff Association (Western Railway)	—35
3002. राज्य व्यापार निगम में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा	Reservation quota for Scheduled Caste/Tribes in STC	—36
3003. ड्राइवरों तथा अन्य संगचल कर्मचारियों को भुगतान की अलग अलग दरें	Different rates of payment between Drivers and other Running staff	—36
3004. पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे के आसाम क्षेत्र में माल तथा कोयला उतारने-चढ़ाने के लिये ठेके प्राप्त पार्टियां	Parties to whom Goods and Coal handling Contracts in Assam region of Northeast Frontier Railway were given	—37
3005. आसाम में बिजली की कमी	Shortage of Power in Assam	—37
3006. आसाम में मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाएं	Medium Irrigation Scheme in Assam	—38
3007. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा बाढ नियंत्रण योजना बनाई जाना	Flood control scheme formulated by Ganga flood control commission	—38
3008. भूमिगत रेलवे के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये विदेशों में जाने वाले रेलवे विशेषज्ञ	Railway experts visiting foreign countries to study the working of underground Railways	—39
3009. नदी जल पर केन्द्रीय नियंत्रण	Central control on river waters	—39

अता. प्र. संख्या S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3010.	साझा मंडी का विस्तार तथा उसका भारतीय व्यापार पर प्रभाव / Extension of Common market and its effect on india's Trade	—40
3011.	राजस्थान के स्टेशनों के रेलवे बर्क-शापों, स्टोरों तथा स्टाक-यार्डों से रेल वस्तुओं की चोरी / Theft of Railway goods from Railway Workshops Stores and Sheds, Yards of the Stations of Rajasthan	—40
3012.	निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी समिति (कन्स्ट्रक्शन प्लांट एण्ड मशीनरी कमेटी) का प्रतिवेदन / Report of Construction Plant and Machinery Committee	—41
3013.	हीरा मिल्स लिमिटेड, उज्जैन को हुई हानि / Loss suffered by Hira Mills Ltd. Ujjain	—41
3014.	मैसर्स एशियन केबल्स के कच्चे माल की अवैध बिक्री के लिये श्री आर० पी० गोयन्का के विरुद्ध कार्यवाही / Action against Shri R.P. Goenka for illegal sale of raw materials of M/s Asian Cables	—41
3015.	विदेशी फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध / Curb on Import of foreign films	—42
3016.	राजकोट उपचुनाव पर सरकार द्वारा छः लाख रुपये का व्यय / Spending of six lakh rupees by Government on Rajkot bye election	—42
3017.	त्रिपुरा में रबड़ कारखाने की स्थापना / Setting up of Rubber Factory in Tripura	—42
3018.	लोक सभा के एक सदस्य के चुनाव पर खर्च की सीमा / Limit of expenditure on the election of a member of Lok Sabha	—43
3019.	भारत में 'चिकन' उद्योग / "Chiken" Industry in India	—43
3020.	'चिकन' (सिल्क) उद्योग में सर्वोत्कृष्ट कारीगरी के लिये पुरस्कार / Award for best craftsmen in "Chiken" (Silk) Industry	—44
3021.	राज्य व्यापार निगम के 'विग' निर्माण एकक का घाटे में चलना / STC owned wig manufacturing Unit running in loss	—44
3022.	हथकरघा की निर्यात-योग्य वस्तुओं के लिये न्यूनतम मूल्य निश्चित करना / Fixing of floor prices for Handloom exports	—45
3023.	बंगला देश को निर्यात की गई फिल्में / Films exported to Bangladesh	—45
3024.	बम्बई क्षेत्र में कोयले तथा 'कोक-कोयले' के व्यापारियों के लिये माल डिब्बों की कमी / Wagon shortage for Coal and coke Trades in Bombay region	—45

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3025.	केरल में काजू उद्योग के श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Cashew Workers in Kerala	—46
3026.	जापान को लौह-अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	—46
3027.	आयातित तांबे तथा पोलीथीलीन की चोर बाजारी के सम्बन्ध में कुछ कम्पनियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-कार्य	CBI Inquiry against Companies regarding Blackmarketing of Imported Copper and Polyethylene	—46
3028.	व्यास बांध से स्थानांतरित सब-डिवीजनल अधिकारियों के नाम	Names of the Sub Divisional Officers Transferred from Beas Dam	—47
3029.	एक हरीजन बस्ती में प्रतिदिन बिजली पहुँचाना	Electrification of one Harijan Basti everyday	—48
3030.	नलकूपों और नहरों से सिंचाई की दरें	Rates of Irrigation from Tubewell and Canals	—48
3031.	पंजाब में कपास का वसूली मूल्य	Procurement price of Cotton in Punjab	—48
3032.	केरल मे रबड़ की खेती के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistanee for Rubber Cultivation in Kerala	—49
3033.	गुजरात में रुई की खरीद के मामले में कदाचार	Currupt Practice in Purchase of Cotton in Gujarat	—49
3034.	भगवंतम समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementations of Bhagawantham Committee Recommendations	—49
3035.	राजस्थान नहर के निर्माण के लिये सहायता	Assistance for Construction of Rajsthan Canal	—50
3036.	रेशम उद्योग के विकास के लिए धनराशि	Funds for Development of Silk Industry	—51
3037.	वर्ष 1971 के इंडियन सिल्क डैलीगेशन की सिफारिशें	Recommendations of Indian Silk Delegation of 1971	—51
3038.	'चिकन' कसीदाकारी वस्त्रों की मांग	Demand for "Chiken" Embroidery Product	—52
3039.	कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Textile Mills	—53
3040.	निर्वाचन आयोग का विस्तार	Expansion of Election Commission	—53
3041.	ऊनी कपड़े का निर्यात	Export of Wollen Cloth	—53
3042.	दक्षिण मे रेशम का उत्पादन	Manufacture of Silk in South	—54
3042.	विद्युत चालित करघा जांच समिति	Powerloom Inquiry Committee	—54
304 .	सूती वस्त्र निगमों की स्थापना	Setting up of cotton textile corporation	—54

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3045.	आंध्र प्रदेश में तम्बाकू के गोदामों की उचित व्यवस्था न होना — Inadequate arrangement of tobacco godowns in Andhra Praddsh	—54
3046.	कछार में रेशम कारखाने की स्थापना — Setting up of Rayon Factory in Cachar	—55
3047.	आसाम टैक्सटाईल मिल को सरकारी अधिकार में लेना — Take over of Assam Textile Mill	—55
3048.	खनिज तया धातु व्यापार निगम द्वारा मैगनीज अयस्क का खान से ज्यों का त्यों निकाले गए रूप में व्यापार करना — Run off mine Manganese Ore trading by MMTC	—55
3049.	तीस्ता पुल की मरम्त — Repair of Teesta Bridge	—55
3050.	मुनाफे पर चल रही राष्ट्रीयकृत मिलें — Nationalised Mills Running at profit	—56
3051.	स्टेपल सूत के दाम — Price of Stapple Yarn	—56
3052.	खिलौना निर्माताओं को अपने उद्योग भारत में स्थानान्तरित करने हेतु राजी करने के लिए जापान और हांगकांग को भारतीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जाना — Indian Delegation to Japan and Hong Kong to pursuade the Toy Manufacturs for shifting of Industries to India	—56
3053.	विदेशों में संयुक्त उद्यमों में पूंजी-निवेश के लिए गारंटी — Guarantee for investments in Joint Venture Abroad	—57
3054.	एशियाई देशों में पूंजी निवेश नीति को उदार बनाना — Liberalisation of policy for Investments in Asian Countries	—57
3055.	उत्तर प्रदेश में चाय की खेती के विकास के लिए अनुसंधान केन्द्र — Research Centres for Expansion of Tea Plantation in UP	—58
3056.	मध्य प्रदेश में कपास के मूल्यों में गिरावट — Fall in cotton prices in Madhya Pradesh	—59
3057.	विदेशी बागानों को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेना — Take over of foreign Plantations	—59
3058.	बाण सागर परियोजना में परिवर्तन — Changes in Bansagar Project	—59
3059.	पाटलकाष्ट के निर्यात पर प्रतिबन्द — Restrictions of Export of Rose wood	—60
3060.	राज्यपालों द्वारा विशेष रेलवे सैलूनों का उपयोग — Special Railway Saloons used by Governors	—60

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3061. 'अवकाश गृहों' को लोकप्रिय बनाना	Popula istion of "Holiday Homes"	—61
3062. मध्य प्रदेश में ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षण विभाग (सरल इंजीनियरिंग सर्वे) द्वारा किये गये सर्वेक्षण	Rural Engineering Survey in Madhya Pradesh	—62
3063. साहेबपुर कमाल जंक्शन से मुंगेर घाट (पूर्वोत्तर रेलवे) तक रेलवे सेवा को पुन: चालू करना	Restoration of Railway Connection between Sahebpur Kamal Jn. and Monghyr Ghat (North Ea tern Railway)	—63
3065. सूडान मारीशस और नाइजीरिया में भारत निर्मित धूप के चश्मों की मांग	Demand for Indian Sun glasses in Sudan, Mauritius and Nigeria	—63
3066. नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार सम्वर्धन की सम्भावनाएं	Scope of Expanding Trade with Nepal Afghanistan Ceylon and South East Asian Countries	—63
3067. सरकार द्वारा चालित कपड़ा मिलों के बारे में निर्यात सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Export Committees Report on Government run Textile Mills	—64
3068. अन्दमान ओर निकोबार द्वीपसमूह में रबड़ बागानों का विकास	Development of Rubber Plantation in Andamans & Nicobar Islands	—64
3069. रतलाम और कोटा डिवीजनों में (पश्चिम रेलवे) असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों को रिहायशी क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Residential Quarters to Assistant Station Masters in Ratlam and Kota Divisions (Western Railway)	—65
3070. भोजन व्यवस्था का काम सहकारी समितियों को सौंपा जाना	Handing over of the Catering Arrangements to Cooperative Socities	—65
3071. पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन में रेल कर्मचारियों का स्थायी किया जाना	Confirmation of Employees on Railways in Ratlam division (Western Railway)	—65
3072. भारत-ब्रिटेन व्यापार की वर्तमान व्यवस्था को वर्ष 1975 तक बढ़ाना	Extension of indo UK existing trade arrangements upto 1975	—66
3073. बिहार के गांवों में बिजली का पहुँचाया जाना	Rural electrification in Bihar	—66
3074. दिल्ली से मद्रास को राजधानी एक्सप्रेस चालू करना	Introduct on of Rajdhani Express from Delhi to Madras	—67
3075. रेल कर्मचारियों को सम्मिलित करने के लिये बोनस अधिनियम में संशोधन	Amendment of Bonus Act to include Railway Employees	—67

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3076.	बिजली की दरों में एकरूपता	Uniformity in electricity rates	—68
3077.	केरल में काजू उद्योग में संकट	Crisis in Cashew industry in Kerala	—68
3078.	गीली भूसी के बारे में व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये केरल सरकार का अनुरोध	Kerala Government's request to reimburse expenditure regarding retted husks	—69
3079.	कोटद्वार रेलवे स्टेशन से सीधी रेल सेवा	Direct Rail Service from Kotdwar Railway Station	—69
3080.	उड़ीसा में माल डिब्बों की कमी	Wagon shortages in Orissa	—69
3081.	दमदम को 'निर्बाध व्यापार क्षेत्र' घोषित करना	Dum Dum as free Trade Zone	—70
3082.	अफगानिस्तान से मेवे और ताजे फलों का निर्बाध आयात	Unrestricted Import of dry and fresh fruits from Afhanistan	—70
3083.	इरांगली परियोजना और हीराकुंड परियोजना के बाढ नियंत्रण पहलुओं के लिए मंजूर की गई धनराशि	Amount sanctioned for floods control aspects of the Enangali project and Hirakund Project	—71
3084.	आस्ट्रेलिया की प्राथमिकता प्राप्त प्रशुल्क योजना के अन्तर्गत वस्तुओं के कोटे में वृद्धि	Increase in quota for goods under Australia's preferential tariff Scheme	—71
3085.	लाभकारी रेल लाइन समिति की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of the Recommendations of Committee of Uneconomic Railway Lines	—72
3086.	सरकारी क्षेत्र के निगमों और वस्तु सम्बन्धी बोर्डों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिये दल	Teams for assessing Performance of Public Sector Corporations and Commodity Boards	—73
3087.	दक्षिण पूर्व रेलवे में बिना टिकट यात्रियों का पकड़ा जाना	Detection of Ticketless Travellers on South Eastern Railway	—74
3088.	मांडवी आऊट एजेंसी, अजमेर डिवीजन (पश्चिमी रेलवे) के एजेंट को भुगतान न किया जाना	Non payment to Agent of Mandavi Out Agency Ajmer Division (Westren Railway)	—74
3089.	अधिकारियों को स्थाई बनाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति	Departmental Promotion Committee for Confirmation of Officers	—75
3090.	अमृतसर से बम्बई जाने वाली निर्यात विशेष मालगाड़ी की सेवा में वृद्धि का प्रस्ताव	Proposal to increase the service of the Export Special Goods Train from Amritsar to Bombay	—75

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3091.	पूर्वोत्तर रेलवे पर रेल डिब्बों के पटरी से बार बार उत्तर जाने की घटनाओ को रोकने के लिए किए गए उपाय — Measures taken to stop the Frequent Derailment of Coaches on North Eastern Railway	—75
3092.	दस अलाभकारी रेल लाइनों का सर्वेक्षण — Survey for Ten Uneconomic Railway Lines	—76
3093.	भाड़े और यात्रियों के यातायात की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कार्यकारी ग्रुपों द्वारा योजना बनाया जाना — Working Groups to Plan for expansion of Facilities regarding Freight and Pasenger Traffic	—76
3094.	पूना स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत केन्द्र के प्रशासन के विरुद्ध — Allegation against Administration of Central Water and Power Station at Poona	—77
3095.	'विग' उद्योग के लिए कच्चे माल हेतु अभ्यावेदन — Representation for Raw Material for Wig Industry	—77
3096.	दिल्ली में 'विग' बनाने वाला कारखाना — Wlg Factory at Delhi	—78
3097.	तुगलकाबाद रेलवे यार्ड का नवीकरण — Remodelling Tuglakabad Railway Yard	—78
3098.	राजस्थान में निकम्में मालडिब्बों की नीलामी — Auction of Condemned Wagons in Rajasthan	—78
3099.	राजस्थान में रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना — Electrification of Railway Stations in Rajasthan	—79
3100.	राजस्थान में तहसील हैडक्वाटरों का विद्युतीकरण — Electrification of Tehsil Headquarters in Rajasthan	—79
3101.	तापीय विद्युत संयत्रों में सुधार करने के लिए सुझाव देने हेतु नियुक्त की गई सरकारी समिति की सिफारिशें — Recommendations made by the Official Committee appointed to to suggest ways for streamlining Thermal Power Plants	—79
3102.	चाय एकाधिकार गृहों के बारे में पश्चिम बंगाल श्रम मंत्री का प्रतिवेदन — West Bengal Labour Minister's Report on Tea Monopoly Houses	—80
3103.	तम्बाकू के निर्यात के लिए समझौता — Agreement for Export of Tobacco	- 80
3104.	सूडान और मारीशस के कांच के सामान की मांग — Demand for Glass Articles in Sudan and Nigeria	- 80

अता.प्र. संख्या US.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3105.	भारत में निर्मित प्लास्टिक फ्रेमों की मांग / Demand for Indian Plastic Frames	—80
3106.	कृषि पर बिजली का शुल्क बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से दबाव / Pressure from Central Government to enhance the Electricity Charges on Agriculture	—81
3107.	आंध्र प्रदेश से उनकी मुख्य सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं में सहायता करने का अनुरोध / Request from Andhra Pradesh Government for Assistance in their Major Irrigation and Power Projects	—81
3108.	अनिवार्य निर्यात दायित्व / Compulsory Export Obligations	—81
3109.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कड़प्पा से सप्लाई किए जाने वाले बेराइट को ढोने के लिए वैगन / Wagons for Lifting Barytes to be supplied to O & NGC from Cuddapah	—82
3110.	आन्ध्र प्रदेश में 'व्हील' और 'एक्सल' संयंत्र की स्थापना / Location of Wheels and Axles Plant in Andhra Pradesh	—82
3111.	बंगलौर के कर्नाटक कारपोरेशन के श्री तुलसियन को पटसन की गांठों के निर्यात का लाइसेंस / Export Licence for jute Bales to Mr Tulsian of Karnatak Corporation Bangalore.	—83
3112.	ऊन का आयात और ऊन की सप्लाई करने सम्बन्धी लाइसेंसों को जारी करना / Import of Wool and Issuing of Combing Licences	—83
3113.	मैसर्स सिक्यूरिटी प्रिन्टर्स आफ इण्डिया द्वारा आयात लाइसेंस का दुरुपयोग / Misuse of Import Licence by M/s Security Printers of India	—84
3114.	मार्टिन लाइट रेलवे को पुनः चालू करना / Reopening of Martin Light Railway	—85
3115.	भारतीय रेलवे की टीम द्वारा विदेशों का दौरा / Visit of Indian Railway Teem Abroad	—85
3116.	भारत-अफगान व्यापार समझौते का पुनरीक्षण / Revised Indo-Afghan Trade Agreement	—86
3117.	भारत-रूस व्यापार करार / Indo-Soviet Trade Agreement	—86
3118.	रेलों में लगे सामान की चोरी / Theft of Railway Fittings	—87
3119.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को उसकी ग्रामीण योजना के लिये ऋणों का रोका जाना / Stopping of Loans to the Punjab State Electricity Board for its Rural Scheme	—87

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	संख्या Pages
3120. भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के व्यापार समझौते का पुनर्विलोकन	Review of Indo-UAR Trade Agreement	—80
3121. प्राइवेट विद्युत प्रदाय संस्थान	Privately Owned Electricity Supply Undertakings	—88
3122. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स	Chittaranjan Locomotive Works	—88
3123. निर्यात की दर में कमी	Fall in Rate of Exports	—89
3124. बैगनों की कमी के कारण भारतीय व्यापार उद्योग के समक्ष संकट पैदा होना	Indian Trade Industry facing Crisis due to Wagon shortage	—89
3125. यू० के० और अन्य यूरोपीय देशों को चाय के निर्यात में हुई कमी की जांच करने के लिए समिति	Committee to Examine decline of Tea Export to UK and other European Countries	—90
3126. उड़ीसा में बालासोर में रेमुना रेलवे फाटक पर फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण	Fly over bridge on Remuna Level Crossing at Balasore Orissa	—90
3127. बालासोर, उड़ीसा में मद्रास मेल के रुकने के समय में वृद्धि	Increase in the Time of Halt of Madras Mail at Balasore, Orissa	—91
3128. हावड़ा और मद्रास के बीच डीलक्स गाड़ी चलाने का प्रस्ताव	Proposal to run a Deluxe Train between Howrah and Madras	—91
3129. बूढ़ा बालंगा नदी की बाढ़ से बचाव की योजना	Flood protection scheme for Buda Balanga River	—91
3130. उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई परियोजना सम्बन्धी योजनाएं	Project scheme submitted by Orissa Government	—92
3131. अल्युमीनियम के आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीकरण	Nationalisation of Aluminium Import and Export	—92
3132. लघु उद्योगों को आयात/निर्यात लाइसेंस	Import/export licences to small scale Industries	—92
3133 लखनऊ से दरभंगा (पूर्वोत्तर रेलवे) तक की यात्रा के लिए अधिकारी द्वारा प्रयोग किया गया सैलून	Saloon utilized by officer for journey from Lucknow to Dharbhanga from Lncknow to be Dharbhanga (North EasternRailway)	—93
3134. हावड़ा-अमृतसर पंजाब मेल को दिल्ली के रास्ते चलाने का प्रस्ताव	Proposal for running Howrah Amritsar Punjab Mail via Delhi	—93
3135. इलाहाबाद से रायबरेली और लखनऊ होते हुए दिल्ली तक एक तेज रेलगाड़ी का चलाया जाना	Introduction of a fast train from Allahabad to Delhi via Rai Bareli and Lucknow	—93

अत.प्र. संख्या U.S.Q. No,	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3136. शराब का आयात	Import of liquor	—94
3137. रेल मंत्री द्वारा अनुभव की गई श्रेणी III के यात्रियों की कठिनाईयां	Difficulties of III Class passengers experienced by Railway Minister	—94
3138. सिंचाई सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति	National policy on irrigation	—94
3139. पंजाब में होजरी उद्योग के श्रमिकों में आतंक	Panic among workers of hosiery industry in Punjab	—95
3140. पम्प सेटों के लिए बिजली की व्यवस्था करना	Energisation of Pump sets in Rajasthan	—95
3141. सूती धागे का मूल्य-निर्धारण	Fixing price of Cotton Yarn	—95
3142. बंगला देश के साथ व्यापार करने के लिए नेपाल की पारगमन सुविधाएं	Transit Facilities to Nepal for trading with Bangladesh	—96
3143. उच्च न्यायालयों न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राज्यों के बीच मतभेद	Differences between states over the appointment of High Court Judges	—96
3144. केरल में नारियल जटा उद्योग का पुनर्गठन	Re-organisation of Coir Industry in Kerala	—97
3145. पोंगबांध के निष्कासितों का पुनर्वास	Rehabllitation of Oustees of Pong Dam	—97
3146. थीन बांध के निर्माण के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय	Decision taksn to construct Thein Dam	—98
3147. विदेशों में स्थित भारतीय हस्तकला एम्पोरियम	Indian Handicrafts Emporia Abroad	—98
1348. एशियाई मेले में मण्डपों का निर्माण पूरा किया जाना	Complection of Pavilions at Asian Fair	—98
3149. बंगला देश से जूट खरीदने सम्बन्धी चीन के प्रस्ताव का भारत-बंगला देश जूट व्यापार पर प्रभाव	Impact on Indo-Bangladesh Jute Trade Consequent on China's offer to buy Jute from Bangladesh	—99
3150. सरकार द्वारा संचालित मिलों द्वारा खुले बाजार से रूई की खरीद	Purchase of Cotton from open market by Government-run Mills	—99
3151. मार्टिन लाइट रेलवे को चलाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का रेलवे विशेषज्ञों के लिए अनुरोध	West Bengal Government's Request for Railway Experts to run Martin Light Railway	—100
3152. बन्देल कटवा उपनगरीय सेक्शन (पूर्व रेलवे) पर गाड़ियों का देरी से चलना और गाड़ियों में भारी भीड़ होना	Late Running of Trains and over Growding in Bandel Ketwa Suburban Section (Eastern Railway)	100

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3253.	बन्देल कटवा उपनगरीय सैक्शन (पूर्व रेलवे) पर विद्युतिकरण और रेल-मार्ग को दोहरा करना	Electrification and Doubling of the Track of the Bandel Katwa Suburban Section (Eastern Railway)	—100
3154.	निर्यात सम्बन्धी दायित्वों का पालन करने के कारण फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही	Action taken against Firms for Not Meeting Export Obligations	—101
3155.	चश्में के शीशों का निर्यात	Export of Lenses for Spectacles	—101
3156.	चाय काफी और पटसन का निर्यात	Export of Tee Coffee and Jute	—102
3157.	भारतीय गलीचों के निर्यात के लिए क्रयादेश	Export orders for Indian Carpets	—104
3158.	1971 के लोक सभा के लिए मतदान हेतु मतपत्रों का एक व्यापारी से बरामद होना	Recovery of Ballet papers for 1971 Lok Sabha Poll from a Dealer	—155
3159.	निर्यात गृहों को सरकारी क्षेत्र द्वारा सहायता	Public Sector help for Export Houses	—105
3160.	ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदियों के बाढ़-नियंत्रण सम्बन्धी योजना तथा उड़ीसा के लिए सिंचाई योजना	Flood Control scheme of Brahmani and Baitarani Rivers and Irrigation Plan for Orissa	—106
3161.	तूफान पीड़ित सहायता समिति की सिफारिशें	Recommedations made by the Cyclone Distress Mitigation Committee	—106
3162.	उड़ीसा सरकार द्वारा बाढ़ों तथा बाढ़ सहायता संबंधी मन्त्रियों की समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recemmendations made by the Ministers Committee on Floods and Flood Reliefs by Orissa Government	—107
3163.	रेलवे सेवा आयोग (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि	Reprsentative from Madhya Pradesh for Railway Service Commission (South Eastern Railway)	—107
3164.	तम्बाकू बोर्ड	Tobacco Board	—107
3165.	नेपाल द्वारा भारतीय सिग्रेटों पर से प्रतिबंध हटाना	Lifting of Ban on Indian Cigarettes by Nepal	—108
3166.	परियोजना तथा उपकरण निगम (प्रोजैक्ट्स एंड इक्विपमैन्ट कारपोरेशन) के माध्यम से इंजीनियरी सामान का निर्यात	Export of Engineering Goods through Projects and Equipment Corporation	—108

अता.प्र. संख्या U.S,Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
3167.	लौह-अयस्क और मैंगनीज की ढुलाई — Shipment of Iron and manganese Orc	—109
3168.	नेपाल में सिसापानी तथा बराह क्षेत्र में बाढ़ आने की पूर्वसूचना देने की व्यवस्था — Flood forecasting arrangements at Sisapani and Barahaksetra in Nepal	—109
3169.	गोदावरी बांध परियोजना के अधिकारियों के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायतें — Complaints Regarding Graft Charges against Officers of Godavari Barrage Project	— 110
3170.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स तथा हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के प्रशासकीय नियंत्रण के बारे में विवाद — Controversy over Administrative Control of Bharat Heavy Electricals and Heavy Eiectricals Ltd.	—110
3171.	कर्मचारियों को उपनगरीय निवास स्थानों से कार्य के स्थानों तक यात्रा करने के लिए निःशुल्क रेलवे पास दिया जाना — Free Railway Passes to Employees to travel from Suburban Residence to Place of Duty	—111
3172.	नार्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता देना — Recognition of North Eastern Railway Mazdoor Union	—111
3173.	वर्ष 1971-72 के निर्यात संबंधी आंकड़ों का दोषपूर्ण संकलन — Faulty compliation of Export Data for 1971-72	—112
3174.	यूगोस्लाविया से माल डिब्बों का सौदा — Wagon deal with Yugoslavia	—112
3175.	भारत-सूडान व्यापार समझौता — Indo Sudan Trade Agreement	—113
3176.	उत्तर प्रदेश को बिजली की सप्लाई — Supply of Electricity to Uttar Pradesh	—114
3177.	दिल्ली आने वाली लखनऊ एक्सप्रेस के डिब्बों में से एक रेलवे परिचर का बाहर फैंका जाना — Railway attendant of the Delhi bound Lucknow express thrown out of the Compartment	—114
3178.	दिल्ली विद्युत उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा धरना — Dharna by the Employees or Delhi Electric Supply Undertaking	—115
3179.	महानदी परियोजना (उड़ीसा) को पूरा किया जाना — Completion of Mahanadi Project (Orissa)	—115
	शाहदरा में हुई घटनाओं के बारे में — Re : Incidents at Shahdara	—116
	सभा पटल पर रखे गये पत्र — Papers Laid on the Table	—118
	संसदीय समितियां कार्य का सारांश — Parliamentary Committees Summary of Work	—118
	राज्य सभा से संदेश — Messages from Rajya Sabha	—118

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य)	Supplementary Demands for Grants (General) 1972-73	—119
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	
सदस्यों की दोष सिद्धि	Conviction of Members	—1
सर्वश्री वीरेन्द्र अग्रवाल और रामरतन शर्मा	Sarvashri Virendra Agarwal and R. R. Sharma	
खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक-पुरः स्थापित	Khadi and Other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Amendment Bill—Introduced	—
इंडियन आयरन एण्ड स्टील (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प (अस्वीकृत)	Statutory Resolution Re : Disapproval of Indian Iron and Steel Company (taking over of Management) ordinance (negatived)	
और	and	
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक	Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Bill	—121
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री स्वर्णसिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi	—122
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	—124
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	—127
श्री सी० टी० दण्डपाणि	Shri C. T. Dhandapani	—127
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	—129
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	—130
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	—131
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	—132
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumarmanglam	—132
खंड 2 से 17 और 1	Clauses 2 to 17 and 1	—
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as a mended	—
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	—
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumarmanglam	—
देश के विभिन्न भागों में व्याप्त विद्युत संकट के बारे में चर्चा	Discussion Re-Power crisis in different parts of country	—141
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	—141
श्री दरबारासिंह	Shri Darbara Singh	—143
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinesn Bhattacharyya	—143
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	—144

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	—144
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	—146
श्री सी० चित्तिबाबू	Shri C. Chittibabu	—146
श्री नवलकिशोर सिंह	Shri Nawal Kishore Sinha	—148
श्री फूलचन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma	—149
श्री कुशोक बाकुला	Shri Kushok Bakula	—150
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	—150
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda	—150
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornandan Painuli	—151
श्री रामसहाय पाँडे	Shri R. S. Pandey	—152
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	—152
डा० गोविन्द दास रिच्छारिया	Dr. Govind Das Richhariya	—152
श्री पी० गंगादेव	Shri P. Gangadeb	—153
श्री प्रताप सिंह नेगी	Shri Pratap Singh Negi	—153
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	—153
श्री साधू राम	Shri Sadhu Ram	—154
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malviya	—154
डा० कैलाश	Dr. Kailash	—154
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	—154
श्री मूलचन्द डागा	Shri Mool Chand Daga	—155
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy	—155
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	—155
श्री शिव चंडिका	Shri Shiva Chandika	—155
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	—155
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	—155
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	—155

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 22 अगस्त, 1972/31 श्रावण, 1894 (शक)
Tuesday, August 22, 1972/Sravana 31, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो मुझे श्री एम० सूर्यनारायण मूर्ति के दुखद निधन की सूचना सभा को देनी है। उनका 18 अगस्त, 1972 को 62 वर्ष की आयु में विशाखापत्तनम में देहान्त हो गया। श्री मूर्ति 1957 से 1970 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश से दूसरी, तीसरी और चौथी लोक-सभा के सदस्य रहे वह सरकारी समितियों के संगठन हरिजनों के उत्थान तथा ग्राम्य क्षेत्रों के कल्याण-कार्य में अत्यधिक रुचि लेते थे और उनका अपने साथियों में बड़ा सम्मान था।

हमें अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनायें प्रकट करने में यह सभा मेरा साथ देगी।

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, कल हमने इस सभा के एक वर्तमान सदस्य के निधन पर शोक प्रकट किया था और आज हम अपने भूतपूर्व साथी के दुखद निधन पर शोक संतप्त हैं। मैं आपके द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं से सभा की तथा अपनी सहमति प्रकट करती हूं।

आपने श्री एम० एस० मूर्ति के निष्ठा एवं लगन से किये गये कार्यों का उल्लेख किया। वह इस सभा के 10 वर्ष तक सदस्य रहे। उन्होंने सहकारी समितियों का संगठन करके सहकारी आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह कृषि-अनुसंधान कार्य में भी सक्रिय रूप से लगे हुये थे।

श्रीमान्, मैं अनुरोध करती हूं कि आप शोक संतप्त परिवार को हमारा संवेदना संदेश भेज दें।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : श्रीमान, श्री एम० एस० मूर्ति के निधन पर आपके द्वारा तथा प्रधान मंत्री द्वारा जो संवेदनाएं प्रकट की गई हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। उनके सामाजिक कार्यों के बारे में आपने उल्लेख किया। अत: उनके निधन से उन लोगों को भी क्षति पहुंची है, जो उनके कार्यों से सम्बद्ध थे। शोक-संतप्त परिवार को हमारी ओर से संवेदना संदेश भेजने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, 1957 से 1970 तक संसद सदस्य रहे। साथी के दुखद निधन पर आपने और प्रधान मंत्री ने जो दुख प्रकट किया है, मैं अपने दल और स्वयं को उससे सम्बद्ध करता हूँ। वह एक मूक कार्यकर्ता थे। वह उचित समय पर हरिजनों तथा अन्य दलित वर्गों के लोगों के हितों की वकालत भी करते थे।

वस्तुत: यह बड़े दुख की बात है कि हम प्राय: हर रोज ही किसी वर्तमान संसद सदस्य अथवा भूतपूर्व संसद सदस्य के निधन पर शोक प्रकट करते हैं। न जाने भगवान ससद सदस्यों पर इतने कुपित क्यों हैं।

मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे दल की ओर से आप उनके शोक संतप्त परिवार को संवेदना-संदेश भेज दें।

श्रीमती एम० गोडफ्रे (नाम निर्देशित-आंगल-भारतीय) : श्रीमान्, दिवंगत संसद सदस्य के प्रति जो संवेदना आपके सभा के नेता तथा अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई है, मैं उससे सहमत हूँ और आपके माध्यम से शोक-संतप्त परिवार को संवेदना-संदेश भेजना चाहती हूँ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : अध्यक्ष महोदय, आपने, सभा के नेता और विभिन्न दलों के नेताओं ने जो भाव व्यक्त किये, उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि उनके निधन से मुझे वैयक्तिक क्षति हुई है। मैं उन्हें कांग्रेसी, संसदविज्ञ और दलित-वर्ग के हितों के रक्षक के रूप में जानता हूं। वह विज्ञान के स्नातक थे। उनका कांग्रेसियों में बड़ा सम्मान था। उन्होंने सभी स्वतंत्रता-आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया था। वह 19 वर्ष तक जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे और वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे।

उनका चरित्र उच्च था। स्वतन्त्रता-आन्दोलनों में उन्होंने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति गंवा दी थी। संसद सदस्य रहते हुए भी वह कुंटीकेरल गांव में एक कुटिया में रहते थे, जिस पर छप्पर पड़ा रहता था। उन्होंने ईमानदारी और सच्चरित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया था।

इस महान आत्मा के संसार से उठ जाने पर हम दिल से शोक प्रकट करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारी शोक-संवेदनाएं शोक-संतप्त परिवार तक भिजवा दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : दिवंगत भूतपूर्व संसद सदस्य के सम्मान में अब सदस्यगण कुछ देर के लिए मौन खड़े होंगे।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

मारीशस में उद्योगों की स्थापना

*301. **श्री धनशाह प्रधान :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मारीशस के प्रधान मंत्री ने भारतीय उद्योगपतियों से अनुरोध किया था कि वे मारीशस में उद्योग स्थापित करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच कोई उद्योग वहाँ स्थापित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) & (b). The Government of Mauritius have shown interest in the setting up of industrial joint ventures in Mauritius by the Indian Industrialists. The Government of India have so far approved 9 proposals for setting up industrial joint ventures in Mauritius, out of which 2 have already gone into production.

(c) Does not arise:

Shri Dhan Shah Pradhan : Mr. Speaker Sir, I would like to know the names of Indian industrialists who have applied for permission to set up industries in Mauritius, the terms and conditions on which they have been given permission the names of those who have been given permission and of those whose cases have been rejected as also the grounds on which each case has been rejected.

Shri L. N. Mishra : I have got the list of those who have not been granted permission. The names of those whose proposals have been approved are as follows :

1. M/S Siddhartha Jashubhai, Ahmedabad.
2. M/S Swastika Rubber Products, Bombay.
3. M/S Visanji Sons & Co, Bombay.
4. M/S Ayurveda Sevashram Private Limited, Udaipur.
5. M/S United Agencies Private Limited, Bombay.
6. M/S Orkey Group, Bombay.
7. M/S Subhash Silk Mills P. Limited, Bombay.
8. M/S K. C. P. Limited, Madras.
9. M/S Raymond Woolen Mills Limited Bombay.

I have no objection in granting permission, because they will take goods from this country and not money in cash. It is in the countries interest that they should go there. Mauritius Government has issued them licences.

श्री राम सहाय पाण्डेय : इस बात की हमें प्रसन्नता है कि मारीशस में 59 प्रतिशत लोग भारतीय मूलक हैं। श्री रामगुलाम के भारत से अच्छे सम्बन्ध है। यह अच्छी बात है कि वे भारत सरकार और भारतीय उद्योगपतियों को वहां उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने किस किस उद्योग की स्थापना की मांग की है।

श्री एल० एन० मिश्र : वहाँ 9 औद्योगिक एकक स्थापित किये जा रहे हैं। इनमें पच्चीकारी वाली टाइलों का उद्योग, रबड़ उत्पाद उद्योग, आरा मिल उद्योग, डिब्बाबन्दी उद्योग, होटल उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और सिलेसिलाये वस्त्र उद्योग सम्मिलित हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमें प्रसन्नता है कि कुछ भारतीय उद्योगपतियों को मारिशस में उद्योग लगाने की अनुमति दे दी गई है । किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या दोनों देशों की सरकारों के बीच इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है, यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ? चूंकि विदेशों में भारतीयों के सामने कठिनाइयां आ रही हैं, उगांडा के भारतियों का भाग्य अभी तक अधर में है । क्या सरकार ने वहां जाने वाले उद्योगपतियों को यह आदेश दे दिये हैं कि वे वहां आम जनता का शोषण न करें ?

श्री एल० एन० मिश्र : दोनों सरकारों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है । गैर-सरकारी कम्पनियां विभिन्न देशों को जाती है और उन्हें अनुमति अथवा लाइसेंस दिये जाते हैं, सम्बद्ध देश उन्हें सुविधायें देते हैं । वे यहां से मशीनरी और तकनीकी जानकारी वहां ले जाते हैं और ये इक्विटी पूंजी का अंग बनती हैं । जब उन्हें लाभ होता है, तो सरकार को भी कुछ विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । ऐसे मामलों में नकदी ले जाने की प्राय: अनुमति नहीं दी जाती । जब ये कारखाने विदेशों में लग जाते हैं, तो हम उन देशों को मशीनें और तकनीकी जानकारी आदि का विक्रय करते हैं ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : लाइसेंस देने से पूर्व क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि लाइसेंस-प्राप्तकर्ता विदेशों में भारत का नाम ऊंचा करेंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं । इस सम्बन्ध में हमें कुछ शिकायतें मिली थी । मंत्रालय में हमने एक विशिष्ट विभाग इसके लिए खोल दिया है और यह विदेशों में स्थित हमारे मिशनों के सहयोग से वहां स्थित एककों के कार्यों पर निगरानी रखेगा । विदेशों में लगभग 135 संयुक्त उद्यम हैं जिनमें से 133 कार्य कर रहे हैं । इनमें 85 संयुक्त उद्यम हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । अत: इसके परिणाम आशाजनक हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मन्त्री महोदय उन कम्पनियों के नाम भी बतायेंगे जिन्हें विदेशों में उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी गई थी और जिन्होंने विदेशों में कदाचार किये और सम्बद्ध देश के कानूनों का उल्लंघन किया ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न का सम्बन्ध तो केवल मारिशस से है । यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केन्या में बिरला बन्धुओं के दो अधिकारियों को जेल की सजा दी गई थी, जिससे हमारे देश की बदनामी हुई ।

अध्यक्ष महोदय : आपको असम्बद्ध प्रश्न पूछने की आदत है ।

केरल में हथकरघा डिजाइनिंग केन्द्र

+

***302. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केरल में हथकरघा डिजाइनिंग केन्द्र स्थापित करने के बारे में केरल राज्य सरकार के अनुरोध पर निर्णय ले लिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). केरल में एक बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। इस केन्द्र के लिए अमले तथा अन्य आवश्यकताओं के सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। सरकार का यह प्रयास रहेगा कि इस सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूरी कर ली जाएं और केन्द्र अपना कार्य यथाशीघ्र सम्भव प्रारम्भ कर दे।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या केरल में कन्नौर में एक बुनकर सेवा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ? क्या मंत्री महोदय हमें ठीक-ठीक स्थान का आश्वासन देंगे ?

श्री ए० सी० जार्ज : वैधानिक तौर से तो केन्द्रों का आवंटन केरल राज्य को किया जाता है। हमारे साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ है उससे यह प्रतीत होता है कि केरल इसे कन्नौर में खोलने का विचार रखती है जो कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हथकरघा केन्द्र है। मुझे आशा है कि यह केन्द्र कन्नौर में ही होगा परन्तु फिर भी इसका निर्णय केरल सरकार को ही करना है।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : इन केन्द्रों से श्रमिकों को क्या-क्या लाभ होंगे ?

श्री ए० सी० जार्ज : बुनकर केन्द्रों में नए डिजाइन रंग-मिश्रण तथा नयी बुनकरों के लिये उपकरणों की व्यवस्था की गई है। ये केन्द्र ऐसे माध्यमों का कार्य करते हैं जिनके द्वारा करघा उत्पादन एककों को करघा पूर्व की करघा के दौरान की तथा करघा-पश्चात् की उत्पादन प्रक्रियाओं में तकनीकी सहायता प्राप्त होती है। ये केन्द्र मुख्यतः विभिन्न डिजाइन तैयार करने के क्षेत्र में अनुसन्धान करने तथा आन्तरिक व्यापार तथा निर्यात बाजार दोनों के लिए नमूने तैयार करने सम्बन्धी अनुसंधान से संबंधित कार्य करते हैं तथा डिजाईनिंग, बुनकरी, रंगरेजी तथा छपाई के कार्य में हथकरघा उद्योग को तकनीकी सहायता देते हैं।

श्री हरीकिशोर सिंह : केरल में ही उक्त केन्द्र को स्थापित करने वाले ऐसे विशेष कारण क्या थे ? क्या अन्य राज्यों, विशेषकर उन राज्यों के जो बड़े पैमाने पर हथकरघा वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश आदि के अनुरोधों पर भी सहृदयता से विचार किया जायेगा और क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा केन्द्र हथकरघा कपड़े के बड़े केन्द्र खलीलाबाद जैसे स्थान पर खोला जायेगा ?

श्री ए० सी० जार्ज : ये बातें तो केवल उपयुक्तता के आधार पर निश्चित की जाती हैं। आज भी सात बुनकर सेवा केन्द्र हैं—तमिलनाडु-मद्रास में; महाराष्ट्र-बम्बई में पश्चिम बंगाल-कलकत्ता में; उत्तरप्रदेश-वाराणसी में आंध्रप्रदेश-विजयवाड़ा में; मैसूर-बंगलौर में, मध्यप्रदेश-इन्दौर में तथा एक उप-केन्द्र कान्चीपुरम् में, केरल में, भी एक बुनकर सेवा केन्द्र खोलने के निर्णय के साथ ही एक केन्द्र असम तथा एक हरियाणा में, ये दो अन्य केन्द्र खोलने का भी विचार है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मध्य प्रदेश के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री ए० सी० जार्ज : उत्तर प्रदेश में एक और केन्द्र तथा बिहार और मनीपुर में एक उप-केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

श्री के० एस० चावड़ा : गुजरात के बारे में क्या विचार है जहां बड़ी संख्या में बुनकर हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप संक्षेप में बातें करते तो अधिक सुविधाजनक रहता। यद्यपि मैं आपकी स्मृति की प्रशंसा करता हूं परन्तु फिर समय का भी तो ख्याल रखना है। अगला प्रश्न।

कृष्णा नदी के जल के बारे में फैसला

***304. श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा न्यायाधिकरण का फैसला घोषित होने तक गुलबर्ग तालुक में बेन्नूथोरा सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कृष्णा नदी के जल के बारे में फैसला कब तक घोषित हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). बेन्नुथोरा सिंचाई परियोजना के लिए मैसूर सरकार द्वारा अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजे गये हैं।

श्री धर्मराव अफ़ज़लपुरकर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या न्यायाधिकरण ने इस आशय का कोई स्थगन आदेश जारी किया है कि कृष्णानदी के बेसिन-क्षेत्र में किसी परियोजना का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : ऐसा तो कोई स्थगन-आदेश जारी नहीं किया गया है, परन्तु क्योंकि यह मामला न्यायाधिकरण के विचाराधीन पड़ा है, अतः हम इस बेसिन के लिये किसी परियोजना को स्वीकृति नहीं दे रहे।

श्री धर्मराव अफ़जलपुरकर : क्या सरकार ने ऐसी कोई समय-सीमा निश्चित की है जिसके भीतर उक्त न्यायाधिकरण अपना निर्णय दे दे ? यदि नहीं, तो फिर सरकार ने कृष्णा नदी परियोजना के निर्माण के बारे में स्वीकृति देना क्यों रोक रखा है।

डा० के० एल० राव : उसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। परन्तु मामले में जांच काफी आगे पहुँच गई है और ऐसी आशा है कि इस सम्बन्ध में निर्णय अगले एक वर्ष के भीतर ही मिल जायेगा।

तमिलनाडु में बिजली की कमी

+

***305. श्री वी० मायावन :**

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में बिजली की कमी के कारण कारखाने बन्द को गए है और तामिलनाडु राज्य में बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो बिजली की कमी के क्या कारण हैं,; और

(ग) समस्या के समाधान में राज्य की सहायता करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी नहीं। तमिलनाडु में बिजली की कमी के कारण किसी भी मिल के बन्द होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वी० मायावन : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या नेवेली में कोई अन्य खान भी खोदने का प्रस्ताव है ताकि लिगनाइट को तापीय विद्युत के उत्पादन के लिए भी उपयोग में लाया जा सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : इस पर विचार हो रहा है । इतनी पर्याप्त मात्रा में लिगनाइट उपलब्ध नहीं हैं कि उसका उपयोग नेवेली में स्थापित 600 मेगावाट की क्षमता के लिए किया जा सके । अतः, इस क्षेत्र में उत्पादन का विस्तार करने संबंधी मामला विचाराधीन है ।

श्री वी० मायावन : मंत्री महोदय ने पहले यह आश्वासन दिया था कि कलपक्कम स्थित परमाणु ऊर्जा केन्द्र वर्ष 1971 में चालू हो जायेगा । अब उन्होंने उसे 1976 तक के लिए रोक दिया है । क्या अब बाद के आश्वासन को पूरा किया जायेगा ?

डा० के० एल० राव : कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केन्द्र वर्ष 1975 तक सक्रिय हो जायेगा तथा वर्ष 1976 के प्रथम भाग में विद्युत उपलब्ध हो जायेगी ?

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार समझौता

+

***306. श्री एम० कतामुतु**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के साथ व्यापारिक सहयोग समझौते संबंधी प्रस्ताव को यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) दोनों पक्षों के बीच वाणिज्यिक सहयोग करार के लिए हमारे अनुरोध पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय अपनी प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप देने का कार्य कर रहा है ।

श्री एम० कतामुतु : क्या यह सच है कि जनवरी, 1973 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रटेन को भी प्रवेश मिल जायेगा ? यदि हां, तो ब्रिटेन के प्रवेश पा लेने के पश्चात् हमारे सामने क्या क्या व्यापारिक समस्यायें आएंगी ?

श्री एल० एन० मिश्र : जी हाँ, ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हो गया है तथा अब जनवरी 1973 में उसके प्रवेश से सम्बन्धित औपचारिकतायें ही शेष रह गई हैं । यही कारण है कि हम यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से सीधे संबंध स्थापित करने को उत्सुक हैं । हम वाणिज्यिक सहयोग करार करना चाहते हैं । हम ने कुछ प्रगति की है । साथ ही कुछ कठिनाईयां भी हमारे सामने आयी हैं । हमें आशा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों से सीधी बात-चीत करने के पश्चात हम इन कठिनाइयों पर भी काबू पा लेंगे ।

श्री एम० कतामुतु : यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों को नारियल जटा तथा पटसन उत्पादों के निःशुल्क निर्यात किए जाने के बारे में बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह केवल नारियल जटा अथवा पटसन जैसी अलग-अगल मदों का मामला नहीं है । पहले सभी चीजों के बारे में करार करने होंगे । इस के पश्चात ही व्यापार होगा ।

डा० रानेन सेन : यूरोपीय आर्थिक समुदाय से किन शर्तों पर बातचीत हो रही है और यह बातचीत कब तक जारी रहेगी ? उक्त बातचीत का रुख क्या है ?

श्री एल० एन० मिश्र : करार की शर्तों का इस समय उल्लेख करना वाँछनीय नहीं होगा । हमने वर्ष 1970 के उत्तरार्द्ध में स्मरण-पत्र भी भेजा हैं । इसके बाद मैं ब्रुसेल्स गया था । वहां प्रधान मंत्री भी थीं और उन्होंने वहां यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अधिकारियों से बातचीत भी की थी । कुछ देशों द्वारा अपना रवैया बदल दिये जाने के फलस्वरूप मैं उन देशों के नाम नहीं लेना चाहता । मुझे प्रतीत होता है कि हम यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ कोई करार कर सकेंगे । अब बंगला देश भी एक अलग स्वतंत्र देश बन चुका हैं, अतः पटसन के मामले में तो हमें कोई कठिनाई नही आयेगी ।

श्री एस० आर० दामानी : ब्रिटेन द्वारा शुल्क लगा दिये जाने के कारण ब्रिटेन को किए जाने वाले हमारे सूती कपड़े के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इस दृष्टि से कि हम ब्रिटेन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों को भारी मात्रा में सूती कपड़े का निर्यात किया करते थे, क्या इस दिशा में कोई विशेष प्रबन्ध किये जा रहे हैं ताकि हमारा यह निर्यात जारी रहे ।

श्री एल० एन० मिश्र : सूती कपड़ा उन मदों में से एक है जिसका निर्यात बहुत ही कम रहा है । सूती कपड़ा उद्योग से यह हमारी शिकायत है । यह उद्योग निर्यात के अपने वचन को पूरा नहीं कर सका । यह भी एक प्रमुख कारण है कि हम सूती कपड़े के निर्यात को अपने हाथों में ले रहे हैं ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : योरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों के साथ भारत की बातचीत के संदर्भ में ब्रिटेन का क्या रवैया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं तो इसे सहायक ही कहूँगा । वह हमारी सीधी बातचीत के विरुद्ध नहीं है ।

दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार और पारगमन सन्धि

+

***308. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री बी० वी० नायक :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशिया के कुछ देशों ने आपस में व्यापार तथा पारगमन सन्धि करने की उत्सुकता दिखाई है; और

(ख) यदि हां तो भारत सरकार ने इस मामले में क्या पहल की है ।

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). जी नहीं । दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामान्य व्यापार तथा पारगमन सन्धि के लिए कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है । किन्तु इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापारिक तथा आर्थिक सहयोग और अधिक बढ़ाने के लिए इकाफे देशों के तत्वावधान में कतिपय प्रयत्न किए गए हैं । इन प्रस्थापनाओं पर कई देशों की सरकारों का ध्यान गया है जिनमें भारत सरकार भी शामिल है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस क्षेत्र के उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत सरकार से इस प्रकार का व्यापार और पारगमन सन्धि करने की पेशकश की है ?

श्री एल० एन० मिश्र : फिलहाल इस तरह की व्यवस्था केवल नेपाल के साथ है । इस क्षेत्र के वित्त मंत्रियों के काबुल में हुए सम्मेलन में इस प्रकार के क्षेत्रीय विकास का निर्णय किया गया था । नेपाल के अतिरिक्त अन्य किसी देश से इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं चल रही है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : पिछले कई वर्षों से भारत सरकार पाकिस्ता होकरन तुर्की और ईरान से बर्मा तक स्थल मार्ग खोलने का प्रयत्न कर रही है क्योंकि इससे एशियाई देशों और अफगानिस्तान के व्यापार और पारगमन को सुविधा होगी । अब जबकि अफगानिस्तान से भारत सूखे मेवे लाने के लिए पाकिस्तान की सीमा खुल गई है, क्या इस प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जायेगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : जैसा कि मैंने बताया। हमने इस सम्बन्ध में किसी अन्य देश से बात नहीं की है । नेपाल के साथ हमारी पहले ही से व्यापार और पारगमन सन्धि है । पाकिस्तान बगला देश तथा अन्य देशों से हमने क्षेत्रीय विकास के लिए व्यापार और पारगमन सन्धि नहीं की है ।

श्री बी० वी० नायक : यदि हमने बर्मा, नेपाल, बंगला देश, पश्चिमी पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और अन्य देशो से जो भौगोलिक, रूप में हमारे समान है, बात नहीं की है तो क्या इस स्थिति में हम दक्षिण एशिया आर्थिक समाज बनाने के लिए पेशकश करेंगे क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर करती है ?

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं ही तर्क देते हैं और स्वयं ही सुझाव देते हैं । यह प्रश्न पूछने का सही तरीका नहीं है ।

श्री एल० एन० मिश्र : यह एक बहुत ही विस्तृत पेशकश होगी । इस क्षेत्र के विकास के लिए एकाफे है। इस क्षेत्र के लिए किसी अन्य संस्था के गठन का कोई प्रस्ताव हमारे सम्मुख नहीं है । जैसा कि मैंने कल राज्य सभा में बताया था, जूट के सम्बन्ध में बंगला देश के साथ हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं । पर अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

राजधानी एक्सप्रेस (दिल्ली-कलकत्ता) में संसद सदस्यों के लिए कोटा

***311. श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने सरकार से अनुरोध किया है कि दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में संसद सदस्यों के लिए कुछ कोटा नियत किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कुछ समय पहले यह विनिश्चय किया गया था कि ऐसा कोई कोटा निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी, इस मामले की पुन: जाँच की जा रही है।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री जानते हैं कि बहुत से संसद सदस्य यहां से कलकत्ता तक यात्रा करते हैं। वायुयान की टिकट पर यात्रा पूरी कर लेने पर, उन्हें राजधानी एक्सप्रैस से यात्रा करनी पड़ती है क्योंकि यही सबसे तेज गाड़ी है। मंत्री महोदय का कहना है कि इस पर विचार हो रहा है। इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ? क्या यह निर्णय इस सत्र के अन्त तक ले लिया जायेगा ?

श्री टी० ए० पाई : इस सत्र से पहले निर्णय लेना सम्भव नहीं है। भूतकाल में साधारणत: हम संसद सदस्यों के मांगने पर उन्हें स्थान देने की स्थिति में रहे है। पर लगातार मांग की जाती रही है कि संसद सदस्यों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे जायें दूसरी ओर इस प्रकार संसद सदस्यों, सशस्त्र सेनाओं आदि के संरक्षण के कारण जनता को होने वाली असुविधाओं के सम्बन्ध में जनता से शिकायतें आई हैं। इस कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। इसलिए हमने संरक्षण के इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है जिसमें विरोधी सदस्यों का सहयोग भी है। यह मामला भी समिति के पास भेजा जायगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं समिति की नियुक्ति का स्वागत करता हूं। राजधानी एक्सप्रैस में केवल गर्मियों में भीड़ रहती है, जबकि संसद सदस्य गर्मियों और सर्दियों दोनों समय यात्रा करते हैं। क्या उनके लिए कुछ स्थान सुरक्षित किए जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपके वर्तमान कार्यकाल के बाद यह सम्भव हो सकेगा।

Shri B. P. Maurya : Reservation is only one per cent season for such practices. The members of Parliament have been given the facility of having resereation in every train. Wil this facility to be not given in this train ?

श्री टी० ए० पाई : मैं किसी भी विशेषाधिकार को वापिस लेना नहीं चाहता। पर इस शिकायत के कारण कि विशेष सुरक्षण के कारण स्थान की कमी होती है, इस समस्या को दूर करने के सम्बन्ध में एक समिति विचार कर रही है। ये सुविधाएं समाप्त नहीं की जायेंगी। यदि रेलवे अधिकारियों के कारण कुछ कमियाँ आई हैं, हम उन्हें समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा का अध्यक्ष होने के नाते, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में हमारे सचिवालय से भी परामर्श किया गया है ? हम उनके आने जाने और सभा में उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। कम से कम मैं इसे अच्छा नहीं मानता।

श्री टी० ए० पाई : एक समिति नियुक्त कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं कहते हैं कि उनके आने से जनता को असुविधा होती है, जनता उन्हें बाहर कर देगी। ऐसा कहना ठीक नहीं है। (व्यवधान) इस सम्बन्ध में आप सब उत्तेजित न हों। मैं मंत्री महोदय से बात करूंगा। इस सम्बन्ध में मैंने और प्रश्नों की अनुमति नहीं दी है। मैं सभी जनता का आदर करता हूं। पर सदस्यों को सुविधाएं देना मेरा और मेरे सचिवालय का काम है। यह उन्हें अधिनियम में दी गई हैं। हम उसके अनुरूप चल रहे हैं। मैं

मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के मामलों में वे कम से कम मुझ से परामर्श कर लिया करें ।

श्री टी० ए० पाई : किसी भी सुविधा को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है । सभी शिकायतों को मैं दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद :

बलिया और छपरा रेलवे लाइनों (पूर्वोत्तर रेलवे) को भूमि के कटाव से खतरा

*312. श्री **चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा और घाघरा नदियों द्वारा भूमि के कटाव के कारण पूर्वोत्तर रेलवे पर बलिया और छपरा रेलवे लाइनों को खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन लाइनों की सुरक्षा के लिये उनका मंत्रालय क्या उपाय कर रहा है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) गंगा नदी अथवा घाघरा नदी के कटाव के कारण बलिया और छपरा स्टेशनों के बीच की रेलवे लाइन को कोई खतरा नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Chandrika Prasad : Narrow guage runs between Ganga and Ghaghra. Both of them are near the line. Whether due to the erosion of Ghaghra some portion of the Balia-Chhapra line bad to be shifted backward and when spur was Constructed only then erosion stopped ?

श्री टी० ए० पाई : 1956 में कुछ कठिनाई हुई थी । पर उसके बाद उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किये और अब ऐसे किसी खतरे की आशंका नहीं है ।

Shri Chandrika Prasad : The state government Constructed a dam on Ghaghra at Turtipar Sirinagar for the safety of this line Ganga is eroding Balia Beria dam near Gayaghat, which is one furlong a away from the line. If the erosion goes on the line will go away. Whether the arrangement of Constructing a spur will be made as has he done in the case of Ghaghra ?

श्री टी० ए० पाई : क्योंकि माननीय सदस्य ने ऐसी सूचना दी है जिसके कुछ परिणाम निकल सकते हैं, मैंने जो उत्तर दिया है उस सन्दर्भ में मैं मामले की जांच करूंगा ।

काजू उद्योग के बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव

+

*313. **श्री वयालार रवि** :
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल सरकार द्वारा निम्न विषयों पर भेजे गए प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है : (1) काजू विकास निगम द्वारा 25 अन्य बन्द पड़े काजू कारखानों का अपने हाथ में लेना तथा 17,646 टन अपरिष्कृत काजू का कोटा निर्धारित करना, (2) केरल राहत उपक्रम (विशेष उपबन्ध) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कम से कम 15 बन्द पड़े काजू कारखानों को अपने हाथ में लेने के लिये 150 लाख रुपयों का अनुदान

तथा इतनी ही राशि का ऋण दिया जाना, (3) काजू उद्योग में लगे दक्ष श्रमिकों को पारपत्र जारी करना जिससे वे विदेश जा सकें, (4) निगम द्वारा चलाये जा रहे कारखानों को अपरिष्कृत काजू की अतिरिक्त मात्रा आवंटित किया जाना; और (5) ऐसे कारखानों को अपरिष्कृत काजू का आवंटन न किया जाना जो श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी आदि नहीं देते ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्रस्थापनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

(1) केरल राज्य काजू विकास निगम ने 25 काजू साधितकर्ता कारखाने अपने नियंत्रण में लिए हैं । सरकार को राज्य सरकार से अतिरिक्त एकक अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है ।

आयातित कच्चे काजू का आवंटन भारतीय काजू निगम द्वारा निर्यात अभिमुख काजू साधितकर्ता एककों को, जिनमें केरल राज्य काजू विकास निगम शामिल है, निम्नलिखित पर विचार करके आंकी गई उनकी निम्नतम हकदारियों के आधार पर किया जाता है :—

(1) 1968, 1969 के लिए एकक के उच्चतम निर्यातों और मार्गीकरण से पूर्व 1970 के लिए यथानुपात;

(2) 1968, 1969 के लिए एकक के उच्चतम आयातों और मार्गीकरण से पूर्व 1970 के लिए यथानुपात;

(3) एकक की साधित करने की क्षमता ।

(2) राज्य सरकार को 20 लाख रु० का ऋण दिया गया है ताकि केरल राज्य काजू विकास निगम बन्द पड़े काजू साधितकर्ता एककों को अपने नियंत्रण में ले सके ।

(3) राज्य सरकार से ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, कुशल काजू श्रमिक सामान्य नियमों के अधीन पारपत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

(4) केरल राज्य काजू विकास निगम को 10,000 में टन आयातित कच्चे काजू का तदर्थ आवंटन किया गया है ।

(5) राज्य सरकार द्वारा दी गई उन काजू कारखानों की सूचियों की संवीक्षा भारतीय काजू निगम द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके की जा रही है जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं ।

श्री वयालार रवि : विवरण के अनुसार सरकार का कहना है कि अपरिष्कृत काजू का आवंटन उन कारखानों को किया जाता है जिनका गत तीन वर्षों में निर्यात तथा आयात के क्षेत्र में अच्छा कार्य रहा है । सरकार की वर्तमान नीति केवल एकाधिकारी समूहों को लाभ पहुंचाती हैं । ऐसे छोटे कारखाने हैं जो आयात न करके केवल निर्यात करते हैं । उन छोटे कारखानों को अपरिष्कृत काजू नहीं मिल रहा है क्योंकि वे कोई आयात नहीं करते हैं । क्या सरकार का विचार उन छोटे छोटे कारखानों को अपरिष्कृत काजू देने का है, जो आयात न करके केवल निर्यात करते हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : काजू के आयात के लिए सितम्बर 1970 से प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। यह तदर्थ आधार पर बनाई गई थी। मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि वर्तमान व्यवस्था केवल एकाधिकारियों अथवा निहित स्वार्थियों को लाभ पहुँचा रही है। परन्तु साथ ही साथ वर्तमान तदर्थ व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव है और भारतीय काजू निगम की ओर से हमने यह प्रस्ताव किया है कि अपरिष्कृत काजू केवल उन कारखानों को दिया जायेगा। जो देश का कानून यथा न्यूनतम मजूरी देने के नियम का पालन कर रहे है, मेरे विचार में यदि इसको क्रियान्वित किया जाता है तो इससे माननीय सदस्य की आलोचना का समाधान हो जायेगा।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय ने बताया है कि केरल की सरकार ने सूची प्रस्तुत की है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम मजूरी को क्रियान्वित न करने वाले कारखानों की सूची की जाँच करने का उद्देश्य क्या है ? केरल सरकार एक उत्तरदायी संस्था है। उस सूची की जांच करने का उद्देश्य क्या है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह एक ऐसा मामला है, जो 1 लाख 50 हजार कर्मचारियों से सम्बन्धित है जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि इस सम्बन्ध में तदर्थ व्यवस्था की गई थी परन्तु जब हम आज इसे बदल रहे हैं, तथा पक्की व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो इसकी भली-भांति जांच की जानी चाहिए। यह इस तथ्य से सिद्ध हो सकता है कि स्वयं केरल सरकार ने दो सूचियां प्रस्तुत की हैं जो यह सिद्ध करता है कि वे स्वयं उलझन में फँसे हुए हैं। स्वभावत: जब हम स्थायी व्यवस्था कर रहे हैं, तो हमें और अधिक जांच करनी है ताकि उसमें कोई त्रुटि न रहे।

श्री वसंत साठे : जब स्थायी व्यवस्था की जाएगी तो क्या कर्मचारियों की संख्या, जो इससे लाभान्वित होगी, कम कर दी जाएगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : जी नहीं, अन्तत: इससे कर्मचारियों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात केवल यह होगी कि पुर्नविंटन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा जिससे उन गुप्त कार्यवाहियों पर, जो न्यूनतम मजूरी तथा अन्य सुविधाएं देने से रोकती हैं, रोक लगे। कसौटी केवल कारखाने में लगे कर्मचारियों की संख्या पर होगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनको न्यूनतम मजूरी मिले।

Shri Krishna Chandra Pandey : May I know whether the Foreign Trade Ministry had given facility to raise the question ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं नहीं समझता कि विदेश व्यापार मंत्रालय ने कोई सुविधा दी थी।

रेल मालडिब्बों के मामले में आत्मनिर्भरता

***315. श्री गिरधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल माल डिब्बों के मामले में रेलवे निश्चित रूप से कब तक आत्म निर्भरता प्राप्त कर लेगी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : देश माल डिब्बों के उत्पादन में पहले ही आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। वस्तुत: प्रत्येक वर्ष काफी संख्या में माल-डिब्बों का निर्यात किया जा रहा है।

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister has just now stated that the wagons are in sufficient numbers. Then why complaints regarding shortage of wagons are coming from diffenent States ? If wagons are exported and are in excess, then why there is shortage ?

श्री टी० ए० पाई : प्रश्न माल डिब्बों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से सम्बन्धित है। विशेषकर भारतीय रेलवे की माल डिब्बों की आवश्यकताएं पर्याप्त मालूम देती है परन्तु कभी-कभी व्यापार के विभिन्न बदलते हुए तरीकों और मालडिब्बों के आवागमन में कतिपय प्रतिबन्धों के कारण उनमे तेजी के साथ परिवर्तन आ रहे है। अतएव हम इस समस्या का निरंतर अध्ययन इस विचार से कर रहे हैं कि माल डिब्बों के आवागमन में आयी कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

Shri NathuRam Ahirwar : The hon Minister has just stated that there is no shortage of wagons for supply. May I know whether it is a fact that restriction on supplying of wagons has been imposed since January ? And districts of Jhanshi division are not setting wagons for the last six months. Th foodgrains and fodden are lying there but wagons are not available. May I know the action being t ken by the Government to meet the Situation ?

श्री टी० ए० पाई : जब भी शिकायतें आती है, हम उनकी जांच करते हैं परन्तु मूल समस्या माल डिब्बों को निरन्तर चलाते रहने की है। व्यापार का तरीका भी बदल रहा है। जब हमने खाद्यान्न का आयात किया था, तब खाद्यान्नों को देश के उत्तरी भागों में ले जाया जाता था परन्तु अब हरित क्रांति के पश्चात इसमें परिवर्तन आया है। परन्तु पूर्वी क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के कारण कुछ रुकावटें आई हैं। इसके अलावा बन्द माल डिब्बों की समस्या पर भी विचार करना है क्योंकि यह सम्पूर्ण स्थिति की समस्या न होकर बन्द माल डिब्बों की वास्तविक कमी की समस्या है। इन सब कठिनाइयों पर विचार किया जा रहा है, हम निश्चय से यह देखेंगे कि इस देश में माल का परिवहन निर्बाध चलता रहे।

श्री डी० पी० जदेजा : मंत्री महोदय के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि छोटी लाइनों के लिए माल डिब्बे भी उपलब्ध है। यदि ऐसी बात है तो क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या वे उस सभी लवण को ले जाने के प्रश्न को प्राथमिकता देंगे जो अब तटीय क्षेत्र के जल में नष्ट हो रहे हैं।

श्री टी० ए० पाई : मानव उपयोग के लिए उपयुक्त समूचे लवण को वहां से ले जाया जा रहा है। परन्तु साथ ही साथ हम यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या हम इस सम्बन्ध में तटीय नौवहन की सहायता ले सकते हैं ताकि नौवहन द्वारा देश के कुछ भागों में लवण अथवा कोयले को पहुंचाया जा सके।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या उन्हें रानीगंज और धनबाद की कोयला खान के व्यापारियों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है...

अध्यक्ष महोदय : यह एक समान्य प्रश्न है, परन्तु आप विशिष्ट प्रश्नों को उठा रहे हैं, यह इससे नहीं उठता, यह आत्म निर्भरता के बारे में सीधा प्रश्न है। आप रेलवे लाइनों पर प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : ऐसी शिकायतें मिली हैं कि माल डिब्बों की कमी के कारण रानीगंज और धनबाद की कोयला खानों के बाहर बड़ी मात्रा में ढेर जमा है।

अध्यक्ष महोदय : यह सुसंगत नहीं है, श्री साल्वे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : जब माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है तथा कुशलता की भारी कमी नहीं है तो क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि गत 6 महीनों से कोयला, मेंगनीज और फेरो-मेंगनीज के व्यापारी मंत्रालय और मंत्री महोदय को निरंतर परेशान क्यों कर रहे हैं

और यदि मंत्री महोदय सहायता न करते तो इस व्यापार को धक्का पहुंचता। (व्यवधान) वे इस मामले को यह कहकर और अधिक महत्वहीन बना रहे हैं कि हम मामले की जांच कर रहे हैं (व्यवधान) उन्हें यह बताना चाहिए कि अब तक उन्होंने किन विषयों की जाँच की है। सभी जगह मौसमी व्यापार चलता है। क्या उन्होंने मौसमी व्यापार के साथ-साथ उनका परिवहन करने का प्रयास किया है और क्या मैं जान सकता हूँ कि उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए हाल ही में क्या कार्यवाही की है जिससे माल डिब्बों की कमी के विचार का निराकरण भली भांति किया जा सके।

श्री टी० ए० पाई : माननीय सदस्य का कहना बिलकुल ठीक है। यदि माल डिब्बों की कमी के बारे में ऐसा विचार है तो उसका निराकरण किया जा रहा है। (व्यवधान) जहां तक निजी व्यापार का सम्बन्ध है, हमें अब पता लगा है कि इस व्यापार को मालडिब्बों का आरक्षण करने तथा अन्त में आरक्षण को निरसन करने का अधिकार है। जिन कठिनाइयों का हम अनुभव कर रहे हैं उनको दृष्टि में रखते हुए मालडिब्बों के वैज्ञानिक संचलन की सुनियोजित योजना अभी तैयार की जानी है। हम इस बात पर विचार करने के लिए रेलवे अधिनियम का ही निरीक्षण कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी व्यापारियों द्वारा हमारे माल डिब्बे घेर कर रखे रखने के बजाए इन्हें तुरन्त निर्मुक्त कर दिया जाए, क्या उपाय करना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गंगादेव-अनुपस्थित

श्री प्रसन्नभाई मेहता अनुपस्थिति।

भारत को रूई के निर्यात पर सूडान द्वारा प्रतिबन्ध

+

***317. श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री वेकारिया :

क्या **विदेश व्यापार** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान सरकार ने भारत को रूई का निर्यात किए जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो विशेषतया कपड़ों की बढ़िया किस्मों के लिए लम्बे रेशे वाली रूई की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कौन से उपाय किये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सूडान पब्लिक काटन कारपोरेशन ने भारत को रूई के निर्यात 18 जुलाई, 1972 को निलम्बित कर दिये थे। उन्होंने ऐसा इस कारण किया है कि पहले निर्यात की गई रूई के आधार पर उनके खाते में जमा कुछ रकमें भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई द्वारा उनको नहीं भेजी गई हैं। यह विषय सूडान सरकार के साथ उठाया गया है।

(ख) सूडानी रूई के विद्यमान भंडार अगले छः माह तक उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और कमी की कोई आशंका नहीं है ।

श्री डी० पी० जदेजा : इस भ्रामक वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे क्या उपाय किए जा रहे हैं जिस। हमारे बैंकों द्वारा भुगतान न रोका जा सके ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह स्थिति पौंड के मूल्य की अस्थिरता के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी । यही मुख्य कारण था और मुझे विश्वास है कि भुगतान करना आरम्भ कर दिया जायेगा और सूडान से पर्याप्त रूई मिल जायेगी ।

श्री डी० पी० जदेजा : हमारे बैंकों द्वारा विदेशों को भुगतान न किया जाना वास्तव में वाणिज्यिक दृष्टि से अच्छी प्रथा नही है । क्या ऐसा जानबूझ कर किया गया था क्यों कि हमें अधिक रूई की आवश्यकता नहीं है ।

श्री एल० एन० मिश्र : यह जानबूझ कर नहीं किया गया था । स्टेट बैंक आफ इण्डिया भुगतान करने वाला प्राधिकरण है और पौंड स्टर्लिंग के मूल्य की अस्थिरता के कारण भुगतान करने में विलम्ब हो गया था और उन्होंने रूई का जहाज में लदान करना (निर्यात) बन्द कर दिया है । परन्तु यह शीघ्र आरम्भ हो जायेगा ।

श्री वेकारिया : रेशे वाली रूई की स्थायी कमी को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या दीर्घकालिक उपाय करने का है ? ऐसी रूई की कमी को पूरा करने के लिए क्या सरकार का विचार ऐसी रूई का उत्पादन करने हेतु कम कीमत पर बीज देने का है ?

श्री एल० एन० मिश्र : रूई का अधिकाधिक उत्पादन करने हेतु कई उत्पादकों को सहायता देने के लिए योजना आयोग, कृषि मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के सहयोग से एक व्यापक योजना तैयार की गई है । सूठान से हम बढ़िया किस्म की रूई लेते हैं, जिसे हमें सम्भवतः आगामी अनेक वर्षों तक लेनी पड़ेगी । किन्तु इसकी मात्रा अधिक नहीं है जो पांच लाख से आठ लाख गांठ तक रहती है ?

श्री वयालार रवि : अब यह तो मानी हुई बात है कि हमारे बैंकों ने भुगतान करना बन्द कर दिया था । क्या यह सही है कि भारत सरकार ने भुगतान करने की अनुमति इस आधार पर नहीं दी थी कि सूडान का कोई जमा खाता नहीं है । यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : जमा खाते का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । जमा खाते के लिए भी भुगतान की शर्तें होती है और हमारी भुगतान की शर्तों का समय पर पालन नहीं किया गया था । यही कारण है कि सूडान के निर्यातकों ने हमें रूई का निर्यात नहीं किया । यह निलम्बन प्रक्रिया अस्थायी थी और इसे पुनः आरम्भ किया जायेगा ।

श्री वयालार रवि : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

श्री वयालार रवि : हमें भुगतान करने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि सूडान के नाम में कोई जमा खाता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया तर्क न करें । तर्क करने का अब समय नहीं है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : मंत्री महोदय ने कहा है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा भुगतान पौण्ड स्टर्लिंग के मूल्य में अस्थिरता के कारण नहीं किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि अन्य किन मामलों में बैंक ने भुगतान नहीं किया है। यह कठिनाई तो अन्य देशों के संबंध में भी होनी चाहिए थी।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं कुछ नहीं कह सकता। यह प्रश्न वास्तव में वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : श्री अरविन्द नेताम अनुपस्थित।
श्री ओंकार लाल बेरवा-अनुपस्थित।

रेलवे कर्मचारियों की सहकारी आवास सोसाइटियों को दिल्ली में रेलवे भूमि का आवंटन

***320. श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों में गृह निर्माण-कार्यों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उनके मंत्रालय की कोई नीति है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय की रेलवे कर्मचारियों की सहकारी आवास सोसाइटियों को दिल्ली में अथवा दिल्ली के निकट अतिरिक्त रेलवे भूमि आवंटित करने की कोई योजना है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हाँ।

(ख) रेलवे की कोई फालतू जमीन उपलब्ध नहीं है। फिर भी, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रेल कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण समितियों को भूमि आबंटित की गई है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस समय उन कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है जिन्हें वस्तुतः रेलवे क्वार्टर आवंटित किये गये हैं ?

श्री टी० ए० पाई : लगभग 40 प्रतिशत कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर दिए गये हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पूर्व रेलवे के वाणिज्यिक लिपिकों ने लिखित में शिकायत की है कि उनके बारम्बार मांग करने पर भी न तो उन्हें रेलवे के भवनों में आवास सम्बन्धी सुविधाएं दी जा रही हैं और न ही उन्हें अपने मकान बनाने के लिए दीर्घ कालिक ऋण दिये जा रहे हैं। यदि यह सही है, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री टी० ए० पाई : मैं इस मामले की जांच करूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय को पता हैं कि रेलवे कर्मचारी निर्माण और आवास मंत्रालय के सामान्य पूल से मकानों का आवंटन कराने के अधिकारी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या चौथी योजना में इनके लिए और अधिक मकानों की व्यवस्था करने के लिए कोई योजना बनाई गई है। यदि हां, तो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कितने मकानों का निर्माण किया जायेगा ?

श्री टी० ए० पाई : यदि इस विषय पर अलग से प्रश्न किया जाये तो मैं इसका सहर्ष उत्तर दूंगा। प्रस्तुत प्रश्न तो सहकारी आवास से सम्बन्धित है ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या सरकार को इस बात का पता है कि पूर्वोत्तर रेलवे में एक विशेष वर्ग के कर्मचारियों के लिए नियत लिए गए कुछ क्वार्टर अन्य वर्ग के कर्मचारियों को दिए गए है और उन्हें खाली भी नहीं कराया जा रहा है ?

श्री टी० ए० पाई : कुछ मामले हो सकते है । मुझे यह पता नहीं है कि किन परिस्तिथियों में उन्होंने ये क्वार्टर दिए हैं । यदि माननीय सदस्य मुझे लिखेंगे तो मैं उन्हें जानकारी दे दूंगा ।

Shri Mohammad Ismail : The hon. Minister has stated that about 40 per cent of the employees have been provided with quarter and 60 per cent of them have not been given any accommodation. I want to Know from the hon. Minister as to what action has been taken by Railway so for in the matter of these 60 per cent employees, and what steps he propoes to take in this respect ?

श्री टी० ए० पाई : मेरे विचार में हमें अभी काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। रेलवे कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण करने में हम प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये खर्च करते हैं और भवन निर्माण सामग्री के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं । मैं समझता हूँ कि हम इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष कम कार्य निष्पादन कर पा रहे है । फिर भी हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं ।

श्री बी० बी० नायक : रेलवे के पास 50,000 से 60,000 एकड़ भूमि है और रेलवे कर्मचारियों का एक विशिष्ट समूह है । हमें बताया गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे लाईन के साथ साथ अथवा अनेक शहरी केन्द्रों में रेलवे की भूमि उपलब्ध है । चूंकि यह सरकारी सम्पत्ति है और चूंकि ये सरकारी उपक्रम है, क्या यह भूमि केवल रेलवे कर्मचारियों के लिए आवास सम्बन्धी सुविधाओं के लिए रखी जायेगी अथवा अन्य लोगों के लिए भी अथवा क्या इसे केवल रेलवे के लोगों के लिए निजी सम्पत्ति के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा ?

श्री टी० ए० पाई : इसका निर्णय तो रेलवे ही करेगी कि इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा । अन्यथा यह भूमि सरकार को वापस की जायेगी ताकि इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

जर्मन संघीय गणतंत्र के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन

***303. श्री भोला माझी :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मन संघीय लोकतंत्र के बीच व्यापार में प्रतिकूल व्यापार संतुलन की प्रवृति बढ़ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो किस सीमा तक व्यापार संतुलन प्रतिकूल है; और

(ग) सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1. 1970-71 के दौरान जर्मन संघीय गणराज्य के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन 74.57 करोड़ रुपये का था जबकि 1969-70 के दौरान यह 54.55 करोड़ रुपये का था। जर्मन संघीय गणराज्य के साथ 1971-72 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान अग्रिम व्यापार संतुलन 74.88 करोड़ रुपये था जबकि गत वर्ष की उसी अवधि में 60.58 करोड़ रुपये था।

2. पश्चिम जर्मनी के साथ घाटे के व्यापार की बढ़ती हुई इस प्रवृति को रोकने के लिए पश्चिम जर्मनी को और अधिक निर्यात बढ़ाने के प्रयासों को और अधिक गहन करने के लिए कदम उठाये गये हैं। उनमें ये शामिल हैं। भारत के हित की निर्यात मदों पर टैरिफ/गैर टैरिफ बाधाओं में कमी करने/उन्हें समाप्त कराने के प्रयास, कुछ चुने हुए उत्पादों को अभिज्ञात करके उनके निर्यात प्रयासों पर बल देना, एक वाणिज्य के विकास कार्यक्रम आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करना, मेलों/प्रदर्शिनियों में भाग लेना, बिक्री दलों/प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान/प्रयोजन, भारत में निर्यात अभिमुख उद्यमों में पश्चिम जर्मनी का और अधिक पूंजी निवेश प्राप्त करने के मार्गोपायों का पता लगाना और विदेशों से संयुक्त उद्यमों में भारतीय भागीदारी भी प्राप्त करना, जिसमें परामर्शी सेवाएं, पश्चिमी जर्मनी के आयात अभिकरणों का कारगर रूप से उपयोग, और भारत तथा विदेशों में स्थिति निर्यात संवर्धन अभिकरणों का कारगर/गतिशील कार्य सुनिश्चित करने हेतु उपाय शामिल हैं।

आयात तथा निर्यात का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाना

*309. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम देश के आयात तथा निर्यात व्यापार को देश की अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च हित में दिशा प्रदान करने में कहाँ तक सफल हुआ है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : राज्य व्यापार निगम प्रतियोगी कीमतों पर सुनियोजित तथा क्रमबद्ध तरीके से विपुल परिमाण के रूप में उपयुक्त मात्रा में विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के आयात की व्यवस्था करने में सफल रहा है जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर उनकी पूर्ति सुनिश्चित हुई है। जहां तक निर्यातों का संबंध है, राज्य व्यापार निगम निर्यातकों के बीच आंतरिक प्रतियोगिता को समाप्त करने, विदेशी खरीदारों से सबसे अच्छी कीमतें प्राप्त करने और विभिन्न वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने में सफल हुआ है तथा साथ ही छोटे निर्माताओं को अपने उत्पादों का निर्यात करने में सहायता देता रहा है।

बीरभूम, पश्चिम बंगाल, में बाढ़ से हुई क्षति

*310. **श्री गदाधर साहा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बीरभूम क्षेत्र में, खण्डवार, हाल की बाढ़ से फसलों, अनाज और भवनों को कुल कितनी क्षति पहुंची है;

(ख) बीरभूम में किन क्षेत्रों पर हाल की बाढ़ का प्रभाव पड़ा है और कितना; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार को इस सम्बन्ध में विभिन्न जिलों के लिए कितना अनुदान मंजूर किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बाढ़ों के कारण क्षति के सम्बन्ध में राज्य सरकार से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल सरकार को अभी तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की है ।

आगामी वित्तीय वर्ष में रेलवे को लाभ

***314. डा० संकटा प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वित्तीय वर्ष में रेलवे को लाभ होने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) अगले वर्ष के लिए रेलों के अधिशेष या बजट सम्बन्धी स्थिति के बारे में अभी से पूर्णानुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-नेपाल व्यापार करार के लिये संयुक्त समीक्षा समिति

***316. श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1971 में हुई भारत-नेपाल व्यापार तथा परिवहन संधि की क्रियान्विति की समीक्षा करने के लिये भारत और नेपाल की संयुक्त समीक्षा समिति की एक बैठक 4 जुलाई, 1972 को काठमांडू में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इस चर्चा के परिणामस्वरूप क्या निर्णय किये गये ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) जी हां । भारत तथा नेपाल के बीच व्यापार और भारत होकर 'तृतीय' देशों के साथ नेपाल के व्यापार के परिवहन दोनों के सम्बन्ध में समिति ने भारत-नेपाल व्यापार तथा परिवहन संधि (1971) के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया ।

2. प्रतिनिधि मंडलों ने एक दूसरे को जानकारी दी तथा चोरी छिपे निर्यात को रोकने के लिए लागू उपायों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया । यह महसूस किया गया कि समग्र रूप से इन उपायों से संतोषजनक ढंग से कार्य चल रहा है और सन्धि का अनुपालन सुचारू रूप से किया गया है । समिति सहमत हुई कि दोनों देशों के उपयुक्त अभिकरणों के बीच पारस्परिक सम्पर्कों को बढ़ाने की दृष्टि से निम्नांकित उपाय किये जायें :

(i) **सीमाशुल्क दल**

(क) सीमाशुल्क के भारतीय सीमा निरीक्षक नेपाल में अपने समकक्षियों से महीने में एक बार सम्पर्क स्थापित करेंगे ।

(ख) सीमा-शुल्क-समाहर्ता, पटना नेपाल की श्री पांच की सरकार में अपने समकक्षी के साथ सम्पर्क स्थापित करेंगे । ये बैठकें हर तिमाही हो सकती हैं ।

दल (क) और (ख) अपने प्रयासों के परिणामों की रिपोर्ट संयुक्त पुनर्विलोकन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे ।

(ii) **आंकड़ों सम्बन्धी दल :—**

दोनों देशों के सुनियोजित आंकड़ों सम्बन्धी दल शीघ्र ही बैठक बुलाएंगे और उसके बाद संयुक्त पुनरीक्षण समिति की बैठकों से पूर्व एक नियत समय के बाद ।

3. नई सन्धि के कार्यकरण के अनुभव की दृष्टि से और नेपाल द्वारा किये गये अनुरोध पर यह स्वीकार किया गया कि नेपाल को किंग जार्ज डाके एक्सटेंशन पर पहले ही प्रदान किये गये 10,000 वर्ग फुट के क्षेत्र के साथ लगे 20,000 वर्ग फुट का और अतिरिक्त खुला क्षेत्र प्रदान किया जाए । दोनों पक्ष इस बात के लिए भी सहमत हुए कि नक्सलबाड़ी व सुरसेद होकर दो अतिरिक्त परिवहन मार्ग और नेपाल के गुलरिया जिले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारत के साथ व्यापार हेतु एक अतिरिक्त मार्ग का प्रयोग करने दिया जायेगा । नेपाल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार किया गया कि नेपाल को नमक, कोयला और सीमेंट जैसे अनिवार्य पण्यों को ले जाने के लिए अतिरिक्त माल डिब्बों की व्यवस्था की जाए । सड़क परिवहन के सम्बन्ध में भारत तथा नेपाल के बीच एक करार के बारे में विनिश्चिय होने तक के लिए पारस्परिकता के आधार पर दोनों सरकारों ने यह स्वीकार किया कि एक दूसरे के क्षेत्रों में वाणिज्यिक गाड़ियों के आने जाने को सुकर बनाया जाए । भारत ने बैंक गारंटी के लिए आग्रह किए बिना ही नेपाल ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को अपने कन्टेनर ट्रक भारत में चलाने के लिए परिमिट जारी करना स्वीकार कर लिया है ।

4. उत्पादन शुल्क की बकाया राशि वापिस किये जाने के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया गया । स्वीकृत प्रक्रिया की कुछ शर्तों के हटाने की बात स्वीकार की गई ताकि नेपाल के श्री पांच की सरकार अपने दावे प्रस्तुत कर सके ।

मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन में वृद्धि करना

*318. **श्री अरविन्द ननाम :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी बिजली का उत्पादन होता है;

(ख) इस समय राज्य में बिजली की अनुमानित मांग कितनी है; और

(ग) चौथी योजना अवधि के दौरान राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) मध्य प्रदेश में उत्पन्न विद्युत 10.4 मिलियन यूनिट/प्रतिदिन है, जो कि लगभग 570 मेगावाट के बराबर है ।

(ख) सातवें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य को पीक लोड मांग के 1971-72 में 478 से कर 1972-73 में 553 हो जाने की सम्भावना है।

(ग) चतुर्थ योजना में मध्य प्रदेश को निम्नलिखित परियोजनाओं से अतिरिक्त उत्पादन शक्यता प्राप्त होनी थी :—

(1) राणाप्रताप सागर जल विद्युत परियोजना—चतुर्थ यूनिट— 43 मेगावाट	
50% शेयर	21.5 मेगावाट
(2) जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना (3×33 मेगावाट)	
50% शेयर	49.5 मेगावाट
(3) सतपुड़ा तामविद्युत केन्द्र- 62.5 मेगावाट का पांचवी यूनिट	
60% शेयर	37.5 मेगावाट
(4) कोरबा तामविद्युत केन्द्र का विस्तार	120 मेगावाट
	कुल 228.5 मेगावाट

जवाहर सागर (16.5 मेगावाट), राणाप्रताप सागर (21.5 मेगावाट) और सतपुड़ा (37.5 मेगावाट) विद्युत केन्द्रों से अतिरिक्त जनन क्षमता उपलब्ध हो गई है। जवाहर सागर से 33 मेगावाट का शेष भाग 1973-74 तक उपलब्ध हो जाएगा। कोर्बा विस्तार यूनिट का कार्य बहरहाल, पांचवीं योजना में भी होता रहेगा।

Percentage of Irrigated Land

*319. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the percentage of irrigated land in all the States, State-wise; and

(b) whether Government have any scheme to bring the remaining land under irrigation ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao) : (a) & (b). Irrigation facilities are provided in the conntry from major and medium irrigation projects,as well as from minor irrigation works like small tanks, wells and deep tubewells. A general assessment at present has indicated that it is possible to bring 45.6 million hectares under major and medium irrigation and 36.4 million hectares under minor projects, thus providing irrigation facilities to about 50% of the cropped area.

Further investigations are expected to show possibilities of irrigation of additional areas. In particular, the construction of a National water Grid to transfer water from water surplus areas to water scarce areas would add sigificantly to the possibilties of irrigation of additional area in the country.

Irrigation has been given high priority by State Governments in their developmental plans and a large number of schemes are in hand. The tempo is being stepped up from plan to plan depending on the resources available.

A statement showing the ultimate irrigation potential as assessed at present, the development in 1970-71 and the development which would have been achieved on completion of the various major and medium projects already in hand is annexed. (Placed in the Library Please see No. L. T. 3466/72)

बर्नपुर (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में दो फर्मों द्वारा किये गये अतिक्रमणों के बारे में सम्पदा अधिकारियों के न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले

2980. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1956 और 1957 में दक्षिण-पूर्वी रेलवे में बर्नपुर के स्थान पर दो फर्मों द्वारा रेलवे कीभूमि पर जबरन कब्जा कर लेने के बारे में सार्वजनिक परिसर(अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी के न्यायलय में कोई मामले अनिर्णीत पड़े है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इन मामलों को अविलम्ब निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलवे की जमीन पर अधिक्रमण करने वालों को वहां से हटाने के लिए सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी थी। ये मामले सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन हैं।

हीरों के आयात के बारे में हीरा व्यापारी संघ की ओर से अभ्यावेदन

2981. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरा व्यापारी संघ ने बिना तराशे हुए हीरों के आयात संबंधी नीति के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन पंजीकृत निर्यातक नीति के अंतर्गत, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा अनिवार्य रूप से जारी किए जाने वाले रिलीज आर्डरों में हकदारी की प्रतिशतता को 10 प्र०श० से 20 % तक बढ़ाने और निर्यातावधि पर विचार किए बिना इसे भूतलक्षी प्रभाव देकर 1 अप्रैल, 1972 से लागू किये जाने से संबंधित है। यह निर्णय उत्तरोत्तर मार्गीकरण के संबंध मे सरकार द्वारा अपनायी गई सामान्य नीति के अनुरूप है और इसमें इस समय किसी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

आसाम में पटसन निगम का कार्यालय खोला जाना

2982. श्री रोबिन ककोटी : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पटसन निगम ने आसाम में अपना कार्यालय खोल लिया है;

(ख) जून 1972 के अन्त तक पटसन निगम ने आसाम में कितनी मात्रा में पटसन का क्रय किया; और

(ग) क्या निगम ने सीधे ही उत्पादकों से पटसन खरीदा अथवा नियुक्त किये गये एजेन्टों के माध्यम से खरीदा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) 1971-72 (जुलाई-जून) के दौरान आसाम में पटसन की खरीद राज्य व्यापार निगम द्वारा की गई थी। निगम ने अपने द्वारा नियुक्त चार एजेंटों के माध्यम से 21,760 क्विंटल पटसन की खरीद की थी।

Opening of Third Asian Fair

2983. Shri Lambodar Baliar : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the date when the Third Asian Fair proposed to be held in Delhi in 1972 will start and how long it will continue ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : The Third Asian International Trade Fair will be held at New Delhi for a period of 45 days from the 3rd November, 1972 to the 17th December. 1972.

इन्जीनियरिंग संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया तथा जापान का दौरा

2984. श्री ई० वी० विखे पाटिल :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजिनियरिंग संघ के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में दक्षिण-पूर्व एशिया तथा जापान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन पेश किया है जिस में यह बताया गया है कि संयुक्त उपक्रम के रूप में कौन-कौन से उद्योग वहां स्थापित किये जा सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रमुख बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) तथा (ग) : प्रतिनिधिमंडल से एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को इंजीनियरी माल के निर्यात को बढ़ाने की संभाव्यताओं का मुख्य रूप से उल्लेख गया किया है और यह भी उल्लेख किया गया है कि धात्विक अयस्क-स्मेलटिंग उद्योग, मोटर गाड़ियों तथा साइकिलों के विनिर्माण तथा उन्हें एसेम्बल करने, इलैक्ट्रोनिक माल, औद्योगिक मशीनरी तथा पुर्जों, ढलवां लोहे के उत्पादों, पाइपों व ट्यूबों तथा जुड़नारों, बिजली सम्बन्धी माल तथा साधन, इंजनों तथा टरबाइनों, जहाज विनिर्माण तथा परिवहन उपस्कर, हार्डवेयर औजारों

और शल्यचिकित्सा तथा विज्ञान सम्बन्धी उपकरणों आदि के क्षेत्र में और अधिक संयुक्त उपक्रम तथा श्रम प्रधान लघु स्तरीय उद्योग स्थापित करने की गुंजाइश है।

संयुक्त उपक्रमों के बारे में प्रतिनिधिमंडल के प्रारम्भिक प्रतिवेदन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) श्रम प्रधान लघु स्तरीय उद्योगों की स्थापना के अवसरों का अध्ययन करने के लिए लघु स्तर के उद्योगों के प्रतिनिधियों का एक दल मलयेशिया भेजा जाना चाहिए।

(2) इन देशों के प्रतिनिधिमंडलों को भारत में इंजीनियरी सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश में सिंचित भूमि का क्षेत्र

2985. **श्री मार्तन्ड सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में, जिला-वार, इस समय कितने एकड़ सिंचित भूमि है; और

(ख) चालू योजना की समाप्ति तक, जिला-वार, कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) मध्य प्रदेश में 1970-71 में जिलावार शुद्ध सिंचित क्षेत्र का विवरण संलग्न है; यह वर्ष आखिरी वर्ष है जिसको यह सूचना केन्द्र में उपलब्ध है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3467/72]

(ख) चतुर्थ योजना के अन्त तक मध्य प्रदेश में सिंचाई शक्यता बृहद् और मध्यम परियोजनाओं से 11.9 लाख हैक्टेयर और लघु सिंचाई कार्यों से 8.7 लाख हैक्टेयर होने की सम्भावना है। केन्द्र में जिलावार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश में बिजली की कमी

2986. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974-75 के अन्त तक मध्य प्रदेश में लगभग 383 मैगावाट बिजली की कमी होगी; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा निकट भविष्य में करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1974-75 के अन्त तक मध्य प्रदेश में लगभग 300 मैगावाट विद्युत की कमी होगी।

(ख) विद्युत की कमी को दूर करने के लिए पाँचवीं योजना के दौरान पूर्णार्थ कोर्बा, अमरकन्टक और सतपुड़ा जैसे वर्तमान विद्युत केन्द्रों पर संयंत्रों के विस्तार और नई स्कीमों को हाथ में लेकर राज्य में प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 1460 मैगावाट करने का प्रस्ताव है।

योजना आयोग के पास अनिर्णीत पड़ी मध्य प्रदेश सरकार की विद्युत तथा सिंचाई योजनायें

2987. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सरकार की विद्युत तथा सिंचाई की उन बड़ी योजनाओं की संख्या कितनी है जो योजना आयोग के पास मंजूरी के लिए पड़ी है ; और

(ख) ये योजनाएं योजना आयोग के पास कब से पड़ी हैं और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त बृहद बहुद्देशीय सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं, जिनको अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है और उनकी जांच की वर्तमान अवस्था का विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में प्राप्ति की तिथि	जांच की अवस्था
I	2	3	4
	बहुद्देश्यीय परियोजनाएं		
1.	नर्मदा सागर	30-5-68	यह स्कीम नर्मदा बेसिन में है तथा निकट भविष्य में इसकी स्वीकृत होने की संभावना है ।
2.	बन सागर	17-6-69	इस स्कीम में मध्य प्रदेश बिहार, और उत्तर प्रदेश के मध्य सोन-जल के उपयोग सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय पहलू सन्निहित हैं, जिन पर राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है ।
	सिंचाई परियोजनाएं		
3.	सुक्ता	29-4-63	यह स्कीम नर्मदा बेसिन में है तथा निकट भविष्य में इसको स्वीकृति देने की संभावना है ।
4.	बार्गी	22-2-69	यह स्कीम नर्मदा बेसिन में है तथा निकट भविष्य में इसको स्वीकृति देने की संभावना है ।

1	2	3	4
5.	अपर वैनगंगा	26- 0-70	यह स्कीम गोदावरी बेसिन में है तथा इसकी स्वीकृति के लिए गोदावरी जल विवाद न्याया धिकरण के पंचाट की प्रतीक्षा करनी होगी ।
6.	हसदेव (बांगो)	9-6-72	जांच की जा रही है ।
	विद्युत् परियोजनाएं		
7.	बोधघाट जल विद्युत् परियोजना	6-8-70	स्कीम की रिपोर्ट की जांच हो गई है तथा कुछ स्पष्टीकरणों अतिरिक्त विवरणों के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है । उनका उत्तर अभी मिला नहीं है । यह स्कीम गोदावरी बेसिन में है जिससे संबंधित जलविवाद न्यायाधिकरण के पास न्यायनिर्णयाधीन है ।
8.	कोरबा, सतपुड़ा और अमरकंटक के ताप विद्युत् केन्द्रों का इनके प्रत्येक केन्द्र पर 120 मैगावाट यूनिट के प्रतिष्ठापन द्वारा विस्तार ।	13-9-71	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए स्कीम पर केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की टिप्पणियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।
9.	हरिनफल जल विद्युत परियोजना	19-5-72	] जांच की जा रही है ।
10.	महेश्वर जल विद्युत् परियोजना	19-5-72	

दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में उद्योगों की विद्युत की आवश्यकताएं पूरी करने से इंकार

2988. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दामोदर घाटी निगम ने कलकत्ता के आसपास के उद्योगों की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने से इन्कार कर दिया है और कलकत्ता विद्युत् सम्भरण बोर्ड को इन उद्योगों की मांग को पूरा करने को कहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : कलकत्ता और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में उद्योगों के भारों को पूरा करने का उत्तरदायित्व अपने उसके लाइसेंस वाले क्षेत्र में कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई निगम लिमिटेड का तथा लाइसेंसधारी के क्षेत्र के बाहर पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड का है । दामोदर घाटी निगम को दामोदर घाटी के अन्दर उपभोक्ताओं को केवल 30 के०वी० से अधिक की वोल्टता की विद्युत की सप्लाई करनी अपेक्षित है । बहरहाल कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि० के साथ एक करार के अन्तर्गत, दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को राज्य सरकार की अनुमति से अप्रैल,

1957 से लगभग 105 एम० वी० ए० विद्युत् की सप्लाई कर रहा है। अतिरिक्त विद्युत् सप्लाई करने का उत्तरदायित्व पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड का है। दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के उद्योगों को विद्युत सप्लाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

केरल में नारियल जटा उद्योग का विकास हेतु योजना की क्रियान्विति

2989. श्री वयालार रवि : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए प्रस्तुत की गई योजना मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और योजना की क्रियान्वित के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केरल सरकार द्वारा स्थापित किए गए एक अध्ययन दल द्वारा की गई थी। केरल राज्य सरकार का प्रतिनिधि भी इस अध्ययन दल का सदस्य था। अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशें राज्य सरकार को बता दी गई थीं।

(ख) तथा (ग) : अध्ययन दल ने सरकारी समितियों के लिए पूंजी, प्रबन्ध सम्बन्धी सहायता आदि के रूप में केरल सरकार योजना की वित्तीय आवश्यकता को 6.99 करोड़ रु० आंका। वित्तीय आवश्यकताएं, केरल राज्य के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय तथा संस्थागत वित्त में से पूरी की जायेंगी। राज्य सरकार ने योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ कार्यवाही शुरू कर दी है।

प्रतिनियुक्ति पर गये कमर्शियल इन्सपैक्टरों (पश्चिम रेलवे) का स्थायी बनाया जाना

2990. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर गये ऐसे कमर्शियल इन्स्पैक्टरों की संख्या कितनी है जिनको अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है; और

(ख) उनको स्थायी बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). पश्चिम रेलवे का कोई भी वाणिज्यिक निरीक्षक किसी अन्य सरकारी अर्द्ध सरकारी उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

भारतीय क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए हुसैनीवाला हैड वर्क्स पर तैनात भारतीय अधिकारियों द्वारा पाकिस्तानी अधिकारियों से जलकपाट खोलने का अनुरोध

2991. श्री एम० एम० शिवस्वामी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए हुसैनीवाला हैडवर्क्स पर तैनात

भारतीय अधिकारियों ने 9 जुलाई, 1972 को पाकिस्तानी अधिकारियों से आठ जलकपाट खोलने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है; और

(ग) क्या पाकिस्तानी अधिकारियों ने उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार के अनुरोध पर इस वर्ष जुलाई में पाकिस्तान सरकार ने हुसैनीवाला शीर्ष कार्यों (रेड वक्सं) के अपनी ओर के दो द्वारों को छोड़कर जिनका परिचालन नहीं हो रहा था, सभी द्वारों को खोल दिया है। भारत सरकार ने इस कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की है।

तेल्लीचेरी-मैसूर रेल लाईन

2992. श्री रामचंद्रन कडनापल्ली : क्या रेल मंत्री तेल्लीचेरी-मैसूर रेल लाइन के बारे में 16 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 265 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल्लीचेरी-मैसूर रेलवे लाइन के कार्य को आरम्भ करने का है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई)। 1960 की सर्वेक्षण रिपोर्टों से पता चला था कि यह रेल सपर्म्क बहुत ही अधिक अलाभप्रद सिद्ध होगा। अर्थोपाय की कठिन स्थिति के कारण इस बात की सम्भावना नहीं है कि इस रेल सम्पर्क को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्थान मिल सकेगा।

काबानी सिंचाई परियोजना की स्वीकृति के बारे में केरल सरकार के साथ विचार-विमर्श

2993. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैसूर राज्य की काबानी सिंचाई परियोजना को स्वीकृति देने से पूर्व केरल सरकार से विचार-विमर्श किया गया था ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : योजना आयोग ने 1958 में एक छोटे आकार की काबिनी परियोजना स्वीकार की थी जिसके परिणामस्वरूप केरल में कोई जमीन नहीं डूबनी थी।

जुलाई, 1970 में मैसूर सरकार ने एक संशोधित काबिनी परियोजना प्रस्तुत की जिसमें केरल के कुछ क्षेत्रों का जल प्लावन शामिल था और केरल सरकार ने इसका विरोध किया। कावेरी जल विवाद को तय करने के उद्देश्य से, इंजीनियरों, एक निवृत्त जज और एक कृषि विशेषज्ञ की एक तथ्यान्वेषी समिति का निर्माण किया गया है जो कावेरी जल तथा इसके समुपयोजन इत्यादि से संबंधित सभी आँकड़े इकट्ठे करेगी और इन आँकड़ों का फायदा उठा कर, तमिलनाडु, मैसूर और केरल के मुख्य मन्त्रियों के बीच विचार-विमर्श होगा ताकि तीनों राज्यों के लिए जल के मान्य आवंटन को निर्धारित किया जा सके।

काबानी सिंचाई योजना

2994. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काबानी सिंचाई योजना के पूरा होने पर ऐसी हजारों एकड़ भूमि, जिसका सुधार किया जा चुका है तथा जिस पर इमारतें बनी हुई हैं, जलमग्न हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या मैसूर सरकार से उक्त योजना के जलाशय के कुल स्तर को कम करने के लिए कहा गया है ताकि पड़ौसी राज्य पर इसका प्रभाव न पड़े ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंजराथ कुरील) : (क) और (ख). योजना आयोग ने 1958 में एक लघु आकार की काबिनी परियोजना स्वीकार की थी, जिसमें केरल में कोई जमीन नहीं डूबनी थी।

जुलाई, 1970 में मैसूर सरकार ने संशोधित काबिनी परियोजना भेजी थी, जिसमें केरल में जमीन का डूबना शामिल था। संशोधित रिपोर्ट, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, से पता चलता है कि केरल राज्य की लगभग 254 एकड़ कृष्य भूमि पश्च जल से प्रभावित होगी। केरल सरकार ने इस परियोजना का विरोध किया। कावेरी जल विवाद को हल करने के लिए इंजीजियरों, एक निवृत जज और एक कृषि विशेषज्ञ की एक तथ्यान्वेषी समिति स्थापित की गई है जो कि कावेरी जल तथा इसके समुपयोजन आदि से संबंधित सभी आंकड़े इकट्ठे करेगी और इन आँकड़ों को प्रयोग में लाकर तमिलनाडु, मैसूर और केरल के मुख्य मंत्रियों के बीच विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि तीनों राज्यों के लिए जल के मान्य आवंटन को निर्धारित किया जा सके।

टाटानगर और आदित्यपुर रेलवे स्टेशनों के बीच जुगसलाय बाजार रेलवे फाटक पर उपरि पुल का निर्माण

2995. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने टाटा नगर और आदित्यपुर रेलवे स्टेशनों (चक्रधरपुर सेक्शन) (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच जुगसलाय बाजार रेलवे फाटक पर उपरि पुल के निर्माण की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब शुरू होगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्कों की मंजूर शुदा संख्या

2996. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री पश्चिम रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्कों की मंजूरशुदा संख्या के बारे में 11 अप्रैल 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2440 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका सारांश क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा जानकारी एकत्र करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई०) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। (ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3468/72)

भारतीय रेलवे के सतर्कता संगठन पर व्यय

3997. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री भारतीय रेलवे के सतर्कता संगठन के बारे में 4 अप्रैल 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1819 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका सारांश क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जानकारी एकत्र करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

"विवरण"

(क) 1971 में सतर्कता संगठन द्वारा पकड़े गये और जाँच-पड़ताल किये गये मामलों की कुल संख्या *5168

मध्य रेलवे	438
पूर्व रेलवे	501
उत्तर रेलवे	1054
पूर्वोत्तर रेलवे	647
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	326
दक्षिण रेलवे	1150
दक्षिण मध्य रेलवे	206
दक्षिण पूर्व रेलवे	271
पश्चिम रेलवे	456
रेलवे बोर्ड (सतर्कता निदेशालय)	119

(ख) उन मामलों की संख्या जिनमें न्यायालय में मुकद्दमा चलाया गया, अपराध प्रमाणित हुआ या नहीं हुआ (अप्रैल, 1972 की स्थिति)

i) मुकद्दमा चलाया गया 60
ii) दण्डित किया गया 5
iii) न्यायाधीन 54

*क्षेत्रवार विश्लेषण

नोट :—उपर्युक्त मामलों में, रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी थी। इसलिए इन्हें क्षेत्रीय रेलों द्वारा पकड़े गये और जांच-पड़ताल किये गये मामलों में शामिल नहीं किया गया।

(ग) विभागीय रूप से जिन मामलों में कार्रवाई की गयी, दोष प्रमाणित हुआ या नही हुआ।

1) जिन मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई की गयी	1528
2) जिन मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई की गयी	1060
3) जाँच के पश्चात छोड़ दिये गये मामले	2580

(घ) मामलों के निष्पादन का प्रतिशत

उपर्युक्त (ख) से (क) तक	(ख) के नीचे लिखे गये नोट के कारण नहीं दिये गये
ग(1) से (क)	29.57 प्रतिशत
ग(2) से (क)	20.51 प्रतिशत
ग(3) से (क)	49.92 प्रतिशत

(ङ) 1971 के दौरान सतर्कता संगठन पर कुल खर्च

1) वेतन	28,88,090 रुपये
2) भत्ते	22,47,877 रुपये

रेलवे वाणिज्यिक क्लर्कों की काम करने की शर्तें

2998. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री रेलवे वाणिज्यिक क्लर्कों की काम की शर्तों के बारे में 28 मार्च 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1393 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसको एकत्र करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"विवरण"

वाणिज्यिक क्लर्कों की काम की स्थिति के सम्बन्ध में 28-3-1972 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न 1393 के उत्तर में दिये गये आश्वासन से सम्बन्धित सूचना।

17 मार्च, 1970 को अतारांकित प्रश्न 3370 के उत्तर में यह बताया गया था कि वाणिज्यिक विभाग में प्रचलित मापदण्डों की दो रेलों को छोड़कर सभी रेलों द्वारा समीक्षा की

गयी थी । इस काम के लिए अलग अधिकारी नियुक्त नहीं किये गये थे । यह समीक्षा, मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षकों द्वारा अपने विभागीय अधिकारियों की सहायता से की गयी थी । इस उद्देश्य के लिए स्टेशन के कर्मचारियों से पूछताछ आवश्यक्ता नहीं थी । अधिकांश रेलों ने अलग अलग स्टेशनों का अध्ययन नहीं किया, यद्यपि कुछ रेलों ने ऐसा किया है जैसे, मध्य रेलवे ने बम्बई वी० टी०, दादर, कल्याण, पूना, नासिक रोड, वडनेरा, अमरावती, नागपुर, चन्द्रपुर, बल्हारशाह आदि जैसे स्टेशनों का अध्ययन अपने मण्डल वाणिज्यिक अधीक्षकों के मार्गदर्शन में वरिष्ठ वाणिज्यिक निरीक्षकों को लगाकर किया । इससे जो निष्कर्ष निकला वह यह था कि वर्तमान मापदण्डों में परिवर्तन आवश्यक नहीं है ।

क्षतिपूर्ति के दावों से सम्बन्धित 'एक व्यक्ति विशेषज्ञ समिति' ने अपनी रिर्पोट में जो सिफारिशें की हैं वे नीचे दी गयी हैं :—

"246 रेलों द्वारा पार्सल घरों में मजदूरों और कर्मचारियों और गाड़ियों पर सामान गार्डों या पार्सल सुपुर्दगी क्लर्कों की आवश्यकताओं तथा सवारी, डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहरावों के सम्बन्ध में निरंतर समीक्षा करते रहना चाहिए ।"

"247 कर्मचारियों और मजदूरों की व्यवस्था इस बात पर आधारित नहीं होनी चाहिए कि औसतन कितने पार्सल सम्भाले जाते हैं, बल्कि सवारी गाड़ियों का वर्गीकरण करते समय जैसी स्थितियां हों उन्हें पूरी तरह ध्यान में रखा जाना चाहिए ।"

"612 लदाई, उतराई और यानान्तरण स्थलों पर कर्मचारियों का अपर्याप्त होना रेलों पर दावों में वृद्धि का एक बड़ा कारण हैं ।"

"613 यह सुझाव दिया जाता है कि सभी बड़े माल गोदामों, यानान्तरण शेडों, पार्सल घरों और निजी साइडिंगों में कर्मचारियों के उपयोग और उनकी पर्याप्तता के सम्बन्ध में शीघ्र सर्वेक्षण किया जाना चाहिए तथा माल और पार्सल स्वीकार करने, बुक करने, लादने, उतारने और यानान्तरण के संबंध में नियमों का पूरा-पूरा अनुपालन करने के उद्देश्य से यथावश्यक समंजन या अतिरिक्त नियुक्ति करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए ।"

सरकार द्वारा समिति की सिफारिशें मान ली गयी हैं और रेलों को हिदायतें जारी कर दी गयी हैं ।

पूर्व रेलवे के धनबाद स्टेशन के बुकिंग, पार्सल और माल कार्यालयों में कमर्शियल क्लर्कों की संख्या

2999. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री पूर्व रेलवे के धनबाद स्टेशन के बुकिंग, पार्सल और माल कार्यालयों में कमर्शियल क्लर्कों की संख्या के बारे में 25 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3962 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसे एकत्र करने में सरकार सम्भवत: कितना समय लेगी ?

रेल नंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हाँ ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"विवरण"

25-4-72 को लोकसभा में श्री ओंकार लाल बैरवा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न 3962 के उत्तर में दिये गये आश्वासन से सम्बन्धित सूचना

प्रश्न

(क) पूर्व रेलवे के धनबाद स्टेशन के बुकिंग, पार्सल तथा गुड्स आफिस में अलग-अलग कमर्शियल क्लर्कों की प्रत्येक ग्रैड में संख्या कितनी-कितनी है ।

उत्तर

ग्रेड	टिकट घर	पार्सल कार्यालय	माल कार्यालय
250-380 रु०	1	1	1
205-280 रु०	2	1	3
150-240 रु०	13	8	6
110-200 रु०	12	2	1

उपर्युक्त के अलावा धनबाद स्टेशन के लिए समग्र रूप से 110-200 रुपये (अ० वै०) के ग्रेड के छुट्टी रिजर्व वाणिज्यिक क्लर्कों के 17 पद और 335-425 रुपये के ग्रेड के वाणिज्यिक पर्यवेक्षक का एक पद है ।

प्रश्न

(ख) स्टेशन पर बुकिंग तथा पार्सल आफिस में रुपये 150-240 (ए) के ग्रेड में स्थायी तथा स्थानापन्न कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उक्त कर्मचारी किस-किस तारीख से काम कर रहे हैं; और

उत्तर

धनबाद स्टेशन के टिकट और पार्सल दोनों कार्यालयों में 150-240 रु० के ग्रेड के वाणिज्यिक क्लर्कों के सभी पद स्थायी रूप से भरे गये हैं और इनमें से किसी पद पर स्थानापन्न व्यवस्था नहीं की गयी है ।

प्रश्न

(ग) स्टेशन स्टाफ को स्थानापन्न अवसर प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा बनाये गये नियमों की रूप रेखा क्या है ?

उत्तर

वर्तमान नियमों के अनुसार 110-200 रु० (अ०वे०) के ग्रेड के वाणिज्यिक क्लर्कों को 150-240 रु० (अ० वे०) के ग्रेड में 14 दिनों से अधिक की रिक्तियों में स्थानापन्न रूप से काम करने पर स्थानापन्न वेतन अनुज्ञेय है ।

आसाम में गैर-सरकारी चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण

3000. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में गैर-सरकारी चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये जनता तथा मजदूर संगठनों द्वारा निरन्तर मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). गैर-सरकारी चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण का कई बार सुझाव दिया गया है परन्तु, सरकार ने चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में अभी विचार करना आवश्यक नहीं समझा है ।

अखिल भारतीय लोको संगचल कर्मचारी संघ (पश्चिमी रेलवे) द्वारा रतलाम डिवीजन को समाचार भेजा जाना

3001. श्री **पन्ना लाल बारूपाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय लोको संगचल कर्मचारी संघ, पश्चिमी रेलवे द्वारा रतलाम डिवीजन की कुछ समस्याओं को अपने 17 जून, 1972 तथा 26 जून, 1972 के पत्रों द्वारा चीफ आपरेटिंग सुपरिंटैण्डैण्ट को भेजा था तथा पत्रों की प्रतियां सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी थीं; और

(ख) यदि हां, तो उनमें उल्लिखित समस्याएं क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) इस संघ द्वारा मुख्य परिचालन अधीक्षक, पश्चिम रेलवे, बम्बई को भेजा गया 17 जून, 72 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था । दूसरा 26 जून, 72 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) संघ की मांगें जैसा कि उक्त ज्ञापन में विशेष रूप से उल्लिखित हैं; इस प्रकार हैं :—

(i) उच्च पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन-निर्धारण का बकाया;

(ii) इंजनों को लेने के लिए वाराणसी कारखाने में जाने वाले डीजल कई दलों को सही मील भत्ते का भुगतान न होने से उसका बकाया;

(iii) कर्मचारियों से ड्यूटी के अलावा जबर्दस्ती काम लेना और उनको परेशान करना तथा दण्ड देना;

(iv) मुख्यालय पर विश्राम पूरा होने से बहुत पहले कर्मचारियों को बुलाकर विश्राम-सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन;

(v) गाड़ियों पर काम करने के लिए अप्रशिक्षित कर्मचारियों को बुक करके सुरक्षा-सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन;

(vi) लोको रनिंग कर्मचारियों की संवर्ग स्थिति:

(vii) ड्यूटी से मुक्त कर्मी दल के लिए यात्रा करने हेतु आरक्षित स्थान की व्यवस्था;

(viii) लोको रनिंग कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टरों का आवंटन;

(ix) लोको रनिंग कर्मचारियों को बाहरी स्टेशनों पर रोके रखना;

(x) रतलाम और गोधरा खण्ड के बीच डीजल इंजनों द्वारा कर्षित भार;

(xi) रतलाम में लोको रनिंग कर्मचारियों के आश्रय के लिए छोटे-छोटे शेडों की व्यवस्था;

(xii) गाड़ियों के बढ़े हुए विभाजन और ड्राइवर :—

(क) सामान की कमी,

(ख) गाड़ियों की जांच,

(ग) इंजनों का अनुरक्षण और गाड़ियों का भार,

(घ) अनियमित हाल्ट,

(ङ) गाड़ियों का अनुचित विन्यास।

इस प्रकार के मुद्दे मान्यता प्राप्त श्रम संगठनों द्वारा समय-समय पर उठाये जाते हैं और आम तौर पर विभिन्न स्तरों पर वार्तान्तिक की बैठकों में विचार विमर्श द्वारा उनका हल निकाल लिया जाता है।

राज्य व्यापार निगम में अनुसूचित जातियों / जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा

3002. श्री ए० एस० कस्तूर : क्या **विदेश** व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक जनवरी. 1972 को राज्य व्यापार निगम में कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी थी और इनमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए नियत आरक्षश कोटा पूरा किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इसमें कमी को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण संलग्न है, [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3469/72]

(ख) विभिन्न श्रेणियों में कमियां हैं।

(ग) इसका मुख्य कारण यह रहा है कि उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध नहीं है क्योंकि राज्य व्यापार निगम को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है।

(घ) कमी को पूरा करने के लिए विशेष चयन किये जा रहे हैं।

ड्राइवरों तथा अन्य संगयल कर्मचारियों को भुगतान की अलग-अलग दरें

3003. श्री प्रवीण सिंह सोलंकी : क्या **रेल** मंत्री संगचल भत्ते के भुगतान के बारे में 11 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2443 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ड्राइवर ए० बी० सी० तथा अन्य संगचल कर्मचारियों के बीच प्रतिकरात्मक भत्ते के लिए भुगतान की दरें भिन्न भिन्न होने क्या कारण हैं जबकि पहले इनमें कोई अन्तर नहीं था ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : पहले भी कुछ मामलों में दरें भिन्न-भिन्न थीं। 1967 में भुगतान की एक सरलीकृत कार्याविधि लागू की गयी जिसमें प्रतिपूरक भत्ता किलोमीटर मूल्य के हिसाब से लगाया जाता है चूंकि विभिन्न कोटियों के रनिंग कर्मचारियों के लिए किलोमीटर के आधार पर भुगतान की दरें अलग-अलग हैं अत: प्रतिपूरक भत्तों में भी अन्तर है। ऐसी भिन्नता तर्क संगत भी है क्योंकि वेतन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को जेबखर्च भुगतान भी भिन्न-भिन्न दरों पर किया जाता है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के आसाम क्षेत्र में माल तथा कोयला उतारने-चढाने के लिये ठेके प्राप्त पार्टियां

3004 श्री रोबिन ककोटी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 के आसाम क्षेत्र में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा सामान तथा कोयला उतारने चढ़ाने के ठेके जिन पार्टियों को दिये गये हैं, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी श्रम सहकारिता समितियों ने माल उतारने चढ़ाने के ठेकों के लिए आवेदन दिये थे और कितनी समितियों को लाएसेंस दिये गये हैं ; और

(ग) क्या दरें अलग-अलग स्थान पर अलग अलग हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) नाम इस प्रकार हैं :—

माल और पार्सल चढ़ाने-उतारने का ठेका :

1. मैसर्स गुवाहाटी मजदूर कोआपरेटिव सोसाएटी लि०

कोयला चढ़ाने-उतारने का ठेका :

2. मैसर्स कामरूप लेबर कोपरेटिव सोसाइटी
3. श्री एस० आर० घोष
4. श्रीमती सुदरसा देवी
5. श्री अब्दुल मलिक चौधरी
6. श्री सीताराम अग्रवाल
7. श्री उत्पल कुमार घोष

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी हाँ।

आसाम में बिजली की कमी

3005 श्री रोबिन ककोटी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम में बिजली की कमी के कारण पांचवी पंच वर्षीय योजना में आसाम में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में बहुत हद तक बाधा पड़ने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित कुल 440 मैगावाट की सभी विद्युत-जनन स्कीमों के पूर्ण होने पर असम, मेघालय और मिजोराम क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण तथा अन्य आवश्यकताओं के पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम में मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनायें

3006. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आसाम में मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कितनी योजनाओं को पूरा किया गया है ;

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान आसाम के लिए मध्यम दर्जे की कितनी सिंचाई योजनाओं की मंजूरी दी गई है; और

(ग) इन योजनाओं के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : जमुना और पतराडिशा मध्यम स्कीमें पूर्ण हो चुकी हैं। शुक्ला और हर्गुटी मध्यम परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है।

(ख) और (ग) : चतुर्थ योजना में अभी तक निम्नलिखित दो मध्यम स्कीमें स्वीकृत हो चुकी हैं :—

(i) नवगाँग जिले के कलियाबोर सर्कल में ब्रह्मपुत्र नदी से लिफ्ट सिंचाई स्कीम।

(ii) लोंगा स्कीम।

Flood Control Scheme Formulated by Ganga Flood Control Commission

*3007. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri M. S. Purty :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the outlines of the flood control scheme formulated by the Ganga Flood Control Commission,

(b) the estimated expenditure to be incurred thereon and the share of the States concerned and of the Centre therein, and

(c) whether the work thereon has started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel): (a) to (c).The Ganga Flood Control Commission constituted for the preparation of a comprehensive plan of flood control in the Ganga basin has started functioning from August, 1, 1972. It will take some time for the Commission to collect the necessary data and formulate the comprehensive plan.

भूमिगत रेलवे के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए विदेशों में जाने वाले रेलवे विशेषज्ञ

3008. डा० रानेन सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के निर्माण के लिये तथा उसको चलाने के संबंध में तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिये विदेशों में जाने वाले भारतीय विशेषज्ञ दल के सदस्य कौन कौन हैं और वे कौन कौन से देशों का दौरा करेंगे ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : विशेषज्ञ दल में कौन-कौन थे और दल ने जून/जुलाई, 1972 में किन-किन देशों का दौरा किया यह नीचे बताया गया है :—

(क) **दल का गठन**

1	नेता	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
2	सदस्य	मुख्य बिजली इन्जीनियर
3	,,	मुख्य इंजीनियर
4	,,	निदेशक, वित्त
5	,,	उपमुख्य परिचालन अधीक्षक
6	,,	उपमुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इन्जीनियर
7	,,	उपमुख्य इन्जीनियर

(ख) **जिन देशों का दौरा किया**

1	रूस	4	फ्रांस
2	स्वीडन	5	जर्मनी
3	इंगलैण्ड	6	हंगरी
		7	जापान

नदी जल पर केन्द्रीय नियंत्रण

3009. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष 15 अगस्त, से नदी जल को केन्द्रीय नियंत्रणाधीन लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : देश में जल संसाधनों के बढ़ते हुए प्रयोग तथा भविष्य में वृहत्तर समुपयोजन के कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप एक राष्ट्रीय जल नीति बनाने की आवश्यकता स्वीकार कर ली गई है ताकि जल की आवश्यकताओं के संतत मूल्यांकन तथा समग्र देश के हित में विभिन्न प्रयोगों के लिए उपलब्ध जल के अति लाभ-दायक तथा समान आबंटन को सुनिश्चित किया जा सके। एक राष्ट्रीय जल नीति के निर्माण में निहित विविध पहलुओं पर, जिनके विधि सम्बन्धी पहलू भी शामिल हैं; अध्ययन किया जा रहा है।

साझा मंडी का विस्तार तथा उसका भारतीय व्यापार पर प्रभाव

3010. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लग्जमबर्ग में 8 जून, 1972 को साझा मंडी ने अपने शुल्क रहित व्यापार तथा प्राथमिकता क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक और कार्यवाही की थी जिसके फलस्परूप भारत सहित गैर-सम्बद्ध देशों के हितों को हानि होगी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). लक्समबर्ग में यूरोपीय आर्थिक समुदाय परिषद की बैठक में, जो 6 जून 1972 को समाप्त हुई, भूमध्यसागरीय देशों और यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के गैर-सदस्य देशों के साथ यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संबंधों पर चर्चा हुई थी ।

पता चला है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्यता को छः से बढ़ाकर 10 कर दिये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और अनेक भूमध्य-सागरीय देशों के बीच, इन देशों के साथ हुए विद्यमान करारों में आशोधन करने के सम्बन्ध में, अभी बातचीत चल रही है । जहां तक यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के गैर-सदस्य देशों का सम्बन्ध है, उनमें और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र प्रबंधों के सम्बन्ध में पहले ही सहमति हो गई है ।

इन घटनाओं से इस बात की आवश्यकता पुनः स्पष्ट हो गई है कि उन 6 देशों के साथ हमारी व्यापार समस्याओं और समुदाय के परिवर्धन से हमारे लिए उत्पन्न समस्याओं और समाधान शीघ्र किये जायें । इस संबंध में मामले पर कार्यवाही की जा रही है ।

Theft of Railway Goods from Railway Workshops, Stores and Sheds of the Stations of Rajasthan

***3011. Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total value of railway goods stolen from Railway workshop, Stores and Sheds of all stations of Rajasthan last year; and

(b) the steps taken in this regasd, the results achieved therefrom and future plan in this regard ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) The total value of railway goods stolen is Rs. 27,475/—.

(b) The following steps have been taken for prevention of theft of Railway Goods:—

1. RPF staff are posted on duty round the clock to guard against criminal interference in Workshop and Stores.
2. Constant vigilance over the criminals and their activities is exercised by the RPF staff.
3. Regular collection of crime intelligence by the Crime Intelligence Branch staff of Headquarters as well as by the Plain Clothes staff of the Divisions is done in order to exercise a positive check over the criminals.
4. Basic level Committees have been formed at important Workshops comprising of workshop authorities, RPF representative and Trade Union representatives as members, in order to combat crime in pursuance of Railway Minister's Drive.

The results achieved are satisfactory. There is no proposal to strengthen the Security measures further.

निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी समिति (कन्स्ट्रक्शन प्लांट एण्ड मशीनरी कमेटी) का प्रतिवेदन

3012 : श्री वी० मायावन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पहली समिति के प्रतिवेदन के पुनर्विलोकन तथा उसे नवीनतम रूप देने के लिए स्थापित की गई निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) पहली समिति के प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी जाँच की जा रही है । इस पर अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा ।

(ग) इस विषय में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या ल० टी०—3470/72]

Loss suffered by Hira Mills Ltd., Ujjain

3013. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether The Hira Mills Ltd.. Ujjain which is under the control of the Central Government has suffered heavy loss due to fire in Jnly, 1972;

(b) the estimated loss suffered as a result thereof; and

(c) the finding of the inquiry conducted by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) to (c) According to the report received from the mill company, the outbreak of fire in the Carding and Frame Sections of its Spinning Department has resulted in a loss of about Rupees one lakh. The Madhya Pradesh State Textile Corporation has been requested to enquire into this incident alongwith a representative of the State Government. Their report is awaited.

मैसर्स एशियन केबल्स के कच्चे माल की अवैध बिक्री के लिए श्री आर० पी० गोयन्का के विरुद्ध कार्यवाही

3014. श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्री आर० पी० गोयन्का के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर रही है जब कि एशियन केबल्स द्वारा वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस के अन्तर्गत प्राप्त कच्चे माल की अवैध बिक्री के मामले में कम्पनी के अन्य निर्देशकों पर मुकद्दमा चलाया जाने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो श्री गोयन्का पर मुकद्दमा न चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एशियन केबल्स के विरुद्ध तीन मामले हैं । एक मामले में, जैसी कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सिफारिश की है, कम्पनी के सभी निदेशकों के विरुद्ध अभियोग दायर किया जा रहा है । अन्य दो मामलों में केन्द्रीय जांच

ब्यूरो की रिपोर्ट आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के विचाराधीन हैं जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो का परामर्श लिया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध

3015. श्री सतपाल कपूर : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी फिल्मों के आयात पर वर्ष 1970-71, 1971-72 में तथा 31 जुलाई, 1972 तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ख) क्या अब विदेशी फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को कार्यरूप दे दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जानकारी निम्नोक्त प्रकार है :—

	मूल्य लाख रुपये में	
	1970-71	1971-72 (जनवरी+1972 तक)
खिची हुई सिनेमा फिल्में (धोयी या बगैर धोयी)	36.68	23.83

(ख) जी नहीं। रूपक फिल्मों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

+जनवरी 1972 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

राजकोट उप-निर्वाचन पर सरकार द्वारा छः लाख रुपये का व्यय

3016 श्री लालजी भाई : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में लोक सभा के लिए राजकोट उप-निर्वाचन पर लगभग छः लाख रुपया खर्च किया था।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिपुरा में रबड़ कारखाने की स्थापना

3017. श्री बीरेन दत्त : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने अपने यहां रबड़ का एक कारखाना स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) . जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Limit of expenditure on the election of a member of Lok Sabha

3018. Shri Ishwar Chaudhary : Will the Minister of Law and Justice be pleased to state :

(a) the maximum limit of expenditure allowed to be incurred on the election of a Member of Lok Sabha;

(b) whether Rs. 6 lakhs were spent on Rajkot bye-election to Lok Sabha; and

(c) if so, the reasons for which exemption was granted for spending more money in Rajkot bye-election to Lok Sabha ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) While ceilings on expenditure which can be incurred by candidates for election in parliamentary assembly constituencies are prescribed under the Election Law, no limit has been prescribed as regards the expediture that can be incurred by Government on the conduct of election in a Parliamentary or Assembly constituency.

(b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(c) In view of the reply to part (a), this does not arise.

भारत में 'चिकन' उद्योग

3109. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 'चिकन' उद्योग में लगे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) इस उद्योग की प्रतिवर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है और सरकार ने इस उद्योग को क्या प्रोत्साहन दिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चिकन उद्योग मुख्यत: उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा हरदोई जिलों में और उनके आस-पास स्थित है। इस उद्योग में लगभग 10,000 व्यक्ति लगे हुए हैं।

(ख) चिकन वस्त्रों के निर्यातों के पृथक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विगत 6 वर्षों के कसीदाकारी के माल के निर्यात आँकड़े, जिसमें चिकन वस्त्र भी शामिल है, इस प्रकार है:—

वर्ष	(लाख रु० में०)
1966-67	39.09
1967-68	46.65
1968-69	54.73
1969-70	61.85
1970-71	85.45
1971-72 (अप्रैल-जनवरी 1971-72)	83.68

विदेशी बाजारों में चिकन कसीदाकारी वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नोक्त कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, विदेशी बाजारों में, विशेषतः न्यूयार्क तथा पैरिस में 'सोना' दुकानों की मार्फत, चिकन कसीदाकारी वस्त्रों का विशेष संवर्धन करता रहा है,

(2) विदेशी बाजारों में इन वस्त्रों को चलाने के लिए गैर-सरकारी निर्यातकों क प्रोत्साहन दिया जा रहा है,

(3) सं० रा० अमरीका के लिए 'भारतीय मदों' में चिकन कसीदाकारी को भी शामिल कर लिया गया है, जिसके लिए किसी प्रकार का कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्ध नहीं है, और

(4) हस्तशिल्प की वस्तुओं के, जिसमें चिकन कसीदाकारी वस्त्र भी शामिल है, संवर्धन के लिए विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल भेजे जाते हैं।

'चिकन' (सिल्क) उद्योग में सर्वोत्कृष्ट कारीगरी के लिये पुरस्कार

3020. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश** व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने 'चिकन' (सिल्क) उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इस उद्योग के सर्वोत्कृष्ट कारीगरों को पुरस्कार दिये है;

(ख) यदि हाँ, तो पुरस्कृत व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जो इस उद्योग में गहरी रुचि लेते हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्तर प्रदेश।

राज्य व्यापार निगम के विग निर्माण एकक का घाटे में चलना

3021. **श्री बेकारिया** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के विग निर्माण एकक में घाटा हो गया है;

(ख) क्या इस एकक ने अपने उत्पादों का विशाखन कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो विशाखन सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) विग इंडिया फैक्टरी ने निर्यात के लिए कृत्रिम बरोनियों तथा जूनों के ऊपरी भागों विशेषकर सजावटी किस्म के माल का उत्पादन शुरू कर दिया है। वर्तमान सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग करने के उद्देश्य से एक चमड़ा विकास एकक स्थापित करने का भी विचार है।

हाथकरघा की निर्यात योग्य वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य निश्चित करना

3022. श्री आर० वी० बड़े : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाथकरघा की निर्यात योग्य वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य निश्चित करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

विदेश व्यापार मत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश को निर्यात की गई फिल्में

3023. श्री आर० एन बर्मन : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक बंगला देश को कितनी-कितनी बंगाली तथा हिन्दी फिल्मों का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या बंगला देश में भारतीय बंगाली फिल्मों की मांग का सरकार ने अब तक कोई अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : अभी तक बंगला देश को कोई भारतीय फिल्म निर्यात नहीं की गई है। भारत तथा बंगला देश के बीच हुए व्यापार करार में बंगला देश को 15 लाख रु० मूल्य की सिनेमा फिल्में निर्यात करने और बंगला देश से 15 लाख रु०मूल्य तक की सिनेमा फिल्में आयात करने का व्यवस्था है। दोनों सरकारों के बीच यह सहमति हुई है कि सिनेमा फिल्मों का व्यापार भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और बंगला देश फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाएगा। ये दोनों अभिकरण फिल्मों के व्यापार प्रबंधों को तय करने के लिए एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं।

बम्बई क्षेत्र में कोयले तथा कोक कोयले के व्यापारियों के लिए माल डिब्बों की कमी

3024. श्री उम० कतामुतु : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या रेल के माल डिब्बों की कमी के कारण बम्बई क्षेत्र में कोयले तथा कोक कोयले के व्यापार में गम्भीर संकट आ गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस व्यापार के लिए पर्याप्त माल डिब्बों की व्यवस्था के सम्बन्ध में कौन से कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) बम्बई क्षेत्र को कोयले और कोक की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में कुछ शिकायतें रही हैं। लेकिन 1972 के प्रथम छः महीनों में बम्बई क्षेत्र को कोयले की ढुलाई पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में काफी अधिक रही है और कोक की ढुलाई लगभग उसी स्तर पर की गई है जिस स्तर पर पिछले वर्ष की गयी थी। लदान का काम और तेज करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

केरल में काजू उद्योग के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

3025. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जून के महीने में केरल में काजू उद्योग के श्रमिकों की राज्य व्यापी हड़ताल हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उन लोगों ने अपनी क्या मांगें बतायी थीं; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता हो गया है यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) हड़ताली कर्मचारियों की मुख्य मांगें, मजदूरी की न्यूनतम दरों तथा महंगाई भत्ते के भुगतान, उपस्थिति कार्डों के जारी किये जाने और तोल की क्रियाविधि के सम्बन्ध में थी। नियोजकों द्वारा स्वीकृत दरों पर मजदूरी तथा महंगाई भत्ते के भुगतान, उपस्थिति कार्ड के जारी करने और स्वीकृत क्रियाविधियों के अनुसार तोल करने की स्वीकृति दिये जाने पर हड़ताल वापस ले ली गई थी।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

3026. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम प्रकाश :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत से पर्याप्त मात्रा में भारतीय लौह-अयस्क का आयात करना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1972-73 में कितनी मात्रा में लौह-अयस्क का जापान को निर्यात किया जायेगा; और

(ग) गत तीन वर्षों में विभिन्न देशों को देश-वार कुल कितनी मात्रा में भारतीय लौह-अयस्क का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान 186.3 लाख टन भेजे जाने की आशा है।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3471/72]

आयातित तांबे तथा पोलीथीलीन की चोर-बाजारी के संबंध में कुछ कम्पनियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कार्य

3027. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित तांबे तथा पोलीथीलीन की चोर-बाजारी करने के लिए केन्द्रीय जाँच

ब्यूरो ने इण्डियन पावर केबल्स, यूनीवर्सल केबल्स और ओरियन्टल केबल्स सहित कुछ कम्पनियों पर मुकदमें चलाने के आदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो मुकदमों के क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यूनिवर्सल केबल्स तथा ओरियन्टल पावर केबल्स और कुछ अन्य कम्पनियों पर न्यायालय में मुकदमें चलाये जा रहे हैं। इण्डियन केबल्स कम्पनी तथा कुछ अन्य कम्पनियों के मामले अभी भी विचाराधीन हैं और एक कम्पनी के मामले की अभी भी जांच की जा रही है।

(ख) न्यायालय में दर्ज मुकदमों पर अभी भी विचार किया जा रहा है।

ब्यास बांध से स्थानांतरित सब-डिवीजनल अधिकारियों के नाम

3028. श्री अमर नाथ विद्यालंकार : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक नवम्बर, 1966 से अब तक प्रत्येक वर्ष ब्यास परियोजना से पंजाब राज्य में स्थानाँतरित किए गये सब-डिवीजनल अधिकारियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) वर्ष 1972 के दौरान पंजाब राज्य में वापस भेजे जाने वाले सब-डिवीजनल अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या अधिकारियों को वापिस पंजाब राज्य भेजने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसरित सिद्धांतों/मार्गदर्शी नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) ऐसे उपमंडलीय अधिकारियों की संख्या जिन्हे 1.11.1966 से ब्यास परियोजना से पंजाब राज्य में स्थानाँतरित किया गया था, वर्ष के अनुसार नीचे दी जाती है :—

1966-67	8
1967-68	21
1968-69	23
1969-70	1
1970-71	14

(ख) पंजाब सरकार ने उन उप मंडलीय अधिकारियों की, एक सूची मांगी है जिन्होंने परियोजना पर पांच वर्ष कार्य काल पूरा कर लिया है तथा जो वापस जाने के इच्छुक है। तदनुसार 40 अधिकारियों की एक सूची तैयार की गई है। यदि पंजाब सरकार द्वारा उनके स्थान पर उपयुक्त एवजियों का प्रबंध किया जाए तो उन्हें कार्य मुक्त किया जा सकता है।

(ग) अधिकारियों का परियोजना से राज्य सरकार को प्रत्यावर्तन, सामान्यत: संबंधित राज्य सरकार/बिजली बोर्ड के अनुरोध पर, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से किया जाता है। अधिकारियो का प्रत्यावर्तन उनके व्यक्तिगत अनुरोध करने पर राज्य विभाग की सहमति तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन पर भी किया जाता है।

एक हरिजन बस्ती में प्रतिदिन बिजली पहुंचाना

3029. **श्री अमर नाथ विद्यालंकार** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की स्वाधीनता के 25वें वर्ष में संघ राज्यक्षेत्रों में प्रतिदिन एक हरिजन बस्ती में बिजली पहुचाने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन ने हरिजन बस्तियों के संबंध में कोई योजना बनाई है यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री श्री बैजनाथ कुरील) : (क) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को कहा गया है कि वे भारत की स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के वर्ष के दौरान कम से कम एक दिन में एक ग्राम के हिसाब से पहले से विद्युतीकृत ग्रामों के साथ लगी हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम बनाए ।

(ख) चंडीगढ़ ने शतप्रतिशत विद्युतीकरण कर लिया है । इस संघ शासित प्रदेश में ऐसी कोई बस्ती नहीं है जहां केवल हरिजन रहते हों ।

Rates of Irrigation from Tubewell and Canals

*3030 **Shri Ram Chandra Vikal** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the rates of irrigation from Tubewells and canals respectively in the various States,

(b) whether the Central Government are discussing with State Governments the question of reducing the rates of irrigation in those places, where the rates are very high, and

(c) If so, the names of the State Governments with which discussions have taken place and the date by which final decision is likely to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) Statements I and II showing the rates of irrigation from canals as well as from tubewells and lift irrigation are attached [Placed in Library please *See No.* L-T. 3472/72]

(b)&(c). No such proposal is under discussion. Irrigation facilities are available only to the farmers in the areas commanded by irrigation systems on which Government have made substantial investments. It is appropriate that the beneficiaries should pay for those facilities to the extent possible and not impose a burden on the rest of the community. While prices of agricultural produce have gone up and cultivators have been deriving higher profits from irrigated land, there has not been commensurate increase in water rates; the costs of maintenance and operation have, in the mean while, been going up steeply. Further in recent years, the resources of the States for the planned development have been dwindling for various reasons. Therefore the Government of India have been urging the State Governments to appropriately increase the water rates. The need to increase appropriately the present irrigation rates has also been emphasised by the Irrigation Commission in their report.

पंजाब में कपड़ा का वसूली मूल्य

3031. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने भारतीय रुई निगम से अनुरोध किया है कि आगामी फसल के लिए कपास का वसूली मूल्य निश्चित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर निगम की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मत्रांलय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) रुई निगम को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में रबड़ की खेती के लिए वित्तीय सहायता

3032. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि केरल के बागान निगम द्वारा रबड़ की खेती करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई है तथा केन्द्रीय सरकार की उसके प्रति क्या प्रक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 15,000एकड़ रबड़ की खेती करने के लिए केरल राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रू। में 4.50 करोड़ रुपये पहले ही दिये जा चुके हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

गुजरात में रुई की खरीद के मामले में कदाचार

3033. **श्री के०एस० चावड़ा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में रुई के संबंध में भारतीय रुई निगम के कुछ नामित सदस्यों द्वारा अपनाये गये कदाचारों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं; और

(ख) इन शिकायतों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा किन-किन नामित सदस्यों के विरुदध कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भगवंतम समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

3034. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवंतम समिति की सिफारिशों को, जो सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं, अभी तक कार्यरूप नहीं दिया गया है और क्या इसी कारण केंद्रीय जल तथा

विद्युत् आयोग के इंजीनियरों ने 19 जुलाई, 1972 को सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था;

(ख) क्या इसी के परिणायस्वरूप केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के कुछ इंजीनियरों ने इस संगठन को छोड़ दिया है; और

(ग) सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ग). केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (श्रेणी-एक) इंजीनियरी संगठन के प्रतिनिधि भगवंतम समिति की सिफारिशों के सम्बंध में, जिसमें उनकी सेवा शर्तें और व्यवसायिक प्रत्याशाओं जैसे कुछ पदों की ऊंचे ग्रेडों में करना, सुव्यवस्थित सेवा लाभों, निरवरोध वेतन-मानों को लागू करना, शामिल हैं, केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री से 19.7.1972 को मिले। यद्यपि इन मामलों पर इस मंत्रालय द्वारा और आगे विचार किया जा रहा है, यह आवश्यक है कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों और उन पर सरकार के निर्णयों की प्रतीक्षा कर ली जाए।

(ख) जी, नहीं।

Assistance for Construction of Rajasthan Canal

*3035. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have decided to give financil assistance for the construction of Rajasthan Canal,

(b) if so, the amount thereof,

(c) whether other States have also sought such assistance,

(d) if so, the names thereof, and

(e) the names of states which are being given such assistance ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) to (e). Till 1969, n part of the overall Central loan assistance to State Plans was being directly released by the Ministry of Irrigation and Power to selected irrigation projects. Rs. 49 crores was thus provided for the Rajasthan Canal Projects. During the Fourth Plan, Central assistance is being given to the State Plans as a whole in the form of block loans and grants, not related to any individual project or head of development.

State Governments, however, sent us requests for further Central assistance for various projects indicating that adequate funds could not be provided by them for those projects within the State Plan frame work.

In 1969-70, special non-plan loans were provided to the following projects by suitable relief in repayment of Central loans during the year :

Sl. No.	Project	Amount (Rs. Crores)
1.	Nagarjunasagar Left Bank Canal (Andhra Pradesh)	1.0
2.	Pochampad Project (Andhra Pradesh)	1.0
3.	Pamba (Kerala)	0.75
4.	Kuttiyadi (Kerala)	0.75
5.	Ghataprabha Stage-II (Mysore)	1.3
6.	Rajasthan Canal (Rajasthan)	3.2
7.	Kangsabati (West Bengal)	2.0
8.	Gandak (Bihar)	2.0

Such requests continued to be received from the State Governments in the subsequent years also. It was, however, found possible for the Government of India to agree, in principle, to give such assistance in the Fourth Plan only for three projects viz. Rajasthan Canal Project (Rs. 11.6 crores, including that given in 1969-70), Pochampad Project (Rs. 9 crores including that given in 1969-70) and Western kosi Canal (Rs. 4 to 5 crores) in view of the very exceptional circumstance obtaining on them.

The needs for additional funds of projects like Nagarjunasagar (Andhra Pradesh), Sarda Sahayak (Uttar Pradesh) Gurgan Canal (Rajasthan), Loktak irrigation project (Manipur) Kangsabati (West Bengal) Kuttiyadi (Kerala) etc. urged by the State Governments will be kept in view, if any possibility arises of such special Central assistance becoming available.

Funds for Development of Silk Industry

3036. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to State :

(a) the names of the States where Governments have chalked out new scheme and provided founds for the development of Silk industry during the last three years; and

(b) the amount of foreign exchange earned by export of silk during the last three years: year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A.C. George) : (a) Mysore State.

(b) 1969-70.....Rs. 17.42 crore.
1970-71.....Rs. 10.05 crore.
1971-72.....Rs. 7.15 crore.

वर्ष 1971 के इंडियन सिल्क डैलीगेशन की सिफारिशें

3037. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 के इण्डियन सिल्क डैलीगेशन ने सरकार से कुछ सिफारिशें की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

"विवरण"

भारतीय रेशम प्रतिनिधिमंडल की मुख्य सिफारिशो तथा उन पर सरकार के विनिश्चयों को नीचे दिया गया है :—

सिफारिश	सरकार के विनिश्चय
(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सुदृढ़ तथा स्थायी आधार पर रेशम निर्यातों के समन्वित आयोजन तथा विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संगठन तथा साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए।	इसको स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद पहले ही रेशमी वस्त्रों के निर्यातों को संभाल रही है।

सिफारिश	सरकार के विनिश्चय
(2) विश्व बाजार में भारतीय रेशम की ख्याति बनाने के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिए ।	स्वीकार कर ली गई है ।
(3) बोर्ड को महत्वपूर्ण बाजारों में अनन्यत: भारतीय रेशमी माल के लिए प्रदर्शनकक्ष तथा विदेशों में कार्यालय संगठित करने चाहिए ।	यह सिद्धान्त: स्वीकार कर ली गई है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा हथ-करधा निर्यात संवर्धन परिषद को संयुक्त रूप से विदेशों में प्रदर्शन स्थापित करने चाहिए
(4) निर्यात मदों में, जिनमें कच्चा रेशम तथा रेशमी धागा शामिल है, विविधता लाना ।	विचाराधीन है ।
(5) टसर तथा टसर मिश्रित वस्तुओं के निर्यात पर अतिरिक्त सहायता ।	स्वीकार कर ली गई है
(6) भारतीय कच्चे रेशम की किस्म सुधारने तथा इसकी उत्पादन लागत घटाने के लिए निरंतर प्रयास किये जाने चाहिए ।	स्वीकार कर ली गई है ।
(7) ओक बागानों पर टसर कोयों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रभावी उपाय किये जाने चाहिएं ।	स्वीकार कर ली गई है ।

"चिकन" कसीदाकारी वस्त्रों की मांग

3038. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुर्ता तथा साड़ी जैसे "चिकन" कसीदाकारी वस्त्रों की विश्व भर में काफी माँग है; और

(ख) यदि हां, तो और अधिक देशों में उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) विदेशों में चिकन कसीदाकारी क्षेत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नोक्त कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, विदेशी बाजारों में, विशेषत: न्यूयार्क तथा पेरिस में 'सोना' दुकानों की मार्फत, चिकन कसीदाकारी वस्त्रों का विशेष संवर्धन करता रहा है,

(2) विदेशी बाजारों में इन वस्त्रों को चलाने के लिए गैर-सरकारी निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है,

(3) सं०रा० अमरीका के लिए "भारतीय मदों" में चिकन कसीदाकारी को भी शामिल कर लिया गया है, जिसके लिए किसी प्रकार का कोटा सम्बन्धी प्रतिबंध नहीं है, और

(4) हस्तशिल्प की वस्तुओं के, जिनमें चिकन कसीदाकारी वस्त्र भी शामिल हैं, संवर्धन के लिए विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल भेजे जाते हैं।

कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

3039. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि इस समय राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी मिलें हैं और क्या वे लाभ में चल रही हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

निर्वाचन आयोग का विस्तार

3040. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्वाचन आयोग का विस्तार करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार किये गये आयोग का आकार क्या होगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऊनी कपड़े का निर्यात

3031. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऊनी कपड़ा बनाने वाली उन मिलों की संख्या तथा नाम क्या हैं जो ऊनी कपड़े का निर्यात कर रही हैं ;

(ख) ऊनी कपड़ों का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है ;

(ग) वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान प्रत्येक मिल ने कितने-कितने मीटर ऊनी कपड़े का निर्यात किया ; और

(घ) उन्होंने कितनी विदेशी मुद्रा कमाई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिण में रेशम का उत्पादन

3042. श्री सी के० जापर शरीफ : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण भारत में कितनी किस्मों के रेशम का उत्पादन होता है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : साड़ियां, स्कार्फ/स्टाल, परिधान सामिग्री जिसमें जरी, शिफान, जार्जट आदि शामिल हैं तथा गृह सज्जा वस्त्रों की लोकप्रिय किस्में दक्षिण भारत में बनाई जाती हैं।

विद्युत चालित करघा जाँच समिति

3043. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत चालित करघा जांच समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें मुख्यत: क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) . शक्ति-चालित करघा तथा हथकरघा बुनकर विभिन्न राज्यों में जिन तात्कालिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उनका शीघ्र आकलन करने तथा दोनों क्षेत्रों के सुचारू रूप से कार्यचालन के सम्बन्ध में उपाय सुझाने के लिए 24 जुलाई, 1972 को वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल के बारे में संभवत: पूछा गया है। ऐसी आशा है कि कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1972 के अन्त तक दे देगा।

Setting up of cotton textile corpoations

3044. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the names of the States where Cotton Textile Corporation have been set up; and

(b) the names of the States where Textile mills exists but no Corporation has been set up.

The Deputy minister in the ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Kerala.

(b) Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, J & K, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan, and West Bengal.

Inadequate arrangement of tobacco godowns in Andhra Pradesh

3045. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) Whether Government have received complaints from Andhra pradesh against the inadequate arrangements of tobacco godowns; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Minstry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कछार में रेयन कारखाने की स्थापना

3046. **श्री मती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या व्यापार का विचार कछार में एक रेयन कारखाना स्थापित करने का है क्योंकि उस क्षेत्र में कच्चा माल सरलता से उपलब्ध है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी नहीं ।

Take-over of Assam Textile Mill

3047. **Dr. Sankata Prasad** : Will the **Minister** of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Central Government have taken over the Assam Textile Mill; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Minister of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) There is no unit by the name of Assam Textile Mill in Assam.

(b) Does not arise.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मेंगनीज अयस्क का खान से ज्यों का त्यों निकाले गए रूप में व्यापार करना

3048. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज अयस्क का खान से ज्यों का त्यों निकाले गये रूप में व्यापार करने खनिज तथा धातु व्यापार निगम का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या लाभ हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । खनिज तथा धातु व्यापार निगम का विचार सीधे खान-मालिकों से स्वीकार्य स्वरूप का मैंगनीज अयस्क खरीदने और यदि आवश्यक हुआ तो निर्यात से पहले उसे सम्मिश्रित करने का है ।

(ख) प्रस्थापित व्यवस्था का उद्देश्य खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा खान मालिकों के बीच सीधे संपर्क स्थापित कराना है जिससे खनन उद्योग में स्थिरता लाई जाये और मैंगनीज अयस्क का उत्पादन बढ़ाया जाये ।

तीस्ता पुल की मरम्मत

3049. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियरों ने तीस्ता पुल की मरम्मत कर दी है जिसे पाकिस्तान की सेना ने लौटते समय नष्ट कर दिया था तथा क्या उसे यातायात के लिये खोल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मरम्मत पर कितनी लागत आई ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 15.85 लाख रुपये ।

Nationalised Mills Running at profit.

3050. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of nationalized cloth mills in the country at present; and

(b) the number of mills which are running at profit ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A.C. George) : (a) No cloth mill in the country has been nationalised so far.

(b) Does not arise.

Price of Stapple Yarn.

3051. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the action being taken by Government to give relief to weavers from the increase in prices of staple yarn; and

(b) whether any steps are being taken by Government to reduce its prices and if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A.C. George) : (a) & (b) Government have impelled the Man-Made Fibre Spinners Association to distribute Staple Fibre Yarn manufactured by their member Mills through the Director of Industries at fixed prices.

खिलौना निर्माताओं को अपने उद्योग भारत में स्थानान्तरित करने हेतु राजी करने के लिए जापान और हांगकांग को भारतीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जाना

3052. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निवेश केन्द्र ने हाल ही में, खिलौना निर्माताओं को अपने उद्योग भारत में, जहां मजूरी कम है, स्थानान्तरित करने हेतु राजी करने के लिए, एक प्रतिनिधिमंडल जापान, हाँगकांग और सिंगापुर को भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का प्रतिनिधिमंडल भेजने से पूर्व सरकार की अनुमति मांगी गई थी और प्राप्त कर ली गई थी;

(ग) क्या प्रतिनिधिमंडल को सफलता मिली थी; और

(घ) इस प्रस्ताव के बारे में देशी खिलौने निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज): (क) से (घ) भारतीय निवेश केन्द्र को खिलौनों तथा सजावटी वस्तुओं के विषय में भारत की निर्यात-क्षमता का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था, तथा उन हालात का अध्ययन करने और उन मुख्य बातों का पता लगाने के लिए जिनके कारण जापान, हांगकांग और सिंगापुर प्रमुख खिलौना निर्माता देश बन गये हैं, भारत

सरकार की मंजूरी से उन देशों को एक सर्वेक्षण दल भेजा गया था। वहां के खिलौना निर्माताओं से भारत में अपने एकक ले जाने के बारे में बातचीत करने का न तो इस दल को अधिकार दिया गया था और न उसने इस बारे में कोई बातचीत ही की। दल को तथ्यों का पता लगाने का गवेषण कार्य ही करना था। इसके प्रारम्भिक निष्कर्षों से भारतीय खिलौना निर्माता संगम को अवगत करा दिया गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने की संभाव्यताओं का पता लगाने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है।

विदेशों में संयुक्त उद्योगों में पूंजीनिवेश के लिए गारन्टी

3053. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने में होने वाले जोखिम को वहन करने के लिए विदेशी पूंजी-निवेश गारन्टी भेजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई देशों में पूंजी-निवेश नीति को उदार बनाना

3054. **श्री के० बालदन्डायुतम :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई देशों से भारतीय पूंजी निवेश संबंधी नीति को उदार बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो नीति को किस प्रकार बनाया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). भारत सरकार सभी देशों में औद्योगिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए भारतीय उद्यामिओं को प्रोत्साहित करती है। इस संबंध में सरकार की नीति विदेशों में ऐसे उद्यम स्थापित करने के लिए निर्धारित सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत जिसकी एक प्रति संलग्न है, सन्निहित है।

"विवरण"

संयुक्त विदेशी औद्योगिक उद्यमों में भारतीय साझेदारी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

सामान्यत: भारतीय पार्टियों को अल्पांश के आधार पर भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि भारतीय पार्टियों को विदेशों में अधिकांश अधिकृत पूंजी के लिए अनुरोध नहीं करना चाहिए लेकिन यदि विदेशी पार्टियां तथा विदेशी सरकार भारत के अधिकांश आधार पर भाग लेने को स्वीकार करने के लिये तैयार हों तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सरकार विदेशों में स्थानिक पार्टियों के साथ सहयोग के पक्ष में है; जहां कहीं भी व्यवहारिक हो स्थानिक विकास बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा स्थानीय सरकारों के साथ भी सहयोग के पक्ष में है।

2. केवल विदेश में कम्पनों की स्थापना करने के लिए प्रारम्भिक व्यय के लिए आवश्यक अटप राशियों के अलावा अन्य नकद राशि बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

3 भारतीय साझेदारी, नये उद्यमों के लिए अपेक्षित देशी मशीनें, उपस्कर, तकनीकी जानकारी आदि देने के रूप में होनी चाहिए । संरचना संबंधी सामग्री इस्पात मदों, निर्माण सामग्री संघटकों आदि के मूल्य की पूंजी में शामिल करने की अनुमति नहीं है । परन्तु यदि मशीनों आदि का मूल्य उपयुक्त स्तर पर आवश्यक पूंजी को पूरा करने में कम पड़ जाता है और केवल पूंजीगत माल के निर्यात से भारतीय अंश पूंजी का जो स्तर स्थापित होगा उससे अधिक ऊंचे स्तर पर भारतीय पूंजी अंश को रखना आवश्यक है तो ढांचों, इस्पात की मदों तथा निर्माण सामग्री (किन्तु संघटक नहीं) को उस हद तक शामिल करने के प्रश्न पर गुणावगुण के आधार पर विचार करने पर कोई रूकावट नहीं होगी, जिस हद तक कि उस विशेष परियोजना के लिये भारतीय पूंजी को पूरा करने के लिये इन चीजों की आवश्यकता है ।

4. भारतीय निवेश के बदले निर्यातित मशीनें भारतीय मेक की होनी चाहिए, किसी भी पुरानी अथवा नवीकृत मशीन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5. ईक्विटी पूंजी के बदले निर्यातों पर सामान्य आयात प्रतिपूर्ति दी जायेगी जैसे कि पंजीकृत निर्यातकों हेतु आयात नीति के अंतर्गत निर्यातकों को प्राप्त है ।

6. भारतीय ईक्विटी के बदले निर्यातित मशीन, तथा उपस्कर पर नकद सहायता, यदि अन्यथा अनुभेय हो दी जाएगी तथापि इसकी अधिकतम सीमा जहाज पर कीमत का 10 प्रतिशत होगी ।

7. भारतीय उद्योगपतियों को जहां तक व्यवहारिक हो, आद्योप्रान्त प्रायोजना के लिए प्रस्थापना रखनी चाहिए क्योंकि इससे विदेशी निवेशकर्ताओं के उत्तरदायित्व कम हो जायेंगे ।

8. भारतीय पार्टियों को यथा संभव विदेशी पार्टियों के साथ करारों में यह व्यवस्था करनी चाहिए कि निवेश के देश के राष्ट्रिकों को भारत में प्रशिक्षण सुविधा दी जायेंगी ।

Research Centres for Expansion of Tea Plantation in U. P.

3055. Dr. Sankata Prasad : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to **state :**

(a) whether Government of Uttar Pradesh have asked for setting up of two research centres for the expansion of tea plantations and for development of the neighbouring plains ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) & (b) No request has been received from the Uttar pradesh Government in the matter. However the Tea Board is considering a proposal to set up a demonstration-cum-multiplication centre in the Pithoragarh District of Kumaon hills where short term and long term trials will be undertaken to assess suitable clonel planting materials for that region.

Fall in cotton prices in Madhya Pradesh

3056. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government are aware about the fall in cotton prices in Madhya Pradesh;

(b) if so, how the cotton prices in the month of March, 1972 compare with the prices prevailing in the month of March, 1971;

(c) the total production of cotton in Madhya Pradesh and the annual losses likely to be suffered by farmers as a result of fall in cotton prices and the reasons therefor, and

(d) the steps taken by Government to restore the prices to the previous level ?

The Deputy Minister in the Ministry of foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) Average price of cottion in Madhya Pradesh in March 1972 was about Rs. 2/4 per quintal in terms of Kapas as against Rs. 220 per quintal in March, 1971.

(c) & (d). Estimated cotton production during the current cotton season in Madhya Pradesh is about 6 lakh bales. In order to ensure remunerative prices to the cotton grower, Cotton Corporation was called upon to undertake price support purchases of cotton all over the country at specitied prices suggested by a Working Group. The price fixed for certified cotton grown in Madhya Pradesh was Rs. 220 per quintal in terms of kapas. The Corporation has made purchases in Madhya Pradesh through Farmers Cooperative Societies in consultation with the State Government to give remunerative prices to the cotton growers.

Take over of foreign Plantations.

3057. Shri Dhan Shah Pradhan :
Shri M. S. Purty :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Governnment have under consideration any proposal to take over foreign plantations; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) & (b).

There is no proposal to take-over foreign plantations in India by Government of India. However, a draft ordinance from the Kerala State Government for the take-over of foreign owned plantations in Kerala is still under examination.

Changes in Bansagar Project

***3058. Shri Dhan Shah Paadhan** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to effect certain changes in the proposed Ban Sagar project,

(b) whether Government also have under consideration a proposal to raise water-level of the project in the hill area near Govindgarh, with a view to bring more area under irrigation, and

(c) if so, the salient features thereof and the decisions taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) The Madhya Pradesh Government have proposed the Bansagar Project on river Sone for acceptance by the Planning Commission for inclusion in the developmental plans of Madhya Pradesh.

The Government of Uttar Pradesh have been urging that the Bansagar Project is the only source of irrigation to the famine stricken plateau areas in Mirzapur district and that the Bansagar proposed by the Madhya Pradesh Government should be modified to make provision of irrigation in this area also.

The Government of Bihar have protested against the Bansagar Project as proposed by the Government of Madhya Pradesh involving diversion of the Sons waters to the Tons river in another basin, on the ground that it will affect the large irrigation system in Bihar from the Sone Lower down where the position of supplies is stated to be already critical. Discussions on the project have been held with the three States and efforts continue to be made to lvolve proposals which might be acceptable to all the three States.

(b) & (c). No proposal to raise the reservoir level as proposed in the project report is under consideration,

पाटलकाष्ठ के निर्यात पर प्रतिबन्ध

3059. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाटलकाष्ठ के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को हटाने पर विचार करेगी ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) रोजबुड (डल्बर्जिया लेटीफोलिया) धीरे धीरे उगने वाला पेड़ है। इसका निर्यात प्रत्येक वर्ष के निर्धारित सीमित मात्रा के भीतर विनियमित किया जाता है जिससे इस जाति के ह्रास तथा अन्ततः समाप्त हो जाने को रोका जा सके, साथ ही वेनियरिंग तथा प्लाईवुड उद्योग की बढ़ती हुई आन्तरिक मांग को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) जी नहीं।

राज्यपालों द्वारा विशेष रेलवे सैलूनों का उपयोग

3060. **श्री भोला मांझी** : क्या **रेल मन्त्री** राज्यपालों के लिए विशेष रेलवे सैलून के बारे में 28 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1273 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969, 1970 और 1971 में राज्यपालों ने कितनी-कितनी बार (तिथि-वार) विशेष सैलूनों का उपयोग किया ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) :

राज्यपाल का नाम	सैलूनों का जितनी बार उपयोग किया गया उसका तारीखवार ब्यौरा					
	1969		1970		1971	
	कितनी बार	तारीख	कितनी बार	तारीख	कितनी बार	तारीख
मध्य प्रदेश के राज्यपाल	6	21/1, 13/2, 27/2, 31/5, 18/11 & 9/12	8	2/2, 12/2, 14/4 7/7, 12/11, 18/11 27/11 & 24/12	11	9/1, 7/3, 20/3 10/4, 13/6, 15/7 29/8, 24/9, 23/10 21/11 & 26/12
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल	2	4/9 & 17/11	6	6/2, 30/5, 7/6, 17/6, 19/6 & 7/20	2	28/7 & 18/8
उड़ीसा के राज्यपाल	2	19/6 & 28/9	4	16/5, 16/6, 19/7 —15/11	2	12/4 & 21/9

'अवकाश गृहों को लोकप्रिय बनाना'

3061. **श्री भोला मांझी** : क्या रेल मन्त्री रेलवे कर्मचारियों के लिए अवकाश गृहों में स्थान का आवंटन करने की प्रक्रिया के बारे में 16 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6358 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक अवकाश गृह में कमरों के कितने-कितने सैट (स्वोट) हैं;

(ख) रेलवे कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को कमरों के सैट अधिक से अधिक कितने दिन के लिए दिये जाते हैं;

(ग) क्या रेलवे कर्मचारी अवकाश गृहों का पूरा-पूरा उपयोग कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो अवकाश गृहों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां, मन्दी के दिनों को छोड़कर।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"विवरण"

क्रम सं०	अवकाश गृह का स्थान	प्रत्येक अवकाश गृह में कमरों के सैटों की संख्या।	रेल कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को अवकाश गृह देने के दिनों की अधिकतम संख्या*
1	लोनावाला	4	7 दिन
2	माथेरान	14 कमरे	7 दिन
3	इगतपुरी	6	15 दिन
4	पुरी (पूर्व रेलवे)	10	7 दिन
5	वैद्यनाथ धाम	4	10 दिन (गैर मौसम में 21 दिन)
6	राजगिरि	5	8 दिन (गैर मौसम में 21 दिन)
7	मसूरी (पूर्व रेलवे)	7	मई और जून में 15 दिन अन्यथा 21 दिन
8	शिमला	15	10 दिन
9	मसूरी (उत्तर रेलवे)	7	10 दिन

*इन अवकाश गृहों में केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को भी स्थान दिया जाता है बशर्ते कि रेल कर्मचारियों को देने के बाद स्थान उपलब्ध हो।

1	2	3	4
10	बड़ोग	4	10 दिन
11	श्री नगर	8	10 दिन
12	पहलगाम	7	10 दिन
13	शिलांग	4	3 दिन
14	मदुरै	5	10 दिन
15	काटल्लिम	3	10 दिन
16	मैसूर	2	10 दिन
17	कण्णनूर	2	10 दिन
18	रांची	18	30 दिन
19	पुरी (दक्षिण-पूर्व रेलवे)	4	7 दिन
20	बान्द्रा	10	15 दिन

मध्य प्रदेश में ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षण विभाग (रूरल इंजीनियरिंग सर्वे) द्वारा किये गये सर्वेक्षण

3062. श्री भोला मांझी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं और उक्त सर्वेक्षणों के क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री में (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च, 1972 में ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षणों के लिए एक स्कीम स्वीकृत की है । इन सर्वेक्षणों को बेतुल जिले में करने का प्रस्ताव है । इस स्कीम पर केन्द्रीय सरकार से शत-प्रतिशत सहायता से खर्च किया जाएगा । 1971-72 और 1972-73 के वर्षों के लिए 6,19,000 रुपये की एक अनुदान सहायता पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है ।

कृषि स्नातकों को सर्वेक्षण करने में पहले से ही प्रशिक्षित किया जा चुका है । इन्जीनियरी स्नातकों को बेतुल में प्रशिक्षित किया जा रहा है और प्रशिक्षण के शीघ्र ही खत्म हो जाने की संभावना है ।

इंजीनियरी स्नातकों के प्रशिक्षण के समाप्त होने के शीघ्र पश्चात् सर्वेक्षण कार्य हाथ में लिया जाएगा ।

साहेबपुर कमाल जंक्शन से मुंगेर घाट (पूर्वोत्तर रेलवे) तक रेलवे सेवा को पुनः चालू करना

3063. **श्री भोला मांझी :**
श्री शिव शंकर प्रसाद यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर साहेबपुर कमाल जंक्शन से मुंगेर घाट तक चार मील लम्बी रेलवे लाइन पर रेल सेवा बन्द किये जाने से जनता को हुई भारी असुविधा का सरकार को पता है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन पर रेल सेवा को यथाशीघ्र पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) साहेबपुर कमाल जंक्शन और मुंगेर घाट के बीच रेलवे लाइन के पुनःस्थापन का प्रश्न विचाराधीन है ।

सूडान मारीशस और नाइजीरिया में भारत निर्मित धूप के चश्मों की मांग

3065. **श्री धर्मराव शरणप्पा अफजल पुरकर :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान, मारीशस और नाइजीरिया में भारत निर्मित धूप के चश्मों की काफी मांग हैं; और

(ख) उन अन्य देशों के नाम क्या हैं जो भारतीय धूप चश्मों का आयात कर रहे हैं और इन देशों में प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) धूप के चश्मों का निर्यात अभी तक अन्य देशो को नहीं हुआ है तथा इसके परिणामस्वरूप कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं हुई है ।

नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार सम्वर्धन की सम्भावनाएं

3066. **श्री एम० कतामुतु :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों में विस्तार किये जाने की पर्याप्त सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन देशों के साथ व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। कुछ प्रमुख कदम निम्नोक्त हैं :—

(1) अनेक देशों के साथ व्यापार करार/व्यापार प्रबंध सम्पन्न किए गए हैं।

(2) व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कुछ देशों के संबंध में संयुक्त आयोग/संयुक्त समितियां गठित की गई है इन निकायों की संयुक्त बैठकों में पारस्परिक व्यापार के विस्तार और औद्योगिक सहयोग की संभावना वाले क्षेत्रों को अभिज्ञात किया जाता है।

(3) कुछ मामलों में ऋणों तथा आस्थगित भुगतान की सुविधाएं दी जाती हैं ताकि सम्बन्धित देश भारतीय माल खरीद सकें।

(4) पारस्परिक हित के व्यापार सम्बन्धी विषयों पर बातचीत करने के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजे जाते हैं और आमंत्रित किए जाते हैं।

(5) प्रदर्शनियों और प्रदर्शनों के माध्यम से दृश्य वाणिज्यिक प्रचार और व्यापार प्रचार किया जाता है।

(6) इन देशों में औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए भारतीय पार्टियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

(7) निर्यात कार्यविधि तथा तकनीकों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान सतत आधार पर गवेषणा कार्य करता है।

(8) सरकार के ध्यान में लाए गए कपटपूर्ण व्यापारिक हथकंडों के व्यक्तिगत मामलों की जांच की जाती है और सरकार द्वारा उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है।

सरकार द्वारा चालित कपड़ा मिलों के बारे में निर्यात सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

3067. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चालित कपड़ा मिलों के कार्यकरण की जांच करने के लिये नियुक्त की गई निर्यात सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) तथा (ग) समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अभी भी विचाराधीन है तथा इस अवस्था में रिपोर्ट की सिफारिशें प्रकट करना उचित नहीं होगा।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में रबड़ बागानों का विकास

3068. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में रबड़ के बागानों का विकास किये जाने की पर्याप्त सम्भावनाएं है; और

(ख) यदि हां, तो इस द्वीप समूह में रबड़ बागानों का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण अंडेमान में 1965-68 में स्थापित किए गए 203 हेक्टार के रबड़ बागान के प्रायोगिक प्रोजेक्ट का कटचल द्वीप में 2430 हेक्टार रबड़ बोने के लिए (जिसमें से 344 हेक्टार पर 1968-71 के दौरान रबड़ बोया गया) 1967 में मंजूर की गई एक अन्य परियोजना का वित्त पोषण रबड़ बोर्ड द्वारा किया जाता है। 1970 में तीन द्वीप समूह में दो-दो हेक्टार के प्रदर्शन भूखंड स्थापित किए गए। 7490 हेक्टार के लिए बन विभाग द्वारा तैयार की गई एक अन्य योजना विचाराधीन है। इन से द्वीप समूह में रबड़ उगाने में पर्याप्त दिलचस्पी पैदा हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बागान की फसलों के गहन विकास के लिए (जिसमें रबड़ विकास भी शामिल है) एक बागान निगम स्थापित करने की एक प्रस्थापना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में विचाराधीन है।

Allotment of Residential Quarter, to Assistant Station Masters in Ratlam and Kota Divisions (Western Railway)

3069. Dr. Laxminaran Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there are no Government residential quarters for Assistant Station Masters at several Stations on the Western Railway; and

(b) if so, the number of such Station in Ratlam and Kota Divisions ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Handing over of the Catering Arrangements to Cooperative Societies

3070. Dr. Laxminarayan Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether his Ministry propose to hand over the catering arrangements to Cooperative Societies in place of contractors: and

(b) if so, the salient features of the proposal and the decision taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) and (b). There is no proposal to hand over catering arrangements to Cooperative Societies in replacement of contractors.

However, whenever a catering and vending contract falls vacant, preference is given to suitable Cooperative Societies, Voluntary Organization, and Mahila Samities in the allotment of the contract.

Confirmation of Employees on Railways in Ratlam Division (Western Railway)

3071. Dr. Laxminarayan Pandey :
Shri Onkar Lal Berwe :

Will lhe Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of employees of Ratlam Division, Western Railway who have not been declared permanent even after completing more than three years of service;

(b) the policy in this regard and by what time they are likely to declared permanent;

(c) whether there are some employees who are tamporary even after putting in 20 years of service; and

(d) if so, the number thereof ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

भारत-ब्रिटेन व्यापार की वर्तमान व्यवस्था को वर्ष 1975 तक बढ़ाना

3072. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन के साथ वर्तमान व्यापार व्यवस्था को वर्ष 1975 तक जारी रखने के लिए किये गये अनुरोध के बारे में ब्रिटेन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या इस बारे में भारत सरकार और ब्रिटेन सरकार के बीच कोई बातचीत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). ब्रिटेन का 'समुदाय' का सदस्य बनने के फलस्वरूप भारत के निर्यातों के लिए आवश्यक संरक्षण उपायों के संबंध में 21 फरवरी, 1972 को ब्रिटिश सरकार को हमारे द्वारा दिये गये स्मरण-पत्र में हमने यह अनुरोध किया हैं कि ब्रिटेन में भारत के निर्यातों की प्रमुख मदों की वर्तमान व्यापार व्यवस्थाओं को अन्तरिम उपाय के रूप में तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि उनकी व्यापार संबंधी समस्यों के सन्तोषजनक हल न ढूंढ लिये जायें। समुदाय के विस्तारण के फलस्वरूप जिन वस्तुओं के बारे में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनके संबंध में शीघ्र ही परामर्श करने पर हमने स्मरण-पत्र में जोर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने अपने उत्तर में अन्य बातों के साथ साथ हमारे साथ बातचीत करने पर सहमति प्रकट की है। उसके अनुसरण में दोनों देशों के बीच जुलाई, 1972 में वार्ताएं हुई। ये वार्ताएं सितम्बर, 1972 में दोबारा आरम्भ की जाएंगी।

बिहार के गांवों में बिजली का पहुंचाया जाना

3073. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुँच जायेगी; और

(ख) चालू वर्ष में कितने गांवों में, जिलावार, बिजली पहुँचाये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) बिहार में 30.6.72 तक लगभग 8,400 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। बिहार के सभी ग्रामों को किस समय तक विद्युतीकृत कर दिया जाएगा, यह पांचवी योजना तथा इसके बाद की योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(ख) बिहार में 1972-73 के दौरान, 1750 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम है जिलावार ब्यौरा नीचे दिया जाता है ;—

पटना	150
गया	200
शाहाबाद	200
सारन	125
चम्पारन	60
मुजफ्फरपुर	250
दरभंगा	165
मुंगेर	250
भागलपुर	100
संथाल परगना	30
पूर्णिया	70
सहरसा	50
पालमऊ	40
हजारीबाग	25
धनबाद	10
सिंघभूमि	10
रांची	15
कुल	1,750

दिल्ली से मद्रास को राजधानी एक्सप्रेस चालू करना

3074. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से मद्रास को राजधानी एक्सप्रेस चलाने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल कर्मचारियों को सम्मिलित करने के लिये बोनस अधिनियम में संशोधन

3075. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोनस अधिनियम में रेलवे कर्मिचारयों को सम्मिलित करने हेतु उसमें संशोधन करने के सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारी महा संघ द्वारा की गई मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : 3 अगस्त, 1972 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न 64 के उत्तर में श्रम और पुनर्वास मंत्री द्वारा स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया गया है ।

बिजली की दरों में एकरूपता

3076 : **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में देश में बिजली की दरों में एकरूपता लाने के प्रश्न पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले पर कब चर्चा की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). देश में विद्युत की दरों में एकरूपता लाने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है । विद्युत की लागत विभिन्न तत्वों जैसे सप्लाई संसाधन. पारेषण तथा वितरण प्रणालियों की सीमा, व्यय की गई पूंजीगत लागत, लोड-अभिलक्षणों तथा अन्य स्थानीय स्थितियों पर भी निर्भर करती है । राज्य बिजली बोर्डो को अपने उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई करने के लिए अपनी दरें तैयार करने का अधिकार दिया हुआ है ताकि जहां तक व्यवहार्य हो उन्हें अपने कार्यों में हानि न उठानी पड़े । इस विषय पर मुख्य मंत्रियों का कोई सम्मेलन नहीं हुआ, परन्तु दस तथा ग्यारह मई, 1972 को हुए राज्य बिजली बोर्डो के अध्यक्षों के सम्मेलन में इस पर बातचीत की गई थी । सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई कि शुल्क दरों में तालमेल लाने के लिए राज्य उपयुक्त कार्रवाई करेंगे ताकि राज्यों में एक ही क्षेत्र में एक भांति के उपभोक्ताओं के दरों के बीच असमानता को कम किया जा सके । इस प्रकार क्षेत्रीय आधार पर दरों में एकरूपता लाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

केरल में काजू उद्योग में संकट

3077. **श्री वयालार रवि** :
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में काजू उद्योग में संकट को दूर करने के लिए केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). मई 1971 में केरल सरकार ने 15 बन्द काजू मिलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1.5 करोड़ रुपये का अनुदान तथा इतना ही ऋण मांगा था । केरल सरकार के इस अनुरोध पर उनके परामर्श से विचार किया गया तथा राज्य सरकार को इस बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा 20 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त केरल राज्य काजू विकास निगम को भी भारतीय काजू निगम द्वारा 20 लाख रुपये का ऋण दिया गया है ।

गीली भूसी के बारे में व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए केरल सरकार का अनुरोध

3078. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गीली भूसी का मूल्य नियंत्रण करने के कारण केरल सरकार द्वारा किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) केरल सरकार को सलाह दी गई है कि वह राज्य को उपलब्ध की गई गैर-योजना सहायता में इस व्यय को समायोजित करे।

Direct Rail Service from Kotdwara Railway Station

3079. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Railway** be pleased to state:

(a) whether direct rail service is not available from Kotdwara Railway station near Garhwal to any part of the country;

(b) if so, whether Government propose to connect the said Railway station with Delhi by direct rail service; and

(c) the time by which it would be done ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Direct rail service is available in the form of three through service coaches between Kotdwara and Delhi and one through service coach between Kotdwara and Varanasi.

(b) and (c). Do not arise.

उड़ीसा में माल डिब्बों की कमी

3080. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे माल डिब्बों की कमी के कारण उड़ीसा में भारी समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय में इस राज्य को उतने माल डिब्बों की सप्लाई नहीं की है जितनों की मांग की गई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो माल डिब्बों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) उड़ीसा राज्य में स्थित किसी भी उद्योग ने माल डिब्बों की कमी के कारण उत्पादन में गम्भीर व्यवधान होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट नहीं की है और न किसी उपभोक्ता ने ही मालडिब्बों की उपलब्धि में भारी कठिनाई होने की शिकायत की है।

(ख) मालडिब्बों की माँगें संतोषजनक रूप से पूरी की गयी हैं। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए माल डिब्बों की कम उपलब्धि के सम्बन्ध में कुछ अस्थायी कठिनाईयां महसूस की गयी हों, परन्तु जब कभी ऐसी कठिनाइयां रेलों के ध्यान में लायी गयीं तो उस समय विशेष

सहायता की गयी । मालडिब्बों की अस्थायी कमी विभिन्न समाज विरोधी गतिविधियों के फल-स्वरूप पूर्वी क्षेत्र में मालडिब्बों का भारी अवरोध तथा महत्वपूर्ण टर्मिनलों पर माल डिब्बों की निकासी की धीमी गति एवं टूट-फूट आदि के कारण यातायात स्थायी तौर पर अस्तव्यस्त हो जाने के परिणामस्वरूप हुई ।

(ग) सभी मांगों को तत्काल पूरा करने के लिए माल डिब्बों की सप्लाई बढ़ाने की दिशा में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं । अधिक माल डिब्बों को उपलब्ध कराने के लिए लदे माल डिब्बों को शीघ्र खाली करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों का सहयोग भी मांगा गया है । आर्डर दिये गये नये मालडिब्बों की शीघ्र सुपुर्दगी करने तथा और अधिक माल डिब्बों का आर्डर देने के सम्बन्ध में भी कदम उठाये गये हैं ।

दमदम को 'निर्बाध व्यापार क्षेत्र' घोषित करना

3081. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दमदम और उसके निकटवर्ती साल्ट लेक के क्षेत्र को निर्बाध व्यापार क्षेत्र' घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अफगानिस्तान से मेवे और ताजे फलों का निर्बाध-आयात

3082. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अफगानिस्तान से मेवे और ताजे फलों का निर्बाध आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच 1972-73 के लिए फरवरी मास मे हस्ताक्षर किये गये व्यापार समझौते में संशोधन किया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) 20 फरवरी, 1972 को नई दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच हस्ताक्षरित व्यापार करार के अंतर्गत अफगानिस्तान से मेवों तथा ताजे फलों के आयातों की व्यवस्था है जिनके बदले में भारत से निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात किये जायेंगे । व्यापार करार की एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) व्यापार करार में कोई संशोधन नहीं किया गया है परन्तु जैसा कि दिनांक 23 मई, 1972 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 958 के उत्तर में उल्लेख किया गया था, अफगानिस्तान को निर्यात तथा उससे आयात के संबंध में 20 मार्च, 1972 को जारी की गयी एक सार्वजनिक

सूचना के उपबन्धों का स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से भारत और अफगानिस्तान के अधिकारियों के बीच वार्ताएं हुई थीं। विचार विमर्शों के दौरान कतिपय कठिनाइयां भारतीय अधिकारियों के ध्यान में लाई गयी थीं।

इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए पहले जारी की गई सार्वजनिक सूचना को अतिक्रांत करते हुये 30 जुलाई, 1972 को एक नई सार्वजनिक सूचना जारी की गयी।

इरांगली परियोजना और हीराकुंड परियोजना के बाद नियन्त्रण पहलुओं के लिए मंजूर की गयी धनराशि

3083. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ब्राह्मणी नदी पर ढाकनाल जिले में इरांगली परियोजना और वैतरणी नदी पर क्योंझार जिले में हीराकुंड परियोजना के बाढ़ नियन्त्रण पहलुओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजना के लिए कोई धनराशि मंजुर की है; और

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). ब्राह्मणी पर रेंगली बांध और वैतरणी पर भीमकुंड बांध उड़ीसा की प्राथमिकता प्राप्त बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की सूची में सम्मिलित की गई हैं जिनके लिए केन्द्र ने 10 करोड़ रुपये की सीमा के साथ चालू योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान विशेष सहायता देना स्वीकार कर लिया है। स्कीमों के स्वीकृत होने और कार्य के कार्यक्रम के तैयार हो जाने के बाद सहायता दी जानी है। रेंगली परियोजना रिपोर्ट केन्द्र में जांच के लिए हाल ही में प्राप्त हुई है और राज्य सरकार द्वारा भीमकुंड परियोजना के सितम्बर, 1972 के अन्त तक तैयार हो जाने की संभावना है।

आस्ट्रेलिया की प्राथमिकता प्राप्त प्रशुल्क योजना के अन्तर्गत वस्तुओं के कोटे में वृद्धि

3084. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया को गये एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने आस्ट्रेलिया की सरकार से अन्य विकसित देशों के लिये आस्ट्रेलिया की प्राथमिकता प्राप्त प्रशुल्क योजना के अन्तर्गत वस्तुओं के कोटे में वृद्धि करने के लिये कहा है;

(ख) क्या प्रतिनिधि मंडल ने, भारत को आस्ट्रेलिया की चिकनी ऊन के निर्यात में वृद्धि करने की सम्भावना पर भी आस्ट्रेलिया के ऊन आयोग से बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो उस पर आस्ट्रेलिया की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय भारतीय वाणिज्य व उद्योग चेम्बर फैडरेशन द्वारा प्रायोजित भारतीय व्यापार और आर्थिक प्रतिनिधि मंडल से है जिसने 7 से 13 मई 1972 तक पर्थ में आयोजित एशियाई वाणिज्य व उद्योग चैम्बर परिसंघ के चतुर्थ सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात् आस्ट्रेलिया के अन्य व्यवसायी केन्द्रों का दौरा किया था । इस प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन को हाल में ही प्रकाशित कर दिया गया है । इस प्रतिवेदन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि प्रतिनिधि मंडल ने आस्ट्रेलिया की सरकार से आस्ट्रेलिया की अधिमानी टैरिफ योजना के अन्तर्गत कम विकसित देशों के माल के लिए कोटा बढ़ाने के संबंध में अनुरोध किया है ।

अपने दौरे के दौरान, प्रतिनिधि मंडल ने और बातों के साथ साथ ऊन आयोग के साथ बातचीत की और उसे ऐसा आभास मिला कि आस्ट्रेलिया भारत को अधिक मात्रा में कच्ची ऊन निर्यात करना चाहता है । कच्ची ऊन को साधित करना श्रम-प्रधान व्यवसाय है । अतः मानव-शक्ति की कमी होने के कारण, आस्ट्रेलिया अधिक बड़ी मात्राओं में या तो कच्ची ऊन सीधे भारत को निर्यात करने या उसे वूल टाप्स, धागे, बुने हुए फैब्रिक्स और फंदा बुनाई वाले कपड़े में बदलने की संभाव्यताओं का पता लगाना चाहता है । प्रतिनिधि मंडल को यह मालूम हुआ है कि ऊन आयोग इन संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजने और कच्ची ऊन को साधित करने के लिए भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए भी उद्यत है जिसमें उनको आस्ट्रेलिया सरकार का समर्थन मिलेगा ।

अलाभकारी रेल लाइन समिति की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना

3085. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री रोहन लाल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में उपरोक्त समिति ने वर्ष 1970 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में गुजरात में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) सरकार ने कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) समिति ने गुजरात में छोटे आमान की चार लाइनों को जिनके नाम हैं (i) छोटा उदयपुर-प्रताप नगर, (ii) छूछापुरा-तंखाला, (iii) अंकलेश्वर-राजपीपला और (iv) बिलीमोरा-बघई, बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण करने की सिफारिश की है ।

(ख) छोटा उदयपुर-प्रताप नगर और छूछापुरा-तंखाला लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ।

सरकारी क्षेत्र के निगमों और वस्तु सम्बन्धी बोर्डों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिये दल

3086. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्थम :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा उस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में सरकार क्षेत्र के निगमों और वस्तु सम्बन्धी बोर्डों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिये छः मूल्यांकन दल स्थापित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक दल के निर्देशपद और सदस्यों के नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) मूल्यांकन दलों की स्थापना निम्नलिखित निगमों/वस्तु बोर्डों के कार्यों का एक तुरंत सर्वेक्षण करने के लिये तथा इस बात का आकलन करने के लिये कि हमारे लक्ष्य किस सीमा तक पूरे हुए हैं और किस दिशा में इन संगठनों को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है, और साथ ही उनके कार्य-निष्पादन को सुधारने के तरीकों के विषय में सुझाव देने के लिए की गई है। प्रत्येक निगम/वस्तु बोर्ड के वास्ते मूल्यांकन दलों में निम्नलिखित कार्मिक शामिल हैं .—

(1) **राज्य व्यापार निगम**

(1) श्री मो० यूनुस,
विशेष सचिव,
विदेश व्यापार मंत्रालय।

(2) श्री के० किशोर,
संयुक्त सचिव,
विदेश व्यापार मंत्रालय।

(2) **खनिज तथा धातु व्यापार निगम**

(1) श्री के० टी० सतारावाला,
विशेष कार्याधिकारी,
विदेश व्यापार मंत्रालय।

(2) श्री बी० डी० कुमार,
संयुक्त सचिव,
विदेश व्यापार मंत्रालय।

(3) तथा (4) **राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा भारतीय रूई निगम**

(1) श्री वाई० टी० शाह,
अपर सचिव,
विदेश व्यापार मंत्रालय।

(2) श्री पी० एन० कपूर,
वस्त्र आयुक्त।

(5) तथा (6) **चाय बोर्ड तथा काफी बोर्ड**

(1) श्री के० टी० सतारावाला,
विशेष कार्याधिकारी,
विदेश व्यापार मंत्रालय ।

(2) श्री के० एस० नारंग,
संयुक्त सचिव,
विदेश व्यापार मंत्रालय ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में बिना टिकट यात्रियों का पकड़ा जाना

3087. श्री अरविन्द नेताम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1971 से 30 जून, 1972 तक दक्षिण पर्व रेलवे पर कितने बिना टिकट यात्री पकड़े गये; और

(ख) इस अवधि में सरकार ने उनसे जुर्माने के रूप में कितनी राशि वसूल की ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 1,52,495

(ख) 11,14,016 रुपये ।

Non-payment to Agent of Mandavi Out-Agency, Ajmer Division (Western Railway)

3088. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Railway Department has not made payments to the agent of Mandavi Out-Agency, Ajmer Divison (Western Railway) from February, 1971 onwards;

(b) whether the said agent has also withheld the entire revenue collected through the Out-Agency from February, 1971 onwards;

(c) if so, the amount of arreais to be realised from the said agent by the Railways and vice-versa;

(d) the reasons for the present state of affairs; and

(e) whether the Railway Department propose to get the whole matter investigate by the Vigilance Department ?

The Minister of Railway (Shri T.A. Pai) : (a) Yes.

(b) Except for the period from 1.10.71 to 5.11.71 the out agent has not remitted the Out Agency earnings to the Railway from February, 1971 to July, 1972.

(c) The amount of arreas to be realised from the Out Agent by the Railways upto 10.7.72 is Rs. 86,714.67 P. The amount claimed by the Out Agent is Rs. 58,870.51 P. upto June, 1972 which includes claime for a number of old disputed items pertaining to the period prior to February, 1971.

(d) The Out Agent stopped remitting the railway earnings from February, 1971 on the plea that payment of his earlier bills had either been delayed or not made in full. The non-payment of his earlier bills was due to the fact that the bills were either not made out properly or were not supported by the necessary documents.

(e) The matter is already under enquiry by the Vigilance Department.

अधिकारियों को स्थाई बनाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति

3089. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेल मंत्री रेलवे विभाग में 1957 में अस्थाई अधिकारी और विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के बारे में 21 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमशः 886 और 976 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा स्थाई पदोन्नति के लिए चयन किये गये तीसरे अधिकारी का नाम क्या है, और उसकी स्थाई नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या 17 अगस्त, 1971 के बाद विभागीय पदोन्नति समिति की कोई बैठक हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसकी बैठक कब तक होगी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) स्थायी नियुक्ति के लिए चुना गया तीसरा अधिकारी सतर्कता विभाग की ओर से निर्वाधन प्राप्त हो जाने पर अधिसूचित कर दिया जायेगा। अभी से अधिकारी का नाम अथवा सही-सही कारण बनाना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) जी हां। यह बैठक 18-7-1972 को हुई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमृतसर से बम्बई जाने वाली निर्यात विशेष मालगाड़ी की सेवा में वृद्धि का प्रस्ताव

3090. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर से बम्बई जाने वाली निर्यात विशेष एक्सप्रेस मालगाड़ी निर्यातकों में बहुत लोकप्रिय है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाड़ी की सेवा में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाइ) : (क) और (ख). जी हां, लेकिन इस समय जितनी मात्रा में यातायात आना है इससे साप्ताहिक निर्यात स्पैशल गाड़ी को और अधिक बार चलाने का औचित्य नहीं बनना। इस मामले की निरन्तर पुनरीक्षण की जाती है और जब और अधिक यातायात आने लगेगा तो इस गाड़ी को और अधिक बार चलाया जायेगा।

पूर्वोत्तर रलवे पर रेल डिब्बों के पटरी से बार-बार उतर जाने की घटनाओं को रोकने के किए दिए गये उपाय

3091. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण ईक्वलाइजिंग बीमों के खराब हो जाने और बीम टूट जाने के कारण पूर्वोत्तर रेलवे पर रेल डिब्बे अक्सर पटरी से उतर जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए रेलवे प्राधिकारियों ने क्या उपाय किये हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं। समकार शहतीर के टूटने के कारण 1971-72 और 1972-73 में (जुलाई, 72 तक) प्रत्येक वर्ष में, सवारी डिब्बों के पटरी से उतर जाने की एक-एक घटना हुई। इन दोनों मामलों में समकार शहतीर इस लिए टूट गये क्योंकि वे जीर्ण हो गये थे न कि इसलिए कि गाड़ियों में अधिक भीड़भाड़ थी।

(ख) छः सवारी डिब्बे, जिनमें लगे अमानक समकार शहतीर खराब हो गये थे, हटा लिये गये हैं और उनमें मानक समकार शहतीर लगाये जा रहे हैं तथा संरक्षा पट्टियों की भी व्यवस्था की जा रही है।

दस अलाभकारी रेल लाइनों का सर्वेक्षण

3092. श्री **नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलाभकारी शाखा लाइन समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण के लिए दस लाइनें चुनी हैं;

(ख) यदि हां, तो दस शाखा लाइनों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन लाइनों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाइ) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3473/72]

भाड़े और यात्रियों के यातायात की सुविधाओं का विस्तार करने के लिये कार्यकारी ग्रुपों द्वारा योजना बनाया जाना

3093. श्री **ई० वी० विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भाड़े और यात्रियों के यातायात की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए योजना बनाने हेतु कार्यकारी ग्रुप बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन ग्रुपों के निर्देश पद क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) रेल मंत्रालय में गठित तीन कार्यकारी दलों के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं :—

1. माल यातायात से सम्बन्ध कार्यकारी दल

इस कार्यकारी दल को 1978-79 के लिए उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रमुख वस्तुओं जैसे कोयला, तैयार इस्पात और कच्चा माल, निर्यात के लिए लोह अयस्क, सीमेंट, अनाज, उर्वरक पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक, रेलवे के सामान और अन्य सामान्य माल के सम्बन्ध में पांचवी योजना मे परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं का यथार्थ निर्धारण करना होगा। माल यातायात के सम्भावित विकास को वार्षिक आधार पर चरणबद्ध भी किया जा सकता है। इसके अलावा रेलों पर मीटरिक्टन किलो मीटर के हिसाब से कार्यभार में होने वाली वृद्धि का भी अनुमान लगाया जा सकता है। यातायात की आवश्यकताएं मालूम

करने के लिए जहां तक सम्भव है, प्रत्येक दिशा में होने वाले संचलन के स्वरुप का भी पता लगाया जा सकता है।

2. यात्री यातायात से सम्बद्ध कार्यकारी दल

कार्यकारी दल यात्री यातायात की (क) उपनगरीय यातायात और (ख) अनुपनगरीय यातायात की अलग-अलग आवश्यकताओं का निर्धारण कर सकता है। अनुपनगरीय यातायात के सम्बन्ध में ट्रंक एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर वर्तमान लम्बी दूरी की गड़ियों में भीड़-भाड़ की मात्रा और भीड़-भाड़ कम करने के लिए आवश्यक उपायों का निर्धारण भी किया जा सकता है। उप-नगरीय यातायात के सम्बन्ध में यह दल महानगर परिवहन और पांचवीं योजना के लिए बनाये गये कार्यक्रम के सम्बन्ध में चल रहे अध्ययनों के वर्तमान स्तर की समीक्षा भी कर सकता है।

3. रेलवे विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध कार्यकारी दल

यह दल चौथी योजना के अन्त तक निर्मित की जाने वाली सम्भावित क्षमता, पांचवीं योजना में अतिरिक्त यातायात की आवश्यकताएं प्रमुख मार्गों पर माल डिब्बों के सम्भावित अवरोध आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं, आदि को ध्यान में रख कर रेलवे विकास कार्यक्रम बना सकता है। इस दल को चौथी योजना के अवशिष्ट निर्माण कार्यों और अपेक्षित नये निर्माण कार्यों की जानकारी करनी चाहिए। यात्री टर्मिनलों, ट्रंक मार्गों की क्षमता में वृद्धि शीघ्र विद्युतीकरण और डीजलीकरण की गुंजाइश पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। यह आवश्यक होगा कि उपस्कर और चलस्टाक की आवश्यकताएं पूरी करने के उद्देश्य से उत्पादन क्षमता का विकास करने और अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अपेक्षित कार्यवाही को ध्यान में रखा जाये।

पूना स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत केन्द्र के प्रशासन के विरुद्ध आरोप

3094. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत केन्द्र के प्रशासन के विरुद्ध भाई-भतीजा-वाद, भ्रष्टाचार, संकीर्ण-स्थानीयता और पक्षपात के आरोप सम्बन्धी अनेक शिकायतें की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं; और

(ग) क्या इस मामले की जांच की गयी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). अनु-संधान केन्द्र के निदेशक के खिलाफ भाई-भतीजावाद, प्रान्तीयता और पक्षपात तथा वित्तीय और प्रशासकीय अनियमितताओं के लिए कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों की जांच की गई और इन्हें गलत पाया गया।

'विग' उद्योग के लिये कच्चे माल हेतु अभ्यावेदन

3095. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'विग' उद्योग में लगे व्यापारियों ने कच्चे माल के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो व्यापारियों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). विग बनाने के लिए आधारभूत कच्चे माल मानव केश हैं जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तथापि विग उद्योग में लगे हुए व्यापारियों की ओर से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली में 'विग' बनाने वाला कारखाना

3096. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि दिल्ली में 'विग' बनाना कुटीर उद्योग समझा जाता है;

(ख) क्या दिल्ली में एक 'विग' कारखाना स्थापित करने के लिए 'विग' निर्माताओं द्वारा मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) दिल्ली में विग निर्माण उद्योग अभी तो एक कुटीर उद्योग ही के समान ही प्रतीत होता है किन्तु यदि कोई मशीनें आदि से एकक को यंत्रीकृत करके संस्थापित कर दिया जाये तो इसके स्वरूप को बदला जा सकता है।

(ख) तथा (ग). यांत्रिक साधनों द्वारा विग निर्माण आरम्भ करने हेतु अभी हाल में दिल्ली प्रशासन को एक ग़ैर सरकारी पार्टी से एक प्रस्थापना प्राप्त हुई है जिस पर उनके द्वारा विचार किया जा रहा है।

तुगलकाबाद रेलवे यार्ड का नवीकरण

3097. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुगलकाबाद रेलवे यार्ड के नवीकरण के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). अभी तक इस निर्माण कार्य में 50 प्रतिशत प्रगति हुई है और इस काम के सितम्बर, 1973 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

Auction of Condemned Wagons in Rajasthan

3098. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer, to the reply given to Unstarfed question No. 3844 on the 25th April, 1972 regarding the auction of condemned Railway Wagons in Ajmer and state :

(a) the names of places where the condemned wagons were auctioned in Rajasthean, and

(b) the total quantity of Railway goods so auctioned at the places during the last three years as also the total amount of sales proceeds ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Ajmer (Madar) and Kota in Rejhathan State.

(b) The total number of wagons so auctioned at Kota and Ajmer (Madar) during the last three years—2269 Nos.

The total amount of sale proceeds-Rs. 74,82,500.00.

Electrification of Railway stations in Rajasthan

3099. **Shri Lalji Bhai** : will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway stations already electrified in Rajasthan; and

(b) the time by which the remaining stations are likely to be electrified ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) 183 railway stations in Rajasthan have already been electrified.

(b) Of the remaining 361 stations, no electric supply is available in the neighbourhood of 352 stations which, therefore, cannot be electrified at present. The other nine stations are programmed to be electrified in 1972-73.

Electrification of Tehsil Headquarters in Rajasthan

3100. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of Tehsil headquarters in the various Districts of Rajasthan where electricity has been supplied to the farmers, and

(b) the time by which the farmers in the remaining Tehsil headquarters of various Districts are likely to be supplied with electricity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) & (b). Government of Rajasthan has given directive to the State Electricity Board to electrify all Tehsil Headquarters in that State. Out of 196 Tehsil Headquarters in Rajisthan, 179 have already been electrified. Sanction has been conveyed to electrify 9 more Tehsil Centres. Efforts are being made by the State Electricity Board to electrify the remaining eight Tehsil Centres as early as possible.

तापीय विद्युत संयंत्रों में सुधार करने के लिए सुझाव देने हेतु नियुक्त की गई सरकारी समिति की सिफारिशें

3101. **श्री के० बालदन्डायुतम** : क्या **सिंचाई और** विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तापीय विद्युत संयंत्रों में सुधार करने के सुझाव देने हेतु नियुक्त की गई सरकारी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किए हैं ?

सिंचाइ और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नही। समिति का गठन किया जा रहा है और यह अपना कार्य जल्दी ही चालू कर देगी।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

चाय एकाधिकार गृहों के बारे में पश्चिम बंगाल श्रम मन्त्री का प्रतिवेदन

3102. **श्री के० बालदन्डायुतम :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल श्रम मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को एक ब्यौरेवार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उन तरीकों का विवरण दिया गया हैं जिनसे कुछ एकाधिकार गृह भारत के चाय उद्योग पर नियन्त्रण रखते है, अत्यधिक लाभ कमाते हैं और विदेशों में विदेशी मुद्रा की बहुत बड़ी राशि जमा कर लेते हैं, और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Agreement for Export of Tobacco

3103. **Shri M. S. Purty :** will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state .

(a) whether any agreement for the export of tobaceo has been entered into with any new country during the current year; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) & (b) . Yes, Sir. A Trade Agreement between India and Bangladesh was signed in March 1972 which *inter-alia* provided for export to Bangladesh of unmanufactured tobacco of value Rs. 10 crores.

Demand for Glass Articles in Sudan and Nigeria

3104. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased state :

(a) whether there is sufficient consumption of Indian glass articles in Sudan and Mauritius and the demand for them is increasing; and

(b) if so, the amount of foreign exchange being earned on an average by India on this account ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) There is some demand of Indian glass articles both in Sudan and in Mauritius. While to Mauritius export in 1971-72 was of the order of Rs. 5.17 lakhs against export of Rs. 1.36 lakhs in 1970-71, to Sudan, export in 1971-72 has fallen to Rs. 3.29 lakhs from Rs. 7.04 lakhs in 1970-71.

(b) Average annual foreign exchange earned is estimated to be of the order of Rs. 3.77 lakhs on export to Sudan and Rs. 1. 40 lakhs on export to Mauritius during the last 3 years.

Demand for Indian Plastic Frames

3105. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether there is a substantial demand for Indian plastic frames in Britain; and

(b) if so, the amount of foreign exchange being earned on an average by India on the account ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Yes. Sir. There is a good scope for spectacle frames in the U. K. Market.

(b) The amount of foreign exchange earned on this account during the last three years has ranged between Rs. 4 lakhs and Rs. 6 lakhs.

कृषि पर बिजली का शुल्क बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से दबाव

3106. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान तमिलनाडु के मुख्य मंत्री और आंध्र प्रदेश के अन्य मंत्रियों के समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार उन पर कृषि के लिए बिजली का शुल्क 16 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ा देने के लिए दबाव डाल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने "डीप लिफ्ट" सिंचाई क्षेत्रों के किसानों पर पड़ने वाले इस वृद्धि के प्रभाव पर विचार किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) और (ख). जी, नहीं । प्रश्न में निर्दिष्ट तमिलनाडु के मुख्य मंत्री अथवा आंध्र प्रदेश के अन्य मंत्रियों द्वारा दिए गए तथाकथित बयानों की सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । कृषि के लिए विद्युत शुल्कों को 16 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ाने के लिये राज्यों को कोई निर्देश भी जारी नहीं किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश से उनकी मुख्य सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं में सहायता करने का अनुरोध

3107. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी मुख्य सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई विशेष अतिरिक्त सहायता दिये जाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंजनाथ कुरील): (क) और (ख). आंध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुनसागर तथा लोअर सिलेरू परियोजनाओं के लिए विशेष अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध किया है । बहरहाल, ऐसी कोई सहायता प्रदान करना सभव नहीं था।

अनिवार्य निर्यात दायित्व

3108. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री निहार लास्कर :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के औद्योगिक एककों पर अनिवार्य निर्यात दायित्व योजना लागू करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात सरकार ने ऐसी मिलों पर निर्यात दायित्व डालने का सिद्धांत रूप में विनिश्चय कर लिया है जो निर्यात योग्य कपड़ा तैयार करने के लिए प्रोद्यौगिकीय दृष्टि से सुसज्जित हैं। इस संबंध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। अन्य उद्योगों पर अनिवार्य निर्यात दायित्व डालने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कडप्पा से सप्लाई किये जाने वाले बेराइट को ढोने के लिए वैगन

3109. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मात्रा में बेराइट, जिसमें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को ठेके पर सप्लाई किये जाने वाला बेराइट भी शामिल है, महीनों से कडप्पा और आन्ध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के अन्य स्टेशनों पर रुका पड़ा हैं; और

(ख) क्या भारी मात्रा में इकट्ठे हो गये स्टाक को उठाने के लिए पर्याप्त संख्या में वैगन सप्लाई करने के लिए कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मन्त्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) कडप्पा स्टेशन पर बेराइट के लिए कुछ बकाया माँगें पड़ी हैं क्योंकि अधिकांश मांग उन गन्तव्य स्टेशनों के लिए है जिनके लिए मालडिब्बों का कोटा निर्धारित है। सबसे पुरानी बकाया मांग लगभग तीन महीने पुरानी है। अब कभी भी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सहायता की मांग की, तभी बक्सर उसके लिए बेराइट की ढुलाई की तदर्थ व्यवस्था की गयी है।

(ख) कडप्पा सहित गुंतकल्लु मंडल के स्टेशनों से बेराइट का लदान अप्रैल, 1972 के 135 मालडिब्बों से बढ़ाकर जून में 228 और जुलाई, 1972 में 229 मालडिब्बे कर दिया गया है। कडप्पा से बेराइट का लदान अप्रैल के 12 मालडिब्बों से बढ़ाकर जून में 14 मालडिब्बे और जुलाई में 26 मालडिब्बे कर दिया गया। लदान का काम और तेज करने के लिए हिदायतें जारी कर दी गयी हैं।

आंध्र प्रदेश में व्हील और एक्सल संयंत्र की स्थापना

3110. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में व्हील और एक्सल संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है?

(ख) यदि हां, तो क्या चित्तौन जिले के पकाला स्थान पर इसे स्थापित करने की उपयुक्तता का अध्ययन करने का सरकार का विचार हैं जहां पर्याप्त भूमि और अन्य बुनियादी ढांचे से सम्बन्धित सुविधा पहले से ही रेलवे के पास है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या औद्योगिक रूप से पिछले क्षेत्र में इसे स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाइ) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय फिलहाल एक पहिया और धुरा संयंत्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रहा है। इस समय संयंत्र के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सभी सम्बद्ध पहलुओं की सविस्तार जाँच कर लेने के बाद विनिश्चय किया जायेगा। इन पहलुओं में यह प्रश्न भी शामिल रहेगा कि प्रस्तावित परियोजना के लिए कौन सी जगह उपयुक्त होगी।

बंगलौर के कर्नाटक कारपोरेशन के श्री तलसियन को पटसन की गांठों के निर्यात का लाइसेंस

3111. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर की एक प्राइवेट फर्म कर्नाटक कार्पोरेशन के श्री तुलसियन को, जिसमे मैसूर सरकार के 17 प्रतिशत शेयर हैं, हाल ही में पटसन की एक लाख गांठें निर्यात करने के लाइसेंस दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) कच्चे पटसन के निर्यात के लिए एस० के० तुलसियन को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। तथापि, बंगलौर की कर्नाटक एक्सपोर्टस लि० को कच्चे पटसन की एक लाख गांठों के निर्यात के लिए लाइसेंस दिया गया है।

ऊन का आयात और ऊन की सफाई करने सम्बन्धी लाइसेंसों को जारी करना

3112. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक प्रति वर्ष कितने मूल्य की और कितनी मात्रा में ऊन का आयात किया गया;

(ख) अभी हाल में पंजाब और हरियाणा की कुछ पार्टियों को तीस लाख किलोग्राम ऊन की सफाई करने सम्बन्धी लाइसेंस सरकार ने जारी किये है; यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम और अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि ऊन की सफाई करने सम्बन्धी लाइसेंस देने के मामले में कुछ पार्टियों के प्रति विशेष रूप से पक्षपात किया गया, यदि हां, तो उस बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लुधियाना, अमृतसर और जालंधर के कुछ लोगों और फर्मों ने बिना किसी प्राधिकार के गैर-कानूनी ढंग से अपने करघों की संख्या बढ़ा ली थी; और

(ङ) क्या इन अनधिकृत करघों को नियमित करने के लिए सरकार ने अभी हाल में कार्यवाही की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) आयातित कच्चे ऊन की मात्रा तथा मूल्य इस प्रकार हैं :—

वर्ष	(मात्रा कि० ग्रा०/लाख) मात्रा	(मूल्य रु०/लाख) मूल्य
1969-70	184	1,648
1970-71	190	1,509
1971-72 (जनवरी, 72 तक)	140	995

(ख) देश में ऊन साफ करने की वास्तविक कुल क्षमता 390 लाख पौण्ड है। गत कुछ वर्षों में ऊन के बुने वस्त्रों के निर्यातों में उत्तरोत्तर तीव्र वृद्धि के कारण यह क्षमता अपर्याप्त रही। ऊन साफ करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए 1969 में एक विनिश्चय दिया गया था। एक अन्तः मंत्रालय उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर लाइसेंस समिति ने 220 लाख पौंड की अतिरिक्त सफाई क्षमता की स्वीकृति दी। इसमें से पंजाब की निम्नलिखित पार्टियों को 60 लाख पौंड ऊन सफाई के लाइसेंस मंजूर किये गये हैं। हरियाणा को कोई ऊन-सफाई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

1. मैसर्स ओसवाल वूलन मिल्स, लुधियाना	...	25 लाख पौण्ड
2. मैसर्स अनिल वूल कोम्बर्स, लुधियाना	...	10 ,, ,,
3. मैसर्स मोडेला वूलन मिल्स, चंदीगढ़	...	10 ,, ,,
4. मैसर्स एम० एच० कोम्बर्स, अमृतसर	...	8 ,, ,,
5, मैसर्स एशियन कोम्बर्स, लुधियाना	...	7 ,, ,,

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां। ऐसे अनधिकृत पावरलूम प्रेस नोट के अन्तर्गत दी गयी स्कीमों के अधीन 1960 और 1966 में नियमित किए गए थे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स सिक्यूरिटि प्रिन्टर्स आफ इण्डिया द्वारा आयात लाइसेंस का दुरुपयोग

3113. श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्स सिक्यूरिटि प्रिन्सर्स आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर को, जो मैटल बाक्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी है, दिये गये 15 लाख रुपये की कीमत के आयात लाइसेंसों का उसने दुरुपयोग किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कम्पनी के विरुद्ध लगाये गये आरोप की जांच की थी ;

(ग) यदि हां, तो यह जांच किस के द्वारा की गई थी ;

(घ) जांच के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ङ) यदि अभी तक कोई जांच नहीं की गई है तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में और विस्तृत जांच करवाने का है।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज): (क) मैसर्स सिक्यूरिटी प्रिन्टर्स आफ इन्डिया लि०, कानपुर के खिलाफ 7.75 लाख रु० के कुल मूल्य के आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के बारे में आरोप प्राप्त हुए हैं।

(ख) आवश्यक जांच की जा रही है।

(ग) इस समय उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश के जरिये जाँच की जा रही है।

(घ) निष्कर्षों की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मार्टिन लाइट रेलवे को पुनः चालू करना

3114. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री समर गुह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में मार्टिन लाइट रेलवे को पुनः चालू करने, जो गत एक वर्ष से अधिक समय से बन्द है, के प्रश्न के सम्बन्ध में ठीक स्थिति क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाइ) : पश्चिम बंगाल की लाइट रेलों को फिर से खोलने की बात सिद्धान्त रूप में मान ली गई है। रेलवे लाइनों को फिर कब और कैसे खोला जायेगा इसका निर्णय रेल मंत्रालय द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

भारतीय रेलवे की टीम द्वारा विदेशों का दौरा

3115. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री के० लकप्पा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के एक सात-सदस्यीय दल ने अभी हाल में कुछ विदेशों का सात-सप्ताह का दौरा किया था ; और

(ख) क्या किसी परियोजना के लिए उक्त दौरा उपयोगी रहा और यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हाँ।

(ख) यह यात्रा भूगत रेल परियोजना, कलकत्ता के लिए उपयोगी थी। इस परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

(i)	संरेखण	दमदम से टालीगंज
(ii)	लम्बाई	16·5 किलोमीटर
(iii)	अनुमानित लागत	140 करोड़ रुपये
(iv)	निर्माण की अवधि	1972-73 से सात वर्ष
(v)	विदेशी मुद्रा	23·7 करोड़

(vi)	यात्री दिन	13 लाख
(vii)	निर्माण विधि	(1) काटना और ढंकना (2) बेधन सुरंग
(viii)	एक सिरे से दूसरे सिरे तक यात्रा-समय	32 मिनट
(ix)	किराया	अभी विनिश्चय नहीं किया गया है।

भारत-अफगान व्यापार समझौते का पुनरीक्षण

3116. श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनरीक्षित भारत-अफगान व्यापार समझौते को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1972-73 की अवधि के लिए भारत-अफगान व्यापार करार पर दिनांक 20 फरवरी, 1972 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे। 14 मार्च, 1972 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 113 के भाग (ख) के उत्तर में दिये गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिस में व्यापार करार की मुख्य बातों का उल्लेख किया गया था।

व्यापार करार में कोई संशोधन नहीं किया गया है परन्तु जैसा कि दिनांक 23 मई, 1972 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 958 के उत्तर में उल्लेख किया गया था, अफगानिस्तान को निर्यात तथा उससे आयात के सम्बन्ध में 20 मार्च, 1972 को जारी की गयी एक सार्वजनिक सूचना के उपबन्धों का स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से भारत और अफगानिस्तान के अधिकारियों के बीच वार्ताएं हुई थीं। विचार विमर्शों के दौरान कतिपय कठिनाइयां भारतीय अधिकारियों के ध्यान में लाई गयी थीं।

इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए पहले जारी की सार्वजनिक सूचना को अतिक्रांत करते हुए 30 जुलाई, 1972 को एक नयी सार्वजनिक सूचना जारी की गयी। व्यापार करार तथा सार्वजनिक सूचनाओं की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

भारत-रूस व्यापार करार

3117. श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री पम्पन गौडा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्त्रों के बारे में भारत और रूस के बीच करार हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सोवियत संघ के साथ हुए 1972 व्यापार सलेख में भारत से छपा हुआ सूती कपड़ा और अन्य सूती कपड़े के थान, सिले सिलाए परिधान, बिस्तर की चादरें, तौलिये और रूमाल, फंदा बुनन्ई वाला ऊनी माल और अन्य कपड़े के निर्यात की व्यवस्था है।

उपरोक्त के अलावा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई और वी/ओ एक्स-पीटल्जान, मास्को के बीच एक संविदा हुई है जिसके अनुसार सूती कपड़े और तौलियों में संपरिवर्तन करने और उनका निर्यात सोवियत संघ को करने के लिए सोवियत संघ द्वारा भारत को रूई दी जायेगी। भारत को रूई मुफ्त दी जायेगी और उसे सपरिवर्तन प्रभार मिलेंगे। इस सौदे में रोलर से छपी हुई छींट, छपी हुई साटिन, धुली हुई चादर, धुली हुई पापलीन और तौलिये जैसी मदें आती हैं।

रेलों में लगे सामान की चोरी

3118. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के कुछ वर्षों में रेलों में लगे सामान की चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में हुई ऐसी चोरियों से रेलवे को कुल कितनी हानि हुई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हाँ, कुछ हद तक।

(ख) देश के कुछ भागों, खासकर पूर्वी क्षेत्र, में कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी के कारण।

(ग) गत तीन वर्षों में रेलवे सामान और फिटिंग की चोरियों के कारण रेलवे को हुई कुल हानि नीचे बतायी गयी है :—

वर्ष	दर्ज किये गये मामलों की संख्या	सम्पत्ति की हानि (रु०)	बरामद की गयी सम्पत्ति (रु०)
1969	27,115	32,90,559	4,92,462
1970	30,379	47,01,729	6,88,545
1971	45,870	69,27,941	6,46,517
1972 (जून, 72 तक)	25,151	24,14,554	2,47,839

पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को उसकी ग्रामीण योजना के लिए ऋणों का रोका जाना

3119. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को उसकी ग्रामणी योजना के लिए मंजूर किए गए ऋणों की अदायगी रोक दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) जी, नहीं। अभी तक ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा पंजाब में ग्राम विद्युतीकरण के लिए कुल 17 स्कीमें स्वीकार की गई है। 12 स्कीमों के संबध में 366.712 लाख रुपये की ऋण राशि की प्रथम किस्त पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को दी जा चुकी है। राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कागजातों को प्रस्तुत करने से सम्बन्धित औपचारिकताओं के पूर्व होने पर निगम द्वारा अन्य स्कीमों के लिए धनराशि दी जाएगी।

भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के व्यापार समझौते का पुनर्विलोकन

3120. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मिस्र के बीच वर्तमान व्यापार और वाणिज्य की समीक्षा करने के लिए अभी हाल में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी;

(ख) क्या मिश्र के साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिए किसी नये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) भारत-मिश्र का अरब गणराज्य के वर्तमान व्यापार प्रबन्धों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए अप्रैल 1972 में काहिरा में मिस्र की अरब गणराज्य के साथ मध्यावधि व्यापार समीक्षा वार्ता हुई थी। इस वार्ता के दौरान कोई नया करार करने का प्रश्न नहीं था क्योंकि वर्तमान व्यापार प्रबन्ध 30 सितम्बर, 1972 तक वैध है।

तथापि, 1972-73 के लिए नये व्यापार प्रबन्ध के बारे में बातचीत करने के लिए सितम्बर, 1972 के पहले सप्ताह में मिश्र के एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल के भारत आने की आशा है।

प्राइवेट विद्युत प्रदाय संस्थान

3121. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्राईवेट विद्युत प्रदाय संस्थानों की कुल संख्या कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : देश में प्राईवेट विद्युत प्रदाय उपक्रमों की कुल संख्या 31-3-1972 को 133 थी जिनमें सहकारिताएं और प्राइवेट कम्पनियां शामिल है।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

3122. **श्री रामसहाय पान्डे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने अभी हाल में निर्यात व्यापार शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में निर्यात के लिए बनने वाली मुख्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों से क्रयादेश प्राप्त हुए है; और

(ग) अब तक कुल कितना निर्यात हो चुका है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) चितरंजन रेल इंजन कारखाने में निर्यात के लिए जो मुख्य वस्तुएं बनाई जाती हैं वे हैं ईरान को सप्लाई किये जाने वाले कांटों और पार के मोनो ब्लाक, सीरिया को सप्लाई किये जाने वाले रेल इंजनों के फालतू पुर्जे, फ्रांस को सप्लाई किये जाने वाले कर्षण मोटर मैगनेट फ्रेम और बर्मा को सप्लाई किये जाने वाले भाप रेल इंजनों के बायलर ।

(ग) इन निर्यात आदेशों की कुल कीमत लगभग 18 लाख रुपये है जिनमें से अब तक प्राय: 13 लाख रुपये वसूल हो चुके हैं ।

निर्यात की दर में कमी

3123. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री पी० के० देव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जुलाई, 1972 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारतीय वस्तुओं के निर्यात की दर में कमी का नक्शा खींचा गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या देश में आयात तेजी से बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो निर्यात में कमी और आयात में वृद्धि से भारत को कितनी हानि उठानी पड़ी है; और

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ). निर्यातों का बढ़ना जारी रहा है । आयातों में वृद्धि अपरिहार्य थी । देश की निर्यात आय बढ़ाने के उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

वैगनों की कमी के कारण भारतीय व्यापार उद्योग के समक्ष संकट पैदा होना

3124. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जुलाई, 1972 के दैनिक 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ ने वैगनों की कमी के बारे में चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर पश्चिमी बंगाल में तथा वहां स्थित गन्तव्य स्टेशनों के लिए लदान को धक्का पहुंचा क्योंकि 1971 की अन्तिम तिमाही में विभिन्न समानविरोधी गतिविधियों के कारण रेलवे का कार्य-संचालन गम्भीर रूप से अस्त-व्यस्त हो गया था और भारी संख्या में माल-डिब्बे रुके पड़े थे तथा उक्त अवधि के बाद रक्षा सम्बन्धी भारी परिवहन करना पड़ा। कलकत्ता-हाबड़ा क्षेत्रों में लदे मालडिब्बों को खाली करने के काम में गिरावट आ जाने के कारण मालडिब्बों की उपलब्धता पर भी बुरा असर पड़ा अर्थात् पहले 80 प्रतिशत मालडिब्बे उपलब्ध होते थे जब कि हाल के महीनों में 65 प्रतिशत मालडिब्बे उपलब्ध हुए। बिजली घरों में भी भारी संख्या में लदे हुए मालडिब्बे रुके पड़े रहे। मालडिब्बों को धीमी गति से खाली करने के सम्बन्ध में रेलें विभिन्न वाणिज्य मंडलों के जरिए व्यापारिक वर्गों से लिखापढ़ी कर रही है। और साथ ही कलकत्ता क्षेत्र में अतिरिक्त टर्मिनल खोलने की भी योजना बना रही हैं।

निरन्तर प्रयास के कारण बंगाल और बिहार कोयला क्षेत्रों से कोयले का दैनिक औसत लदान क्रमश: मई और जून, 1972 के 5484 और 5444 मालडिब्बों से बढ़कर 5707 मालडिब्बे हो गया। मालडिब्बों के संचालन को आगे और तेज करके, बेकार मालडिब्बों का प्रतिशत घटाकर तथा अधिक मालडिब्बे प्राप्त करके लदान का काम और तेज करने के लिए प्रयास जारी है।

यू० के० और अन्य यूरोपीय देशों को चाय के निर्यात में हुई कमी की जांच करने के लिए समिति

3125. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यू० के० तथा अन्य यूरोपीय देशों में भारतीय चाय की मांग में कमी के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई है; और

(ख) इन देशों को चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). यद्यपि ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों में भारतीय चाय की मांग में कमी के कारणों की जाँच करने के लिए विशिष्ट रूप से कोई समिति स्थापित नहीं की गई है फिर भी इन देशों को चाय के निर्यातों को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। उठाये जा रहे हैं जिनमें प्रस्थापित पैकरों के साथ मिलकर संवर्धन, भारतीय पैकट बंद चाय के समर्थन में नमूने और स्टोर प्रदर्शन तथा मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेना शामिल है।

उड़ीसा में बालासोर में रेमुना रेलवे फाटक पर "फ्लाई ओवर-ब्रिज" का निर्माण

3126. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासोर, उड़ीसा में रेमुना रेलवे फाटक पर 'फ्लाई ओवर-ब्रिज' की मंजूरी दे दी गयी; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य अभी तक क्यों आरम्भ नहीं किया गया ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) बालासोर में रेमुना रोड समपार पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को 1972-73 के रेलों के निर्माण-कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

(ख) अभी उड़ीसा सरकार को ऊपरी पुल का स्थान तय करना है और नक्शों तथा प्राक्कलन को अन्तिम रूप देना है।

बालासोर, उड़ीसा में मद्रास मेल के रूकने के समय में वृद्धि

3127. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासोर, उड़ीसा में मद्रास मेल के रुकने का समय पहले की भांति 12 मिनट तक बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस तारीख से ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा और मद्रास के बीच डीलक्स गाड़ी चलाने का प्रस्ताव

3128. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हावड़ा और मद्रास के बीच एक डीलक्स गाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बूढ़ा बालंगा नदी की बाढ़ से बचाव की योजना

3129. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने बालासोर जिले की बूढ़ा बालंगा नदी के लिए कोई बाढ़ से बचाव योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना का नाम क्या है और अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : बूढ़ा बालंगा नदी पर कोई बाढ़ सुरक्षा स्कीम उड़ीसा सरकार द्वारा अभी तक तैयार नहीं की गई है। बहरहाल, बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई उद्देश्यों के लिए, कुल्यिाना पर बूढ़ा बालंगा नदी के ऊपर बांध के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव है। राज्य सरकार इस बांध के लिए अनुसंधान कार्य कर रही है।

उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई परियोजना सम्बन्धी योजनायें

3130. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने धीमकुंड और रेंगाली नामक दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में परियोजना-योजनाएं हाल ही में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को भेजी हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने उनका अध्ययन कर लिया है और यदि हां, तो उनके प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी पर रेंगली बांध की परियोजना रिपोर्ट हाल ही में केन्द्र में प्राप्त हुई है और इसकी केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में जांच की जा रही है। भीमकुण्ड परियोजना के राज्य सरकार द्वारा सितम्बर, 1972 के अन्त तक तैयार हो जाने की सम्भावना है।

अल्यूमीनियम के आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण

3131. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्यूमीनियम और उसके कच्चे माल एवं उसके उत्पादों के आयात निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मूख्य बातें क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अल्यूमीनियम का आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत मार्गीकृत किया जाता है। इस समय अल्यूमीनियम धातु अथवा अल्यूमीनियम मिश्र धातु के निर्यात के मार्गीकरण की कोई प्रस्थापना नहीं है।

लघु उद्योगों को आयात-निर्यात लाइसेंस

3132. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को आयात-निर्यात लाइसेंस लेने में कठिनाइयां पेश आती हैं;

(ख) क्या सरकार किसी निश्चित समयावधि के अन्दर-अदर लाइसेंस दे देती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) लघु उद्योगों को आयात लाइसेंस देने की प्रक्रिया यथासंभव सरल बना दी गई है। इन प्रक्रियाओं की बराबर पुनरीक्षा की जाती है और जब कभी भी कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं, उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, अधिकांश वस्तुओं पर नियन्त्रण नहीं है और उनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नही है। नियन्त्रित वस्तुओं के मामले में निर्यात के लिए पोत परिवहन बिल सामान्यत: उसी दिन पास कर दिए जाते हैं।

(ख) तथा (ग). कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिये आवेदन पत्रों के निपटान हेतु 30 दिन तथा पूंजी गत माल के आयात के लिए आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। यह समय उन मामलों में ही लागू हो सकती है, जहां आवेदन पत्र सब तरह से पूर्ण हो। इन समय सीमाओं का पालन करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। उन आवेदन पत्रों के निपटाने में अधिक समय लगता है जिनमें कमियां होती हैं अथवा जब कभी भारी संख्या में आवेदन पत्र एक ही समय में विशेषत: अवधि के समाप्त होने के आस-पास प्राप्त होते हैं।

Saloon Utilized By Officer For Journey from Lucknow to Darbhanga (North Eastern Railway)

***3133. Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether on 18th March, 1972 Saloon No. 258 was reserved for a Senior Scale Officer of North Eastern Railway from Lucknow to Darbhanga and back;

(b) whether the Senior Scale Officer is entitled to have a Saloon for journey outside his zone;

(b) whether the Auditor has asked the said officer to deposit a sum of Rs. 4627. 2); and

(d) if so, the date on which the reasons therefore ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) No.

(b) A senior scale officer is entitled to an Inspection Carriage on official duty outside the area of his jurisdiction with permission from Zonal Railway Headquarter.

(c) & (d) . Do not arise.

Proposal for Running Howrah Amritsar Punjab Mail via Delhi

***3134. Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether Government have any proposal under consideration to run Howrah-Amritsar Punjab Mail via Delhi for the convenience of passengers ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : No.

Introduction of a Fast Train from Allahabad to Delhi via Rai-Bareli and Lucknow

***3135. Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether almost all the trains on Howrah-Delhi Section run via Kanpur and Itawah and consequently the passengers from the Districts of Rai-Bareli and Pratapgarh have to go to Allahabad or Lucknow to take a train for Delhi;

(b) whether Government have any proposal under consideration to run a fast train from Allahabad to Delhi via Rai-Bareli and Lucknow for the convenience of the passengers; and

(c) if so, the bread outlines thereof ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

Import of Liquor

3136. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the value of foreign liquor imported in the country in Indian currency during the last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : Alcoholic beverages worth Rs. 40.10 lakhs Rs. 28.91 lakhs and Rs. 18.48 lakhs were Imported during the years 1969-70, 1970-71 and 1971-72 (upto January, 1972) respectively. Import figures beyond January, 1972 are not yet available.

Difficulties of III class passengers experienced by Railway Minister

3137. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether he has recently travelled in Third class Railway compartment;

(b) if so. the difficulties being experienced by the passengers travelling in Third classs Railway compartments, which have come to his knowledge by travelling therein; and

(c) the steps proposed to be taken to remove these difficulties and the time by which the same would be removed ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes, on the Bombay suburban section of the Central Railway.

(b) Some commuters approached him complaining that some fans in the compartment in which they were travelling were not working. He then moved into that compartment and discovered that some fans were not working on account of a cable defect.

(c) Instructions have been issued that amenities should be provided and maintained properly.

National Policy on Irrigation

*3138. **Shri M.C. Daga** : will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a national policy on irrigation has becn formulated or is proposed to be formulated, and

(b) if so, the broad outlines therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) & (b). It has been the accepted policy in the country that irrigation facilities should be provided to as much of the cultivated land as is technically and economically feasible. The State Governments have accordingly given priority to irrigation development in their plans and have taken up large programmes. These will be continued and augmented to the extent possible keeping in view the availability of resources, Detailed aspects of irrigation like determination of irrigation requirements for various crops, irrigation in low rainfall areas, intensity of irrigation, choice of cropping, conjunctive use of ground water and surface water, irrigation in black soils, lining of channels. sprinkler irrigation, trickler irrigation, lift irrigation and river pumping schemes, utilisation of flows of lower dependability, classification of irrigation works, ayacut development, irrigation in drought affected areas, improvements to existing irrigation systems, economics financing, administration and organisation of irrigation works, irrigation acts and codes, irrigation statistics etc. have been recently gone into in detail by the Irrigation Commission whose report has recently been submitted. The various recommendations of the Irrigation are under examination.

Panic among workers of hosiery industry in Punjab

3139. Shri M. C. Daga : will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published under the column "News in brief" on page 12 of the "The Hindustan Times" dated the 31st July, 1972 regarding the panic among workers of hosiery industry, if so, their reaction thereto;

(b) whether Hosiery manufacturers have requested Government to seize the old imported stuff; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A.C. Gaorge) (a) to (c). Under the current Registered Exporters Policy, import of rags was allowed against export of woollen and mixed fabrics and hosiery. It was observed that rags were actually not used in the manufacture of hosiery and fabrics. Moreover, representation had been received from the Handloom Shoddy Weavers & Processors Association, Amritsar stating that wearables were being imported in lieu of rags.

2. In these circumstances, it was decided to stop import of rags as replenishment against export of hosiery and fabrics. This decision was announced by Secretary (FT) at the meeting of Committee of Administration of Wool & Woollens Export Promotion Council held on 5th April, 1972. Subsequently, this was notified vide CCI&E's Public Notice No. 66/72. dated the 11th May, 1972. While taking the above decision, it was also decided that in regard to rags for which import licences and release orders had issued, their import May be allowed but it should be ensured that rags were ripped before delivery. Accordingly, CCI&E informed Collector ofCustoms, Bombay, on 19th May, 1972, to exercise strict check on consignments of rags with a view to ensure that no wearables were passed as rags. Subsequently, Secretary (FT) has written to Member of Central Board of Revenue that the wearable apparel which may have arrived may be ripped and rendered unserviceable for utilisation as garments. Minister for Foreign Trade has also addressed to the Minister of Finance on 20th July, 1972. suggesting that instructions may be issued to ensure that there is no laxity on the part of Customs field staff in checking serviceable garments without payment of duty.

3. Central Board of Excise and Customs have now devised rigorous procedure for examination of consignments of rags, which is fairly stiff.

Energisation of Pump sets in Rajasthan

***3140. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the number of pump sets energised in Rajasthan as on Ist January, 1972 with the percentage thereof as compared to the total nuber of pump sets energised in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : About 46,400 pumpsests/tubewells were energised in Rajasthan as against the All India figure of 18,02,400 on 1-1-72. The percentage of pumpsets energised in Rajasthan works out to 2.57 as compared to the pumpsets energised in the country on 1-1-72.

सूती धागे का मूल्य निर्धारण

3141. श्री पी० के० देव : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूती धागे के मूल्य निर्धारित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इससे उत्पादकों या सूती धागा निर्माताओं या सूती कपड़ा मिल-मालिकों को कोई राहत मिलेगी, और

(ग) यदि हां तो कितनी ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

बंगला देश के साथ व्यापार करने के लिए नेपाल को पारगमन सुविधाएं

***3142. श्री पी० के० देव :**

श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नेपाल को बंगला देश के साथ व्यापार करने के लिये स्थल मार्ग से पारगमन की सुविधाएं देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने नेपाल सरकार को उक्त सुविधाओं की पेशकश से पूर्व बंगला देश सरकार से सलाह की थी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) व्यापार तथा पारवहन संधि, 1971 पर हस्ताक्षर करते समय भारत-सरकार और नेपाल सरकार के बीच यह सहमति हुई थी कि जब भी भारत तथा अन्य क्षेत्रीय सदस्य देशों के बीच पारस्परिक तौर पर सन्तोषजनक व्यापार तथा पारवहन करार किये जाएंगे तो नेपाल को इस क्षेत्र में अपने व्यापार का विकास तथा विविधीकरण करने के लिए क्षेत्रीय अथवा उप-क्षेत्रीय सहयोग करारों के माध्यम से स्थल मार्गों का प्रयोग करने दिया जायेगा ।

(ग) नेपाल सरकार और बंगला देश सरकार दोनों को ज्ञात है कि दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए इस करार के अनुसार सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत रजामंद है ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राज्यों के बीच मतभेद

3143. श्री पी० के० देव : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1972 के 'स्टेट्समैन' में 'डिफरेन्सिस इन स्टेट्स ओवर जजिज चायस, सेन्टर टू स्पीड अप एप्वाईटमेंट्स' की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) सरकार ने सम्बन्धित प्रेस रिपोर्ट देखी है । उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 217 में अधिकथित है । इस प्रक्रिया में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केरल में नारियल जटा उद्योग का पुनर्गठन

*3144. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री वयालर रवि :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने केरल को अभी तक नारियल जटा उद्योग के पुनर्गठन के लिये 1.5 करोड़ रुपये की वह राशि नहीं दी है जिसका प्रस्ताव योजना आयोग के अध्ययन दल ने किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) यह राशि कब तक दे दी जायेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). योजना आयोग द्वारा स्थापित किये गये अध्ययन दल ने कयर उद्योग के पुनर्गठन के लिये केरल सरकार को 1.50 करोड़ रु० देने की कोई प्रस्थापना प्रस्तुत नहीं की। हां, केरल में कयर उद्योग को फिर से जीवित करने के लिये आसान किस्तों पर 1050 करोड़ रु० का ऋण देने के लिए राज्य सरकार से एक आवेदन प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई प्रस्थापना मुख्यतः 25 सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में थी। यह सुनिश्चित करने के लिये कि समितियां अर्थक्षम तथा ऋण-योग्य हो जायेंगी, क्या-क्या उपाय करने का विचार है, इस बारे में विस्तार में कोई संकेत नहीं दिया गया था। राज्य सरकार को यह सूचित किया गया था कि जब तक समितियों के भावी अर्थ-क्षम होने तथा सन्तोषजनक कार्यकरण को सुनिश्चित नहीं किया जाता तब तक अन्तरिम सहायता से स्थायी लाभ नहीं होगा। यह प्रस्ताव किया गया था कि मामले पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिये अधिकारियों का एक दल भेजा जाए परन्तु राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

पोंग बांध के निष्कासितों का पुनर्वास

3145. श्री प्रबोध चंद्र : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध पूरा हो जाने पर फालतू हो जाने वाले कारीगर और गैर-कारीगर श्रमिकों का पुनर्वास सरकार किस प्रकार करेगी;

(ख) क्या पोंग बांध के हजारों निष्कासितों को भी अभी तक राजस्थान नहर क्षेत्र में नहीं बसाया जा सका है जैसा कि इस बांध के निर्माण के समय निर्णय किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) पोंग बांध (व्यास परियोजना यूनिट 2) पर फालतू घोषित किए गए कारीगरों को जहां तक संभव होता है इस समय परियोजना की यूनिट 1 की खाली जगहों में रखा जा रहा हैं। परियोजना के कारीगरों के लिए इसी प्रकार के क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं में नियुक्ति हेतु यथासंभव प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए प्रयास भी किए जायेंगे।

(ख) और (ग) : राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि के आवंटन के लिए विस्थापितों की पात्रता से सबन्धित मामलों पर राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के बीच विचारों की विभिन्नता के कारण विस्थापितों के पुनर्वास में कुछ विलम्ब हुआ है। मामला लगभग सुलझ गया है तथा विस्थापितों के पोंग बांध क्षेत्र से राजस्थान भेजने में शीघ्रता लाना संभव हो जाएगा।

पोंग बांध के निर्माण के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय

3146 श्री प्रबोध चन्द : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध के निर्माण के लिए कोई निश्चित निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस कार्य को कब तक आरम्भ करने की आशा रखती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) यह फैसला किया गया है कि रावी नदी पर बांध थीन पर निर्मित किया जाएगा किन्तु परियोजना के कुछ ऐसे अन्तर्राज्यीय पहलू हैं जिनके बारे में सम्बद्ध राज्यों के बीच अभी फैसला किया जाना है। इन मामलों पर राज्यों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

विदेशों में स्थित भारतीय हस्तकला एम्पोरियन

3147. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन देशों में भारतीय हस्तकरघा एम्पोरियम खोले गये हैं और इन एम्पोरियम की आर्थिक स्थिति कैसी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम विदेशों में चार 'सोना' दुकानें चलता है जो भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुएं भी बेचता है। ये दुकानें न्यूयार्क, बोस्टन, नेरोबी तथा पैरिस में स्थित है। गत चार वर्षों में इन 'सोना' दुकानों के लाभ / हानि के आकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :

(लाख रु० में)

	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72
न्यूयार्क	(-।) 8.92	(-।) 1.65	(-।) 4.09	(—) 3.86
वोस्टन	(-।) 1.32	(-।) 0.61	(-।) 0.40	(—) 0.75
नेरोबी	(-।) 2.59	(—) 1.58	(—) 0.12	(—) 0.93
पैरिस	(-।) 0.5०	(-।) 3.63	(—) 0.46	(-।) 0.16

एशियाइ मेले में मण्डपों का निर्माण पूरा किया जाना

3148. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 में प्रस्तावित एशियाई मेले के लिए अनेक मण्डलों का निर्माण निर्धारित समयानुसार नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन मण्डपों का निर्माण समयानुसार पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) . मेला संगठन के सभी विनिर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। भाग लेने वालों के 96 मण्डपों में से 83 मंडप निर्माणधीन हैं और शेष अपनी योजनाओं और ठेकों को अन्तिम रूप देने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। उनसे अपने कार्य को शीघ्र करने के लिए कहा गया है और हमें ऐसी कोई आशंका नहीं है कि इन मण्डपों के समय में पूरे हो जाने के मार्ग में कोई कठिनाई आयेगी।

बंगला देश से जूट खरीदने सम्बन्धी चीन के प्रस्ताव का भारत-बंगला देश जूट व्यापार पर प्रभाव

3149. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपां करेंगे कि.

(क) क्या वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर काफी मात्रा में कच्चा जूट बंगला देश से खरीदने का चीन ने प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत-बंगला देश व्यापार पर इस प्रस्ताव का क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा संचालित मिलों द्वारा खुले बाजार से रुई की खरीद

3150. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम प्रति वर्ष लगभग 130 करोड़ रु० के मूल्य की रुई का आयात करता है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा संचालित "संकटग्रस्त" कपड़ा मिलें रुई निगम की बजाय खुले बाजार से रुई खरीदती है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस नीति के बारे में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। वर्तमान रुई वर्ष में रुई निगम ने जुलाई 1972 तक 56.76 करोड़ रु० मूल्य की विदेशी रुई आयात की थी।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाये जा रहे मिलों को सलाह दी गई है कि अन्य बातें समान होने पर वे भारतीय रुई निगम से ही रुई खरीदें।

(ग) तथा (घ) . पूर्णतः आर्थिक कारणों से मिलें खूले बाजार से रुई की खरीद करेंगी यदि वह अपेक्षतया सस्ती दरों पर उपलब्ध होती है।

मार्टिन बर्न लाइट रेलवे को चलाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का रेलवे विशेषज्ञों के लिए अनुरोध

3151. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:**
श्री समर गुह .

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने मार्टिन लाइट रेलवे को पुन: चालू करने के मामले में सलाह और सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से, एक रेलवे विशेषज्ञों का दल भेजने का अनुरोध किया है ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या सरकार उक्त रेलवे को पुन: चालू करने और उसे चलाने पर होने वाले खर्च का कोई भार वहन कर सकेगी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) पूर्व रेलवे द्वारा अब विशेषज्ञों की एक समिति बना दी गई है। समिति से शीघ्र रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है ।

(ग) इस पर, पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से विचार किया जायेगा:

बंदेल-कटवा उपनगरीय सैक्शन (पूर्व रेलवे) पर गाड़ियों का देरी से चलना और गाड़ियों में भारी भीड़ होना

3152. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे (हावड़ा डिवीजन) के बंदेल-कटवा उपनगरीय सैक्शन की उपेक्षा करने के बारे में जिसके परिणामस्वरूप गाड़ियां देरी से चल रही हैं और गाड़ियों में बहुत अधिक भीड़ है अनेक रेलवे यात्री संघों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) बंदेल और कटवा के बीच शटल सेवाएं आरम्भ करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) 47 अप/48 डाउन बंडेल-कटवा लोकल गाड़ियां जो आपात काल में उच्च प्राथमिकता वाले यातायात की ढुलाई के कारण 12 दिसम्बर 1971 से रद्द कर दी गयी थीं, । अगस्त, 1972 से फिर चला दी गयी हैं ।

बन्देल कटवा उपनगरीय सेक्शन पूर्व रेलवे) पर विद्युतीकरण और रेल मार्ग को दोहरा करना

3153. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के बन्देल कटवा उपनगरीय सैक्शन का विद्युतीकरण न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या विद्युतीकरण होने तक डीजल इंजन चलाये जायेंगे; और

(ग) इस सैक्शन पर रेल मार्ग को दोहरा बनाने की यात्रियों की मांग पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्री (श्री टी०ए०पाई):(क) बंदेल कटवा खण्ड पर वर्तमान तथा प्रत्याशित यातायात की जांच करने से मालूम हुआ है कि वर्तमान एवं 1973-74 के अन्त तक तथा उससे भी आगे के प्रत्याशित यातायात के परिवहन का कार्य कर्षण की वर्तमान पद्धति से सरलतापूर्वक किया जा सकता है। अत: इस खंड का निकट भविष्य में बिजलीकरण आर्थिक एवं परिचालनिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं समझा जाता।

(ख) फिलहाल नहीं।

(ग) रेल-पथ को दुहरा करने का यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि निकट भविष्य में यदि कोई यातायात में कोई वृद्धि होगी तो उस सम्हालने के लिए पर्याप्त फालतू क्षमता विद्यमान है।

निर्यात सम्बन्धी दायित्वों का पालन न करने के कारण फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही

3154. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन फर्मों पर, जिन्होंने 1970-71 और 1971-72 में निर्यात सम्बन्धी दायित्वों का पालन नहीं किया था, मुकदमा चलाया गया हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चश्मे के शीशों का निर्यात

3155. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **विदेश व्यापार** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विदेशों को चश्मे के शीशों का निर्यात प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को शीशों का निर्यात किया जाता है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गए शीशों की मात्रा और उसके मूल्य का देशवार ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज): (क) चश्मों के शीशों के व्यापार आंकड़े पृथक नहीं रखे जाते हैं। किन्तु न जड़े हुए आप्टिकल अवयवों के निर्यात किये गये हैं जिनमें एनकों के लिये लैंस भी शामिल हैं।

(ख) तथा (ग). न जड़े हुए आप्टिकल अवयवों के निर्यात संलग्न विवरण में दिखाये जाते हैं।

विवरण

मूल्य 000 रु० में
मात्रा संख्या में

देश का नाम	1969-70		1970-71		1971-72 (फरवरी 72 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
दक्षिण यमन जनवादी गणराज्य	70	1	283	2	—	—
बहरीन द्वीप	280	2	—	—	—	—
नाइजेरिया	288	3	—	—	—	—
ईथोपिआ	—	—	216	2	—	—
लेबनान	—	—	—	—	216	0.2
योग	638	6	499	4	216	0.2

चाय, काफी और पटसन का निर्यात

3156. **श्री एम० एम० शिवस्वामी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने 1970-71 और 1971-72 में किन किन देशों को चाय, काफी और पटसन का निर्यात किया;

(ख) इस अवधि में दिये गए निर्यात की मात्रा तथा मूल्य कितना है, और

(ग) वर्ष 1972-73 में कितना निर्यात किये जाने की आशा हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) किन प्रमुख देशों को भारत से वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान चाय, काफी तथा पटसन का निर्यात किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं :—

चाय

ब्रिटेन, सोवियत संघ, अफगानिस्तान, सूडान, मिस्र, संयुक्त राज्य अमरीका, आइरिश गणराज्य, इराक, पोलैण्ड, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैंडस, आस्ट्रेलिया, जोर्डन तथा ट्यूनिसिया ।

काफी

(क) संयुक्त अमरीका तथा कनाडा ।

(ख) पश्चिम यूरोपीय देश, जिसमें ब्रिटेन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, स्कैन्डिनेवियाई देश तथा यूरोपीय निर्बाध व्यापार संगम के देश शामिल हैं ।

(ग) पूर्व यूरोपीय देश जैसे सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, रूमानिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, अल्गारिया, यूगोस्लाविया तथा चैकोस्लोवाकिया ।

(घ) महासागरीय देश ।

(ङ) मध्य पूर्वी देश ।

(च) सुदूर पूर्वी देश ।

कच्चा पटसन

1970-71 के दौरान :—बेल्जियम, फिजी द्वीप समूह, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ।

1971-72 के दौरान :—आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बल्गारिया, जर्मनी (पश्चिम), इटली, जापान, मोरक्को, स्पेन, स्वीडन, यूगांडा, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका तथा सोवियत संघ ।

(ख)		मात्रा (हजार मे० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)	
चाय				
1970-71		205.04	153.57	
1971-72*		218.15	162.38*	अंतिम
काफी				
1970-71		31.875	23.99	
1971-72		38.459	23.87	
कच्चा पटसन				
1970-71		17.452	4.14	
1971-72	(अप्रैल, फरवरी)	23.893	6.64	

(ग)	मात्रा (हजार मे० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
चाय	220*	157.7*
काफी	40.9	24.54
कच्चा पटसन :—सोवियत संघ तथा पौलैण्ड के साथ तय की गई व्यापार योजनाओं में जितनी मात्रा की व्यवस्था की गई है, उन तक ही निर्यात किये जायेंगे ।		5.00

*खाद्य तथा कृषि संगठन के अधीन तदर्थ प्रबन्धों द्वारा जो निर्यात कोटा प्रतिबन्ध लागू किये जायें, उनके अनुसार इनमें परिवर्तन हो सकता है ।

भारतीय गलीचों के निर्यात के लिए क्रयादेश

3157 श्री पम्पन गौडा :

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय गलीचों की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए सरकार के कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किये गये हैं और इस वर्ष के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का देशभार ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार कोई क्रयादेश प्राप्त नहीं करती हैं । तथापि, व्यापारिक तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1972-73 के दौरान ऊनी कालीनों, गलीचों तथा नमदों के निर्यात लगभग 13.50 करोड़ रु० के होने की आशा है ।

(ग) कालीनों के निर्यात के बारे में पिछले तीन वर्षों की देशवार जानकारी संलग्न है ।

विवरण

ऊनी कालीनों, गलीचों तथा नमदों के वर्षवार निर्यात

(लाख रुपयों में)

	देश	1969-70	1970-71	1971-72 (अप्रैल-दिसम्बर 1971)
	यूरोप			
(1)	बेल्जियम लुकजेमबर्ग	27.41	39.97	23.88
(2)	फ्रांस	18.47	19.96	11.62
(3)	पश्चिम जर्मन	123.00	199.55	312.23
(4)	इटली	6.55	8.35	7.05
(5)	नीदरलैंड्स	20.37	20.18	24.81
(6)	डेनमार्क	12.38	9.54	7.16
(7)	स्वीडन	16.99	15.07	15.58
(8)	स्विटजरलैंड	6.14	14.39	10.49
(9)	ब्रिटेन	183.78	183.49	120.20
(10)	सोवियत संघ	14.40	8.25	61.49
	इकाफैक्षेत्र			
(11)	आस्ट्रेलिया	74.64	90.05	61.76
(12)	हांगकाँग	0.48	1.84	0.53

	1	2	3	4
(1)	जापान	2.60	4.16	5.33
(14)	मलयेशिया	0.34	0.46	0.60
(15)	सिंगापुर	5.82	3.13	2.16
	पश्चिम एशिया			
(16)	अदन	0.23	0.07	0.02
(17)	कुवैत	0.49	0.86	0.43
(18)	लेबनान	0.57	1.22	1.80
(19)	साऊदी अरब	0.45	0.05	0.16
	अमरीका			
(20)	सं० रा० अमरीका	461.24	360.08	257.61
(21)	कनाडा	186.75	90.22	58.18
(22)	अन्य देश	23.90	23.41	19.25
	योग	1169.40	1094.30	1002.34

1971 के लोक सभा के लिए मतदान हेतु मतपत्रों का एक व्यापारी से बरामद होना

3158. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :**
चौधरी राम प्रकाश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1972 के "फी प्रैस जर्नल" में प्रकाशित इस खबर की ओर दिलाया गया है कि महाराष्ट्र विधान सभा में 26 जून, 1972 को यह रहस्योद्घाटन किया गया था कि 1971 के लोक सभा के लिए मतदान हेतु मतपत्र बड़ी संख्या में एक व्यापारी से बरामद किए गए थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह पता लगाने के लिए कि ये मतपत्र उसके पास कहाँ से आये क्या कार्यवाही की गई है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) मामले की निर्वाचन आयोग द्वारा जाँच करवाई जा रही है ।

निर्यात गृहों को सरकारी क्षेत्र द्वारा सहायता

3159. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र निर्यात गृहों को सहायता देंगे ।

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ? और

(ग) उक्त योजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदियों के बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी योजना तथा उड़ीसा के लिए सिंचाई योजना

3160. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रियों के श्री नगर में हुए सम्मेलन में ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदियों के बाद नियंत्रण सम्बन्धी किसी योजना तथा उड़ीसा के लिए 135 करोड़ रुपये की सिंचाई योजना के बारे में चर्चा की गयी थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो चर्चा के क्या निष्कर्ष रहे ।

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). राज्यों के सिंचाई और विद्युत मन्त्रियों के श्रीनगर में जून, 1972 में हुए सम्मेलन में कोई विशिष्ठ बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई स्कीमों पर विचार नहीं किया गया था ।

तूफान पीड़ित सहायता समिति की सिफारिशें

3161. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाइ और विद्युत** मन्त्री 8 अगस्त, 1972 के आतारांकित प्रश्न संख्या 1394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तूफान पीड़ित सहायता समिति द्वारा कौन सी सिफारिशें की गयी हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : तूफान पीडित सहायता समिति, उड़ीसा ने अपनी रिपोर्ट में 56 सिफारिशें की हैं । ये निम्नलिखित से सम्बन्धित है :—

1. चक्रवातीय तूफानों की पहचान और खोज के लिए मौसमविज्ञानिक संगठन ।

2. मौसमविज्ञान चेतावनियों का प्रचार ;

3. तूफान पीड़ित सहायता उपाय ;

4. माडल तूफान स्कीम ; और

5. विभिन्न तूफान पीड़ित सहायता उपायों के कार्यान्वयन के लिए संगठन ।

समिति द्वारा दी गई महत्वपूर्ण विशिष्ट सिफारिशें उपाबंध में की गई हैं । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिग संख्या एल० टी-347 /72]

उड़ीसा सरकार द्वारा बाढ़ों तथा बाढ़ सहायता सम्बन्धी मंत्रियों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति

3162 श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री बाढ़ों तथा बाढ़ सहायता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में 4 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1964 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाढ़ों तथा बाढ़ सहायता सम्बन्धी मंत्रियों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों को उड़ीसा सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : बाढ़ों से बाढ़ सहायता सम्बन्धी मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट उड़ीसा राज्य सरकार को समिति के सुझावों पर उचित कार्यवाही करने के लिए अप्रैल, 1972 में भेजी गई थी। राज्य सरकार से प्रार्थना की गई है कि वे अगस्त, 1972 के अन्त तक कार्यवाही की प्रगति बताएं।

Reprsentative From Madhya Pradesh From Railway Service Commission (South Eastern Railway)

*3163. **Shri Krishna Agrawal :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) Whether Madhya Pradesh comes under South Eastern Railway and during the year 1971-72 Raipur was the major revenue earing Division;

(b) the reasons why no representative from Madhya Pradesh has so far been included in Railway Service Commission; and

(c) the time by which a representative from Madhya Pradesh would be appointed in the Commission ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) ; (a) The State of Madhya Pradesh is partly served by South-Eastern Railway. As there is no Division at Raipur comparison of its earnings cannot be made with other Divisions of south Eastern Railay.

(b) & (c) The Chairmen and Member-Secretaries of Railway Service Commissions are appointed on the recommendations of the Union Public Service Commission and are not selected on regional basis.

तम्बाकू बोर्ड

3164. श्री राम कंवर : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक तम्बाकू बोर्ड बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड का गठन और कार्य क्या होंगे; और

(ग) तम्बाकू के उत्पादन तथा निर्यात में यह किस प्रकार सहायता करेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). जी हां, तम्बाकू बोर्ड बर्जिनिया तम्बाकू के लिए तम्बाकू विपणन बोर्ड स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। बोर्ड के गठन, कार्यों आदि के सम्बन्ध में अभी निर्णय किया जाना है।

नेपाल द्वारा भारतीय सिग्रेटों पर से प्रतिबन्ध हटाना

3165 श्री निहार लास्कर :
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने भारतीय सिग्रेटों के आयात पर से अक्तूबर, 1968 में लगाया गया प्रतिबन्ध हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो नेपाल को सिग्रेटों के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) नेपाल सरकार की वर्तमान नीति के अन्तर्गत केवल तीन ब्रांडों की भारतीय सिग्रेटों के भारत से आयात करने की अनुमति है । इस नीति को बदलने के बारे में उनसे कहा गया है ।

(ग) चूंकि भारत नेपाल के बीच व्यापारिक विनियमों का भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में नहीं किया जाता, इसलिये भारत से नेपाल को भारतीय सिगरटों के निर्यात से मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

परियोजना तथा उपकरण निगम प्रोजैक्ट्स एण्ड इक्विपमैन्ट कारपोरेशन के माध्यम से इंजीनियरी सामान का निर्यात

3166 श्री निहार लास्कर :
श्री रामावतार शास्त्री

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय परियोजना तथा उपकरण निगम वर्ष 1971-72 में इंजीनियरी सामान के निर्यात को दुगुना करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितना निर्यात किया गया; और

(ग) किन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में परियोजना तथा उपकरण निगम ने अत्यधिक रुचि दिखाई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) परियोजना तथा उपस्कर निगम अप्रैल 1971 में स्थापित किया गया था । अपने कार्यचालन के प्रथम वर्ष अर्थात् 1971-72 में, इंजीनियरी माल के कुल निर्यात में (लगभग 125 करोड़ रु० अनुमानित) उसका अंश 15.37 करोड़ रु० था ।

(ग) परियोजना तथा उपस्कर निगम ने, रेलवे व्यवस्था, वस्त्र तथा औद्योगिक संयंत्रों से सम्बन्धित आद्योपान्त परियोजनाओं में अपनी सक्रिय रुचि दिखाई है ।

लोह अयस्क और मैंगनीज की ढुलाई

3167. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में लोह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं;

(ख) इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में करार की तथा अनुसूचित मात्राओं की तुलना में कितनी कमी हुई तथा उसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई;

(ग) क्या निर्यात न की गई मात्रा रद्द हो गई है अथवा खरीददार इस वर्ष के वचन-बद्ध आयात के साथ-साथ कम निर्यात माल को चालू वर्ष में ले लेने को सहमत हो गये हैं; और

(घ) पूरी मात्रा का इस वर्ष निर्यात सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत ने 1970-71 में 208.0 लाख मे० टन और 1971-72 में 209.0 लाख मे० टन लोह अयस्क का निर्यात किया। मैंगनीज अयस्क के निर्यात 1970-71 तथा 1971-72 में क्रमशः 168.0 लाख मे० टन तथा 118.5 लाख मे० टन के हुए।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किये जाने वाले निर्यातों में लोह अयस्क के मामले में 1970-71 के दौरान अनुसूचित मात्राओं की अपेक्षा 8 प्रतिशत की कमी रही और लोह अयस्क के मामले में 1970-71 तथा 1971-72 में क्रमशः 13 प्रतिशत और 33 प्रतिशत की कमी रही। अतः 1970-71 तथा 1971-72 में लोह अयस्क के मामले में क्रमशः 4 करोड़ रु० और 6 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा कम अर्जित हुई तथा मैंगनीज अयस्क के मामले में 1970-71 तथा 1971-72 में क्रमशः 2.27 करोड़ रु० तथा 5.40 करोड़ रु० कम विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। लोह अयस्क के बारे में गोआ के शिप्पर्स तथा मैंगनीज अयस्क के बारे में मैंगनीज और इण्डिया लि० से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस विषय में किसी एक जैसी नीति का अनुसरण नहीं किया जाता।

(घ) निर्यातों को बढ़ाने के लिए किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं : खनन में सुधार, परिवहन के लिए और अधिक वैगनों की सप्लाई, रेल क्षमता को बढ़ाना तथा पतनों पर यांत्रिक लदाई की व्यवस्था आदि।

नेपाल में सिसापानी तथा बराह क्षेत्र में बाढ़ आने की पूर्व सूचना देने की व्यवस्था

3168. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में सिसापानी तथा बराह क्षेत्र में कमला तथा कोसी नदियों में बाढ़ आने की पूर्व-सूचना देने सम्बन्धी कोई व्यवस्था की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). बाढ़ पूर्वसूचना की न तो सिसापानी में और न ही बराह क्षेत्र में कोई व्यवस्था है। बहरहाल,

बिहार सरकार कोसी बराज के प्रचालन के लिए बीरपुर को गेज तथा निस्सार के आंकड़ों का पारेषण करने के लिए बराह क्षेत्र में एक बेतार केन्द्र का प्रचालन कर रही है।

गोदावरी बांध परियोजना के अधिकारियों के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायतें

3169. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोदावरी बांध परियोजना के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों को जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो को सौंप दिया था; और

(ग) यदि हां, तो ब्यूरो के निष्कर्ष क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). सिंचाई एक राज्य विषय है और गोदवरी बराज परियोजना के क्रियान्वित का एकमात्र उत्तरदायित्व आंध्र प्रदेश सरकार का है। भारत सरकार ने बराज पर किए जा रहे निम्न स्तर के कार्य और कार्य पर लगे वर्तमान अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों को राज्य सरकार के ध्यान में लाया है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे स्थिति का पुनरवलोकन करें और क्रियान्विति के लिए अधिकारियों के एकदम नए दल को कार्य क्वालिटी कन्ट्रोल पर पूर्ण ध्यान देने की सख्त हिदायतें देते हुए नियुक्त करें।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स तथा हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के प्रशासकीय नियंत्रण के बारे में विवाद

3170. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स तथा हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में उनके मंत्रालय तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय के बीच विवाद है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों के सिंचाई तथा विद्युत मंत्रियों के हाल के सम्मेलन में की गयी इस सिफारिश पर विचार कर लिया है कि इन दो उद्योगों के प्रशासनिक नियंत्रण को सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को सौंप दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). सिंचाई और विद्युत मंत्रालय भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड और हैवी इलैक्ट्रिकल्स (भारत) लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में औद्योगिक विकास मंत्रालय के साथ पत्र व्यवहार कर रहा है।

कर्मचारियों को उपनगरीय निवास स्थानों से कार्य के स्थानों तक यात्रा करने के लिए निःशुल्क रेलवे पास दिया जाना

3171. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य और पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों को अपने उपनगरीय निवास स्थानों से कार्य के स्थानों तक जाने के लिए निःशुल्क रेलवे पास दिए जाते हैं;

(ख) क्या उत्तर रेलवे में काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों को ऐसे पास धनराशि देकर प्राप्त होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां, विशिष्ट खंडों में ।

(ख) उत्तर रेलवे पर दिल्ली-शकूरबस्ती और दिल्ली-किशनगंज-तिलकब्रिज खंडों पर निःशुल्क आवासीय कार्ड पास दिये जाते हैं । अन्य उपनगरीय खंडों पर रियायती मौसमी टिकटों की सुविधा उपलब्ध है ।

(ग) निःशुल्क रेलवे पास केवल उन्हीं उपनगरीय खंडों में दिये गये हैं जहां ऐसी सुविधाएं 14-12-1953 से पूर्व चालू थीं ।

नार्थ इस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता देना

3172. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ इस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि का रूप धर कर उसे रेलवे प्रशासन (नार्थ इस्टर्न रेलवे) द्वारा मान्यता दिलाने वाले कुछ व्यक्तियों के बारे में 13 मई, 1972 को रेल मंत्री को एक अभ्यावेदन भेजा था और रेलवे मंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए मामले को विधि विभाग को भेजने का आश्वासन दिया था कि क्या उस स्तर पर त्रुटि-सुधार किया जा सकता हैं या नहीं, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ख) क्या इन बहुरूपियों ने नार्थ इस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन के नाम से पटना में गैर कानूनी पंजीकरण करा लिया था जो कि पहले ही कानपुर में पंजीकृत हैं; यदि हाँ तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). अगस्त, 1965 में पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन में फूट पड़ गयी । तब से उस यूनियन के दो दल एक ही नाम से काम कर रहे हैं । कुछ समय तक प्रशासन ने किसी भी दल से व्यवहार नहीं रखा । 1970 के मध्य में एक दल को रेल प्रशासन से व्यवहार करने की सुविधाएं दी गयी । इस दल ने अपने को उसी नाम से बिहार, पटना के ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत करा लिया है । इस पंजीकरण को बिहार के ट्रेड यूनियनों, के रजिस्ट्रार ने 14-7-72 को निरस्त कर दिया लेकिन उस आदेश का क्रियान्वयन जिला न्यायाधीश, पटना द्वारा स्थगित कर दिया गया है ।

दूसरा दल मान्यता का दावा कर रहा है और 13-5-1972 को कुछ व्यक्ति रेल मंत्री से मिले थे । विचार विमर्श के बाद रेल मंत्री ने कहा कि इस में कानूनी मुद्दे अन्तर्ग्रस्त हैं अतः वे कानूनी सलाह लेंगे । यह विषय विचाराधीन है । यह दल अभी हाल तक उत्तर प्रदेश, कानपुर के

के ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत चला आ रहा था। लेकिन, उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार ने इस पंजीकरण को 31-7-1972 को निरस्त कर दिया है।

वर्ष 1971-72 के निर्यात सम्बन्धी आंकड़ों का दोषपूर्ण संकलन

3173. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जुलाई 1972 के स्टेट्समेन 'कमापाइलेशन आफ एक्सपोर्ट डेटा फाल्टी' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक निर्यात की मात्रा कितनी हैं तथा डायरेक्टर जनरल आफ कामर्शियल इनटेलीजेन्स एन्ड स्टेटिसटिक्स द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार कितना निर्यात किया गया; और

(ग) उचित आयोजन के लिए सही आंकड़े तैयार करने हेतु प्रक्रिया को त्रुटि-रहित बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक-संकलन महानिदेशक के प्रारम्भिक संकलन के अनुसार अप्रैल, दिसम्बर 1971 तक भारत के निर्यात, जिनमें पुनर्निर्यात शामिल हैं, 1194 करोड़ रु० के थे, बाद में यह आंकड़े संशोधित करके 1153क रोड़ रु० कर दिये गये थे और 1971-72 वर्ष के लिये निर्यात के आंकड़े 1567 करोड़ रु० कर दिये गये थे। हाल में यह पता चला हैं कि इन आंकड़ों में बंगला देश को काफी मात्रा में किये गये निर्यात शामिल नहीं किए गये थे। मामले की आगे जांच की जा रही हैं।

(ग) इस पर एक समिति विचार कर रही है।

यूगोस्लाविया से माल डिब्बों का सौदा

3174. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया को रेल के 3600 माल डिब्बे सप्लाई करने का सौदा खटाई में पड़ गया है और भारत द्वारा माल डिब्बों को विलम्ब से सप्लाई किये जाने के कारण यूगोस्लाविया द्वारा दाण्डिक उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सम्भावना हैं।

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया हैं कि माल डिब्बों का निर्माण करने वाली एजेंसियों को आवश्यक कच्चा माल ठीक समय पर सप्लाई किया जाये जिससे वे निर्धारित समय पर अपना काम पूरा कर सकें।

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने सौदा तय करने से पूर्व यूगोस्लाविया को छिन्न भिन्न हालत में भेजे गये माल डिब्बों को जोड़ने के लिए यूगोस्लाविया की एजेंसियों के साथ ठेकों को अन्तिम रूप दे दिया था और क्या उन ठेकों में दाण्डिक उपबबन्ध भी शामिल है, और

(घ) दाण्डिक उपबन्धों की व्यवस्था होने की स्थिति में, यदि यूगोस्लाविया उनके अन्तर्गत कार्यवाही करता है, तो क्या भारत और यूगोस्लाविया में स्थित एजेंसियां उक्त दन्ड की भागी होगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय से उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) संविदा के अनुसार मालडिब्बों की सुपुर्दगी जनवरी, फरवरी 1973 में शुरू होनी है। इस लिए इस समय दाण्डिक उपबन्धों के प्रयोग करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि माल डिब्बों के तीनों निर्माताओं ने अभी तक मालडिब्बों के संयोजन के लिये यूगोस्लाव संयोजन के साथ उनकी संविदाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ख) जी हां।

(ग) माल डिब्बों की संविदा पर हस्ताक्षर करते समय ही, संयोजन सम्बन्धी मुख्य बातों को, जिनमें व्यापक तकनीकी कार्य शामिल है, कीमती सपुर्दगी कार्यक्रम सभी भुगतान शर्तें आदि तय कर लिये गये थे तथा संलेखों पर हस्ताक्षर हो गये थे। संलेखों के आधार पर औपचारिक संयोजन संविदाओं को, जिनमें पारस्परिक दाण्डिक उपबन्ध शामिल हैं, पृथक-पृथक माल डिब्बों के निर्माताओं द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना था।

(घ) भारतीय व्यतिक्रम के लिए दन्ड सम्बन्धित भारतीय अभिकरणों पर पड़ेगा। यूगोस्लाव व्यतिक्रम के लिए यूगोस्लाव अभिकर्ताओं ने उनके द्वारा किये गये कार्य के मूल्य के अनुपात में दन्ड स्वीकार कर लिए हैं।

भारत सूडान व्यापार समझौता

3175. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सूडान व्यापार ठप्प हो गया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्ष हुए समझौते के अन्तर्गत दोनों देशों ने अपने अपने दायित्व पूरे कर दिये है;

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक देश द्वारा कौन-कौन से दायित्व पूरे नही किये गये हैं और इस करार का पूरा पूरा पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) क्या सूडान को माल निर्यात करने वाली कुछ पार्टियां पहले दिये गये वचन पूरे नहीं कर पा रही हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). भारत और सूडान के बीच एक द्विदेशीय व्यापार करार है जिसके अन्तर्गत दोनों देशों के बीच व्यापार स्टेट बैंक आफ इंडिया बम्बई द्वारा रखे जाने वाले अपरिवर्तनीय विशेष लेखे के माध्यम से किया जाता है। यह व्यापार करार 1 जुलाई, 1971 से 31 दिसम्बर, 1972 तक की अवधि के लिए वैध है।

2. चालू व्यापार करार के अन्तर्गत 330 लाख पौंड के सूडानी निर्यातों के बदले भारत से सूडानी आयातों के लिए 288 लाख पौंड की एक अधिकतम सीमा रखी गई थी। ये अधिकतम सीमाएं व्यापार करार की सम्पूर्ण अवधि के लिए थी। दूसरी ओर, जून 1972 के अन्त में हमने यह अनुभव किया कि सूडान भारत से आयातों की 288 लाख पौंड की समग्र अधिकतम सीमा

से पहले ही आगे बढ़ गया हैं। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें चालू व्यापार योजना के पूरे होने में अभी भी 6 मास शेष रहते थे और भारत से और अधिक सूडानी आयातों के लिए व्यापार योजना के अन्तर्गत कोई धन उपलब्ध नहीं था। चूंकि हम भारत से 288 लाख पौंड से विनिर्दिष्ट माल की पूर्ति का अपना दायित्व पहले ही पूरा कर चुके थे और क्योंकि और अधिक धन राशि उपलब्ध नहीं थी इस लिए हमें सूडान को भारत से होने वाले और निर्यातों को कुछ समय के लिए रोक देना पड़ा। दूसरी ओर, सूडान ने हमें अब तक लगभग केवल 200 लाख पौंड रूई की पूर्ति की हैं। हम सूडानी सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है और आशा हैं कि उन कठिनाइयों का हल शीघ्र ही निकाल लिया जाएगा जो भारत-सूडान व्यापार करार के कार्यकरण में उत्पन्न हो गई हैं। इस प्रयोजन के लिए जल्दी ही नई दिल्ली में एक सूडानी व्यापार प्रतिनिधिमंडल के आने की आशा है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार को फिर से सुचारू रूप से चलाया जा सके।

उत्तर प्रदेश को बिजली की सप्लाई

3176. श्री बी० आर० शुक्ला : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के उन जिलों को बिजली की सप्लाई करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने का हैं जिन्हें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस आशय के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) और (ख). अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पिछड़े जिलों के विद्युतीकरण के लिए स्कीमों की वित्त व्यवस्था ग्राम विद्युतीकरण निगम से ऋण द्वारा पहले से ही अधिक उदारता पूर्वक की जा रही है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के लिए गोरखपुर में 200+200 मैंगावाट के विद्युत केन्द्र की एक विशेष विद्युत उत्पादन स्कीम प्रस्तावित की गई है। 200 मैंगावाट के प्रथम सेट का, पांचवीं पंच वर्षीय योजना मैं चालू होने का प्रस्ताव हैं।

केरल में काजू उद्योग में संकट

3177. श्री वयालार रवि :
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में काजू उद्योग में संकट को दूर करने के लिए केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मई 1971 में केरल सरकार ने 15 बन्द काजू मिलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1.5 करोड़ रुपये का अनुदान तथा इतना ही ऋण मांगा था। केरल सरकार के इस अनुरोध पर उनके परामर्श से विचार किया गया

तथा राज्य सरकार को इस बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा 20 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त केरल राज्य काजू विकास निगम को भी भारतीय काजू विकास निगम द्वारा 20 लाख रुपए का ऋण दिया गया है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा धरना

3178. **श्री सुखदेव प्रसाद शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रदाय उपक्रम के कर्मचारियों ने हाल ही में दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के नई दिल्ली के कार्यालय के बाहर धरना दिया था; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) दिल्ली राज्य विद्युत कर्मचारी संघ की जनरल कौंसिल ने 24 जुलाई, 1972 को हुई अपनी बैठक में, कथित निम्नलिखित माँगों को पूरा न करने के लिए 26 जुलाई, 1972 को 8.00 बजे प्रातः से 48 घन्टे के धरने का फैसला किया था :—

1. राज्य विद्युत बोर्ड का निर्माण।
2. रिक्त पदों को भरना।
3. पदोन्नतियों के मान्य चैनल के अनुसार पदोन्नतियां।
4. शेष श्रेणियों के वेतनमानों का संशोधन।
5. दो महीनों में एक बार बिल देने की पद्धति को हटाना।
6. जनरल मैनेजर द्वारा जारी किए गए विभिन्न कार्यालय आदेशों का उचित कार्यान्वयन आदि, आदि :

जबकि उपर्युक्त मांग संख्या (1) पर भारत सरकार विचार कर रही है, दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के प्रबंधकों ने कर्मचारी संघ के साथ 3-8-72 को एक बैठक की जब कुछ अन्य मामलों को तय कर लिया गया। संघ की मांगों पर विचार करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के प्रबंधक हर संभव यत्न कर रहे है।

महानदी परियोजना (उड़ीसा) को पूरा किया जाना

3179. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानदी परियोजना (उड़ीसा) की कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) उड़ीसा की महानदी डेल्टा परियोजना के पांचवीं योजना के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ख) 68.38 करोड़ रुपए।

शाहदरा में हुई घटनाओं के बारे में

Re : Incidents at Shahdara

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतिराज सिंह चौधरी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे बताया जाता है कि स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी गई । श्रीमन् क्या आप इसे अनुमति प्रदान करेंगे ?...(**व्यवधान**) । हम आज प्रातः काल शाहदरा गए और वहां हमने पुलिस द्वारा किये गए अत्याचारों को देखा है । जो कुछ हमने वहां देखा है वह एक सभ्य समाज के लिये बड़े शर्म की बात है ।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : There should be a discussion in this House regarding the police atrocities committed there. We have tabled call Attention Notice on this subject but it has not been allowed...(interruptions)

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमें शाहदरा में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं । हमने वहां पुलिस के अत्याचारों के विषय में सुना है और वहां की वस्तु स्थिति देखी है । वहां महिलाओं तक को बड़ी निर्दयता से पीटा गया है । मेरा अनुरोध है कि आप मंत्री महोदय से इस बारे में वक्तव्य देने के लिये कहें जिसके आधार पर इस मामले पर चर्चा की जा सके ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह सच है कि मंत्रीमहोदय ने कल दोनों सभाओं में यह घोषणा की है कि हत्या के अतिरिक्त घटनाओं के सभी पहलुओं पर एक न्यायिक जांच कर आदेश दे दिया गया है । परन्तु न्यायिक जाँच का आदेश दे देने ही से सभा में चर्चा करने का अवसर समाप्त नहीं हो जाता है । इस सम्बन्ध में एक पूर्व उदाहरण उपलब्ध है । कुछ वर्ष पहले जब मध्य प्रदेश के जगदलपुर में बस्तर के महाराज की उनके अपने महल में हत्या की गई थी तब न्यायायिक जांच के आदेश देने के उपरान्त भी सदन पर चर्चा हुई थी । यह बहुत ही असाधारण बात है कि भारत की राजधानी में ऐसी घटनाएं घटी जायें । और उन पर लोकसभा किसी रूप में भी चर्चा कर पाने की स्थिति में न हो । यह आश्चर्यजनक बात है । पुलिस के अत्याचार अभी भी जारी है फिर न्यायिक जांच का अर्थ क्या है । सदन में इस विषय पर किसी न किसी रूप में चर्चा अवश्य होनी चाहिए ।

Shri Jagannath Rao Joshi : Mr. Speaker, Sir, After the judicial inquiry was ordered, there have been cases of police atrocities in Balbir Nagar to terrorise the wittnesses. Women, were dragged out maked from their houses while they were taking bath. It is really surprising that the things are happening before all of us and we are not in a position to discuss the matter here in this House.

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस घटना से पहले मैंने पुलिस के ऐसे अत्याचार कभी नहीं देखे । प्रत्येक घर पर हमला किया गया तथा महिलाओं, वृद्ध व्यक्तियों और बच्चों तक को नही छोड़ा गया । बड़े आश्चर्य की बात है कि लोक सभा इस मामले पर चर्चा नहीं कर सकती है ।

Shri K. S. Chavda (Patan) : Sir, at the time of voting on adjournment motion yesterday, Our ex-finance Minister Shri Morarji Desai also stood in support of it. But the All India Radio in its broadcast has said that he did not support the motion. All India Radio has given such false reports previously also...

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : There have been brutal atrocities. Women and children have been mercilessly beaten. There should be discussion in the House on this matter in some form.

श्री समर गुह (कन्टाई) : ऐसी घटनायें देश की राजधानी में हों और सदन को उन पर चर्चा करने का अवसर भी न दिया जाये तो लोगों की इसके प्रति क्या धारणा होगी। इस विषय पर किसी न किसी रूप में सदन में चर्चा कराना आपका कर्तव्य हो जाता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : कल जब यह मामला उठाया गया तो सरकार ने न्यायिक जांच कराने की घोषणा की थी। क्या सरकार के इतना कह देने भर से ही यह मामला समाप्त हो जाता है और आप सन्तुष्ट हो जाते हैं ? क्या सदन में किसी न किसी रूप में इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। सदन में इस विषय पर इसी समय चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दे दी थी। विरोधी दल के सदस्यों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिल सकी।

एक बात में मैं आप से सहमत हूँ कि हमें कुछ ऐसे उपायों पर विचार करना चाहिए जिससे घटनाओं के तथ्य सदन के समक्ष आ सकें। न्यायिक जांच की घोषणा के पश्चात किसी प्रकार की चर्चा पर अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि तथ्यों का विवरण देते हुए मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें तो यह उचित होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपको इस बात का पता है कि सदन में मंत्री महोदय के वक्तव्य देने के पश्चात भी दोपहर बाद पुलिस ने घरों पर छापे मारे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय में जाँच करें और इस सम्बन्ध में एक तथ्यात्मक वक्तव्य दें।

श्री बसंत साठे (अकोल) : यदि सदन में इस विषय पर चर्चा होती है तो न्यायिक जांच पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अत चर्चा किये जाने की बात मेरी समझ में नहीं आती।

अध्यक्ष महोदय : सचिव ने मुझे अभी सूचना दी है कि मंत्री महोदय ने इस विषय पर एक अल्पसूचना प्रश्न स्वीकार कर लिया है। इस सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने में मैं उदारता बरतूंगा।

Shri Jaganath Rao joshi. About adjournment motion, we could not muster strength. But why did yon not allow a call Attention motion tabled by us ?

A Short Notice question Cannot do Justice to this issue .

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सदन में एक तथ्यात्मक वक्तव्य दिया जायेगा, माननीय सदस्य उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने जो कुछ कहा है वह ठीक नही है...

अध्यक्ष महोदय : आपको हर समय ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : न्यायिक जांच, होमगार्ड आफिसर श्री ओंकार सिंह की हत्या के विषय में होगी। इस जांच के अन्तर्गत शाहदरा के लोगों को पीटे जाने की बात नहीं आती है। हम इसी विषय में चर्चा कराना चाहते हैं।.....

अध्यक्ष महोदय : जाँच के अन्तर्गत सभी बातें आती हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने जांच के क्षेत्र के विषय में भी नहीं बताया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : घटना के महत्व को देखते हुए क्या आप इस विषय पर एक अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार किये जाने से संतुष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय अल्पसूचना प्रश्न का उत्तर दें तब आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस विषय पर अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करने का अर्थ है घटना के महत्व को कम कर देना। अल्प सूचना प्रश्न पर होने वाली चर्चा में भाग लेना बेकार है।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव पेश करने की मैंने अनुमति दे दी थी। क्या घटना के महत्व को मैंने कम किया है अथवा माननीय सदस्यों ने। मैंने तो मामले को महत्वपूर्ण समझ कर ही इसकी अनुमति दी थी।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

Papers Laid on the Table

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि और न्याय मंत्रालय में राज मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 372 (ड.) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 मई, 1972 में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में संसदीय तथा विधान सभायी निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966 की अनुसूची 7 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3465/72]

———

संसदीय समितियाँ--कार्य का सारांश

Parliamentary Committees—Summary of work

सचिव : श्रीमन्, मैं मार्च 1971 से मई, 1972 की अवधि के सम्बन्ध में 'संसदीय समितियां कार्य का सारांश' की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

———

राज्य सभा से संदेश

Massages from Rajya sabha

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों को सूचना देनी है।

(एक) कि लोक सभा द्वारा 17 अगस्त, 1972 को पास किये गये आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1972 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा 21 अगस्त, 1972 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 अगस्त, 1972 को पास किये गये लोक ऋण (संशोधन) विधेयक, 1972 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

———

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1972 73

Suppplementary Demands for Grants General 1972-73

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1972-73 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

शाहदरा में हुई घटनाओं के बारे में-जारी

Re: Incidents at Shahdara-*Conted*

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं और लोगों की सेवा करने के लिए यहां आये हैं किसी सर्कस का प्रदर्शन देखने नहीं...

Shri Indrajit Gupta : The hon. Minister wants to say something.

Mr. Speaker : I do not-know what he wants to say.

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : मैं आपके विनिर्णय को सम्बन्धित मन्त्री तक पहुंचा दूंगा कि कल वह एक तथ्यात्मक वक्तव्य दें। यदि सदन इस बात से संतुष्ट हो तो वह कल के लिए एक अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करने के लिए सहमत हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया जाता ? (**व्यवधान**)

श्री राजबहादुर : मैं उन्हें आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में बता दूंगा कि या तो आज मध्याह्न पश्चात अथवा कल वह एक तथ्यात्मक वक्तव्य दें। उनसे अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार कर लेने के लिए तथा उस पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी हम कह सकते हैं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए क्यों नहीं कहते ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करने में क्या आपत्ति है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने मामले को स्थगन प्रस्ताव के रूप में सदन में पेश किये जाने का महत्व दिया था। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसके पश्चात के पुलिस के अत्याचारों ने अग्नि पर तेल डालने का काम किया है और अब आप इसे प्रतिस्थापन प्रस्ताव के महत्व का विषय भी नहीं समझते हैं.....

अध्यक्ष महोदय : सदन में इस सम्बन्ध में निर्णय किया जा चुका है। मैं एक अल्प सूचना प्रश्न के लिए भी अनुमति दे चुका हूं। इस सम्बन्ध में एक तथ्यात्मक वक्तव्य दिया जायेगा और माननीय सदस्य जितने प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस विषय पर

श्री एस० एम० बनर्जी : व्यवस्था विशेष के सम्बन्ध में...

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है। मैंने केवल माननीय सदस्यों को यह सूचना दी है कि कल जो निर्णय किया था वह स्वीकार नहीं किया गया। यह कोई व्यवस्था नहीं है। अतः व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एस० एम० बनर्जी : आपने अभी कहा है कि आपने एक अल्प सूचना प्रश्न को अनुमति दी है। अल्प सूचना प्रश्न की अनुमति अध्यक्ष द्वारा नहीं दी जा सकती, मन्त्री महोदय द्वारा दी सकती है.....

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न हमारे द्वारा ही मन्त्री महोदय के पास भेजा जाता है। यदि यह संगत नहीं होता तो हम इसे नहीं भेजते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम आपके इस प्रकार के व्यवहार से प्रसन्न नहीं हैं।

श्री समर गुह : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं उठ चुका हूं अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

सदस्यों की दोष–सिद्धि

Conviction of Members

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे उत्तर प्रदेश के (एक) जिला दण्डाधीश, मुरादाबाद और (दो) उप-मण्डल दण्डाधीश, बांदा के दिनांक 21 अगस्त, 1972 के निम्नलिखित दो तार-संदेश प्राप्त हुये हैं :

(एक) कि लोक सभा के सदस्य, श्री वीरेन्द्र अग्रवाल को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन करने के कारण जिला दण्डाधीश के आदेशों के अधीन 21 अगस्त, 1972 को मुरादाबाद में गिरफ्तार किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन विचारण दिया गया और उन्हें दण्डाधीश के न्यायालय के उठने तक की कैद का दंड दिया गया तथा दंड पूरा होने के बाद रिहा किया गया; और

(दो) कि लोक सभा के सदस्य, श्री राम रतन शर्मा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्रख्यापित निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के कारण 21 अगस्त, 1972 को बांदा नगर में लगभग 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन न्यायालय के उठने तक की कैद की सजा दी गई और उन्हें 17.00 बजे रिहा किया गया।

न जाने क्यों आप उन्हें वहां भेजते हैं ? मैंने यहां प्रस्ताव के लिए समय निर्धारित किया हुआ है और ये लोग वहाँ स्वयं को गिरफ्तार कराते फिर रहे हैं।

शाहदरा की घटनाओं के बारे में–जारी

Re : Incidents in Shahdara-Contd.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। तथ्यों के बारे में चर्चा के लिये आपने मन्त्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए कहा था तथा साथ ही एक अल्प सूचना प्रश्न की भी अनुमति दी है। क्या यह सच नहीं है कि अल्प सूचना प्रश्न का उद्देश्य तो तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना है जबकि वक्तव्य पर चर्चा करके परस्पर विचारों का आदान प्रदान भी हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप वास्तविक स्थिति के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री समर गुह : मन्त्री महोदय वक्तव्य दें तथा : इस पर चर्चा की अनुमति दी जाये।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में अधिक बहस की जरूरत नहीं है।

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : लोकसभा सचिवालय के कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शाहदरा से आते हैं पुलिस द्वारा पिटाई के कारण उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अल्प सूचना प्रश्न पर तो समय तथा विषय वस्तु की सीमा का प्रतिबन्ध होगा। मेरा अनुरोध है कि आप इस बारे में किसी चर्चा की अनुमति दे दें, अन्यथा इसका अर्थ दिल्ली पुलिस को लोगों की पिटाई करने का प्रोत्साहन ही होगा।

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना के पश्चात वह अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : किसी भी मन्त्री ने घटना स्थल का दौरा नहीं किया है। क्या मन्त्री महोदय चाहते हैं कि यमुना का पानी भी लाल हो जाये (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस मामले की जांच के लिए अदालती जाँच के आदेश दे दिये गये हैं और यहां की यह परम्परा है कि जिस मामले में अदालती जांच हो रही हो उस पर चर्चा न की जाये।

खादी तथा हथकरघा उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक

Khadi and other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Amendment Bill

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (**श्री ए० सी० जार्ज**) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विधेयक 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted

श्री ए० सी० जार्ज : मैं विधेयक पेश करता हूं।

इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक

Statutory Resolution Re : Disapproval of Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management Ordinance and Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Bill

अध्यक्ष महोदय : अब सभा डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय के निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई, 1972 को प्रख्यापित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का संख्या 6) का निरनुमोदन करती है ।"

तथा साथ ही श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् के उनके निम्नलिखित प्रस्ताव पर भी विचार करेगी

"कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के उपक्रम का, लोकहित में और उस उपक्रम का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए सीमित अवधि के लिए प्रबन्ध ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री स्वर्णसिंह सोखी अपना भाषण जारी रखें ।

Shri Swaran Singh Sokhi (Anand) : I would like to know why the Government are taking over this steel plant for two years only as has been said by the hon. Minister ; why should it not be nationalised altogether ? They will not be able even to take stock of the position in this short period of two years. Secondly, in time 22 of clause 3(2) the word "whether within or without India" should be substituted by whether within or outside India. There is mistake there.

The custodian appointed is merely an accountant and not an Engineer. Nepotism should not be allowed in regard to appointments on such posts. So far as expansion and repair work are concerned, that should be undertaken wholy by the central Bureau of Design and no foreign contractor should be given the contract of this job. We should completely do away with contract labour.

Change over from gas heating to oil firing system would prove very expensive and result in high prices of iron. They should utilse their coke oven and endeavour to increase the product through the existing system. Then, the repair work of the coke-oven Betteries No. 5 and 6 should be done departmentaly, and not on contract basis. Similarly, no compensation should be given to the I.I.S.C.O. and representative of labour should be nominated on the Board of Directors.

The present plant has non become quite old and needs renovation. The hon. Minister being a non technical man does not know any time about it, and it was because of this that once an officer pointed out that they simply take the signatures of the hon. Minister and therefore he is responsibile for all this...

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य का शायद यह कथन है कि बोकारो इस्पात के एक अधिकारी ने मंत्री महोदय से हस्ताक्षर करा लिये जब कि मंत्री महोदय को यह भी नहीं मालूम कि उक्त पत्र में वर्णित बातों का अभिप्राय क्या है । यह तो मंत्री महोदय पर एक गंभीर आरोप है । वह अधिकारी कौन है ? वह उसका नाम बतायें ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Shri Swaran Singh Sokhi : Will not tell the name since it is not permissible here.

The hon. Minister has made several promises to set the things right in the Bokaro Steel Plant. But all of them proved false. The inauguration of the Blast Furnace of Bokaro has been postponed again & again despite repeeted assurances. Then what is the use of making such promises.

Mr. Speaker : Before making such allegation, the information should be given to me in writing.

Shri Swaran Singh Sokhi : I have written about it not only to the Minister but I have also communated it in writing to the Prime Minister and pointed out that heavy losses were being incurred there are that the hon. Minister is not fit for that job since he is not an engineer.

Shri Sat Pal Kapoor (Patiala) : The hon. Member should not indulge in such utterances for which he cannot take responsibility or give proof. Such things should not be permitted here in the House.

श्री एस० एम० बनर्जी : यद्यपि मैं श्री एस० मोहन कुमार मंगलम की कोई हिमायत नहीं करना चाहता परन्तु क्या यह सच है कि उन्हे सरदार स्वर्णसिंह सोखी के विरुद्ध एक विदेशी कम्पनी के एक प्रबंध निदेशक का कोई आलोचना भरा पत्र प्राप्त हुआ है ?

Mr. Speaker : It should be clear that it is not Sardar Swaran Singh, the Minister Shri Swaran Singh is another person. It is not in good taste to say that such and such Managing Director of a foreign company has written letter of complaint etc. Ionce again make it clear that a written information has to be given to me before making any allegations in he House. Shri Banerjee is also doing the same mistake as Shri Sokhi has done.

Shri Shyam Nandan Mishra (Begusarai) : I want to raise a point of order. You have said, that before making allegations against any body here. You should be given prior intimation. But we name the Ministers so often ; should that also he intimated to you beforehand in writing ? I think it will not be proper. However it is not prompt that an hon. Member should get up abruptty to make allegations against another Member ...(interruptions)

Mr. Speaker : I can read out the rules saying that the speaker has to be inform in writing before making allegations against an hon. Minister or a Member. If you speak out. The name, you have to give me in writing. These rules are framed by all the Members & not by me above.

Shri Satpal Kapoor : Shri Sokhi has alleged that Shri S. Mohan Kumarmanglam has rainstated his brother.

Shri S. M. Banerjee : On a point of personal explanation. I may make is clear that I had no intention of defending the hon. Minister However I have noted that the hon. Member has got political motives against Bokaro Steel Plant. Allthought I have no objection to this kind of politics but if he can make allegations against the hon. Minister I too have knowledge of certain corruption charges against him. And if you permit, I can spellout the charges against him.

श्री भागवत झा आजाद : व्यवस्था के प्रश्न पर । मैं श्री सोखी तथा बनर्जी दोनों के ही कथन का समर्थन नहीं करता । इस प्रकार-एक दूसरे पर आरोप लगाना शोभा नहीं देता परन्तु श्री बनर्जी अपने भाषणों में प्राय: अधिकारियो आदि के नाम ले लेकर उन पर दोषारोपण करते रहते हैं और अब उनकी बातों से लगता है कि इस संदर्भ में भी उनका कोई राजनैतिक उद्देश्य निहित है । उन्हें एक नये सदस्य के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी । वह तो बहुत पुराने सदस्य है, वर्ष 1957 से इस सभा में है और रक्षा मंत्रालय से बर्खास्त किये जाने के बाद संसद में आये तथा अब रक्षा कर्मचारी संघ में हम साथ साथ हैं । परन्तु उन्हें एक नये सदस्य को एक प्रकार परेशान नहीं करना चाहिये । किसी व्यक्ति ने उनके विरूद्ध कोई पत्र लिखा है तो वे उन्हे बोकारों के बारे में बोलने भी न दें, यह ठीक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बनर्जी साहेब से कह चुका हूं कि उनकी आलोचन उचित नहीं थी परन्तु यहां हमारे मित्र को भी सहन शान्ति के साथ बोलना चाहिये ।

Shri Swaran Singh Sokhi : The General Managers and Managing Directors of all the public sector plants should be cautioned that there should be no decline in production; it should on the other hand be augmented. I am glad to know from the hon. Minister that the production in this plant has increased. If all the plants are attended to properly there is no reason why these plants should not achieved their full production capacity.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सरकार द्वारा उठाये गये इस पग का स्वागत है और सार्वजनिक रूप से भी इस कार्यवाही को भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है। परन्तु फिर भी हम यह कहेंगे कि उन्होंने यह कदम बड़ी ही देर से उठाया है क्योंकि किसी प्रबंध को तभी संभालना जबकि वह पूरी तरह ही नष्ट-भ्रष्ट हो चुका हो, तो कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि इस का प्रभाव अब यह पड़ेगा कि इस संयंत्र को पुनः इसके पैरों पर खड़ा करने के लिये अत्याधिक धनराशि खर्च करनी पड़ेगी।

इस संयंत्र में यह संकट कोई रात भर में नहीं आया था कि सरकार आश्चर्यचति होती कि उत्पादन इतना क्यों और कैसे घट गया। सरकार को प्रबंध बोर्ड में मनोनीत अपने प्रतिनिधियों से सब कुछ मालूम होता रहता था और इन्हीं के माध्यम से सरकार इस कंपनी की निगरानी कराने की भी अपेक्षा रखती रही थी जहां इसकी 57 या 58 प्रतिशत अंश पूंजी लगी हुई है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इस कंपनी की दशा कई वर्षों से बिगड़ती आ रही थी और सरकार इस दिशा में पूरी तरह सुस्त और काहिल रही और इसके प्रबंधकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जिन्होंने इस संयंत्र का विनाश कर डाला।

इस कम्पनी ने जुलाई 1966 में विश्व बैंक से अपनी संयंत्र-परियोजना पर संतुलन करने के लिये एक ऋण-करार पर हस्ताक्षर किये थे परन्तु जब तक 1969 में विदेशी मुद्रा ऋण की स्वीकृति मिलती विश्व बैंक ने इस कम्पनी की परियोजना की समीक्षा करनी चाही क्योंकि उसने भी शायद यह समझ लिया था कि यह कंपनी कोक-ओवन, जो कि उत्पादन में संकट का एक गंभीर कारण था, की ओर कोई ध्यान न देकर केवल विस्फोट-भट्ठी का आधुनिकीकरण करना चाहती है। बात कुछ भी रही हो परन्तु मार्च, 1970 तथा मार्च, 1971 में विश्व बैंक ने वह ऋण देना रद्द कर दिया। मंत्री महोदय श्री रघुनाथ रेड्डी के ही शब्दों में, जो कि उन्होंने गत सप्ताह एक प्रश्न के उत्तर में कहे थे—"विश्व बैंक ने वह ऋण रद्द कर दिया क्योकि वह इस कंपनी के सुदृढ़ प्रबंध के बारे में संतुष्ट नही था। जब विश्व बैंक इस कंपनी के प्रबध से असन्तुष्ट था तो क्या यह बात स्वीकार की जा सकती है कि सरकार को इस कंपनी के कुप्रबन्ध के बारे में कुछ पता ही नहीं था? ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी सरकार ने 1966 में 12.44 करोड़ रुपये के बोनस-शेयर जारी करने की अनुमति दी।

इस कंपनी ने चासनावाला कोयला खानों की एक विकास परियोजना आरम्भ की थी और इस संबंध में सब से अनोखी बात यह है कि इसने 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्षों 1970 तथा 1971 के वार्षिक प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया है कि इस कोयला परियोजना के कारण इसे ऐसे कुछ लाभ मिल रहे हैं जो अन्य आयात संयंत्रों को नहीं मिलते। इस प्रकार एक ओर तो यह कंपनी अपनी कोयला खान परियोजना से कुछ लाभ उठाती जा रही है और दूसरी ओर हम इस अवधि में देखते आ रहे हैं कि इस्पात संयंत्र के उत्पादन में बहुत ही कमी आई है, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं भी कहा है।

उपरोक्त तथ्यों के द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस समूचे संकट से सर्वथा असंबंधित या अनभिज्ञ सिद्ध नहीं हो सकती। सरकार को सभी कुछ मालूम था। आखिर अन्तर्राष्ट्रीय ऋण के बारे में सरकार ही तो गारंटी दात्री होती है। फिर प्रत्यक्ष अथवा परोक्षा रूप से सरकार के पास इस कंपनी के 58 प्रतिशत शेयर भी हैं। अतः मेरा कहना यह है कि यदि

सरकार ने इस कंपनी को पुनः इसके पैरों पर खड़ा करने के लिये यदि पहले, वचन दृढ़ता के साथ कार्यवाही की होती तो देश क्या देश के लोगों को इतनी हानि न उठानी पड़ती जितनी कि अब उठानी पड़ रही है।

अब मैं इस कम्पनी को अधिकार में लेने संबंधी प्रश्न को उठाता हूँ। कल जब किसी ने इसे केवल दो वर्ष तक के लिए अधिगृहीत करने का प्रश्न उठाया था तो मंत्री महोदय ने कहा था कि अब इस के प्रबंध को वापस करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। खैर यह तो समझ में आता है कि इसका प्रबंध पहले वाले प्रबंध कर्ताओं के हाथ में तो पुनः नहीं सौंपा जायेगा परन्तु क्या इसे किसी नये प्रबंधक को भी नहीं सौंपा जायेगा ? हम सर्वथा इसके विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं कि इस अधिग्रहण को स्थायी रूप से राष्ट्रीयकरण का एक चरण समझा जाये। इसका राष्ट्रीयकरण होने की बात बड़ी ही प्रबल है।

वर्ष 1953 में भारतीय आयरन एण्ड स्टील कंपनी तथा बंगाल के इस्पात निगम को मिलाकर यह एक कंपनी बनाई गई थी और तब से वर्ष 1971 तक इसकी जारी की गई तथा अंश-पूंजी चौगुनी होकर 7.88 करोड़ रुपये से 27.58 करोड़ रुपये हो गई। इसकी जमा राशि भी बढ़ कर सात गुणा हो गई तथा बोनस-शेयर की राशि भी दुगुनी हो गई। तीसरे शेयर-धारियों को 23.71 करोड़ रुपये की राशि लाभांश के रूप में दी गई। इस प्रकार निर्धारित पूंजी से कहीं अधिक राशि इस कंपनी से निकाल ली गई। अतः अब मुआवजा देने की बात का कोई महत्व नहीं रह गया है और इसको राष्ट्रीयकृत करने की बहुत बड़ी गुंजाईश है।

कल मंत्री महोदय ने बताया कि प्रबंध अधिकरण प्रणाली समाप्त किये जाने पर भी इस कंपनी के भूतपूर्व प्रबंध अभिकर्त्ता मार्टिन बर्न एण्ड कंपनी ने इस कंपनी से बड़ी बड़ी राशियां निकाल लीं हैं। यह बड़ी ही विचित्र बात है कि धोखा-धड़ी अब भी जारी है। इसी प्रकार अन्य अनेक कंपनियों में भी ऐसा ही हो रहा है जिनके बारे में हमें मालूम तक नहीं होता।

सरकार ने प्रबंध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने का विधेयक शायद इस उद्देश्य से पेश किया कि प्रबंध अभिकर्त्ताओं को कंपनियों से इस प्रकार कमीशन के रूप में बड़ी बड़ी राशियां निकाल लेने से रोका जा सके। परन्तु इन अभिकर्त्ताओं ने स्वयं को कंपनियों का सचिव बनाना शुरू कर दिया। मार्टिन बर्न एण्ड कंपनी को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी का सचिव समझते हैं और वर्ष 1964 से 1970 के बीच उन्होंने सर्वाधिक धन राशि केवल एक वर्ष 1966 में 35 लाख प्रबन्ध अभिकर्त्ता कमीशन के रूप में निकाली। क्या यह एक बहुत बड़ा धोखा नहीं है ?

फिर मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि क्या इस विधेयक के खण्ड 3 के अधीन मार्टिन बर्न एण्ड कंपनी तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के बीच सभी वर्तमान करार स्वतः ही समाप्त नहीं हो जायेंगे। मंत्री महोदय के उत्तर से तो मैं यही समझ सका कि सरकार का दृष्टिकोण तो यही है परन्तु यदि इस खण्ड को चुनौती दी गई तो फिर न जाने इसके क्या अर्थ निकलें। मगर इस बारे में भी कोई वैधानिक उपबन्ध तो बनाये ही गये होंगे। यह बात तो स्पष्ट की जानी चाहिये थी।

यद्यपि इस कम्पनी का उत्पादन कम होता जा रहा था फिर भी इस कम्पनी ने स्टेन्टन पाइप एण्ड फाउण्ड्री कम्पनी में, जो पश्चिम बंगाल से बाहर स्थित है, 2 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई। इस कम्पनी के तुलन पत्र से पता चलता है कि 14.66 करोड़ रुपये की राशि केवलमात्र

व्यक्तिगत प्रतिभूति पर अग्रिम के रूप में दी गई है। हम यह जानना चाहते हैं कि ये अग्रिम किन लोगों को दिए गए हैं।

बड़े-बड़े अधिकारियों को 5000 से 8000 रुपये तक के वेतन दिये जा रहे हैं। दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के जनरल मैनेजर को 3000 रुपये वेतन में दिये जा रहे हैं।

एक बात जो हैरान करने वाली है वह यह है कि एक ओर तो उत्पादन में गिरावट आ रही है और दूसरी ओर इसके लाभ में वृद्धि हो रही है। गैर-सरकारी क्षेत्र अप्राकृतिक रूप से उत्पादन में बाधाएं डालता है। ऐसा करने से लाभ में वृद्धि होती है। 1969 से 1971 तक उत्पादन में $1\frac{1}{2}$ मीट्रिक टन की गिरावट आई परन्तु इस अवधि में लाभ 3.2 करोड़ से बढ़ कर 3.68 करोड़ हो गया। यह किस प्रकार होता है ? वह उत्पादन क्यों बढ़ायें जबकि उत्पादन में कमी करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है।

प्रबन्धक मडल में सरकारी निदेशकों का योगदान सन्तोषजनक नहीं रहा है। मंत्री महोदय इस बारे में ध्यान दें। उनके होते हुए यह स्थिति किस प्रकार आ सकी ?

अध्यादेश जारी करने की आवश्यकताओं की व्याख्या करते समय माननीय मंत्री ने स्वयं यह कहा था कि इस संकट के तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण अकुशल तथा प्रबन्ध है। इसको सुधारने के विचार से क्या कार्यवाही की जा रही है ? अधिग्रहण से पूर्व जो व्यक्ति उप-जनरल मैनेजर (उत्पादन) के पद पर आसीन थे उन्हें अधिग्रहण से पश्चात जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। यह साधारण समझ की बात है कि उत्पादन में कमी के लिए मुख्य रूप से इसी पद पर आसीन व्यक्ति पर ही उत्तरदायित्व आता है परन्तु अब उन्हें ही जनरल मैनेजर बनाया गया है।

इसी प्रकार कम्पनी के मुख्य लेखापाल को वित्तीय नियन्त्रक बना दिया गया है। यदि उत्पादन की कमी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को ही उच्च पदों पर आसीन रहने दिया गया तो देश की जनता को विश्वास नहीं आ सकेगा कि कम्पनी की स्थिति में सुधार होगा।

हमारे देश की राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने सोवियत रूस और चैकोस्लावाकिया में इस्पात उद्योग का अध्ययन करने के पश्चात जो प्रतिवेदन दिया है उसमें कहा गया है कि रूसी इस्पात उद्योग में आयोजना का कार्य इस्पात संयंत्र में अनुभव वाले तकनीकी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस्पात संयंत्र का मुख्य वही होता है। जिसे इस उद्योग का पर्याप्त अनुभव होता है। परन्तु भारत में स्थिति सामान्यता इसके विपरीत है। इस उद्योग में उच्च पदों पर गैर-तकनीकी व्यक्ति आसीन हैं।

यह ठीक है कि हमारे देश में प्रशिक्षित तकनीशियनों की कमी है। परन्तु फिर भी मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि उन्हीं पुराने व्यक्तियों पर देश किस प्रकार विश्वास करे ?

विधेयक में दस व्यक्तियों के सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है। यह अच्छी बात है। परन्तु इन दस सदस्यों में से कम से कम दो प्रतिनिधि इस उद्योग के श्रमिकों अथवा यूनियनों के होने चाहियें। हमें श्रमिकों के प्रति अपनी पुरानी नीति अब छोड़ देनी चाहिये। वास्तविक रूप से कार्य करने वाले लोग कार्य के बारे में अधिक सुचारू सुझाव देने के समर्थ होते हैं।

अन्त में मैं यह कहूँगा कि इस संयंत्र का अथवा अन्य संयंत्रों को जो दोष है वह है औद्योगिक सम्बन्ध । अब तक यह कम्पनी श्रमिकों के प्रति प्रतिक्रियावादी रुख अपनाए थी । यदि हम इस कम्पनी के अध्यक्ष के पिछले वर्षों के भाषणों को देखें तो प्रतीत होगा कि वे श्रमिक विरोधी भाषण थे । मैं यह नहीं कहता कि श्रमिक कभी गलती नहीं करता । परन्तु इस संयंत्र के उत्पादन में ह्रास के लिए मुख्य रूप से प्रबन्धक दोषी हैं न कि श्रमिक । अब श्रमिक ने सहयोग का प्रस्ताव किया है अतः मन्त्री महोदय औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारें और श्रमिक संघों को प्रबन्ध से सम्बद्ध करें जिससे कि विवाद शीघ्रता से सुलझ सकें ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : माननीय मन्त्री एक कुशल व्यक्ति हैं । वह समझते हैं कि कब लोहा गरम होता है और कब उस पर चोट की जाती है । पिछले तीन चार महीने से बातचीत चल रही थी परन्तु किसी को भी खबर न हुई । इस कम्पनी के संयंत्र में 25,000 से अधिक श्रमिक काम करते हैं और इसकी कोयला खानों में और अन्य स्थानों पर लगभग 15,000 व्यक्ति कार्य करते हैं । यह गैर-सरकारी क्षेत्र का दूसरा बड़ा इस्पात संयंत्र है । इसके प्रबन्ध में दोष था । इसका उत्तरदायित्व प्रबन्धकों एवं श्रमिकों पर आता है । यदि कम्पनी के कार्यों में सफलता प्राप्त की जानी है तो श्रमिकों को प्रबन्धकों को अपना पूर्ण सहयोग देना होगा । दुर्भाग्य से जिस किसी उद्योग को सरकार अपने हाथ में ले अथवा उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए वहाँ के श्रमिक हड़ताल कर देते है । इस प्रकार की बात कम से कम कुछ समय तक नहीं होनी चाहिये । 1965-66 से पूर्व कम्पनी का कार्य बहुत अच्छा था परन्तु तब से इसके उत्पादन में उत्तरोत्तर गिरावट आई है । इस दृष्टि से यह कदम बहुत ही अच्छा है और उचित समय पर उठाया गया है । यह कहा जा सकता है कि जब उत्पादन में 1966-67 से यह गिरावट प्रतीत हो रही थी तो यह पग पहले क्यों नहीं उठाया गया । इसको समझने के लिए हमें पश्चिम बंगाल की राजनैतिक स्थिति को जानना होगा । इस सारी अवधि के बीच राज्य में राजनैतिक दल श्रमिकों के साथ खिलवाड़ करके राज्य में अशांति फैला रहे थे । इसी कारण सरकार को उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी ।

इस कार्य के लिए मन्त्री महोदय बधाई के पात्र हैं । आशा की जा सकती है कि वर्तमान मन्त्री महोदय के कार्यकाल के दौरान इस्पात उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (धरापुरम्)* : मैं सिद्धांत रूप से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ । माननीय मंत्रीय ने कहा है कि इस उपक्रम के प्रबन्ध को सरकार ने मुख्यता इस कारण से अपने हाथ में लिया है कि इसके प्रबन्धक उत्पादन में निरन्तर ह्रास की स्थिति पर काबू पाने में असफल रहे थे । उन्होंने संयंत्र के आधुनिकीकरण तथा विस्तार की योजनाएं कार्यान्वित करने की ओर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया । यह भी कहा गया है कि सरकार ने कम्पनी को दो वर्ष के लिए अधिकार में लिया है जिसमे इसके प्रबन्ध को सुधारा जा सके और देश की इस्पात की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में जनता को लाभ हो सके ।

मैं दो वर्ष की सीमित अवधि के लिए प्रबन्ध हाथ में लेने के प्रश्न पर इसका विरोध करता हूं । यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार दो वर्षों की अवधि के पश्चात इस उपक्रम को अपने नियन्त्रण में रखेगी अथवा नहीं ।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर
English translation of the speech delivered in Tamil.

माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि दो वर्ष की अवधि के पश्चात इस उपक्रम को पुराने प्रबन्धकों को लौटा नहीं दिया जाएगा अपितु इसे नये प्रबन्धकों को अवश्य दिया जा सकता है। इसको देखते हुए मन में एक आशंका उत्पन्न होती है कि सरकार इसका राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी। इस उपक्रम का अन्तिम स्वरूप क्या होगा इसको स्पष्ट किया जाये।

इस उपक्रम को अधिकार में लिया जाना अजीब बात नहीं है। वस्तुतः यदि इसे अधिकार में न लिया गया होता तो वह भी अजीब बात होती जब कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने इसमें 58 प्रतिशत पूंजी लगा रखी थी।

अधिकार में लिए जाने के पश्चात इस उपक्रम के उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह अच्छी बात है। परन्तु यदि सरकार इतनी दक्ष है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को अधिकार में लेते ही इसका उत्पादन बढ़ा दिया गया है तो सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में सुधार लाने के लिए इसी प्रशासकीय दक्षता का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में उत्पादन पूर्ण स्थापित क्षमता के स्तर पर नहीं हो रहा। यह विषमता सराहनीय नहीं है। मांग तथा घरेलू उत्पादन के बीच बढ़ रहे अन्तर को तभी कम किया जा सकता है जब सरकारी क्षेत्र के इस्पात सयंत्रों को भी उसी दक्षता से चलाया जाये जिस दक्षता से इस उपक्रम को चलाया जाना प्रारम्भ किया गया है।

हिन्दुस्तान स्टील में दो वर्ष के अनुभव वाले व्यक्ति को इस कम्पनी का अभिरक्षक बनाया गया है। वह लेखापाल हैं। यह कैसे आशा की जा सकती है। कि वह एक इन्जीनियरिंग कम्पनी को दक्षतापूर्वक चला लेंगे ?

सरकारी वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त इस कम्पनी के 30 लाख रुपये के लगभग के शेयर गोयनका के पास हैं। हाल ही में इस के शेयर बेचे गये हैं और हस्तान्तरित भी किये गये हैं। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए कि ये शेयर किस को बेचे गये हैं।

भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। चेकोस्लोवाकिया फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, जापान तथा फिलिपीनस में प्रति व्यक्ति खपत के आँकड़े क्रमश: 594, 443, 659, 603 तथा 35 किलो ग्राम हैं जब कि भारत की खपत केवल 11 किलो ग्राम है। हम देश में उपलब्ध लौह अयस्क का पूर्ण और समुचित उपयोग नहीं कर रहे। हम अपने अयस्क का निर्यात कर रहे हैं। हमने आशा की थी कि नये मंत्री द्वारा नीति को फिर से निर्धारित किया जायेगा परन्तु यह आशा निर्मूल सिद्ध हुई है।

हमारी तीन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा चौथी योजना भी समाप्त होने को है परन्तु आयोजित प्रयासों के बाबजूद भी हम लक्ष्यों और उपलब्धियों के अन्तर को कम नहीं कर पाये।

हमारे इस्पात निरन्तर बढ़ रहे हैं। 1950-51 में हमने 20 करोड़ के इस्पात का आयात किया परन्तु 1970-71 वर्ष की अप्रैल-दिसम्बर अवधि में हमने 101 करोड़ रुपये के मूल्य के आयात किये। लौह अयस्क का निर्यात बढ़ रहा है इस्पात का उत्पादन कम हो रहा है। विभिन्न प्रकार के इस्पात के निर्यात में वृद्धि हो रही है। इन कारणों से इस्पात के मूल्य में भारी वृद्धि हो गई है। इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के साथ अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। उदाहरणतया कृषि उपकरणों के मूल्य में वृद्धि हो गई है जिससे खाद्य उत्पादन की दिशा में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। अत: माननीय मंत्री को इस्पात के मूल्य घटाने की दिशा में कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

तमिल नाडु में सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना की मांग स्वीकार कर ली गई है। केरल के लोग भी इस्पात संयंत्र की स्थापना की मांग कर रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि इस मांग को स्वीकार किया जाए।

श्री के० गोपाल (करूक) : यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि सदन के सभी वर्गों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। परन्तु इसके साथ ही कुछ सदस्यों ने यह पूछा हैं कि इसे केवल दो वर्षों के लिए ही अधिकार में क्यों लिया जा रहा है। यदि यह पग राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहला है कदम तो मैं इसका स्वागत करता हूं। इस कम्पनी को अधिकार में लेने के लिए कम्पनी का कुप्रबन्ध और उत्पादन की कमी के कारण बताये गए हैं। इस संयंत्र की निर्धारित क्षमता 10 लाख मैट्रिक टन है। 1963-64 में इसका उत्पादन 10·27 लाख मीट्रिक टन था जब कि अप्रैल-मई 1972 की अवधि में यह निर्धारित क्षमता का 40 प्रतिशत रह गया था। इसका मुख्य कारण कुप्रबंध है। उन्हें ज्ञात था कि एक दिन इसे अवश्य ही सरकार अधिकार में ले लेगी इसी कारण प्रबन्ध में सुधार नहीं किया गया।

संयंत्र में उत्पादन की कमी इस कारण से नहीं है कि संयंत्र उत्पादित नहीं कर सकता अपितु जानबूझ कर यह स्थिति लाई गई। इसकी ओर ऊपरी व्यय बढ़ते रहे। सयंत्र का रखरखाव व्यय बढ़ता रहा। इस कम्पनी का नियन्त्रण एक परिवार के हाथों में था जबकि उस परिवार के पास केवल 0.5 प्रतिशत शेयर थे। सरकार के अधिकार में 53 प्रतिशत शेयर थे और इसके तीन प्रतिनिधि निदेशक थे परन्तु फिर भी सरकार कुछ भी करने में असमर्थ थी।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार के 53 प्रतिशत शेयर हैं तो वह स्थिति में सुधार करने में क्यों असमर्थ रही। प्रबन्धकों ने विशेषज्ञों की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सका।

प्रबन्धकों को पहले से ज्ञात था कि एक न एक दिन सरकार इसे अपने अधिकार में ले लेगी। इसी कारण वे वर्षों से इस संयंत्र की उपेक्षा करते रहे। वे उस संयंत्र से अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते थे।

उनका आठ कम्पनियों से सम्बन्ध था जिसमें से एक इण्डियन स्टेडर्ड बेगंस नामक कम्पनी भी थी जिसे मुफ्त इस्पात सप्लाई किया जाता रहा था। मेरी समझ में नहीं आता बोर्ड में बैठे सरकारी प्रतिनिधि आखें बन्द करके ऐसी अनियमितता को कैसे देखते रहे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यकुशलता में कमी आने का उल्लेख किया गया है। किन्तु यह बुराई सरकारी नीति से सम्बद्ध न होकर कार्य की प्रणाली से सम्बद्ध है। माननीय मंत्री ने गत वष घोषणा की थी कि बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। यदि यह कदम पहले ही उठावा जाता तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इतना घाटा न होता। मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित सलाहकार बोर्ड में कम से कम श्रमिकों के तीन प्रतिनिधि रखे जाए। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इन कारखानों मे मुख्य अधिकारी तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए जिससे कार्य ठीक प्रकार चल सके। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस कार्य के लिये उपयुक्त नहीं है।

अन्त में मैं इस कानून का स्वागत करता हूँ यद्यपि मैं इसे सन्तोषजनक नहीं मानता। मेरे विचार से सरकार को इसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये था।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरे विचार से यह व्यवस्था बहुत पहले की जानी चाहिए थी। सरकार तथा सरकारी वित्तीय संस्थानों ने बहुत पहले अधिकतम शेयर प्राप्त कर लिये थे जब गोयंका ने 1971 में कुछ शेयर बेचे थे। सरकार को तभी यह कदम उठाना चाहिए था।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

आश्चर्य की बात है कि ऐसी स्थिति में सरकार ने इसको अध्यादेश जारी करके अपने अधिकार में क्यों लिया जब कि इसे औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अपने अधिकार में लिया जा सकता था। इसके कारण देश को भारी क्षति उठानी पड़ी।

हमारे इस्पात क्षेत्र में उपनिवेशी अर्थ व्यवस्था तेजी से पनपती जा रही है। देश से लगभग 210 लाख टन लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है जबकि उससे हमें अपने देश से 90 लाख टन इस्पात की प्राप्ति हो सकती है। किन्तु सरकार देश में वर्तमान इस्पात कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग करने तथा उनमें इस्पात बनाने की बजाए विदेशों में इस्पात का आयात करना अधिक पसन्द करती है।

यदि हम अपने देश में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का मुकाबला करना चाहते हैं तो सरकार को इस रवैये का त्याग करना होगा तथा उसे देश में इस्पात बनाने की क्षमता में विस्तार करना होगा। जापान प्रति वर्ष अपनी इस क्षमता में वृद्धि करता जा रहा है तथा एक दिन वह इस क्षेत्र में बड़े से बड़े राष्ट्र को पीछे छोड़ देगा।

राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति हानिकारक है। सरकार केवल ऐसे संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करती है जो संकट ग्रस्त होते हैं तथा जिनका भार सरकार को उठाना पड़ता है। उनसे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की बजाए हानि होती है। मेरा सुझाव है कि सरकार राष्ट्रीयकरण को समाजवादी दृष्टिकोण के साथ लागू करे जिससे देश की अर्थ व्यवस्था में सुधार हो।

इस्पात की मांग और पूर्ति के अन्तर को समाप्त करने के लिए 20 लाख टन इस्पात की आवश्यकता है। इसका एक उपाय तो यह है कि वर्तमान कारखानों की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए। किन्तु जहां तक इस कारखाने का सम्बन्ध है उसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है वस्तु स्थिति यह है कि उनके उत्पादन में कमी होती जा रही है। यदि सरकार वास्तव में इस्पात की कमी को पूरा करना चाहती है तो उसे 'टिस्को' को भी अपने अधिकार में ले लेना चाहिए था। मैं यह सुझाव इस लिये दे रहा हूं कि 'टिस्को' स्वयं अपना विस्तार नहीं कर सकती, यद्यपि उसमें श्रमिकों और प्रबन्धकों में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। इस्पात की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सरकार ही 'टिस्को' का विस्तार कर सकती है क्योंकि उसके प्रबन्धकों की इतनी क्षमता नहीं है वे उसका विस्तार कर सकें।

इस्पात के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि से टाटा बन्धुओं को 4-5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है जबकि लाभप्रदता में केवल 2 करोड़ रुपये की कमी हुई। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगपतियों को बढ़े मूल्यों से इतना मुनाफा होता है तथा फिर भी वह उद्योगों का विस्तार नहीं करते तो उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र में रखना न्याय संगत नहीं है। अतः इस समय 'टिस्को' को भी सरकार अपने अधिकार में ले ले तो अधिक उपयुक्त होगा।

यदि सरकार वास्तव में पांचवीं योजना के दौरान इस्पात की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहती है तो उसे इस यूनिट को भी अपने अधिकार में लेना चाहिए तथा उनका विस्तार करना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्र पाडा): मेरे जीवन में ऐसे अवसर बहुत ही कम आये हैं जब मैंने सरकार द्वारा लाये गये किसी विधेयक का समर्थन किया है । इस विधेयक को लाए जाने के उद्देश्य अत्यन्त सराहनीय हैं ।

इस विधेयक के बारे में आशंका, सन्देह का जो वातावरण है, उसके बारे में मन्त्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ।

जैसा कि मन्त्री महोदय ने कल बताया था कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में 49 प्रतिशत पूंजी सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा लगाई गई है, परन्तु सरकार के बारे में केवल चार निदेशक ही हैं । सरकार की इतनी पूंजी लगी होने और उसके चार निदेशक होने के बावजूद भी कम्पनी का लगातार ह्रास क्यों होने दिया गया । राजनैतिक चन्दों के बारे में निराशा हाथ लगने के बाद ही यह कदम उठाया गया है ।

इस कम्पनी का प्रबन्ध केवल 2 साल के लिए ही क्यों सरकार अपने हाथ में ले रही हैं ? इस संयंत्र के आधुनिकीकरण आदि में ही दो साल की अवधि लगेगी । क्या यह सयुक्त क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने की प्रक्रिया की शुरूआत है ? क्या करदाता की कीमत पर प्राइवेट क्षेत्र को भारी मुनाफा पहुँचाया जायगा ?

प्रत्येक क्षेत्र में बाहुल्य के बावजूद हम सम्पूर्ण विश्व के इस्पात उत्पादन का केवल एक प्रतिशत इस्पात का ही उत्पादन कर पाते हैं । वर्ष 1948 में जापान केवल 10 लाख टन इस्पात का उत्पादन करता था जो अब 970 लाख टन इस्पात का उत्पादन कर रहा है और हमारे पास लौह अयस्क, कोयला, मेंगनीज और कम वेतन पर श्रमिक उपलब्ध होने पर भी हम 60 लाख टन इस्पात का उत्पादन कर पाते हैं, जबकि जापान को सारा कच्चा माल आयात करना पड़ता है । बजट पेश करते समय 40 करोड़ रुपये के मूल्य के इस्पात के आयात का अनुमान लगाया गया था, परन्तु अब 200 करोड़ रुपये के मूल्य का इस्पात आयात करना पड़ रहा है । उस समय 72 लाख टन इस्पात पिण्डों अथवा 54 लाख टन परिष्कृत इस्पात के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, जबकि परिष्कृत इस्पात की हमारी मांग 61·30 लाख टन है; परन्तु सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों में इस्पात उत्पाद में कमी आई है । वर्ष 1972 73 की पहली तिमाही में 11 लाख टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य था । परन्तु 8·74 लाख टन इस्पात का ही उत्पादन हो सका है ।

हिन्दुस्तान स्टील लि० के इस्पात संयंत्रों के सरकारी प्रबन्धक 60% क्षमता का भी अभी तक उपयोग नहीं कर सके हैं । मन्त्री महोदय ने कहा कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी अधिस्थापित क्षमता का मुश्किल से 5० % ही उपयोग कर रही थी । लेकिन सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के बारे में क्या स्थिति हैं ? बोकारो कारखाना इस साल जून के शुरू में चालू हो जाना चाहिए था, परन्तु अब वह अगले वर्ष के मध्य तक चालू नहीं हो पायेगा और प्रत्येक महीने वेतन आदि के रूप में 50 लाख रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं ।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और मन्त्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि देश को 200 करोड़ रु० के मूल्य के इस्पात का इस वर्ष आयात नहीं करना पड़ेगा और सरकारी सयंत्रों मे क्षमता अप्रयुक्त नहीं पड़ी रहेगी और इस्पात के उत्पादन में वृद्धि होगी ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अब वह समय नहीं आ गया है जब हमें साहस और लगन के साथ कुछ मौलिक नीतियों का अनुसरण करना चाहिए और इस्पात ; सीमेंट आदि सभी मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए ? जब किसी आर्थिक संकट ग्रस्त कारखाने का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में लेती है तो इसका प्रबन्ध पूरी तरह से अपने हाथ में क्यों नहीं लेती । इस समय मुआवजा बहुत कम देना पड़ेगा, परन्तु दो साल बाद जबकि आप काफी पूंजी लगा चुकेंगे, उस समय शेयर का भाव अधिक हो जाएगा और फिर उसके मुआवजे की समस्या उपस्थित होगी । आर्थिक संकट ग्रस्त कारखानों का खाते में अंकित मूल्य पर अधिग्रहण किया जाना चाहिए इस समय भी प्रायः सर्वसम्मत राय यह है कि पूरे कारखाने का अभी पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया जाय । इस सुझाव को स्वीकार किया जाना चाहिए ।

अगर हम यह चाहते हैं कि सरकारी-क्षेत्र के कारखाने सफलतापूर्वक कार्य करें, तो हमें श्रमिक वर्ग पर विश्वास करना होगा । कर्मचारियों को प्रबन्ध में पूरा भाग लेने का अधिकार होना चाहिए और उन्हें शेयर होल्डर भी बनाया जाना चाहिए । कर्मचारियों को अपने प्रतिनिधि चुनकर निदेशक बोर्ड में भेजने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जैसा कि यूगोस्लाविया और अन्य देशों में होता है। कर्मचारियों के बीच असन्तोष भी इससे समाप्त हो जायेगा ।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव इस कार्यवाही के विरोध में पेश किया है, उसका मैं विरोध करता हूं ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : सामान्यतया जो पार्टियाँ सरकार की कार्यवाही का विरोध करती हैं, उन्होंने भी इस मामले में सरकार का समर्थन किया है, जिससे पता चलता है कि सरकार का निर्णय कितना सही था ।

कुछ सदस्यों ने इस प्रकार की कार्यवाही में विलम्ब की आलोचना की हैं । कुछ हद तक यह आलोचना ठीक भी है । वर्ष 1971-72 में उत्पादन घटकर 6,17,000 टन रह गया था, तब यह समझा गया था कि यह कमी वर्ष 1967-68 और 1971-72 के बीच खराब औद्योगिक सम्बन्धों के कारण रही होगी । मेरे विचार में यह पूर्णतः सही नहीं है ।

माननीय सदस्यों ने निदेशक बोर्ड में सरकार द्वारा नामजद सदस्यों की इस बात के लिए आलोचना की है कि उन्होंने कम्पनी के कार्यकरण पर पर्याप्त ध्यान क्यों नहीं दिया और सरकार के ध्यान में यह बात क्यों नही लाई गई ? मैंने पिछले डेढ़ साल से इस्पात मन्त्रालय का कार्यभार संभाला है और उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा नामजद सदस्यों ने बोर्ड के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया है और उन्होंने उसकी बिगड़ती हुई स्थिति मेरे ध्यान में लाई, जिसके परिणाम-स्वरूप सरकार को इण्डियन आयरन के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का निर्णय करना पड़ा ।

कोक ओवन बैटरी 5 और 6 का पुनर्निर्माण करने और उन्हें फिर से चालू करने की पहल सरकारी निदेशकों ने की थी । विस्तार और सुधार की नई योजनायें भी सरकारी निदेशकों के आग्रह पर प्रारम्भ की गई थी । परन्तु एक बड़े इस्पात संयंत्र का प्रबन्ध हाथ में लेने से पूर्व सभी प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है ।

पुराने प्रबन्धक बोर्ड के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त ने प्रश्न उठाया था कि उसके बारे में क्या किया जायेगा ? भूतपूर्व उप महाप्रबन्धक श्री एन० आर० दत्त जिन्हें अब मुख्य प्रबन्धक नियुक्त किया गया है, को विगत असफलताओं के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन्हे कोई विशेष दायित्व नहीं सौंपा गया था । नये व्यक्ति की बजाय उन्हें इसलिए भी नियुक्त किया गया है, क्योंकि वह उसके कार्यकरण से परिचित हैं और इस बीच उनके कार्यकरण पर भी निगाह रखी जायगी । प्रबन्ध व्यवस्था के संचालन को गठित करने सम्बन्धी योजनायें भी हमने बनाई हैं । वर्तमान अभिरक्षक इस समय दो दायित्वों को संभाले हुए हैं अर्थात वह हिन्दुस्तान स्टील के वित्तीय निदेशक भी हैं । उचित समय पर अभिरक्षक नियुक्त करने का हमारा प्रस्ताव है ।

प्रबन्ध व्यवस्था की कुछ त्रुटियों को दूर करने का भी हमारा विचार है । फिलहाल हम कुछ पुराने प्रबन्धकों को उनके पदों पर रख रहे हैं और उसके उत्पादन में सुधार हुआ है । मगर फिर भी हम सतर्क हैं । मैंने और सचिव ने बर्नपुर की स्वयं यात्रा की है और दुर्गापुर से कोक एवं कोलतार प्राप्त कर रहे हैं और वायलर एवं क्रेनें भी प्राप्त कर रहे हैं ।

गैर तकनीकी व्यक्तियों को पदाधिकारी नियुक्त करने के बारे में आलोचना की गई है । भिलाई और रूरकेला में तकनीकी व्यक्ति ही महा प्रबन्धक हैं और दुर्गापुर में विशेष कारणों की बजह से गैर-तकनीकी व्यक्ति को महाप्रबन्धक नियुक्त किया गया था । गैर-तकनीकी व्यक्ति भी वर्षों के अनुभव से अपने व्यवसाय में सफल सिद्ध हुए हैं ।

प्रबन्ध हमने अपने हाथ में दो वर्ष के लिए इसलिए लिया है, क्योंकि हमें यह सलाह दी गई थी कि अगर प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए कोई विशेष अवधि निर्धारित नहीं की गई. तो कानून के अनुसार प्रबन्धक-मुआवजा भी देना पड़ सकता है । हमने अभी इस बारे में भी पूरी तरह से निश्चय नहीं किया है । कि प्रबन्धक की क्या स्थायी व्यवस्था होनी चाहिये । मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि पुराने अथवा नये प्राइवेट प्रबन्धकों को प्रबन्ध सोंपने का कोई प्रश्न ही नहीं है । प्रश्न यह है कि अभिग्रहण का स्वरूप क्या हो, अभिग्रहण किया जाय, कितना मुआवजा अदा किया जाय, या शेयर खरीद लिए जाएं आदि आदि यह सब भी सदन की सहमति से ही हो सकेगा । प्रबन्धकों को कोई ठेके नहीं दिये जायेंगे । प्रबन्ध पूर्णतः अभिरक्षक के हाथ में होगा और सलाहकार बोर्ड उसकी सहायता करेगा ।

एक सुझाव यह भी दिया गया कि सलाहकार बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए । मजदूर संघों के बीच मतभेदों के कारण कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सलाहकार बोर्ड में शामिल कर पाना मुश्किल हो जाता हैं । हिन्दुस्तान स्टील के बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की भी सरकार की इच्छा है । परन्तु हम इसे सांविधिक शर्त नहीं बनाना चाहते क्योंकि इसमे कई कठिनाइयां पैदा हो जाती है जैसा कि बैंकों के मामले में हुआ है । फिर भी मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि हम इस बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि अवश्य रखना चाहते हैं और हमें पूरी आशा है कि ऐसा करने में हम अवश्य सफल होंगे ।

औद्योगिक संबंधों में हम क्रान्ति लाना चाहते हैं यद्यपि हम इसमें होने वाली कठिनाइयां भी कम नहीं समझते ।

मैं श्रमिक संघों से संबंधित सदस्यों से अपील करता हूँ कि वे बर्नपुर की शिफ्ट-साइकल की कठिन समस्या हल करने में अपना सहयोग दें। वहां पहले कुछ श्रेणियों के श्रमिक कोई सप्ताहिक छुट्टी लिए बिना अपने काम के घंटों के अलावा बहुत काम करते थे, जिससे उनकी आय काफी अधिक थी, यद्यपि ये विधि विरुद्ध है। अब ऐसे लोग कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं और 1971 में हुए समझौते का विरोध कर रहे हैं। अतः वहां स्थिति सामान्य बनाने और बेहतर संबंधों की खातिर संघों के नेता सदस्य अपने प्रभाव प्रयोग करें।

जहां तक इस कम्पनी के कार्यों का संबंध है इसमें शेयर धारियों के शेयरों की संख्या से कोई अन्तर नहीं पड़ता।

श्री गोपाल का आरोप चौंकाने वाला है। मैं इसकी जाँच करके ही कुछ कहूँगा। मुझे लगता है कि यह सच नहीं।

श्री मिश्र ने पूछा था कि अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसे औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जा सकता था, परन्तु इस में कुछ कठिनाइयां थी इस लिए ऐसा नहीं हो सकता था।

टाटा आयरन एण्ड स्टील के बारे में मैं अभी इतना ही बता सकता हूँ कि यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है। यह बात भी ठीक है कि इस्पात उद्योग का विकास अधिक कारखाने लगाने की अपेक्षा विद्यमान कारखानों के विस्तार से ही किया जा सकता है। इस संबंध में सरकार उचित समय में कोई निर्णय लेगी जिसकी सूचना सभा को अवश्य दी जाएगी।

श्री मिश्र ने इस्पात उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न उठाया है तो मेरा निवेदन हैं कि इसका अधिकांश लाभ हिन्दुस्तान स्टील को मिलेगा। न कि टाटा को। हां टाटा को कुछ लाभ तो मिलेगा ही।

श्री सोखी ने बोकारों के बारे में एक-दो बातें कही हैं। यह ठीक है कि कुछ विलम्ब हुआ है। रूसी विशेषज्ञों की सलाह थी कि कोक भट्टी और सिंटरिंग तथा वायलर प्लाटों पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाये क्योंकि अब यदि गलती हुई तो बाद में इससे भारी हानि उठानी पड़ेगी। यह ठीक है कि हमें धन की हानि हो रही हैं परन्तु परिस्थिति वश ही ऐसा हो रहा है।

श्री महंत्ती के प्रश्न के बारे में मुझे यही कहना है कि यह ठीक है कि मैं अपने वचन का पालन नहीं कर सका परन्तु अपनी ओर से हम हिन्दुस्तान स्टील प्लांट में स्थिति सुधारने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। सुधार लाने में कुछ समय तो लगता ही है।

दुर्भाग्यवश इस वर्ष के पहले तीन मासों में दुर्गापुर और राऊरकेला में बिजली की कटौती से हमें बहुत क्षति हुई है।

भिलाई में कोक भट्टी प्लांट में ग्रीषम कालीन महीनों में बहुत अधिक श्रमिक अनुपस्थित रहे। आशा है भिलाई में सुधार होगा जैसा कि रऊरकेला में हो रहा है। दुर्गापुर और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बारे में भी मैं आशावादी हूं।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि एक दो वर्ष में हम इस सम्बन्ध में जो स्थिति बताएंगे वह संतोषजनक मानी जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक पर सभा का अनुमोदन चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने सभी कर्मचारियों को हटाने की बात नहीं कही थी। मैंने तो यह

कहा था कि उन वरिष्ठ अधिकारियों को जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है, पदोन्नति देना कहां तक उचित है ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : सरकारी निर्णयों के इस प्रकार गुण दोष बताना उचित नहीं है । मैं केवल यही चाहता हूँ कि हमें अपने कार्यों के उचित अनुचित होने का पता करने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं एक बात और जानना चाहता हूं । क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का कार्यालय कलकत्ता स्थित मार्टिन बर्न के मुख्यालय में ही बना रहेगा ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : अभी तो और कोई धारा नहीं है । इसे बदलने में तो कुछ समय लगेगा, क्योंकि पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है । मैं उन्हें इतना आश्वासन देता हूं कि इस से इस कम्पनी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय यहां नहीं है । अब मैं उनका संकल्प सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई 1972 को प्रख्यापित इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (प्रबंध-ग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का अध्यादेश संख्या 6) का निरनुमोदन करती हैं ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The Motion was Negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इंडियन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के उपक्रम का, लोक हित में और उस उपक्रम का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने हेतु सीमित अवधि के लिए प्रबन्ध-ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड-वार विचार आरम्भ करते हैं । खंड 2 पर कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है ।

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The Motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खंड 3

श्री राम नारायण शर्मा (धनबाद): मैं अपने संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 16, "Projects" (परियोजनाओं) **के पश्चात,** 'Washeries" (धावन-शालाओं) अन्त: स्थापित किया जाये।

संख्या 8

पृष्ठ 2, पंक्ति 16 "Smelters, refineries" (स्मेल्टर, परिष्करण शालाएं) को लोप कर दिया जाये।

संख्या 9

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अपने संशोधन संख्या 6 के बारे में मैं सामान्य चर्चा के दौरान प्रकाश डाल चुका हूँ।

संशोधन संख्या 8 के बारे 'वाशरीज' को शामिल किया जाना चाहिए।

संशोधन संख्या 9 के बारे में, मुझे लगता है कि अध्यादेश तैयार करने वालों ने तांबा निगम संबंधी अध्यादेश से बिना विचार से यह वाक्यांश जोड़ दिया है और इसी लिए इसमें शोधन-शालाएं शब्द आ गया है जिसका इस सदर्भ में कोई अर्थ नहीं है। अत: इसका लोप किया जाना आवश्यक है।

श्री बी० वी० नायक : जब आप इस कम्पनी को कुछ सीमित अवधि के लिए अपने हाथ में लेते हैं तो किस लिए ? उन्होंने कहा है कि वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है तो मैं जानना चाहता हूं कि इन दो वर्षों में इस्पात मंत्रालय क्या कर लेगा और यदि प्रबन्धक इस बीच अपने कार्य में सुधार न कर पाये तब क्या होगा ? क्या हमारे पास कोई ठोस योजना है ताकि हम इन सभी कारखानों में सुधार कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब बातों का आपके संशोधन से क्या संबंध है ?

श्री बी० बी० नायक : इसका सम्बन्ध दो वर्ष की अवधि से हैं। मैं मंत्री महोदय से यह आशवासन चाहता हूं कि यह अवधि पर्याप्त होगी या क्या इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध है जिससे इस अवधि को बढ़ाया जा सके ताकि बाद में कठिनाई न हो। भविष्य में पेश आने वाली किसी कठिनाई को दूर करना ही मेरे संशोधन का आशय है।

Shri R. N. Shaarma (Dhanbad) : The hon. Minister while introducing the bill said that Rs. Thirty Crores are being spent on cokeoven and other improvements in the plants and Rs. Seventy crores will be required in the next year for improving its capacity from 1 million tonne to 1.3 million tonnes. It is doutbful the Government will if be able to spend Rs. one hundred crores within two year. The Government will have to bring forward another legislative. Through my amendment No. 3 I want the words washing plant to be included.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : संशोधन संख्या 2, 6 तथा 7 के बारे में मैं सरकार के उद्देश्य स्पष्ट कर चुका हूं। दो वर्ष के भीतर हम कम्पनी के भविष्य के बारे में अन्तिम निर्णय लेने की स्थिति से हो जायेंगे। हमें आशावादी होना चाहिये। हम अपना श्रम दो वर्ष के अन्दर समाप्त कर देंगे।

मुझे संशोधन संख्या 8 स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं । संशोधन संख्या 2, 6 और 7 के बारे में मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे उन्हें वापिस ले लें । संशोधन संख्या 9 में यदि केवल "परिष्करणशालाएं" रहे तो मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2, 3, 6 और 7 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendment Nos. 2, 3, 6 and 7 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 8 को मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 16,—

"Projects" (परियोजनाओं) **के पश्चात** "washeries" (धवनशालाओं) **अन्तःस्थापित किया जाये ।"**

संख्या 8

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के संशोधन संख्या 9 को रूपभेदित रूप में मतदान के लिए रखता हूं :—

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 16,—

"refineries" (परिष्करणशालाएं) **का लोप कर दिया जाये ।**

संख्या 9

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खंड 3, संशोधित रूप, में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill

खंड 5

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं ।

इस सुझाव के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय के उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ । प्रस्तावित सलाहकार बोर्ड कोई छोटा बोर्ड नहीं । इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 10 सदस्य होंगे । इसका औद्योगिक विवाद निपटाने से कोई सम्बन्ध नहीं । इसके लिए किसी अन्य मशीनरी का

गठन करना होगा। मेरे विचार में इस बोर्ड से मजदूर सक्रिय रूप से सम्बद्ध होने चाहिएं। मुझे आशा है कि सरकार मजदूरों के प्रति अपने रवैये को बदलेगी और उन्हें प्रबन्ध तथा उत्पादन के लिए अपना सहयोग प्रदान करने का अवसर देगी। विधेयक में मजदूरों के लिए निश्चित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहिये। मन्त्री महोदय ने कहा है कि मजदूर नेता कौन हैं यह निर्णय करना कठिन है। मेरे विचार में कोई दलील नहीं। अतः उन्हें सलाहकार बोर्ड से बाहर नहीं रखा जाना चाहिये।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : ऐसी बात नहीं कि हम मजदूरों के प्रतिनिधियों को बोर्ड में शामिल नहीं करना चाहते हम उन्हें शामिल करना चाहते हैं लेकिन इसे हम कानूनी रूप नहीं देना चाहते क्योंकि इससे सलाहकार के बोर्ड के गठन को अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। मैं संशोधन की भावना को स्वीकार करते हुये भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन

संख्या 10 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 10 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adoted

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill.

खंड 6 से 13 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 6 to 13 were added to the Bill.

खंड 14

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 6 पंक्ति 20,—

"has been entered into in bad faith, and" (असद्भावपूर्वक हुआ है, तथा) **का लोप कर दिया जाये।**

संख्या 11

मेरे संशोधन का कारण यह है कि वर्तमान व्यवस्था में कम्पनी के हित में हानिकारक तथा असद्भावपूर्ण हुये करार को ध्यान में रखते हुये ही करार रद्द हो सकता है। यह एक खतरनाक खण्ड है जिसे संशोधित किया जाना चाहिए। अतः 'असद्भावपूर्वक' सरीखे शब्दों का लोप किया जाना चाहिए।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : यदि माननीय सदस्य 'और' के स्थान पर 'अथवा' शब्द के लिए सहमत हैं। तो हम संशोधन का प्रारूप पुनः बना सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इससे सहमत हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि सभा द्वारा श्री इन्द्रजीत गुप्त को अपने संशोधन में 'और' शब्द हटा कर 'अथवा' शब्द रखने की अनुमति दी जाये ।

अब मैं इस रूपभेदित संशोधन को मतदान के लिये रखता हूँ ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 20 में, "and" (तथा) के स्थान पर "or" (अथवा) प्रतिस्थापित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

खंड 15 से 17 विधेयक में जोड़ दिये गए ।

Clauses 15 to 17 were added to the Bill.

खंड 1 तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गए

Clause 1 and the Enacting Formula were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के नाम के लिये श्री रामनारायण शर्मा का संशोधन है । क्या वह प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री राम नारायण शर्मा : जी, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सारी बात अस्पष्ट है। मैं नहीं समझता कि दो वर्षों में यह सरकार इतने बड़े इस्पात संयंत्रों में क्या करेगी ? मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस्पात संयंत्र में उनका क्या करने का विचार है।

मैं समझ नहीं सकता कि सरकार ने सारे इस्पात संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया। मैंने प्रधान मंत्री को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखा था कि दोनों इस्पात संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये और उनका उत्तर था कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। अब यह विचार अचानक उत्पन्न हुआ है। ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय का टाटा बंधुओं के साथ बहुत स्नेह है। "इकोनोमिक टाइम्स" में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की 20 लाख मीट्रिक टन की वर्तमान निर्धारित क्षमता को बढ़ाकर 40 लाख मीट्रिक टन (100 प्रतिशत वृद्धि) के लिये इस्पात मंत्री सहमत हो गए हैं। अतः इस कम्पनी ने सरकार की आंखों में धूल झोंक कर संयुक्त क्षेत्र के बहाने अपने उत्पादन में 20 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि के लिए अनुमति ले ली है।

औद्योगिक नीति संकल्प का क्या हो रहा है ? मैने "इकोनोमिक टाइम्स" का उद्धरण इसीलिये प्रस्तुत किया है कि उससे सरकार की आंख खुले।

इस्पात और खान मंत्रालय के प्रतिवेदन से मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 31 मार्च, 1971 तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में 1025.98 करोड़ रुपये का कुल निवेश था। विभिन्न कारखानों के कार्य निष्पादन का परिणाम कुल 5.406 करोड़ रुपये का है। यह आश्चर्यजनक कार्य निष्पादन है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में वर्ष 1965-66 में इस्पात का उत्पादन 11,00,000 मीट्रिक टन था **जो कम होकर** 700,000 मीट्रिक टन हो गया, राउरकेला में उत्पादन 1065,000 मीट्रिक टन **से कम होकर** 823,000 मीट्रिक टन हो गया है और 'टिस्को' में यह 2001 000 मीट्रिक टन से कम होकर 1079,000 तथा 'इस्को' में यह 970,000 मीट्रिक टन से कम होकर 617,000 मीट्रिक टन हो गया है।

मैं यह सब आंकड़े इसीलिये दे रहा हूं कि वे दूसरे लोगों में दोष निकालते हैं। हम चाहते हैं कि समूचे इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

श्री एस० मोहन कुमारामंगलम : जहां तक इस्पात कारखानों के कार्य निष्पादन का सम्बन्ध है, राउरकेला को वर्ष 1969-70 में 7.8 करोड़ रुपये तथा 1970-71 में 10 करोड़ रुपये का लाभ हुआ तथा भिलाई में इन दो वर्षों में 3 करोड़ रुपये और 11 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। इन तीनों कारखानों का जैसा पहले था, एक सा प्रबन्ध है परन्तु दुर्गापुर में 1969-70 में 15 करोड़ रुपये तथा 1970-71 में 20 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। मैं यह नहीं कहता कि इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। सुधार तो किया जा सकता है परन्तु इसका कारण यह है कि श्री बसु और उनके मित्र वहां सहयोग नहीं करते हैं।

समूची सभा ने इस विधेयक का स्वागत किया है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक से स्थिति में सुधार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय . प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

देश के विभिन्न भागों में व्याप्त विद्युत संकट के बारे में चर्चा

Discussion re : Power Crisis in Different Part of the Country

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं देश के इस विद्युत संकट को इन शब्दों में कहना चाहूंगा कि इससे हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास सम्बन्धी हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मंत्री महोदय ने हमें इस बात के लिए आश्वासन नहीं दिया कि सरकार वर्तमान संकट को दूर कर सकेगी, बल्कि इसके विपरीत यह चेतावनी दी है कि 1973 और 74 के वर्ष भी संतोषजनक नहीं हो सकते हैं और विद्युत संकट और अधिक बढ़ सकता है।

विद्युत संकट अचानक ही उत्पन्न नहीं हो गया है। हम आये दिन समाचार पत्रों में ऐसे समाचार पढ़ते हैं। ऐसा पिछले कई वर्षों से हो रहा है। देश की विद्युत की जितनी मांग है उसके सम्बन्ध में दोषपूर्ण आयोजना ही इस संकट का कारण है।

इस स्थिति के लिये विद्युत मंत्री अकेले ही उत्तरदायी नहीं है अपितु योजना आयोग भी उत्तरदायी है।

कई अवसरों पर कई विषयों को लेकर राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकें हुआ करती हैं परन्तु इस विषय पर विचार करने के लिए कभी कोई ऐसी बैठक नहीं हुई है।

हमें पता चला है कि विद्युत की कमी के कारण सभी क्षेत्रों में उत्पादन कम हो रहा है। जब उत्पादन कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, मूल्यों में वृद्धि होगी तथा इसके परिणामस्वरूप धीरे-धीरे मुद्रा-स्फीति होगी। अतः विद्युत संकट के कारण देश में आर्थिक संकट बढ़ रहा है।

योजना आयोग तथा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय अनुमान लगाते हैं कि विद्युत उत्पादन की 12 प्रतिशत वार्षिक मांग बढ़ेगी परन्तु वास्तव में वह माँग 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ी। औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में अर्थ-व्यवस्था के विकास की दर तथा विद्युत उत्पादन की दर समानान्तर चलनी चाहिए परन्तु ऐसा नहीं हो रहा। इससे पता चलता है कि आयोजकों ने इसकी आवश्यकता अथवा उत्पादन क्षमता का ठीक अनुमान नहीं लगाया है।

सरकार द्वारा दिये गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 1972 के अन्त तक क्षमता 177 लाख किलोवाट होगी। 'इकोनोमिक टाइम्स' तथा अन्य समाचार पत्रों के अनुसार, 1972 तक उत्पादन 150 या 160 किलोवाट होगा। मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विवरणिका में श्री ए० के० घोष ने भी यह स्वीकार किया है कि इसमें 20 लाख किलोवाट का अन्तर रहेगा। अन्य अनुमानों के अनुसार यह अन्तर 30 या 40 लाख किलोवाट होगा।

ऐसे दोषपूर्ण अनुमानों को आधार मानते हुए, सरकार ने आगामी दस वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया है और ऐसी आशा है कि वर्ष 1980 तक बिजली का उत्पादन 520 लाख टन किलोवाट होने लगेगा। यदि उत्पादन दुगुना भी कर दिया जाये तो 1977 तक 350 लाख किलोवाट का लक्ष्य प्राप्त होने में सन्देह है।

हमारे आयोजकों ने विद्युत की आवश्यकता और हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता के समूचे आधार का यथार्थ रूप से अनुमान नहीं लगाया है। इस दोषपूर्ण अनुमान का एक बड़ा कारण यह भी है कि इस प्रयोजनार्थ कोई समन्वित निकाय नहीं है।

यदि सरकार इस समस्या का समाधान करना चाहती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक केन्द्रीय विद्युत उत्पादन तथा वितरण प्राधिकरण होना चाहिए।

यद्यपि राज्यों में विद्युत बोर्ड हैं तथापि वे राज्यों में विद्युत की समस्या हल करने में असफल रहे हैं। अतः यह नितांत आवश्यक है कि केन्द्र इस विषय को अपने हाथ में ले ले।

मैं कह चुका हूँ कि विद्युत देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। अतः जब तक विद्युत सम्बन्धी मामला राष्ट्रीय आधार पर ठोस रूप से नहीं निपटाया जायेगा, तब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था के भविष्य के लिए संकट बना रहेगा। उस सांविधिक केन्द्रीय निकाय में पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिएं।

इसके पश्चात इसके तीन क्षेत्र हैं—पन-बिजली, तापीय और परमाणु क्षेत्र। परमाणु क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों के निर्माण के सम्बन्ध में पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। जहां तक पन-बिजली क्षेत्र का सम्बन्ध है, सरकार को इस क्षेत्र में सराहनीय सफलता मिली है। पिछले 25 वर्षों में इस क्षेत्र में बिजली का उत्पादन चौगुना हो गया है।

यदि हमें तापीय विद्युत उत्पादन पर वास्तव में बल देना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि माल डिब्बे उपलब्ध कराये जायें तथा यातायात व्यवस्था बनाये रखी जाये।

विद्युत की कमी के कारण स्थान-स्थान पर कारखाने बन्द हो रहे हैं तथा पश्चिम बंगाल में कुछ कारखाने तीन पारियों में नहीं चल पा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन कम हो गया है।

हम विद्युत के पारेषण के लिए राष्ट्रीय ग्रिड की बात करते हैं। इस समय ऐसा करना सम्भव नहीं है परन्तु क्षेत्रीय ग्रिड स्थापित किये जा सकते हैं। कम से कम अस्थायी सुविधा के तौर पर, अल्पकालिक आधार पर इस संकट का सामना करने के लिए कुछ क्षेत्रीय ग्रिड स्थापित किये जा सकते हैं। इस कार्य के लिए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाया जा सकता है। एक अन्य ग्रिड स्थापित किया जा सकता है जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आ जायें। ऐसा करने पर बिजली की कमी की समस्या का कुछ हद तक हल हो सकता है।

हमारे देश में विद्युत पारेषण की प्रक्रिया में 16 प्रतिशत बिजली की क्षति होती है। हमारा वर्तमान उत्पादन लक्ष्य 1.77 लाख किलोवाट है और इसके छटे भाग की क्षति हो जायेगी। यदि सरकार इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे तो यह क्षति आधी हो सकती है।

सरकार उद्योग अथवा कृषि के मामले में बिजली की सप्लाई में कमी नहीं कर सकती है परन्तु घरेलू तथा अन्य मामलों में बिजली की सप्लाई में भारी कमी करना आवश्यक है। घरेलू बिजली के स्थान पर मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जा सकता है। यदि आवश्यकता हो तो रात्री के 10 बजे के बाद सड़कों की बत्तियां न जलाई जायें। इस प्रकार बिजली की खपत में कुछ कटौती करना सम्भव है। औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में आर्थिक विकास के संवर्धन हेतु यदि आवश्यकता पड़े नो मध्याकालीन युग की तरह जीवन निर्वाह किया जा सकता है। अन्त में मैं फिर कहूँगा कि इस समस्या का समाधान करने हेतु एक सांविधिक केन्द्रीय समन्वित निकाय होना चाहिए जिसमें पूर्णकालिक विशेषज्ञ हों।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए ।
Shri K. N. Tiwari *in the Chair*]

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : I would like to say that there is something wrong in our planning in this regard. The progress of our industry and agriculture depends on the availability of power. The distribution of power should also be rationalised. If there is surplus power in particular state, it can be made available to the other states which need more power. There is a demand for power from Punjab and power can be made available to Punjab from Madhya Pradesh but there are no arrangements for the transmission of that power.

It is appreciable that power production from 2·3 million K.W. to 16.7 million K.W. has increased. The target of 12·5 per cent growth in power generation envisaged in the next Five Year Plan is low because the whole of our economy depends on power. Our agriculture and industry also depend on it. You expect to supply 40 million K.W. of power during next five years but may I know whether the Report of the Irrigation Commission constituted in 1971 is with the Government ? That report should be implemented soon. The Nangal Fertilizer factory consumers a lot of power. If that factory is closed for a month, some power cut can be applied there. The power cut thus made will benefit Punjab.

Punjab is a border state and industries at Amritsar, Jullundur and Ludhiana are lying closed. The Government should pay attention to that State. All the proposals of setting up inter-state regional grids should be implemented without any delay. We want that the electricity going waste in Satpura may be utilised in Punjab by making proper transmission arrangements. Punjab is realy to bear the cost.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सरीमपुर) : बिजली की कमी एक अखिल भारतीय समस्या बन गई है ।

पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार और आसाम के सम्बन्ध में अखबारों में रोजाना खबरें आ रही हैं कि बिजली बन्द होने के सम्बन्ध में न केवल सामान्य जनता बल्कि उद्योगपति भी उत्तेजित थे । सरकार इस क्षेत्र का विकास करना चाहती है पर बिजली की ऐसी स्थिति देखकर वह भी पूंजी निवेश करने में हिचकिचा रही है ।

बिहार के पथरालू और बरौनी बिजली घर अपनी क्षमता से कहीं कम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं । इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के उद्योगों को हानि हो रही है ।

पश्चिम बंगाल के उद्योगों की स्थिति बहुत खराब है । कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन बिजली बन्द नहीं होती । आम जनता की भी यही स्थिति है । नलकूपों का तो कहना ही क्या । एक तो वे पश्चिम बंगाल में है ही नहीं । और जो थोड़े से हैं वे भी बिजली न मिलने के कारण बन्द पड़े है । इसका मुख्य कारण बिजली उत्पादन क्षमता का कम होना है । परन्तु वर्तमान संयंत्र भी अपनी पूरी क्षमता के अनुसार नहीं चल रहे हैं । बन्डल थर्मल पावर स्टेशन अपनी क्षमता का 50 प्रतिशत बिजली का भी उत्पादन नहीं कर रहा है । अन्य कई परियोजनाओं की भी यही स्थिति है ।

कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम जैसी गैर-सरकारी कम्पनियां वर्तमान स्थिति का लाभ उठा रही है और जानबूझ कर अपनी क्षमता को बेकार रखे हुए हैं । वह राज्य बिजली बोर्ड से 2 और 4.15 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली लेकर उपभोक्ताओं को 19 पैसे प्रति यूनिट की की दर पर देता है ।

पश्चिम बंगाल में बिजली उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट से अधिक नहीं है। पर हमें उतनी बिजली नहीं मिलती, कम मिलती है। सरकार के निर्णय बड़े अनिश्चित से है। वे कभी कुछ कहती है और कभी कुछ। मैं यह नही कहता कि यदि केन्द्रीय सरकार सभी बिजली उत्पादन केन्द्रों को अपने हाथ में ले लें तो लोग प्रसन्न होंगे। मुझे इसमें विश्वास नहीं है। सन्थालडीह परियोजना को चालू करने पर भी पश्चिम बंगाल की आवश्यकता पूरी नही हो सकती। अतः केन्द्रीय सरकार को बिजली की इस कमी को समाप्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए। तथा कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम को अपने हाथ में ले लेना चाहिए (**व्यवधान**)

सभापति होदय : मेरे पास बहुत से बोलने वालों के नाम हैं। आप समाप्त करें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यही कारण है कि हमारे लोग कठिनाई उठा रहे हैं। अतः मंत्री महोदय।*

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : So for as power is concerned, the situation in North Bihar is worst. Per capita consuption of power is only 8 or 9 K. W. there.

The power generated by Barauni Thermal power station is not sufficient for that area. Its capacity should be increased. Apart from this, there is a proposal to construct a power station at Muzaffarpur. But Bihar State is not in a position to hear the hurden of the expenditure to be incurred on these two projects. So unlses central government come to their help. they cannot meat the requirements of Bihar. The situation of eastern Uttar Pradesh is more of less the same. Government should take this department in their hands from State Governments.

Rural electrification percentage in Bihar is only 12.3 unless it is 93.7 per cent in Haryana, 81.3 percent in Kerala, 92.9 percent in Tamil Nadu and cent percent in Delhi. Position of West Bengal and Eastern U. P. is just the same as that of Bihar. So I will request the government than if tl ey want to living all the parts of India at par they should pay proper attention to these factors. Other wise there will be unrest in the country. We should take a lesson from the happenings of Bengal. The people of North Bihar are the victims of proverty, unemployment and such other evils. The same conditions are prevalant in Eastern U. P.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : पिछले कुछ सालों से अकाल और बाढ़ का प्रकोप हमारे देश में एक आम बात हो गयी हैं। बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में हमारी क्या स्थिति है ? मंत्री महोदय का कहना है कि 1973-74 में देश में बिजली की बहुत कमी होने वाली है तो इस सम्बन्ध उन्होंने उपाय किए हैं ? वे अभी तक सभी क्षेत्रों में असफल रहे हैं चाहे वह सिंचाई हो, बाढ़ हो या बिजली हो। अतः देश चाहता है कि वह त्याग पत्र दें।

पंजाब में बिजली की 20 प्रतिशत की कटौती हुई है और वह अब दिल्ली से अपनी खपत में 40 प्रतिशत की कमी करने को कह रहा है। बिजली के बन्द होने से जब शाम को हारे थके लोगों को घर पहुंच कर पीने को पानी तक नहीं मिलता तो उनके मन पर क्या गुजरती है इसका अनुभव किया जा सकता है।

रिहन्द परियोजना के निर्माण के समय यह कहा गया था कि इसकी अधिकतर बिजली पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दी जायेगी, पर हम देखते है कि इसके अधिकतर भाग का उपयोग बिड़ला का अल्यूमीनियम कारखाना करता है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया।

Not Recorded.

बिजली की कमी के कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में 300 खानें तथा अनेक मिलें बन्द पड़ी हैं। पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल में लगभग दो लाख मजदूर बेकार हो गये और इस वर्ष बहुत से और बेकार हो जायेंगे।

सम्पूर्ण उत्तरी बिहार और उत्तरी बंगाल में पूरी तरह से बिजली बन्द है। वहां बिजली पहुंचाने के लिए कोई न कोई योजना बनाई जानी चाहिये। सरकार को बिजली सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए।

सन्थालडीह थर्मल पावर संयंत्र का मामला तेनुघाट बांध से पानी लेने के कारण खटाई में पड़ा है। पानी मिल भी सकेगा या नही, कोई नहीं जानता।

बिहार और पश्चिम बंगाल में बिजली बन्द होने की जिम्मेदारी दामोदर घाटी निगम, राज्य और बिजली बोर्ड और कलकत्ता बिजली निगम एक दूसरे पर डाल रहे हैं। अब जबकि दामोदर घाटी निगम अच्छा काम करने लगा है तो उसे विभाजित करने का विचार किया जा रहा है और इसको लेकर बिहार और बंगाल के बीच विवाद खड़ा हो गया है।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसा क्यों ? क्योंकि समुचित देखभाल नहीं हुई, ठीक प्रकार मरम्मत का काम नहीं हुआ। यही कारण है कि बंगाल में बहुत से विद्युत निर्माण केन्द्र या तो बन्द पड़े है या अधूरे चल रहे है।

बिहार का चन्द्रपुर संयंत्र जहां से बिहार और बंगाल को बिजली सप्लाई होगी, अभी तक पूरी तरह चालू नहीं हुआ हैं।

सन्थालडीह में 1973 तक एक एकक को स्थापित किया जाना है। इसके लिए 220 ऐसी ट्रांसमिशन लाइनों की आवश्यकता है। पता नहीं वह उपलब्ध होंगी भी या नहीं। बिहार की चन्द्रपुरा परियोजना को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये। दामोदर घाटी निगम में 200 मेगावाट का एक और एकक चालू किया जाना चाहिए। पंचेट में एक और पन बिजली एकक की स्थापना की जानी चाहिए। कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और बगाल तथा बिहार के लिए एक समेकित योजना बनानी चाहिये। प्रथम पांचवर्षीय योजना में बिजली उत्पादन और सप्लाई में ये दोनों राज्य सबसे ऊपर थे। अब वे फिर ऊपर आ रहे हैं मैं यह नहीं कहता कि वे सबसे ऊपर रहें पर कम से कम वर्तमान बिजली वहाँ पर नही रहनी चाहिए।

दामोदर घाटी निगम को विभाजित करने की बजाय इसे और शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। समुचित तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। फालतू पुर्जे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिये।

पश्चिम बंगाल में बिजली के बन्द होने की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में माननीय डा० राव तथा राज्य सरकार ने श्री ए० के० घोष की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की है जिस के सदस्य इस संकट के लिए जिम्मेदार निकायों के लोग ही है। अतः यह आयोग एक दिखावा है।

विश्व भर में आजकल अणुशक्ति की ओर झुकाव है पर हमारा अणुशक्ति केन्द्र बेकार पड़ा है।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः कहता हूं कि डा० राव ने अपनी जिम्मेदारी को भली भांति नहीं निभाया है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : वर्तमान कठिन परिस्थितियों में भी इस मंत्रालय ने उल्लेखनीय कार्य किया है । 1950-51 में 6.6 बिलियन की तुलना में 1971-72 में 20.1 बिलियन के० डब्ल्यू० एच० बिजली का उत्पादन होने लगा है । प्राकृतिक प्रकोपों के लिए हम मन्त्री महोदय को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ।

इस समय देश भर में बिजली का संकट है । इस सम्बन्ध में मैं आंध्र प्रदेश का उल्लेख करूंगा ।

[**श्री आर० डी० भण्डारे** पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair*]

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में एक परिपत्र निकाला है जिसमें कहा है कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में बिजली के सम्बन्ध में अत्यधिक असमानता है और आंध्र प्रदेश उसमें सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है । इस असमानता को उचित योजना के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है । इस असमानता के कई कारण हैं । जैसे कि पड़ौसी राज्य तमिलनाडु में दो केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं हैं उनसे आंध्र प्रदेश को कतई बिजली नही मिलती है जबकि इसका सारा व्यय केन्द्रीय सरकार उठाती है । पैसे की कमी के कारण आंध्र प्रदेश की लोअर सिलेरू और श्रीसेलम परियोजनाओं को बड़ा धक्का लगा है । राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है और उसने केन्द्र से धन की माँग की है । मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे आंध्र की रक्षा के लिए आगे आयें ।

मैं माननीय मन्त्री को यह बता दूं कि कालिन्दी परियोजना के पूरा होने पर दक्षिण में पन बिजली के लिए और कोई संसाधन नहीं रह जायेगा । इसलिए सरकार को और साधन खोजने चाहिए तथा कोयले से बिजली बनाने वाली परियोजनायें चालू करनी चाहिए ।

बिजली के उत्पादन और वितरण के लिए धन की अत्यन्त कमी है । निवेश का केवल 41 प्रतिशत वितरण पर खर्च होता है । मैं श्री समर गुह के इस सुझाव से सहमत हूं कि 6500 करोड़ के निवेश के साथ एक केन्द्रीय प्राधिकरण बनाया जाये और इन परियोजनाओं को हाथ में लेकर बिजली का उचित वितरण किया जाये ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यदि कोई सदस्य नियम 193 के अधीन चर्चा में भाग लेने का नोटिस देता है तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए ।

सभापति महोदय : उनकी बात नोट कर ली गई है ।

*श्री सी० चित्ति बाबू (चिंगपट) : श्री समर गुह ने बिजली के संकट का एक महत्व-पूर्ण प्रश्न यहां उठाया और अनेक सदस्यों ने भी देश के विभिन्न भागों में बिजली का संकट होने के प्रमाण पेश किये । परन्तु देश में बिजली के संकट का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि स्वयं प्रधान मंत्री ने भी देश की स्वाधीनता के रजत जयन्ती अवसर पर भी राष्ट्रपति भवन,

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर
Summarised Hindi version of the English translation of the speech delivered in Tamil.

संसद भवन आदि पर एक दिन से अधिक विद्युती करण न करने के आदेश दिये। इसी से हमारे योग्य मंत्री महोदय डा० के० एल० राव की कार्यकुशलता का भी तो प्रमाण मिल जाता है।

मेरे पूर्व वक्ता श्री वेंकटा सुब्बया ने, आंध्र प्रदेश को उसकी आवश्यकता के अनुसार बिजली न देने पर तामलनाडु की आलोचना की जैसे कि तमिलनाडु के पास तो अत्याधिक विद्युत उपलब्ध है जब तमिलनाडू स्वयं केरल तथा मैसूर से बिजली की भीख मांग रहा है। बिजली के मामले में तमिलनाडु अभी आत्म-निर्भर अभी नहीं हुआ हैं, यह बात वेंकटा सुब्बेया खूब अच्छी तरह जानते हैं। और यह सब केवल सिंचाई और विद्युत मंत्री महोदय के कारण हुआ है। जो कि विद्युत की कमी को दूर करने की समस्या को हल करने के लिए उचित निर्णय नहीं दे सके हैं।

जब मैं मद्रास का महापौर था, तो उस समय मैंने डा० राव से कावेरी जल समस्या को हल करने का अनुरोध किया था परन्तु वह टाल गये। अब द्र० मु० क० सरकार शासन संभाल कर इस पेय जल सप्लाई योजना को क्रियान्वित कर रही है।

मंत्री महोदय तर्क देने में तो बहुत निपुण हैं परन्तु यहां तर्क का नहीं देश वासियों की आवश्यकता को पूरा करने का महत्व है। वह अपने तर्कों के बल पर देश में बिजली के संकट के के दोष से बच नहीं सकते।

उनके मंत्रालय ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 230 लाख किलोवाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और यह भी अनुमान लगाया गया कि देश की मांग भी इतनी ही रहेगी जबकि वर्ष 1973-74 में 3 लाख किलोवाट बिजली की कमी पड़ेगी। साथ ही मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि शायद चौथी योजना में उत्पादन पर लक्ष्य पूरा न हो सके, हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत सबसे कम है। परन्तु फिर विद्युत उत्पादन सम्बन्धी दोष पूर्ण आयोजन के कारण देश में सर्वत्र बिजली की कमी है। पश्चिम बंगाल में तो बिजली की कमी के कारण बहुत से औद्योगिक एककों को बन्द कर देना पड़ा। अन्य राज्यों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। यद्यपि तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बिजली की कमी के अनेक कारण बताये हैं तथापि मेरे विचार से दो प्रमुख कारण ये हैं:—पहला तो यह कि तापीय बिजली केन्द्रों पर कोयले के समय पर न पहुँचने के कारण उन केन्द्रों का उत्पादन कम हो गया। तमिलनाडु सरकार ने बार-बार केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि सभी पड़ौसी राज्यों को लिग्नाईट की सप्लाई हेतु नैवेली परियोजना के अन्तर्गत 'सैकन्ड-कट' खान योजना आरम्भ की जाए। परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे टालते रहना किसी प्रकार भी न्यायोचित नहीं है। और फिर हम यह तर्क क्यों स्वीकार करें कि तापीय विद्युत केन्द्रो में कोयले के न पहुंचने के कारण बिजली के उत्पादन में कमी हुई है। दूसरा कारण यह है, कि इस्पात तथा सीमेंट आदि आवश्यक चीजों के न मिलने के कारण विद्युत परियोजनाजों के निर्माण कार्यों में बाधा पड़ी है इसके लिए सभा ने आज प्रातः ही गैर-सरकारी इस्पात संयंत्र इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी को सरकारी अधिकार में लेने का विधेयक पास किया है, अतः अब सरकार उस कंपनी से चाहे जितना इस्पात तथा सीमेंट प्राप्त कर सकती है। फिर सवाल रेलवे वैगनों की कमी का उठाया जाता है परन्तु सरकार इस बकवास भरी दलील के नीचे आश्रय नहीं ले सकती ? रेलवे मंत्रालय भी तो केन्द्रीय सरकार के अधीन है। इस मंत्रालय के साथ यथोचित समन्वय स्थापित किया जाये तथा पर्याप्त संख्या में रेलवे माल-डिब्बे प्राप्त किए जाये मंत्री महोदय को चाहिए कि वे देश के

आर्थिक विकास में विद्युत की आधारभूत आवश्यकता को अनुभव करें। वह रेलवे, वित्त आदि विभागों में अपने सहयोगी मंत्रियों को समझायें मनायें।

मेरे से पूर्व यहां बोलने वाले प्राय: प्रत्येक वक्ता ने देश में परमाणु शक्ति के विकास के लिये जोर दिया है इस संदर्भ में मेरे चुनाव क्षेत्र में कलपक्कम परमाणु शक्ति संयंत्र का जिक्र आता है जिसे सरकार ने पहले 1971 में, फिर 1972 में और अब 1974 में चालू करने का आश्वासन दिया है परन्तु आज प्रात: कहा गया कि यह 1976 में में चालू होगा। मैं परमाणु शक्ति विभाग की सलाहकार समिति का एक सदस्य हूं और जानता हूँ कि किस प्रकार इस सम्बन्ध में कार्य चल रहा है वस्तुत: अधिकारीगण जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसे व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक अमरीकी ट्रेलर 18 लाख रुपये का खरीदा परन्तु वह गत $2\frac{1}{2}$ वर्ष से बेकार पड़ा है। वे इसका एक फटा हुआ टायर तक नहीं बदल सके, सरकार ने न तो कलपक्कम संयंत्र को ही चालू किया है और न ही नैवेली की 'सैकन्ड-कट खानों' की योजना को ही स्वीकृति दी है। अन्य परमाणु केन्द्रों पर विदेशी सहयोग उपलब्ध है और सभी कार्य तेजी से चल रहे हैं परन्तु यहां कलपक्कम में सरकार ने केवल भारतीय प्रतिभा का ही उपयोग करना उचित समझा था। यहां अनेक मूल्यवान वस्तुएं ऐसे ही असुरक्षित पड़ी हैं, मुझे तो सन्देह है कि यह संयंत्र 1976 में भी चालू नहीं हो सकेगा और फिर डा० राव और उनके सहयोगियों को लोगों का सामना करना पड़ेगा।

अत: सरकार को चाहिए कि वह नैवेली की सैकन्ड-कट खान योजना को स्वीकृति दे दे तथा कलपक्कम परमाणु शक्ति संयंत्र को चालू करे। तमिलनाडु राज्य का बिजली के बारे में आत्मनिर्भर होना इन दो योजनाओं पर निर्भर करता है।

Shri Navel Kishore Sinha (Muzaffarpur) : Increasing of power production is the foremost necessity of our nation and our target of 40 million K.W. at the end of the 4rth Plan is quite encouraging and impressive. We have to electrify 1,31,000 of our villages and to energise 25 lakh pumping sets. It is true that sometimes we are not able to achieve our targets fully and it is, therefore, imperative on our part to find out and also remove the causes of our failures Blaming only Dr. K. L. Rao who himself is a big engineer, will not do, on the other hand, we have to probe into why his ambitions are not coming true.

Our demand for power increases by 16 per cent every year as against our increase in production of only 6 per cent and this gap has been widening constantly. Had the Planning Commission accepted the demands of the Ministry of Irrigation and Power in the begining of the 4th Five Year Plan, such a state of power shortage & crisis would not have arisen ; and we could have advanced in this field much beyond our expectation. But there are certain things which depend upon others and also on certain specific circumstances beyond control.

I would make only two points. Firstly, there is a big question of regional imbalance. There is a wide gap between the per capita consumption of power among various places. Where as it is 315 K.W. in Chandigarh to 159 K W. in Tamil Nadu and 2·3 K.W. in Delhi; it is only 68 K.W. in Bihar and 6 to 9 K.W. in North Bengal and North Bihar. Similarly in U.P.. Jammu and Kashmir, Rajasthan, Assam & Madhya Pradesh it is very low. So all out efforts should be made to remove this regional imbalance.

Secondly, there is big difference in rates of electricity. The rates of power in Bihar, U.P. and M.P. are far higher than those in other parts of the country. How, then, can

they have small industries ? Government will have to look into it and remedy the situation.

For the problems I have enumerated above, I would like to make a few suggestions also. Firstly, we should have power sub-committee at the cabinet level as we have sub-committees viz. Economic Sub-committee Political Sub-committee. This committee should have Ministers of Railway, Mines, Irrigation & Power and that of Agriculture as its members.

Secondly, there should be Regional Boards because the state Electricity Boards do not have adequate experience. The Regional Boards should control. The production and distribution of power.

Thirdly, we can not help without importing power generating plants till we are able to manufactures our own, but very efficient plants. And finally, we should have advanced planning without which we would not be able to meet our future demands.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Shortage of power has resulted in closure of many industries and factories and has also adversely affected the agriculture production. Power is the basic need of our day-to-day life and therefore, its production has to be taken up on a war footing. The hon. Minister has held out fabulous hopes and expectations in the field of power production in the coming years. At present Rs. 3600 crorers has been invested in this field but certainly atleast Rs. 8000 crores would be required for the hopes and expectations of the hon. Minister to come time. But he will not be getting so much money. Therefore. we will have to make certain reforms or changes in the system of power generation so as to make it less expensive.

A committee was set up in 1969 under his chairmanship and that committee has reported a loss of about Rs. 100 crores in Maharashtra because of the some shortage. Similarly, Bihar also suffered a loss of Rs. 30 crores as the standing crops got dried up because of drought. There as many as 35,000 villages of Madhya Pradesh have been waiting for electrification. Since the begining of the 3rd five year plan and still they do not hope for it even upto the end of the 5th Plan. My appeal is that an Automic Power Station should be set up in Madhya Pradesh also as has been done in Rajasthan.

The proposed grid of the States would surely benefit all the States but it is also the right time to nationalise those 133 private electric companies otherwise the loss will so on multiplying.

An official survayor had once stated that the power production would come upto 2.30 crore K. W. by the end of 4th Plan. But the fact remains that even we are able to acheive our target we would have our requirment increased by another 120 lakh K. W. by the end of the same 4th plan.

It is a welcome proposal to form a Grid of the states, but it will take time. Why don't you first, have the zones and then set up the Grid of those Zones ? It would realy be very beneficial. Then there is surplus power in several states but the same cannot be transmited to other scarecity areas be cause of non availability of tranmission lines. So work of laying of transmission lines should be taken up in hand on a war sooting and until it is done. The scheme of forming the Grid would not be successful.

Artificial shortage of 8 to 9 per cent of power also had to be faced because the O.N.G.C. did not supply its promised quota of 63,000 tones of crude oil to the Gujrat Power Plant. They Supplies only 50,0000 tones.

Finally, I request the hon. Minister to carefully look into the suggestions that I have made. He should also see that since he would not be able to get Rs 8000 crore, he should make an all out effort to remove all shorts of irregularities, or defects etc. in the system to pave the way of faster production of power within the available means and resorces.

Shri Kushok Bakula (Laddakh) : The vital need of electricity these days in quite obvious particulrly in the field of development and progress. No doubt, power has p'ayed a great role in the industrial and agricultural growth and property in our country but still a very vast area of our motherland is lagging behind and facing many hardships because of shortage or non availability of electric power there. Laddakh is also one of these areas which have suffered a lot for want of electricity. A Hydro Electric project was started in Stakana but the work on that has been going on very slowly. The centre water power Commission should take it over and expedite the work. Suri river in Kargil area has great power potential. It should therefore be fully explioted. Nyoma is just on Indo-Chinese border and availability of power there is very necessary.

An inquiry commission should be set up to inquire into the cause of the none-functioning of deisel engines in Leh.

Laddakh is a for fling area. Government should arrange to meet the need of the area which would improve the alround condition of the people there.

Shrimati Sahodra Bai Rai (Sagar) : About one-third of the total population of Madhya Pradesh are Harijans and Adivasis; and they need extra care and facilities, Bundelkhand area has great power crisis. You should pay extra attention towards the electrification of the rural areas. There the farmers need electricity for boosting their production and, thus, their our income. Bundelkhand has been a docoit infested area for the last 25 years. There no proper roads, railways or power facilities exist.

Thousands of acres of land is lying worst between Agra and Gwalior. That land should be made cultivable and dlstributed among the Harijans and the Adivasis-Railway facilities should also be provided in Rewa and Sagar areas brought affected Bilaspur also needs all attentions. Steps should be taken to provide employment opportunities there. Many doctors and engineers are wondering jobless. The hon. Minister should enlist the help and cooperation of MPs and Lagislators in connection with the development of Bundelkhand. There has been a demand for a separate Bundelkhand since no attention has been given for the development of this backward area.

The hon. Minister should look into these things and arrange for the quick development of Bundelkhand.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मुझे यहां बोलने के लिए जो समय दिया गया है उसमें मैं गुजरात में व्याप्त विद्युत संकट का समुचित ब्यौरा न दे सकूंगा। वहां पर दिसम्बर, 1971 के अन्त से देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा बिजली का भारी संकट पैदा हुआ है। वह समय तो मार्च, 1972 के विधान सभा चुनावों का था अत: सरकार ने महाराष्ट्र तथा मैसूर राज्यो से संकट की स्थिति के आधार पर कुछ सहायता लेकर वह संकट दूर कर दिया था, परन्तु चुनावों के समाप्त होते ही फिर वही संकट खड़ा हो गया और अब तक गुजरात में विद्युत का भारी संकट है।

इस संकट को हल करने के दो उपाय हैं। पहला अत्यावधि उपायों से तथा दूसरा दीर्घावधि योजनाओं से। पहले में तो तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र को पहली सितम्बर से बेरोक-टोक कार्य करने देना चाहिए जैसाकि कि गृह राज्य मंत्री ने मेरे 9 अगस्त, 1972 के प्रश्न के उत्तर में कहा है। दूसरे, लम्बी अवधि वाले उपायों के अन्तर्गत, नवगांव में तुरन्त एक 550 फिट ऊंचा बाँध निर्मित किया जाना चाहिये। दूसरे सौराष्ट्र के प्रस्तावित परमाणु शक्ति केन्द्र की भी स्थापना वहां यथाशशीघ्र की जानी चाहिये इससे गुजरात के विद्युत संकट के दूर हो जाने की संभावना हो सकती है।

पन-बिजली सबसे सस्ती बिजली होती है परन्तु गुजरात में वह उपलब्ध नहीं है। यदि नर्मदा घाटी योजना क्रियान्वित हो जाये तो वहाँ 25 लाख कि० वा० बिजली पैदा हो सकती है। प्रधान मंत्री महोदया ने चुनावों के दौरान लोगों से कहा था कि यदि वे नर्मदा-विवाद का हल चाहते हैं तो उनके हल के बारे में और मतदाताओं ने अपना कर्त्तव्य पूरा किया।

सभापति महोदय : इस मामले में आप राजनीति को मत लाइए।

श्री के० एस० चावड़ा : अब प्रधान मंत्री को अपना वचन पूरा करना चाहिए। इसी योजना की पूर्ति से चौथी योजना में विद्युत सम्बन्धी लक्ष्यों में संभावित कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। अत: नर्मदा नदी विवाद को यथाशीघ्र हल करना राष्ट्र के हित में है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री इस विवाद को कब हल करेंगी ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने प्रधान मंत्री के विरोध को स्वीकार करने का निर्णय किया है।

सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रस्तावित एक परमाणु शक्ति केन्द्र के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। मैं जानना चाहता हूं कि अखबारों में प्रकाशित यह समाचार कहाँ तक सत्य है कि प्रधान मंत्री चाहती हैं कि यह परमाणु शक्ति केन्द्र गुजरात से बाहर कहीं स्थापित किया जाये ?

प्रधान मंत्री ने कहा कि यदि सौराष्ट्र क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर की स्थापना के लिए पर्याप्त औचित्य हुआ तो वहां परमाणु बिजलीघर स्थापित किया जायेगा। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सौराष्ट्र का क्षेत्र कोयला क्षेत्रों से 2000 किलोमीटर दूर है और वहां पर पानी के साधन भी उपलब्ध नहीं है और तीसरे समुद्र के पानी को मीठा बनाने के लिए भी अणु शक्ति का प्रयोग आवश्यक है, अणु शक्ति विभाग द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन में भी यह कहा गया है कि परमाणु बिजलीघर उस क्षेत्र में लगाये जाने चाहिए जो कोयला क्षेत्रों से दूर हों और जहां पानी के साधन उपलब्ध न हों। अत: मेरे विचार में सौराष्ट्र परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के लिए पूरा औचित्य है। मैं जानना चाहता हूं कि तारापुर परमाणु बिजलीघर की क्षमता को 400 मैगावाट से बढ़ाकर दुगुना किया जा रहा है और इस प्रकार सौराष्ट्र में परमाणु बिजलीघर की माँग को दबाया जा रहा है।

Shri Paripoornand Painuli (Tehri-Garhwal) : There is no doubt that Generation of Power is much less than the need of the population of our country. Moreover the demand is on the inerease. Secondly, there is no integrated plan of generation and distribution of power. In addition to that there is no coordination between the concerned departments of the Centre and States. Some times they work at cross purposes this is one of the main reasons for our failure to achieve our targets. It has been admitted in the mid-term appraisal that during 1973-74 we will not be able to achieve the generating target if 23 million kilowatts. The reduction is mainly due to the slow progress and delay in the delivery of plants and equipment from public sector manufacturing units. About nine thousands labourers are sitting idle in the Yamuna Hydel Power Project and Ramganga Project for want of cement. It is evident that there is a lack of coorndination between the various departments of the government.

{ **श्री के०एन० तिवारी** पीठासीन हुए / **Shri K. N. Tiwary** *in the Chair* }

Although there is a Centre Power Authority yet it lacks authority in the matter of coordination and distribution of Power. We should enact legislations of necessary by

amending the constitution for integrating the work of generating and distribution of power.

Thermal Power Stations should be established near the coal fields secondly proper servey should be conducted for hydel power projects in the area, where water resources are sufficent. There is a great scope of producing thermal energy in Himachal Pradesh Kashmir, Bihar, and Gujarat. In the end I want to request the Government do justice to Uttar Pradesh in this regard. It is a backward state and it should get maximum help.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : Madhya Pradesh is rich in mineral resources. It has sufficient water resources. It has a great potential for generating power. We can genarate four million megawatt electricity in Madhya Pradesh but I am sorry to say that we are producing only 750 megawatts. Even in irrigation this state is lagging for behind of all the states. I would request the Government to set up thermal Power Plants at the pit, heads in Madhya Pradesh as was suggested by Dr. Bhaba also. There are sufficient resources of coal in Madhya Pradesh with more ore content but this coal can be used for generating power and it has been sceintifically proved. By expanding few projects we can produce 1400 megawatt of electricity. I would, therefore, request the government to allot 700 crores of rupees in this Plan so that we may be able to complete our projects and generate more electricity.

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मेरे विचार में विवाद का समय एक घन्टा का बढ़ा दिया जाना चाहिए क्योंकि अनेक माननीय सदस्य इस बाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं।

सभापति महोदय : ऐसा करना कठिन है परन्तु यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो में समय में आधे घण्टे की वृद्धि कर सकता हूं।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : 1970-71 में हमारी वृद्धि दर 20 लाख किलोवाट से गिरकर दस लाख किलोवाट रह गई है. मुख्य कठिनाई बिजली उत्पादन करने वाले सेटों के मामले में हुई। सरकारी क्षेत्र के कारखानों द्वारा इनको समय पर नहीं दिया गया। गत पांच वर्षों में इस मामले में बहुत कम प्रगति हुई है। हमने अपनी ट्रांसमिशन लाइनों में कोई परिवर्तन नहीं किया है और इस कारण हमें प्रेषण में बहुत हानि उठानी पड़ती है।

हमारे पास ग्रिडों ट्रांसमिशन लाइनों आदि की भी कमी है, इस कारण उत्पादन संयत्रों पर बिजली को अप्रयुक्त रखना पड़ता है। इस प्रकार 30 अथवा 35 प्रतिशत बिजली बेकार पड़ी रहती है। इससे हमें औद्योगिक क्षेत्र में भी हानि उठानी पड़ती है। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक हानि गुजरात को हुई। गुजरात राज्य में अभी भी बिजली सप्लाई में कटौती की जा रही है। नये कनक्शन नहीं दिये जा रहे हैं।

मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री लगभग दो अथवा तीन वर्ष तक जनेरेटिंग सेटों के आयात पर बल दें। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अन्य क्षेत्रों में लगी पूंजी बेकार हो जायेगी क्योंकि कोई भी उद्योग बिजली के बिना काम नहीं कर सकता।

Dr. Govind Das Richharia (Jhansi) : There is a need to bring abuut some basic changes in the policy regarding generation of power. The government should control the generating sources and the sources of distribution of power. We could not use Narmada river for generating power because a dispute is going on between the different states over it. I have therefore suggested that central government should central the sources of power generation. In this way we can derive the maximum benefit from different sources of power. The government should set up a single grid for the entire country.

We have failed to generate the power we required. Secondly, we have failed to distribute the available power equally. The government should take over the distribution in its own hands. There is no coordination among the verious departments of the government. The Thermal Power Plant have failed to generate targetted power for want of coal Priority whould be given by railway to the carrying of coal from pet beads to the Plants.

We can remove the shortage of power in the Fifth Plan by setting up think with the capacity of 400 to 500 megawatts. Their control and administration should be in the hands of the Central Government.

I would request the government to remove regional imbalances in the matter of supply of electricity. I would also request the government to consider my suggestion of taking over of all the sources of generating power.

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : बिजली के मामले में देश को आज बहुत ही गम्भीर संकट का सामना करना पड रहा है । इतना गम्भीर संकट पहले कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ । चौथी पंच वर्षीय योजना में 230 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था परन्तु ऐसा लगता है कि केवल 200 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन ही होगा । बिजली की माँग में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि उत्पादन में 30 लाख मैगावाट की कमी हुई है । अभी औद्योगिक क्षेत्र में क्षमता से कम काम हो रहा है । यदि वहां पर पूरी क्षमता में काम होने लगे और औद्योगिक विकास में यदि तेजी आई तो मैं नहीं कह सकता कि स्थिति क्या होगी । सिंचाई के लिए भी हमें अधिक बिजली की आवश्यकता होगी ।

विभिन्न अधिकारों के बीच समन्वय होना चाहिए । अन्तर्राजीय प्राषेण लाइनों सम्बन्धी कार्यक्रमों में विभिन्न राज्यों के बीच भी समन्वय होना चाहिए । प्राषेण क्षमता में भी सुधार किया जाना चाहिए विद्युत सप्लाई में वृद्धि के लिए हमें कोयला, डीजल तथा पानी तथा अणु शक्ति के प्रयोग के लिए ठोस कार्यवाही करनी चाहिए । बड़े बिजलीघरों की स्थापना तथा क्रियान्विति के लिए एक केन्द्रीय अभिकरण होना चाहिए । बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग में लाने वाले उपकरणों के विदेशी उत्पादन में भी वृद्धि की जानी चाहिए । आशा है कि सरकार इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी ।

Shri Pratap Singh Negi (Garhwal) : I bail from an area where even kerosene oil is not available. But if we look at the programmes of the last ten years we will find that we have made much progress in the field of generating power.

I want to stress the point that regional in imbalances in generation and distribution of power should be removed.

In October, 1971 we were told that a dam is going to be constructed in Delhi and that twelve hundred megawatt electricity will be generated. Now the papers are before me and I can see that only 450 megawatts of electricity is going to be produced there. This is true this Schemes and estimates are prepared and implemented.

The people of hilly districts of Uttar Pradesh are facing great difficulty. Their difficulties should be removed. There are enough sources for generating power but sufficient attention has not been paid in this direction. With these words I thank the chair for attending me an opportunity to speak.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : The country is facing a serious crisis of power shortage. In this connection. I want to suggest that of the Thermal Power Plants are set up near the pit beads we can produce electricity at a low cost. A scheme for

generating 400 mg. electricity in Madhya Pradesh is awaiting the clearance from the Central Government. If that scheme is cleared we can supply electricity to Haryana and Punjab and their shortage can be made up. I would therefore suggest that Thermal Power Plants should be set up at Korba, Amarkantak and Sutpura pit beads.

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : Many industries have been closed in Punjab for want of electricity. Electricity is being supplied there only three days in a week. Agriculture is also suffering on that account. Power crisis in Punjab should be solved. Fertilizer factory at Nangal should be closed down for a month and electricity thus saved should be diverted to industry and agriculture.

श्री के० डी० मालवीय (डमीयागंज) : मेरे विचार में यदि रखरखाव, मरम्मत, तार कनक्शनों की बहाली बेकार पड़े जैनरेटरों की मरम्मत पर ध्यान दिया जाये, तो हम बिजली की सप्लाई में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकते हैं। यदि ऐसा करना सम्भव नहीं है तो फिर मेरे विचार में केन्द्र तथा अन्य राज्य सरकारों की कार्य प्रणाली में ही कुछ दोष है। औद्योगिक तथा कृषि के क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से भी फालतू पुर्जों के रखरखाव, मरम्मत तथा छोटे पुर्जों आदि की सप्लाई पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे बिजली के उत्पादन को बढ़ाने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

कोयला क्षेत्रों में ताप बिजलीघर लगाने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डीजल की हमारे पास कमी है। अतः डीजल से चलने वाले सेट लगाने पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। देश में कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अतः हमें कोयले पर आधारित बिजलीघर स्थापित करने चाहिए। यदि पर्याप्त रूप से कार्यवाही की जाये तो 40 महीनों के भीतर ही हम कोयले से बिजली का उत्पादन आरम्भ कर सकते हैं. अतः मैं चाहता हूँ कि प्रशासन में गतिशीलता लाई जाये तथा एक छोटे संवर्ग को प्रशिक्षण दिया जाये जो सभी मशीनों की मरम्मत कर सके ताकि कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में दस प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की जा सके।

Dr. Kailas (South Bombay) : When the government can nationalise Banks, general Insurance, coking coal and other industries, why cannot it nationalize private Electric Companies.

Secondly, may I know the reasons for the power sources built in the country not functioning to their rated capicities.

We have established a rural Electrification corporation which has set up a penel I do not know how for it has progressed. This corporation aught to be granted adequate funds.

Till we are able to produce sufficient electricity for our use we should start laying transmission lines.

In Maharashtra only 35 per cent of villages have been electrified. I like that efforts would be made to electrify villages.

Shri Satpal Kapoor (Patiala) : These days some people are convassing that there will be food crisis this year also in the country and that food imports under PL 480 be resumed. Punjab is contributing to the extent of 65 per cent to the certral pool. Punjab can contribute 12 lakh tonns of rice to the central pool. But from that the state aught to be locked to over come the power crisis.

Centre should deal with the crisis at central level. All irrigation, electricity projects should be taken over by the centre and appropriate distribution made thereof.

Shri M C. Daga (Pali) Rajasthan has no canal system this state is drought effected and famine striken. The government should give funds providing electricity for wells and lift irrigation projects.

We do not want rice but require power for irrigation schemes and form arranging drinking water for Rajasthan.

श्री के० राम कृष्ण (नलगोड़ा) : आंध्र प्रदेश अन्नदाता है । परन्तु इस वर्ष राज्य में अकाल की स्थिति है । ऋण का ब्याज न दिये जाने के कारण कोडा-गुदाम परियोजना को काट दिया गया है । प्राकृतिक विपदाओं के अतिरिक्त बिजली में भी कमी की गई है ।

Shri Lalji Bhai (Udaipur) : There is no quarms in the House.

सभापति महोदय : घंटी बज रही है । अब गणपूर्ति हो गई है ।

श्री के० राम कृष्ण रेड्डी : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय आंध्र प्रदेश की बिजली के उत्पादन की समस्याओं पर ध्यान दें ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : शारावती परियोजना के लिये समाचार पत्रों में पर्याप्त मतभेद है । मैसूर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने इसके लिये न्यायिक जाँच की मांग की हैं । पिछले दिन मंत्री महोदय ने बताया कि एक व्यक्ति को न केवल उसके अध्ययन के लिये अपितु इस पर रिपोर्ट देने के लिये भेजा गया है । क्या मंत्री महोदय परियोजना के महत्व को समझते हुए खुली जांच के लिये सहमत होंगे ?

क्या सरकार काली पन-बिजली परियोजना, जो कि सबसे सस्ती बिजली का निर्माण कर सकेगी, अपने अधिकार में लेगी ?

Shri Shiv Chandika (Banka) : Electricity is being provided to district of South Bihar, Bhogalpur & Santhal Pargana from D.V.C. But there is power failure after every half an hour which causes dislocation of work. What is being done by the Government to rectify this defect.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : विद्युत का अभूतपूर्व संकट है । मांग और उत्पादन में अंतर तथा अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग न किया जाना इसके मुख्य कारण हैं ।

दूसरे बिजली के उपकरणों एवं मशीनों के खराब होने की दशा में हमारा अमरीका पर निर्भर रहना इसके लिये उत्तरदायी है ।

कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन एक ब्रिटिश कम्पनी है, जो इस कार्य से करोड़ों रुपए कमा कर अपने देश ले जाती है । उस कम्पनी की कार्य विधि में 10 वर्ष की वृद्धि की गई है ।

इस मामले पर ऐसा रुख अपनाया गया है जिससे हमारे वाणिज्य व्यापार और रोजगार क्षमताओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : The eastern parts of U.P. suffer from drought for six months and from floods for six months. The hon. Minister promised to give electricity, but it has not so far been arranged. He may kindly look into it.

So for power has not been made available for tube wells which remain unused for two years.

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : जिन लगभग 26 सदस्यों ने इस वाद विवाद में भाग लिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

कहा गया है कि विद्युत के बारे में कोई समुचित योजना नहीं है जबकि तथ्य यह है कि विद्युत के बारे में आयोजना का हम विशेष ध्यान रखते रहे हैं । आवश्यकताओं और क्षमताओं का पूरा अध्ययन किया जाता है।

चौथी योजना के लिये 2 करोड़ 60 लाख किलोवाट की आवश्यकता आंकी गई थी । परन्तु वित्तीय कारणों से सरकार ने 2 करोड़ 30 लाख किलोवाट को स्वीकार किया । फलस्वरूप पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र एवं, गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र, कलकत्ता के पूर्वी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में ही बिजली की कमी हैं, अन्यत्र कहीं नहीं है ।

पंजाब और हरियाणा की कमी भाखड़ा की जल-स्तर के नीचे जाने के कारण हैं । सतलुज का जल-स्तर पिछले वर्ष से 81 फुट नीचे है । यह पानी सिंचाई के लिये भी अपर्याप्त है । इसलिये उत्तरदायित्व समझते हुए बिजली में कटौतियां की गई हैं ।

पंजाब और हरयाणा का पूर्णतः बाखाड़ा पर निर्भर रहना इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का कुछ कारण है । इसे आयोजना की भूल माना जा सकता है । नांगल में उर्वरक कारखाने का निर्माण एक दूसरी भूल रही । हम उस कारखाने को वहां से हटा नहीं सकते हैं । यदि ब्यास के रुख को बाखड़ा की ओर बदल दिया जाये तो बाखड़ा को पर्याप्त जल मिल सकता है । उसे हमने एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है ।

श्री सतपात कपूर (पटियाला) : इसमें क्या कठिनाई है । हम उत्तरदायी नहीं है ।

डा० के० एल० राव : इसका एक ही समाधान है कि परियोजना को यथा शीघ्र पूरा किया जाये । 1972 में इसके पूरा होने पर कोई संकट नहीं रहेगा ।

दिल्ली की फालतू बिजली को हम हरयाणा को दे रहे हैं । सतपुरा से हम मध्य प्रदेश के लिए बिजली इस लिये नहीं प्राप्त कर पाए कि इसके लिए कोयला उपलब्ध नहीं हुआ । यदि एक मशीन भी चालू हो सके तो पंजाब की कमी दूर हो सकेगी । रेलवे मंत्री तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमेन ने कोयले लिए वैगनों का वचन दिया है । अगले 15 दिन में हम सतपाड़ा से बिजली प्राप्त कर पायेंगे ।

डा० कैलास : क्या आप मानते हैं कि समन्वय का अभाव ही इसका कारण है ।

डा० के एल० राव : मुख्य समस्या वित्तीय स्रोतों की कमी है ।

उत्तर प्रदेश के बिजली के संकट को दूर करने के लिए 3-4 वर्षों से हम चेष्टा कर रहे हैं । कुछ मशीनें आयात की गई हैं ।

श्री के० डी० मालवीय : क्या उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन की क्षमता पैदा की जा रही है । बिजली से अधिक है ।

डा० के०एल० राव: उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी है । बिहार में संकट है । उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ पचास लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होती है जबकि मांग 3 करोड़ 5 लाख है जोकि बढ़ती जा रही है ।

आंध्र सरकार ने बिजली के उत्पादन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया । वह अन्य राज्य पर निर्भर करता है ।

बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की अधिष्ठापित क्षमता 3 करोड़ 50 लाख किलोवाट है, जोकि वहां की आवश्ययता से फालतू हैं । तो भी वहां पर संकट है ।

दुर्गापुर परियोजना के लिए मशीनें जलयानों के स्थान पर विमानों से मंगाई जा रही है । यह ठीक है कि बिजली के केन्द्रों का हम अध्ययन नहीं कर पाते ।

श्री आर० एस० पांडे : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम धन नहीं दे रहा इस लिए कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा है ।

डा० के० एल० राव : मैं मानता हूं कि देखभाल के लिए नियुक्त कर्मचारियों की अक्षमता के कारण रख-रखाव ठीक से नहीं हो रहा है । इस उद्देश्य से प्रशिक्षण देने के लिए हमने दुर्गापुर, निवेली में दो संस्थाएं स्थापित की हैं । परन्तु यह पर्याप्त नहीं हैं । इनके विस्तार करने पर हम विचार कर रहे हैं ।

इन सभी कार्यों में 4-5 वर्ष लगेंगे ।

मुझे प्रसन्नता है कि चन्द्रपारा विद्युत केन्द्र और बंदल विद्युत केन्द्र के लिए योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है ।

श्री के० एस० चावड़ा (पटना) : सौराष्ट्र के परमाणु ऊर्जा की क्या स्थिति है ।

डा० के० एल० राव : मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि डलकोटा विद्युत केन्द्र को केन्द्रीय परियोजना के रूप में हाथ में लिया जा रहा है । इस पर व्यय केन्द्र करेगा और बिजली बंगाल और बिहार को दी जाएगी ।

उत्तर बिहार तथा उत्तर बंगाल की कठिनाइयों से हम अवगत हैं । मुझे प्रसन्नता है कि मुजफ्फरपुर विद्युत केन्द्र को आज स्वीकृति दी गई है हमारी चेष्टा है कि हम अधिक से अधिक जितनी परियोजनाओं को मंजूरी दे सकें उतना ही अच्छा है ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या सरकार कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन को अपने अधिकार में ले रही है ।

डा० के० एल० राव : इस बारे में सिंचाई और विद्युत मंत्रियों की बैठक श्रीनगर में हुई थी । उन्होंने श्री बी० एन० कुरील की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने सुझाव दिया है कि सभी लाइसेंसों को रद्द किया जाये ।

चौथी योजना के लिये हम सतर्क हैं । न तो हम बहुत ऊंचे लक्ष्य रखना चाहते हैं जिन्हें पूरा न किया जा सके और न ही हम यह चाहते हैं कि संकट बना रहे ।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया (नन्दयाल) : आंध्र प्रदेश में योजनाएं जारी है और साथ ही वहां बिजली की कमी भी है । इसके बारे में क्या उत्तर है ?

डा० के० एल० राव : कठिनाई यह है कि वित्त पर मेरा अधिकार नहीं है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : परन्तु जल के वितरण पर तो आपका अधिकार है । तमिलनाडु जिन केन्द्रीय परियोजनाओं में बिजली प्राप्त करता है क्या उनसे अन्य राज्यों को बिजली दी जायेगी ?

डा० के० एल० राव : द्रुमुक के मेरे मित्र कहते हैं तमिलनाडु में अन्य राज्यों के दिए जाने के लिए बिजली नहीं है ।

निवेली के बारे में वचनबद्धता सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की नहीं अपितु इस्पात और खान मंत्रालय की है । कलपक्कम के आण्विक केन्द्र से केरल के सम्पूर्ण दक्षिणी क्षेत्र, मैसूर, तमिलनाडु और आंध्र को बिजली मिलनी चाहिए । इस बारे में अभी पत्र व्यवहार हो रहा है ।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : कोठ गुदाम परियोजना की क्या स्थिति हैं ?

डा० के० एल० राव : आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी बहुत समय से चली आ रही हैं । कोठ गुदाम को मंजूरी लगभग मिल गई है । रामगोदाम आदि कुछ अन्य परियोजनाएं भी विचाराधीन है ।

गुजरात में कमी तारापुर की खराबी के कारण होनी है उकाई पन-बिजली परियोजना सम्पन्न हो गई है परन्तु उपकरणों के आगमन में विलम्ब के कारण उसमें देरी हुई है । गान्धीसागर को मंजूरी लगभग दे दी गई है परन्तु उसे ठंडा करने के लिए पानी कहां से मिलेगा इसकी खो हो रही है ।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रस्तावित परमाणु बिजली केन्द्र क्या स्थिति है ?

डा० के० एल० राव : आण्विक शक्ति में सम्भवतः इस लिए सूची दिखाई गई है कि लिए पूरा अनुदान केन्द्र से प्राप्त होता है । यदि पश्चिमी देशों की तरह उसका खर्चा भी रा पर डाला जाये तो उसे कोई नहीं माँगेगा ।

पांचवीं योजना के लिये हमें 2 करोड़ किलोवाट की आवश्यकता है । योजना आयोग ने करोड किलोवाट के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया है । हमारी समस्या यह है कि जब 10 ला किलोवाट प्रतिवर्ष हमें प्राप्त नहीं होती तब पांच वर्ष में 2 करोड़ किलोवाट कैसे मिल सकता है दूसरी ओर यदि हम उसकी व्यवस्था नहीं करते तो हमें कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में पी रहना पड़ेगा । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें परम्परागत मार्गों को छोड़ना होगा ।

हमें सभी राज्यों को अपने साथ लेकर चलना होगा । हमें आवश्यक बिजली उपलब्ध करा के कार्यक्रम तैयार करना होगा ।

हमारे देश में आज 500 अथवा 1000 किलोवाट का बिजली केन्द्र बहुत बड़ा स जाता है । परन्तु भविष्य में ऐसे केन्द्र बहुत छोटे माने जायेंगे ।

Shri Lalji Bhai (Udaipore) : There is no quarnum in the house.

सभापति महोदय : घंटी बज रही है । अब गणपूर्ति हो गई है ।

डा० के० एल० राव : मध्य प्रदेश में उपयोगी कार्य हो रहा है । हम क्षेत्रीय ग्रिड स्थापि करना चाहते हैं ।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 23 अगस्त, 1972, 11 भाद्र, 1894 (शक) के ग्यारा बजे तक के लिए स्थागित हुई :

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 23rd, August, 1972/Bhadra 1, 1894 (Saka)

Printed at sumer Printing Press, New Delhi-18